नवीन हिन्दी व्याकरण एवं रचना

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक)

(सामान्य भाषा–ज्ञान, व्याकरण–रचना, संक्षेपण,
पल्लवन, पत्र–तार–लेखन, निबन्ध–लेखन, अपठित सहित)

संयोजक :

डॉ. सोहनदान चारण

पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष
हिन्दी विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

लेखक :

रतनलाल गोयल 'भावी'
व्याख्याता, हिन्दी (से.नि.)
श्री सुमेर उ.मा. विद्यालय
जोधपुर

स्व. डॉ.भगवतीलाल व्यास
सहायक प्रोफेसर (से.नि.)
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
जोधपुर

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

2012

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

नवीन हिन्दी व्याकरण एवं रचना

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक)

(सामान्य भाषा–ज्ञान, व्याकरण–रचना, संक्षेपण,
पल्लवन, पत्र–तार–लेखन, निबन्ध–लेखन, अपठित सहित)

संयोजक :

डॉ. सोहनदान चारण

पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष

हिन्दी विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

लेखक :

रतनलाल गोयल 'भावी'
व्याख्याता, हिन्दी (से.नि.)
श्री सुमेर उ.मा. विद्यालय
जोधपुर

स्व. डॉ.भगवतीलाल व्यास
सहायक प्रोफेसर (से.नि.)
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
जोधपुर

2012

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है। समस्त भारतीय मेरे भाई–बहिन हैं।
मैं अपने देश से प्रेम करता/करती हूँ तथा मुझे इसकी विपुल एवं विविध थातियों पर गर्व है। मैं इसके योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूँगा/करती रहूँगी।
मैं अपने माता–पिता, अध्यापक एवं समस्त बड़ों का सम्मान करुँगा/करुँगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता से व्यवहार करुँगा/करुँगी।
मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं उनकी समृद्धि में ही है।

© प्रकाशक के हित में सर्वाधिकार सुरक्षित

संस्करण : 201

प्रतियां :

राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गये 58 जी.एस.एम. क्रीम वॉव पेपर **IS :1848/2007** एवं 130 जी.एस.एम. कवर पेपर **IS : 6956/1973** प्रयुक्त।

मुद्रक :

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है। समस्त भारतीय मेरे भाई–बहिन हैं।
मैं अपने देश से प्रेम करता/करती हूँ तथा मुझे इसकी विपुल एवं विविध थातियों पर गर्व है। मैं इसके योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूँगा/करती रहूँगी।
मैं अपने माता–पिता, अध्यापक एवं समस्त बड़ों का सम्मान करुँगा/करुँगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता से व्यवहार करुँगा/करुँगी।
मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं उनकी समृद्धि में ही है।

© प्रकाशक के हित में सर्वाधिकार सुरक्षित

संस्करण : **2012**

प्रतियां :

मूल्य (अंकों में) : **रूपये**

(शब्दों में) :

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गये 58 जी.एस.एम. क्रीम वॉव पेपर **IS :1848/2007** एवं 130 जी.एस.एम. कवर पेपर **IS : 6956/1973** प्रयुक्त।

मुद्रक :

प्राक्कथन

यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए तैयार की गई है और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत पुस्तक में उन सभी विषयों का समावेश किया गया है जो व्याकरण के अंग हैं।

भाषा का सामाजिक सरोकार आज के युग में एक अहम् मुद्दा बना हुआ है। भाषा प्रयोगों में (उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी एवं वाक्य–गठन संबंधी) विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ अपना प्रभुत्व जमाती जा रही हैं। बोलचाल की भाषा एवं आंचलिक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र–भाषा हिन्दी का स्वरूप विशिष्ट से विचित्र होता जा रहा है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में व्याकरणिक स्तर पर हिन्दी की जो दुर्गति हो रही है, वह समस्त हिन्दी–प्रेमियों के लिए चिन्ता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में हिन्दी के समर्थकों एवं हिन्दी के पाठकों का यह विशेष दायित्व बन जाता है कि उसके शुद्ध एवं मानक रूप को स्वीकार करें एवं इस प्रकार राष्ट्र–भाषा हिन्दी के संवर्द्धन में सक्रिय सहयोग दें, तभी इसका गौरवशाली इतिहास जीवित रह सकेगा। भाषा की शुद्धता ही उसकी प्राण–शक्ति होती है। व्याकरण संबंधी इस पुस्तक के प्रणयन की पृष्ठभूमि में हमारा यही प्रयास रहा है कि व्याकरण सम्मत नियमों–उपनियमों की जानकारी कर आज का विद्यार्थी लाभान्वित हो तथा शुद्ध भाषा सीखे। अशुद्ध भाषा प्रयोक्ता को अनेक बार शर्मिन्दा होना पड़ता है, जब कि भाषा के शुद्ध प्रयोग हमारे आत्म–बल को बढ़ाने के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भावात्मक संबंधों में भी अभिवृद्धि करते हैं।

व्याकरण प्रायः नीरस विषय है। अतः उसके पठन–पाठन में छात्रों की रुचि कम होती है। प्रायः यह माना जाता है कि व्याकरण के नियम रटने ही पड़ते हैं इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें सरल और सहज रूप में हृदयंगम कराना ही हमारा उद्देश्य रहा है।

इसके साथ ही हमने व्याकरण के नियमों–उपनियमों की जानकारी देते हुए ऐसे उदाहरण–वाक्यों को व्यवहृत किया है, जो सांस्कृतिक–समन्वय, भाईचारे की भावना, राष्ट्रीय मान–मूल्य एवं मानवोचित व्यवहार को सबल आधार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आशा है, विभिन्न अध्यायों में दिये गये ऐसे उदाहरणों को पढ़ाते समय शिक्षकगण और भी ऐसे अनेक वाक्य शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय विकास हेतु प्रेरक सिद्ध हों। यदि शिक्षक एवं शिक्षार्थी इस पुस्तक से लाभान्वित हुए तो हम हमारा प्रयास सफल मानेंगे।

– लेखकगण

विषय सूची

खण्ड 'क'

1.	**भाषा और व्याकरण**	1–6
2.	**शब्द–विचार (क)**	7–17
3.	**शब्द–विचार (ख)**	18–26
4.	**शब्द रूपान्तरण** लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य	27–37
5.	**पद–परिचय**	38–40
6.	**सन्धि** परिभाषा एवं प्रकार :	41–59
7.	**समास परिभाषा एवं प्रकार :**	60–66
8.	**उपसर्ग परिभाषा एवं प्रकार :**	67–72
9.	**प्रत्यय** परिभाषा एवं प्रकार : कृदन्त, तद्धित	73–78
10.	**अर्थ–विचार**	79–99
11.	**शुद्ध–वर्तनी**	100–107
12.	**शब्द–शक्ति :**	108–111
13.	**वाक्य–विचार** वाक्य	112–126
14.	**विराम–चिह्न**	127–131
15.	**मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ**	132–152
16.	**अलंकार** परिभाषा एवं प्रकार	153–156

खण्ड 'ख'

17.	**पत्र लेखन :** व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, प्रार्थना–पत्र, शिकायती पत्र, निमन्त्रण पत्र, कार्यालयी पत्र, सामान्य सरकारी पत्र, निविदा, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, अर्द्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, कार्यालय टिप्पणी, व्यावसायिक पत्र	157–173
18.	**तार लेखन :** प्रकार एवं प्रारूप	174–178
19.	**संक्षिप्तीकरण :** अर्थ, आवश्यक निर्देश, संक्षिप्तीकरण	179–181
20.	**भाव विस्तार/पल्लवन** सामान्य परिचय, आवश्यक निर्देश, पल्लवन।	182–184
21.	**निबन्ध** (i) आजादी के 50 वर्ष : क्या खोया क्या पाया (ii) बेरोजगारी : समस्या और समाधान (iii) महँगाई : समस्या और समाधान (iv) राजस्थान और अकाल (v) दहेज दानव (vi) यात्रा करते समय जब मेरी जेब कट गई (vii) यदि मैं प्रधानाध्यापक होता (viii) आदर्श विद्यार्थी (ix) मेले का वर्णन (x) त्योहारों का महत्त्व **कतिपय निबन्धों की रूपरेखाएँ**	185–199
22.	**अपठित**	200–204

1
भाषा और व्याकरण

सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एक मात्र ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख–दुःख का इज़हार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती।

भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष्' से व्युत्पन्न है। 'भाष्' धातु से अर्थ ध्वनित होता है–प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे 'भाषा' संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि–**"भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों/विचारों को व्यक्त करते हैं।"**

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ–साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिन्दी स्वीकारी गई है।

वर्ण विचार

किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्त्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा/विवेचना की जाती है।

1. वर्ण 2. शब्द 3. वाक्य

हिन्दी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिन्दी में 44 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है– स्वर और व्यंजन।

स्वर :

ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ग्यारह होते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व एवं दीर्घ।

जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिला कर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है।

आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं।

स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं :

अ – कोई मात्रा नहीं

आ – ा　　इ – ि　　ई – ी

उ – ु　　ऊ – ू

ए – े　　ऐ – ै　　ओ – ो　　औ – ौ

ऋ – ृ

व्यंजन :

जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क् + अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें पाँच वर्गों तथा स्पर्श, अन्तस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बाँटा जा सकता है।

स्पर्श :

क वर्ग – क्, ख्, ग्, घ्, (ङ्)
च वर्ग – च्, छ्, ज्, झ्, (ञ्)
ट वर्ग – ट्, ठ्, ड्, ढ्, (ण्)
त वर्ग – त्, थ्, द्, ध्, (न्)
प वर्ग – प्, फ्, ब्, भ्, (म्)

अन्तस्थ – य्, र्, ल्, व्

ऊष्म – श्, ष्, स्, ह्

संयुक्ताक्षर – इसके अतिरिक्त हिन्दी में तीन संयुक्त व्यंजन भी होते हैं–

क्ष – क् + ष्
त्र – त् + र्
ज्ञ – ज् + ञ्

हिन्दी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात् कुल 44 वर्ण हैं तथा तीन संयुक्ताक्षर हैं।

वर्णों के उच्चारण स्थान – भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है।

	वर्ण	उच्चारण स्थान	वर्ण ध्वनि का नाम
1.	अ, आ, क वर्ग और विसर्ग	कंठ कोमल तालु	कंठ्य

2.	इ, ई, च वर्ग, य, श	तालु	तालव्य
3.	ऋ, ट वर्ग, र्, ष	मूर्द्धा	मूर्द्धन्य
4.	लृ, त वर्ग, ल, स	दन्त	दन्त्य
5.	उ, ऊ, प वर्ग	ओष्ठ	ओष्ठ्य
6.	अं, ङ, ञ, ण, न्, म्	नासिका	नासिक्य
7.	ए ऐ	कंठ तालु	कंठ – तालव्य
8.	ओ, औ	कंठ ओष्ठ	कठोष्ठ्य
9.	व	दन्त ओष्ठ	दन्तोष्ठ्य
10.	ह	स्वर यन्त्र	अलिजिह्वा

अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ–साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा।

जैसे अं में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा।

उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को आठ भागों में बांटा जा सकता हैः

1. स्पर्शी : जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है। निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं :

क् ख् ग् घ् ; ट् ठ् ड् ढ्

त् थ् द् ध् ; प् फ् ब् भ्

2. संघर्षी : जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं–

श्, ष्, स्, ह्, ख्, ज्, फ्

3. स्पर्श संघर्षी : जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं – च्, छ्, ज्, झ्।

4. नासिक्य : जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है ङ्, ञ्, ण्, न, म्।

5. पार्श्विक : जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आस–पास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं–

जैसे – 'ल्'।

6. प्रकम्पित : जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दो तीन बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे–'र'

7. उत्क्षिप्त : जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त (फेंका हुआ) ध्वनि कहलाती है। ड्, ढ् उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं।

8. संघर्ष हीन : जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे–य, व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं।

इसके अतिरिक्त स्वर तन्त्रियों की स्थिति और कम्पन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है।

घोष : घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज (स्वर तंत्र में कंपन) होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अन्तिम तीन वर्ण ग्, घ्, ङ्, ज्, झ्, ञ् आदि तथा य् र् ल् व् ह् घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या तीस है।

अघोष : इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कम्पन नहीं होता अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क् ख् च् छ् श्, ष्, स्, आदि सभीर्णव अघोष हैं, इनकी संख्या तेरह है।

श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं : अल्पप्राण और महाप्राण।

अल्पप्राण : जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। क वर्ग च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण (क्, ग्, ङ्, च्, ज्, ञ्, ट्, ड्, ण्, त्, द्, न्, प्, ब्, म् आदि) तथा य्, र्, ल्, व् और सभी स्वर अल्पप्राण हैं।

महाप्राण : जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण (ख्, घ्, छ्, झ्, ठ्, ढ्, थ्, ध्, फ्, भ्) तथा श्, ष्, स्, ह् महाप्राण हैं।

अनुनासिक : अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे – अँ, आँ, ईं, ऊँ आदि।

देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

भारतीय संविधान में हिन्दी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तत्त्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिन्दी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है अतः इसका ही प्रयोग करें।

देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप :

स्वर – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए ऐ ओ औ

मात्राएँ – – ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अनुस्वार – अं

विसर्ग – अः

अनुनासिकता चिह्न – ँ

व्यंजन – क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ (ढ़), ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह।

संयुक्त व्यंजन – क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।

हल चिह्न – (्)

गृहीत स्वर – ऑ (ॉ) ख़, ज़, फ़।

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण :

1. संयुक्त वर्ण :

खड़ी पाई वाले व्यंजन : खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए ; यथा : ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यक्ष्मा आदि।

2. विभक्ति चिह्न :

(क) हिन्दी के विभक्ति चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाय;

जैसे – राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि।

सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाय;

जैसे – उसने, उसको, उससे।

(ख) सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाय –

जैसे – उसके लिए, इसमें से।

3. क्रिया पद : संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्–पृथक् लिखी जाय; जैसे – पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि।

4. संयोजक चिह्न : (हाइफन) संयोजक चिह्न का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है ; यथा –

(क) द्वन्द्व समास में पदों के बीच संयोजक चिह्न रखा जाए –

जैसे – दिन–रात, देख–रेख, चाल–चलन, हँसी–मजाक, लेन–देन, शिव–पार्वती–संवाद, खाना–पीना, खेलना–कूदना।

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व संयोजक चिह्न रखा जाए, जैसे तुम–सा, मोटा–सा, कौन–सा, कपिल–जैसा, चाकू–से तीखे।

(ग) तत्पुरुष समास में संयोजक चिह्न का प्रयोग वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं; जैसे भू–तत्त्व (पृथ्वी तत्त्व)। संयोजक चिह्न न लगाने पर भूतत्त्व लिखा जाएगा और इसका अर्थ भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिह्न लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किन्तु अ–नख (बिना नख का), अ नति (नम्रता का अभाव) अ–परस (जिसे किसी ने छुआ न हो) आदि शब्दों में संयोजक चिह्न लगाया जाना चाहिए अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएँगे।

5. अव्यय : तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाय;

जैसे – आपके साथ, यहाँ तक।

अन्य नियम :

अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्द्ध विवृत ऑ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी

में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्द्ध चन्द्र (ॅ) का प्रयोग किया जाय।

जैसे – कॉलेज, डॉक्टर, कॉपरेटिव आदि।

हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो–दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक–सी मान्यता है ; जैसे गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ/बर्फ, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान आदि।

पूर्वकालिक प्रत्यय :

पूर्वकालिक प्रत्यय –कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाएः जैसे मिलाकर, खा–पीकर, पढ़कर।

शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाय जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे , ; ? ! : – =

पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई। (।) का प्रयोग किया जाय।

अंग्रेजी हिन्दी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों, उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के A, B, C, अथवा a, b, c, के स्थान पर सर्वत्र क, ख, ग, का प्रयोग किया जाए (अ, ब, स, अथवा अ, आ, इ, आदि का नहीं) आवश्यकतानुसार 1, 2, 3, अथवा रोमन i, ii, iii का प्रयोग किया जा सकता है।

हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सतावन अठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे सौ।

अभ्यास प्रश्न

1. भाषा किसे कहते हैं?
2. स्वर एवं व्यंजन के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।
3. लिपि से क्या तात्पर्य है?
4. हिन्दी भाषा लिपि में लिखी जाती है –

   (क) देवनागरी लिपि (ख) खरोष्ठी लिपि

   (ग) ब्राह्मी लिपि (घ) महाजनी लिपि
5. हिन्दी में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं?
6. हिन्दी में कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं?

2

शब्द–विचार (क)

परिभाषा : एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि–समूह को शब्द कहते हैं।

शब्द के भेद : शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किये जाते हैं –

1. उत्पत्ति के आधार पर

उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिन्दी भाषा में शब्दों को निम्न 4 उपभेदों में बाँटा गया है–

(i) तत्सम शब्द :

किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिन्दी की मूल भाषा (संस्कृत) के वे शब्द, जो हिन्दी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

जैसे– अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र।

(ii) तद्भव शब्द :

उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द, जिनका हिन्दी में रूप परिवर्तित हो गया, हिन्दी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे – चन्द्र से चाँद, अग्नि से आग, जिह्वा से 'जीभ' आदि बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं।

तत्सम–तद्भव शब्दों की सूची :

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अकार्य	अकाज	अग्नि	आग
अक्षर	अच्छर/आखर	अग्रवर्ती	अगाड़ी
अक्षत	अच्छत	अक्षय	आखा
अक्षि	आँख	अच्युत	अचूक
अग्र	आगे	अज्ञान	अजान
अगम्य	अगम	अज्ञानी	अनजाना
अद्य	आज	अन्धकार	अँधेरा
अन्ध	अँधेरा	अन्न	अनाज
अट्टालिका	अटारी	अन्यत्र	अनत
अमावस्या	अमावस	अमूल्य	अमोल
अनार्य	अनाड़ी	अमृत	अमिय/अमीय
अम्लिका	इमली	अर्पण	अरपन
अवगुण	औगुण	अष्ट	आठ
अष्टादश	अठारह	अर्क	आक/अरक
अर्द्ध	आधा	अवतार	औतार
अश्रु	आँसू	अग्रणी	अगाड़ी

अगणित	अनगिनत	आम्र	आम
आमलक	आँवला	आदेश	आयस
आभीर	अहीर	आखेट	अहेर
आर्य	आरज	आलस्य	आलस
आदित्यवार	इतवार	आम्रचूर्ण	अमचूर
आश्चर्य	अचरज	आशीष	असीस
आश्विन	आसोज	आश्रय	आसरा
इक्षु	ईख	इष्टिका	ईंट
ईर्ष्या	ईर्षा	ईप्सा	इच्छा
उत्साह	उछाह	उज्ज्वल	उजला
उपालम्भ	उलाहना	उलूक	उल्लू
उर्द्वतन	उबटन	उच्च	ऊँचा

तत्सम	**तद्भव**	**तत्सम**	**तद्भव**
उष्ट्र	ऊँट	उलूखल	ओखली
उपाध्याय	ओझा	उपरि	ऊपर
उच्छ्वास	उसास	एला	इलायची
एकत्र	इकट्ठा	ओष्ठ	ओठ
अंक	आँक	अंगुलि	अँगुरी
अंचल	आँचल	अंगुष्ठ	अंगूठा
कंकण	कंगन	कर्म	काम
कटु	कड़वा	कर्त्तव्य	करतव
कल्लोल	कलोल	कर्पट	कपड़ा
कपाट	किवाड़	कदली	केला
कपर्दिका	कौड़ी	कर्पूर	कपूर
कज्जल	काजल	कर्ण	कान
कण्टक	काँटा	कपोत	कबूतर
कर्तरी	कैंची	काँस्यकार	कसेरा
काष्ठ	काठ	कार्य	काज
काक	काग / कौवा	कार्तिक	कातिक
कांचन	कंचन	कास	खाँसी
किरण	किरन	किंचित	कुछ
कीर्ति	कीरति	कुमार	कुँअर
कुक्कर	कुत्ता	कुम्भकार	कुम्हार
कुक्षि	कोख	कुष्ठ	कोढ़
कुपुत्र	कपूत	क्रूर	कूर
कन्दुक	गेंद	कोकिल	कोयल
कोण	कोना	कृष्ण	किसन / कान्ह
कृषक	किसान		
गर्दभ	गधा	गर्त	गड्ढ़ा

गहन	घना	गम्भीर	गहरा

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
ग्रंथि	गाँठ	गर्मी	घाम
गायक	गवैया	ग्राम	गाँव
ग्रामीण	गँवार	ग्राहक	गाहक
गात्र	गात	ग्रीष्म	गर्मी
ग्रीवा	गर्दन	गुम्फन	गूँथना
गुहा	गुफा	गुण	गुन
गोपालक	ग्वाल	गोमय	गोबर
गोधूम	गेहूँ	गोस्वामी	गुसाँई
गौर	गोरा	गो	गाय
गृहिणी	घरनी	गृद्ध	गीध
घट	घड़ा	घटिका	घड़ी
घोटक	घोड़ा	घृत	घी
घृणा	घिन		
चर्म	चाम	चर्मकार	चमार
चक्रवाक	चकवा	चर्वण	चबाना
चन्द्र	चाँद	चन्द्रिका	चाँदनी
चतुष्कोण	चौकोर	चतुर्थ	चौथा
चतुर्दश	चौदह	चतुष्पद	चौपाया
चक्र	चाक (चक्कर)	चंचु	चोंच
चतुर्थी	चौथ	चतुर्विंश	चौबीस
चतुर्दिक	चहुँओर		
चित्रकार	चितेरा	चिक्कण	चिकना
चित्रक	चीता	चूर्ण	चून/चूरन
चैत्र	चैत	चौर	चोर
छत्र	छाता	छिद्र	छेद
छाया	छाँह		

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
जन्म	जनम	ज्येष्ठ	जेठ
ज्योति	जोति/जोत	जामाता	जमाई
जिह्वा	जीभ	जीर्ण	झीना
जंघा	जाँघ		
तण्डुल	तन्दुल	तपस्वी	तपसी
तप्त	तपन	ताम्र	ताम्बा
तिलक	टीका	तीर्थ	तीरथ
तीक्ष्ण	तीखा	तुन्द	तोंद
तैल	तेल	त्वरित	तुरन्त

तृण	तिनका		
दधि	दही	दन्त	दाँत
दन्तधावन	दातुन	दद्रु	दाद
दण्ड	डण्डा	दक्ष	दच्छ
दक्षिण	दाहिना	दाह	डाह
दिशान्तर	दिसावर	द्विवर	देवर
दीप	दीया	दीपशलाका	दीयासलाई
दीपावली	दीवाली	दुग्ध	दूध
दुर्लभ	दूल्हा	दुर्बल	दुबला
दूर्वा	दूब	दौहित्र	दोहिता
दृष्टि	दीठि	द्विगुण	दूना
द्वादश	बारह	द्विपट	दुपट्टा
द्विपहरी	दुपहरी	द्वितीय	दूजा
धर्म	धरम	धर्त्तूर	धतूरा
धरणी	धरती	धूलि	धूरि
धूम्र	धुआँ	धैर्य	धीरज
नग्न	नंगा	नक्षत्र	नखत
नव्य	नया	नयन	नैन
नव	नौ	नम्र	नरम

तत्सम	**तद्भव**	**तत्सम**	**तद्भव**
नकुल	नेवला	नारिकेल	नारियल
नासिका	नाक	नापित	नाई
निपुण	निपुन	निम्ब	नीम
निद्रा	नींद	निम्बुक	नींबू
निशि	निसि	निष्ठुर	निठुर
नृत्य	नाच	पक्व	पक्का
पक्ष	पंख	पद्म	पदम
पथ	पंथ	पट्टिका	पाटी
पक्षी	पंछी	पर्यंक	पलंग
पक्वान्न	पकवान	परीक्षा	परख
पश्चाताप	पछतावा	परश्वः	परसों
पर्पट	पापड़	पवन	पौन
परमार्थ	परमारथ	पत्र	पत्ता
परशु	फरसा	पाश	फन्दा
पाषाण	पाहन	पाद	पैर
पिप्पल	पीपल	पिपासा	प्यास
पितृ	पितर	पीत	पीला
पुच्छ	पूँछ	पुष्प	पुहुप
पुष्कर	पोखर	पुत्र	पूत

पूर्व	पूरब	पूर्ण	पूरा
पौष	पूस	पौत्र	पोता
पंक्ति	पंगत	प्रिय	पिय
प्रकट	प्रगट	प्रस्वेद	पसीना
प्रस्तर	पत्थर	प्रतिच्छाया	परछाँई
पृष्ठ	पीठ		
फणि	फण	फाल्गुन	फागुन
बधिर	बहरा	बलीवर्द	बैल
बन्ध्या	बाँझ	बर्कर	बकरा
बालुका	बालू	बुभुक्षित	भूखा

तत्सम	**तद्भव**	**तत्सम**	**तद्भव**
भक्त	भगत	भद्र	भल्ला
भल्लुक	भालू	भगिनी	बहिन
भागिनेय	भानजा	भाद्रपद	भादौं
भिक्षा	भीख	भ्रमर	भौंरा
भ्रू	भौं / भौंह	भ्रातृ	भाई
मकर	मगर	मक्षिका	मक्खी
मशक	मच्छर	मस्तक	माथा
मत्स्य	मछली	मयूर	मोर
मल	मैल	मद्य	मद
मनुष्य	मानुस	मदोन्मत्त	मतवाला
महिषि	भैंस	मर्कटी	मकड़ी
मार्ग	मारग	मास	महीना
मणिकार	मणिहार	मातुल	मामा
मातृ	माँ / माता	मित्र	मीत
मिष्टान्न	मिठाई	मुक्ता	मोती
मुषल	मुसल	मुख	मुँह
मेघ	मेह	मौक्तिक	मोती
मृत्यु	मौत	मृतघट्ट	मरघट
यन्त्र–मन्त्र	जन्तर–मन्तर	यमुना	जमुना
यज्ञ	जग	यजमान	जजमान
यति	जती	यत्न	जतन
यशोदा	जसोदा	यव	जौ
यद्यपि	जदपि	यम	जम
यश	जस	यज्ञोपवीत	जनेऊ
युक्ति	जुगति	यूथ	जत्था
युवा	जवान	योगी	जोगी
रज्जु	रस्सी	रक्षा	राखी
राजपुत्र	राजपूत	राशि	रास

रिक्त	रीता	रूदन	रोना

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
लक्ष्मण	लखन	लक्षण	लच्छन
लज्जा	लाज	लक्ष	लाख
लवंग	लौंग	लवण	लौण / नोन
लवणता	लुनाई	लक्ष्मी	लिछमी
लेपन	लीपना	लोमशा	लोमड़ी
लौहकार	लुहार	लौह	लोहा
वणिक्	बनिया	वत्स	बच्चा / बछड़ा
वधू	बहू	वट	बड़
वरयात्रा	बरात	वज्रांग	बजरंग
वचन	बचन	वर्षा	बरसात
वर्ण	बरन	वक	बगुला
वाष्प	भाप	वानर	बन्दर
वाणी	बैन	विष्टा	बींट
विवाह	ब्याह	विद्युत	बिजली
वीणा	बीना	विकार	बिगाड़
वंश	बाँस	वंशी	बाँसुरी
व्यथा	विथा	वृषभ	बैल
वृक्ष	बिरख / बिरछ	वृद्ध	बूढ़ा
व्याघ्र	बाघ	वृश्चक	बिच्छू
शर्करा	शक्कर	शकट	छकड़ा
शत	सौ	शय्या	सेज
शाक	साग	शाप	सराप
शिक्षा	सीख	शीतल	सीतल
शुक	सुआ	शुष्क	सूखा
शून्य	सूना	शूकर	सूअर
शुण्ड	सूँड	श्वसुर	ससुर
श्यामल	साँवला	श्याली	साली
श्मश्रु	मूँछ	श्वश्रू	सास
श्वास	साँस	श्मशान	मसान

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
श्रृंगार	सिंगार	श्रृगाल	सियार
श्रृंग	सींग	श्रावण	सावन
श्रेष्ठि	सेठ	षोडश	सोलह
सरोवर	सरवर	सप्तशती	सतसई
सर्सप	सरसों	सपत्नी	सौत
सर्प	साँप	सन्ध्या	साँझ

सत्य	सच	साक्षी	साखी
सूत्र	सूत	सूर्य	सूरज
सौभाग्य	सुहाग	स्वप्न	सपना
स्वर्णकार	सुनार	स्थल	थल
स्कन्ध	कंध	स्थान	थान
स्तम्भ	खम्भा	स्नेह	नेह
स्पर्श	परस		
हरित	हरा	हरिद्रा	हल्दी
हस्तिनी	हथिनी	हर्ष	हरख
हट्ट	हाट	हण्डी	हाँडी
हस्ती	हाथी	हस्त	हाथ
हरिण	हिरन	हास्य	हँसी
हिन्दोला	हिण्डोला	हीरक	हीरा
होलिका	होली		
क्षण	छिन	क्षति	छति
क्षत्रिय	खत्री	क्षार	खार
क्षीर	खीर	क्षीण	छीन
क्षेत्र	खेत	त्रयोदश	तेरह

(iii) देशज शब्द :

किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द, जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात् भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है तथा हिन्दी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गये हैं।

(अ) अपनी गढ़न्त से बने शब्द – ऊटपटाँग, ऊधम, अँगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोहरा, छल–छलाना, झण्डा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढाँचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की, लुग्दी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना।

(आ) द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आये देशज शब्द : अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लूँगी, डोसा, इडली।

(इ) कोल संस्थाल आदि जातियों की भाषा से बने हिकी के देशज शब्द : कदली से केला, कर्पास से कपास, सरसों, कोड़ी, ताम्बूल, परवल, बाजरा, भिंडी,

(iv) विदेशी शब्द :

राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं।

(क) अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं : अण्डरवियर, अल्मारी,

अस्पताल, इंजीनियर, एक्स–रे, एजेण्ट, एम.पी., क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोट, क्रिकेट, गार्ड, चैक, टायर, ट्यूब, टेलिविजन, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बैड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, पोस्टकार्ड, पेन, प्लेटफार्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेन्ट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबाल, बस, बिल्डिंग, बैंक, बैण्ड, ब्रुश, बुश्शर्ट, बैडमिण्टन, मास्टर, मजिस्ट्रेट, मेम्बर, यूनिवर्सिटी, यूनीफार्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, लीडरशिप, लाटरी, वारण्ट, वोट, शर्ट, सूट, सिगनल, सिलैण्डर, सीमेण्ट, स्कूटर, स्वैटर।

(ख) अरबी भाषा के शब्द : अक्ल, अजीब, अदालत, आजाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इन्तजार, इनाम, इस्तीफा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफतर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म।

(ग) फारसी के शब्द : अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, नमक, नेक, बीमार,मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, सूद, सेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा।

(घ) पुर्तगाली भाषा से : अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अन्नानास, इस्पात, कनस्तर, कारबन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौल्मित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन।

(च) तुर्की से : आका, उर्दू, एलची, काबू, खाँ, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, खॉ, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बाबर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश।

(छ) फैंच (फांसीसी) से : अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रॉ, सूप।

(ज) चीनी से : चाय, लीची, लोकाट, तूफान।

(झ) डच से : तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल।

(ट) जर्मनी से : नात्सी, नाजीवाद, किंडर गार्टन।

(ठ) जापानी से : रिक्सा, सायोनारा।

(ड) तिब्बती से : लामा, डाँडी।

(ढ़) रुसी से : जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुर्जुग।

(त) यूनानी से : एकेडमी, एटम, एटलस, टेलिफोन, बाइबिल।

(v) संकर शब्द :

हिन्दी में वे शब्द जो दो अलग–अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिये गये हैं, संकर शब्द कहलाते हैं।

अग्नि बोट	अग्नि (संस्कृत)	+ बोट (अंग्रेजी)
टिकिट–घर	टिकिट (अंग्रेजी)	+ घर (हिन्दी)
तपैदिक	तप (फारसी)	+ दिक (अरबी)
नेकचलन	नेक (फारसी)	+ चलन (हिन्दी)

नेक नीयत	नेक (फारसी)	+ नीयत (अरबी)
बे–आब	बे (फारसी)	+ आब (अरबी)
बे–ढंगा	बे (फारसी)	+ ढंगा (हिन्दी)
बे–कायदा	बे (फारसी)	+ कायदा (अरबी)
विसातखाना	विसात (अरबी)	+ खाना (फारसी)
सजा प्राप्त	सजा (फारसी)	+ प्राप्त (हिन्दी)
रेलगाड़ी	रेल (अंग्रेजी)	+ गाड़ी (हिन्दी)
उड़न तश्तरी	उड़न (हिन्दी)	+ तश्तरी (फारसी)
कवि दरबार	कवि (हिन्दी)	+ दरबार (फारसी)
बम वर्षा	बम (अंग्रेजी)	+ वर्षा (फारसी)
जाँचकर्ता	जाँच (फारसी)	+ कर्त्ता (हिन्दी)

(ख) रचना के आधार पर : शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिन्दी भाषा के शब्दों के तीन भेद किये जाते हैं –

(1) रूढ़ शब्द (2) यौगिक शब्द (3) योग रूढ़ शब्द

(i) रूढ़ शब्द : वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, 'रूढ़ शब्द' कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतन्त्र अर्थ नहीं होते। जैसे – दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढ़क, स्त्री।

(ii) यौगिक शब्द : वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक् अर्थ भी होता है, किन्तु वे मिलकर अपने मूल शब्द से सम्बन्धित या अन्य किसी नये अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यथा – विद्यालय, प्रेमसागर, प्रतिदिन, दूधवाला, राजमाता, ईश्वर–प्रदत, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ीमार।

(iii) योगरूढ़ शब्द : वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक् पृथक् अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किन्तु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गये हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं।

जैसे – पीताम्बर, शब्द 'पीत' और 'अम्बर' के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लम्बोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावणारि, मुरारि।

(ग) प्रयोग के आधार पर : प्रयोग के आधार पर हिन्दी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। (i) विकारी (ii) अविकारी या अव्यय शब्द

(i) विकारी शब्द : वे शब्द, जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अलग प्रकरण में किया गया है।

(ii) अविकारी या अव्यय शब्द : वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के

अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता अर्थात् इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रियाविशेषण, सम्बन्ध – बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादिबोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं।

(घ) **अर्थ के आधार पर** : अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं–

(i) एकार्थी शब्द : वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं।

जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी।

(ii) अनेकार्थी शब्द : वे शब्द, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तथा उनका प्रयोग अलग–अलग अर्थ में किया जा सकता है।

जैसे : अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द हैं।

(iii) पर्यायवाची शब्द : वे शब्द, जिनका अर्थ समान होता है। अर्थात् एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।

जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द सूर्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं।

(iv) विलोम शब्द : वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।

जैसे दिन–रात, जय–पराजय, आशा–निराशा, सुख–दुःख।

(v) समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द : वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किन्तु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युग्म–शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।

जैसे अनल–अनिल उच्चारण में समान है किन्तु अनल का अर्थ है– आग तथा अनिल का अर्थ है–हवा।

(vi) शब्द समूह के लिए एक शब्द : वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बन कर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त 'एक शब्द' कहते हैं।

जैसे – जिसका कोई शत्रु न हो – अजातशत्रु।

(vii) समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द : वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किन्तु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अन्तर होता है कि उन्हें अलग–अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र–शस्त्र। 'अस्त्र' शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है।

जैसे– तीर, बम, बन्दूक, आदि; जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है जैसे– लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि।

(viii) समूहवाची शब्द : वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं जैसे : गट्ठर (लकड़ी या पुस्तकों का) गुच्छा (चाबियाँ या अंगूर का) गिरोह (माफिया या डाकुओं का), जोड़ा (जूतों का, हंसों का) जत्था (यात्रियों का, सत्याग्रहियों का), झुण्ड (पशुओं का) टुकड़ी (सेना की), ढेर (अनाज का), पंक्ति (मनुष्यों, हंसों की) भीड़ (मनुष्यों की), माला (फूलों की, मोतियों की), शृंखला (मानव, लौह) रेवड़ (भेड़ व बकरियों का) समूह (मनुष्यों का)

(ix) ध्वन्यार्थक शब्द : वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। इनको निम्न उपभेदों में बाँट सकते हैं–

(अ) पशुओं की बोलियाँ : किलकिलाना (बन्दर), गुर्राना, (चीता) दहाड़ना (शेर) भौंकना (कुत्ता), रेंकना (गधा), हिनहिनाना (घोड़ा), डकारना (बैल) चिंघाड़ना (हाथी), फुँफकारना (साँप), मिमियाना (भेड़, बकरी) रंभाना (गाय), गुंजारना (भौंरा), टर्राना (मेंढ़क), म्याऊ (बिल्ली) बलबलाना (ऊँट), हुआ हुआ (गीदड़)!

(आ) पक्षियों की बोलियाँ : कूजना (बतख, कुरजां), कुकडुकूँ (मुर्गा) चीखना (बाज), हू हू (उल्लू), काँव–काँव (कौवा) गुटरगूँ (कबूतर), टें–टें (तोता), कूंहकना (कोयल), चहचहाना (चिड़िया) मेयो, मेयो (मोर)

(ग) जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ : कड़कना (बिजली), खटखटाना (दरवाजा), छुक–छुक (रेलगाड़ी), टिक–टिक (घड़ी), गरजना (बादल), किटकिटाना (दाँत), खनखनाना (रुपया) टनटनाना (घण्टा) फड़फड़ाना (पंख), खड़खड़ाना (पत्ते)

(घ) अन्य शब्द : छलछलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपलपाना।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौनसा है ?
   (क) उल्लू (ख) ऊँट
   (ग) गधा (घ) घोटक ( )
2. निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है ?
   (क) अग्नि (ख) ईख
   (ग) दधि (घ) नयन ( )
3. निम्न में से देशज शब्द कौनसा है ?
   (क) घेवर (ख) मिष्टान्न
   (ग) बैल (घ) खीर ( )
4. योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए।
   (क) आकाश (ख) गजानन
   (ग) विद्यालय (घ) दूधवाला ( )
5. तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कोई चार तत्सम शब्द लिखिए।
6. निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइये –
   अचरज, कुम्हार, घी, बाँझ, घर, साँवला।
7. तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों को पृथक् कीजिए –
   ईंट, आँसू, अट्टालिका, इतवार, अंगोछा, ढक्कन, वानर, रज्जु, खर्राटा।
8. यौगिक शब्द किसे कहते हैं ? यौगिक व योगरूढ़ शब्द में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
9. कोई चार समूहवाची शब्द लिखिए।
10. ध्वन्यार्थक शब्द से क्या आशय है? चार ध्वन्यार्थक शब्द लिखिए।

3

शब्द–विचार (ख)

(अ) विकारी शब्द

संज्ञा :

परिभाषा : किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि।

प्रकार : संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है–

(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा (2) जातिवाचक संज्ञा (3) भाववाचक संज्ञा

(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा : व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे :

व्यक्ति विशेष : अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश।

वस्तु विशेष : रामायण, ऊषापंखा, रीटामशीन।

स्थान विशेष : जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय।

(2) जातिवाचक संज्ञा : जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे –

प्राणी : मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा

वस्तु : पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चाँदी

स्थान : पहाड़, नदी, भवन, शहर, गाँव, विद्यालय

(3) भाववाचक संज्ञा : किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे – सुख, बचपन, सुन्दरता।

विशेष : कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिन्दी में भी (1) समुदायवाचक संज्ञा तथा (2) द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं किन्तु हिन्दी में उक्त दोनों भेद जाति–वाचक संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं।

भाववाचक संज्ञाएँ बनाना :

जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। यथा –

1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा –

(अ) 'ता' प्रत्यय के मेल से मानव–मानवता, मित्र–मित्रता, प्रभु–प्रभुता, पशु–पशुता

(आ) त्व – पशु–पशुत्व, मनुष्य–मनुष्यत्व, कवि–कवित्व, गुरु–गुरुत्व।

(इ) पन – लड़का–लड़कपन, बच्चा–बचपन।

(ई) अ – शिशु–शैशव, गुरु–गौरव, विभु–वैभव।

(उ) इ – भक्त–भक्ति।

(ऊ) ई – नौकर–नौकरी, चोर–चोरी।

(ए) आपा – बूढ़ा–बुढ़ापा, बहन–बहनापा।

2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा :

(अ) त्व – अपना–अपनत्व, निज – निजत्व, स्व–स्वत्व।

(आ) पन – अपना – अपनापन, पराया–परायापन।

(इ) कार – अहं – अहंकार।

(ई) स्व – सर्व–सर्वस्व।

3. विशेषण से भाववाचक संज्ञा :

(अ) आई – साफ–सफाई, अच्छा–अच्छाई, बुरा–बुराई।

(आ) आस–खट्टा–खटास, मीठा–मिठास।

(इ) ता–उदार–उदारता, वीर–वीरता, सरल–सरलता।

(ई) य – मधुर – माधुर्य, सुन्दर–सौन्दर्य, स्वस्थ–स्वास्थ्य।

(उ) पन – खट्टा – खट्टापन, पीला–पीलापन।

(ऊ) त्व – वीर – वीरत्व।

(ए) ई – लाल – लाली।

4. क्रिया से भाव–वाचक संज्ञा :

(अ) अ–खेलना–खेल, लूटना – लूट, जीतना–जीत।

(आ) ई–हँसना–हँसी,

(इ) आई–चढ़ना–चढ़ाई, पढ़ना–पढ़ाई, लिखना–लिखाई।

(ई) आवट–बनाना–बनावट, थकना–थकावट, लिखना–लिखावट।

(उ) आव–चुनना–चुनाव।

(ऊ) आहट–घबराना–घबराहट, गुनगुनाना–गुनगुनाहट।

(ए) उड़ना–उड़ान।

(ऐ) न–लेना–देना – लेन–देन, खाना–खान।

5. अव्यय से भाववाचक संज्ञा

(अ) ई – भीतर–भीतरी, ऊपर,–ऊपरी दूर–दूरी।

(आ) य – समीप – सामीप्य।

(इ) इक – परस्पर – पारस्परिक, व्यवहार –व्यावहारिक।

(ई) ता – निकट – निकटता, शीघ्र–शीघ्रता।

सर्वनाम :

सर्वनाम शब्द का अर्थ है– सब का नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं

जैसे– गुंजन विद्यालय जाती है। वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में 'गुंजन' तथा 'विद्यालय' शब्द संज्ञाएँ हैं, दूसरे वाक्य में 'गुंजन' के स्थान पर 'वह' तथा 'विद्यालय' के स्थान पर 'वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः 'वह' और 'वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं।

प्रकार :

सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं

1. पुरुषवाचक सर्वनाम : जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुननेवाले या अन्य किसी

व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं –

(i) उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है।

जैसे – मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि।

(ii) मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम शब्द, जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

जैसे – तू, तुम, तुझे तुम्हें तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिन्दी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए 'तुम' की अपेक्षा 'आप' सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।

(iii) अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम, जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं।

जैसे – वह, वे, उन्हें,उसे, इसे, उसका इसका आदि।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे–यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। 'वह आपकी घड़ी है', वाक्य में 'वह' शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार 'यह मेरा घर है' में 'यह' शब्द।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम शब्द, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे– कोई जा रहा है। वह कुछ खा रहा है। किसी ने कहा था। वाक्यों में 'कोई–, कुछ,किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम, जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे– **कौन** गाना गा रही है ? वह **क्या** लाया ? **किसकी** पुस्तक पड़ी है? उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।

5. सम्बन्धवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम, जो दो पृथक्–पृथक् बातों के स्पष्ट सम्बन्ध को व्यक्त करते हैं, उन्हें सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे– जो– वह, जो–सो, जिसकी–उसकी, जितना–उतना, आदि सम्बन्ध वाचक सर्वनाम है। उदाहरणार्थ– **जो** पढ़ेगा **सो** पास होगा। **जितना** गुड़ डालोगे **उतना** मीठा होगा।

6. निजवाचक सर्वनाम : वे सर्वनाम, जिन्हें बोलनेवाला कर्त्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं **अपना** खाना बना रहा हूँ। तुम **अपनी** पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में 'अपना', 'अपनी' शब्द निजवाचक सर्वनाम है।

विशेषण :

परिभाषा : वे शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला–आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला, कुछ शब्द विशेषण हैं, जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं।

अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं वहीं वह 'विशेषण' पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे 'विशेष्य' कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलायेंगे।

प्रकार : विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं –

1. गुणवाचक विशेषण : वे शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे– काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक आदि।

2. संख्यावाचक विशेषण : वे विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं– एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं जैसे

(i) निश्चित संख्या वाचक

(अ) गणनावाचक – एक, दो, तीन।

(आ) क्रमवाचक – पहला, दूसरा।

(इ) आवृत्तिवाचक – दुगुना, चौगुना।

(द) समुदाय वाचक – दोनों, तीनों, चारों

(ii) अनिश्चय संख्या वाचक – कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े।

3. परिमाण वाचक विशेषण : वे विशेषण, जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते है, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो उपभेद किए जा सकते हैं यथा –

(i) निश्चित परिमाण वाचक : दो मीटर, पाँच किलो, सात लीटर।

(ii) अनिश्चित परिमाण वाचक : थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा–सा, सब आदि।

4. संकेतवाचक विशेषण : वे सर्वनाम शब्द, जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे – (i) इस गेंद को मत फेंको। (ii) उस पुस्तक को पढ़ो। (iii) वह कौन गा रही है ? वाक्यों में 'इस', उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं।

5. व्यक्तिवाचक विशेषण : वे विशेषण, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओंसे बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।

जैसे – जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है।

विशेष : कतिपय विद्वान् एक और प्रकार – 'विभाग वाचक विशेषण' का भी उल्लेख करते हैं। जैसे– प्रत्येक हर एक आदि।

विशेषण की अवस्थाएँ – विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के तीन प्रकार माने गये हैं–

(i) मूलावस्था : जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे– रहीम अच्छा लड़का है।

(ii) उत्तरावस्था : जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है।

जैसे–अशोक रहीम से अच्छा है। या प्रशान्त अभिषेक से श्रेष्ठतर है।

(iii) उत्तमावस्था : जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है वहाँ उत्तमावस्था होती है।

जैसे – अकबर सबसे अच्छा है। रजिया कक्षामें श्रेष्ठत्तम छात्रा है।

अवस्था परिवर्तन : मूलावस्था के शब्दों में 'तर' तथा तम प्रत्यय लगा कर या शब्द के पूर्व से अधिक, या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे –

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
श्रेष्ठ	श्रेष्ठतर	श्रेष्ठतम
तीव्र	तीव्रतर	तीव्रतम
अच्छा	से अच्छा	सबसे अच्छा
ऊँचा	से अधिक ऊँचा	सबसे ऊँचा

विशेषण की रचना :

संज्ञा, सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है।

(i) संज्ञा से विशेषण बनना : प्यार–प्यारा, समाज–सामाजिक, पुष्प–पुष्पित, स्वर्ण–स्वर्णिम, जयपुर–जयपुरी, धन–धनी, भारत–भारतीय, रंग–रंगीला, श्रद्धा–श्रद्धालु, चाचा–चचेरा, विष–विषैला, बुद्धि–बुद्धिमान, गुण–गुणवान, दूर–दूरस्थ।

(ii) सर्वनाम से विशेषण : यह–ऐसा, जो–जैसा, मैं–मेरा, तुम–तुम्हारा, वह–वैसा, कौन–कैसा।

(iii) क्रिया से विशेषण : भागना–भगोड़ा, लड़ना–लड़ाकू, लूटना–लुटेरा।

(iv) अव्यय से विशेषण : आगे–अगला, पीछे–पिछला, बाहर–बाहरी

क्रिया

परिभाषा : वे शब्द, जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया पद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, हिन्दी में उन्हीं के साथ 'ना' लग जाता है जैसे लिख से लिखना, हँस से हँसना।

प्रकार :

कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं–

1. कर्म के आधार पर :

कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं (i) अकर्मक क्रिया (ii) सकर्मक क्रिया।

(i) अकर्मक क्रिया : वे क्रियाएँ जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्त्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।

जैसे– कुत्ता भौंकता है। कविता हँसती है। टीना सोती है। बच्चा रोता है। आदमी बैठा है।

(ii) सकर्मक क्रिया : वे क्रियाएँ, जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्त्ता पर न पड़ कर कर्म पर पड़ता है। अर्थात् वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहेतहैं।

जैसे– भूपेन्द्र दूध पी रहा है। नीतू खाना बना रही है।

सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किये जाते हैं –

(अ) एक कर्मक क्रिया : जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे– दुष्यन्त भोजन कर रहा है।

(आ) द्विकर्मक क्रिया : जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।

जैसे – अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में 'पढ़ा रहे हैं' क्रिया के साथ 'छात्रों' एवम् 'भूगोल' दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। अतः 'पढ़ा रहे हैं' द्विकर्मक क्रिया है।

2. प्रयोग तथा संरचना के आधार पर : वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं–

(i) सामान्य क्रिया : जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं।

जैसे – महेन्द्र जाता है। सन्तोष आई।

(ii) संयुक्त क्रिया : जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।

जैसे जया ने खाना बना लिया। हेमराज ने खाना खा लिया।

(iii) प्रेरणार्थक क्रिया : वे क्रियाएँ, जिन्हें कर्त्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।

जैसे – दुष्यन्त हेमन्त से पत्र लिखवाता है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है।

(iv) पूर्वकालिक क्रिया : जब किसी वाक्य में दो क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले सम्पन्न हुई हो तो पहले सम्पन्न होने वाली क्रिया पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है।

जैसे–धर्मेन्द्र पढ़कर सो गया। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। (किसी मूल धातु के साथ 'कर' या 'करके' लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है।)

(v) नाम धातु क्रिया : वे क्रिया पद, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नामधातु क्रिया कहते हैं।

जैसे–रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना।

(vi) कृदन्त क्रिया : वे क्रिया पद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, उन्हें कृदन्त क्रिया पद कहते हैं।

जैसे–चल से चलना, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर।

(vii) सजातीय क्रिया : वे क्रियाएँ, जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं।

जैसे–भारत ने लड़ाई लड़ी।

(viii) सहायक क्रिया : किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं।

जैसे–अरविन्द पढ़ता है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है।

उक्त वाक्यों में 'है' 'तथा' 'दी' है सहायक क्रियाएँ हैं।

3. काल के अनुसार : जिस काल में कोई क्रिया होती है, उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया तीन प्रकार की होती है :–

(i) भूतकालिक क्रिया : क्रिया का वह रूप, जिसके द्वारा बीते समय में (भूतकाल में) कार्य के सम्पन्न होने का बोध होता है।

जैसे – सरोज गयी। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था।

(ii) वर्तमान कालिक क्रिया : क्रिया का वह रूप, जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के सम्पन्न होने का बोध होता है।

जैसे – कमला गाना गाती है। विमला खाना बना रही है।

(iii) भविष्यत् कालिक क्रिया : क्रिया का वह रूप, जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के सम्पन्न होने का बोध होता है।

जैसे – नीलम कल जोधपुर जायेगी। अशोक पत्र लिखेगा।

(आ) अविकारी/अव्यय शब्द

क्रिया–विशेषण :

वे अविकारी या अव्यय शब्द, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं।

प्रकार : क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान् इसके भेद निम्नानुसार करते हैं–

(i) कालबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं।

जैसे – कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी–अभी, लगातार अब, तब, पहले, बाद में।

(ii) स्थानबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं

जैसे – ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, दाएँ, बाएँ, निकट, सामने, अन्दर, बाहर।

(iii) परिमाण बोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं।

जैसे – बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा–थोड़ा, उतना, जितना, खूब।

(iv) रीतिबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं।

जैसे – धीरे–धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निःसन्देह।

(v) कारण बोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं।

जैसे – इस तरह, अतः, किस प्रकार।

(vi) स्वीकारबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय, शब्द, जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं।

जैसे – अवश्य, बहुत अच्छा।

(vii) निषेधबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं। जैसे – न, नहीं, मत।

(viii) प्रश्न वाचक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं। जैसे – कहाँ, कब।

(ix) निश्चयबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं। जैसे – वास्तव में, मुख्यतः।

(x) अनिश्चयबोधक क्रिया–विशेषण : वे अव्यय शब्द, जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं।

जैसे – शायद, संभवतः। (क्रिया–विशेषण और सम्बन्ध–बोधक में अन्तर – आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं तथा सम्बन्ध बोधक अव्यय भी। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा, तो वे क्रिया विशेषण कहलायेंगे, किन्तु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएँगे, तब इन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कहेंगे।)

समुच्चय बोधक अव्यय :

वे अव्यय शब्द, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं।

प्रकार : समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। (i) संयोजक (ii) विभाजक।

(i) संयोजक : वे अव्यय शब्द, जो दो शब्दों, वाक्याशों या वाक्यों को जोड़ते हैं।

जैसे – और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि।

(ii) विभाजक : वे अव्यय शब्द, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं।

जैसे – किन्तु, परन्तु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि।

सम्बन्ध बोधक अव्यय :

वे अव्यय शब्द, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कहते हैं।

प्रकार : सम्बन्ध बोधक अव्यय निम्न 10 प्रकार के होते हैं –

(i) काल वाचक : पहले, पीछे, उपरान्त, आगे।

(ii) स्थानवाचक : सामने, भीतर, निकट, यहाँ।

(iii) दिशावाचक : आसपास, ओर, पार, तरफ।

(iv) समतावाचक : भाँति, समान, तुल्य, योग।

(v) साधनवाचक : द्वारा, सहारे, माध्यम।

(vi) विषयवाचक : विषय, भरोसे, बाबत, नाम।

(vii) विरुद्धवाचक : विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उलटे।

(viii) संग वाचक : साथ, संग, सहचर।

(ix) हेतु वाचक : सिवा, लिए, कारण, वास्ते।

(x) तुलनावाचक : अपेक्षा, आगे, सामने।

विस्मयादिबोधक अव्यय :

वे अव्यय शब्द, जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं।

प्रकार : उक्तभावों के अनुसार इनके निम्न भेद किए जाते हैं :–

(i) **आश्चर्य बोधक** : क्या, अरे, अहो, हैं, सच, ओह, ओहो, ऐं।

(ii) **शोक बोधक** : उफ, आह, हाय, हेराम, राम–राम।

(iii) **हर्ष बोधक** : वाह, धन्य, अहा।

(iv) **प्रशंसा बोधक** : शाबाश, वाह, अति सुन्दर।

(v) **क्रोध बोधक** : अरे, चुप।

(vi) **भय बोधक** : हाय, बाप रे।

(vii) **चेतावनी बोधक** : खबरदार, बचो, सावधान।

(viii) **घृणा बोधक** : छिः छिः, धिक्कार, उफ्, धत्, थू–थू।

(ix) **इच्छा बोधक** : काश, हाय।

(x) **सम्बोधन बोधक** : अजी, हे, अरे, सुनते हो।

(xi) **अनुमोदन बोधक** : अच्छा, हाँ, हाँ–हाँ, ठीक।

(xii) **आशीर्वाद बोधक** : शाबाश, जीते रहो, खुश रहो।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में कौनसे शब्द विकारी नहीं होते ?
   (क) क्रिया (ख) क्रिया विशेषण
   (ग) विशेषण (घ) सर्वनाम ( )
2. निम्नलिखित में विकारी शब्द हैं –
   (क) प्रतिदिन (ख) और
   (ग) रमेश (घ) के कारण ( )
3. निम्न में अविकारी शब्द होते हैं–
   (क) संज्ञा (ख) सर्वनाम
   (ग) क्रिया (घ) सम्बन्ध बोधक अव्यय ( )
4. किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ?
   (क) पेड़ पर पक्षी बैठा है। (ख) गुंजन गाना गाती हैं।
   (ग) प्रशान्त धीरे–धीरे चलता है। (घ) वर्षा पत्र लिखती है। ( )
5. निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइये
   मानव, लड़का, बूढ़ा, पराया, साफ, हँसना, थकना।
6. सर्वनाम किसे कहते हैं ? इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
7. सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देकर एक वाक्य लिखिए जिसमें उसका प्रयोग हुआ हो।
8. समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं ? किन्हीं चार के नाम लिखिए।
9. निम्न विस्मयादिबोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
   अरे, छिः छिः, आह, शाबाश
10. विकारी एवं अविकारी शब्द में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

4
शब्द रूपान्तरण

परिभाषा : विकारी शब्दों (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया) में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है।

(क) लिंग

लिंग शब्द का अर्थ होता है चिह्न या पहचान। व्याकरण के अन्तर्गत लिंग उसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है।

प्रकार : हिन्दी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं –

(i) पुल्लिंग (ii) स्त्री लिंग

(i) पुल्लिंग : जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं।

जैसे – गोविन्द, अध्यापक, मेरा, काला, जाता।

(ii) स्त्रीलिंग : जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।

जैसे – सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाती।

लिंग की पहचान : लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द परम्परा के कारण पुल्लिग या स्त्री लिंग में प्रयुक्त होते हैं।

1. पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान

(i) प्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएँ : पुरुष, आदमी,मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बन्दर, पशु, खरगोश, गैण्डा, मेंढ़क, साँप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ।

(ii) अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाएँ : निम्न संज्ञाएँ सदैव पुल्लिग में ही प्रयुक्त होती हैं।

(अ) **पर्वतों के नाम :** हिमालय, विन्ध्याचल, अरावली, कैलास, आल्पस।

(आ) **महीनों के नाम :** भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम
जैसे – चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्च

(इ) **दिन या वारों के नाम :** सोमवार, मंगलवार, शनिवार।

(ई) **देशों के नाम :** भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इण्डोनेशिया, (अपवाद) श्रीलंका (स्त्रीलिंग)

(उ) **ग्रहों के नाम :** सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, अपवाद (पृथ्वी)

(ऊ) **धातुओं के नाम :** सोना, ताम्बा, पीतल, लोहा, अपवाद (चाँदी)

(ए) **वृक्षों के नाम :** नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, अपवाद (इमली)

(ऐ) **अनाजों के नाम :** चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, अपवाद (ज्वार)

(ओ) **द्रवपदार्थों के नाम :** तेल, घी, दूध, शर्बत, मक्खन, पानी, अपवाद (लस्सी, चाय)

(औ) **समय सूचक नाम :** क्षण, सेकण्ड, मिनट, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, अपवाद (रात, सायं, सन्ध्या, दोपहर,)

(क) **वर्णमाला के वर्ण :** स्वर तथा क से ह तक व्यंजन, अपवाद (इ, ई, ऋ)

(ख) **समुद्रों के नाम :** हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर

(ग) **मूल्यवान पत्थर, रत्नों के नाम :** हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, अपवाद (मणि, लाल)

(घ) **शरीर के अंगों के नाम :** सिर, बाल, नाक, कान, दाँत, गाल, हाथ, पैर, ओंठ, मुँह, अपवाद (गर्दन, जीभ, अंगुली)

(च) **देवताओं के नाम :** इन्द्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश

(छ) आपा, आव, आवा, आर, अ, अन, ईय, एरा, त्व, दान, पन, य, खाना वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द। यथा – बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौन्दर्य, डाकखाना, दूधवाला।

(ज) **ख, ज, न, त्र के अन्तवाले शब्द :** जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र।

2. **स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान :**

(क) **तिथियों के नाम :** प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा।

(ख) **भाषाओं के नाम :** हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम।

(ग) **लिपियों के नाम :** देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी।

(घ) **बोलियों के नाम :** ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी।

(च) **नदियों के नाम :** गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र।

(छ) **नक्षत्रों के नाम :** रोहिणी, अश्विनी, भरणी।

(ज) **देवियों के नाम :** दुर्गा, रमा, उमा।

(ञ) **महिलाओं के नाम :** आशा, शबनम, रजिया, सीता।

(ट) **लताओं के नाम :** अमर बेल, मालती, तोरई।

(ठ) आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ति, आदि प्रत्यय युक्त शब्द। यथा – छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति।

लिंग परिवर्तन

पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम

1. **शब्दान्त 'अ' को 'आ' में बदलकर।**

छात्र–छात्रा	पूज्य–पूज्या	सुत–सुता
वृद्ध–वृद्धा	भवदीय–भवदीया	अनुज–अनुजा

2. **शब्दान्त 'अ' को 'ई' में बदलकर**

देव–देवी	पुत्र–पुत्री	गोप–गोपी
ब्राह्मण–ब्राह्मणी	मेंढ़क–मेंढ़की	दास–दासी

3. **शब्दान्त 'आ' को 'ई' में बदलकर**

नाना–नानी	लड़का–लड़की	घोड़ा–घोड़ी
बेटा–बेटी	रस्सा–रस्सी	चाचा–चाची

4. शब्दान्त 'आ' को 'इया' में बदलकर

बूढ़ा–बुढ़िया	चूहा–चुहिया	कुत्ता–कुतिया
डिब्बा–डिबिया	बेटा–बिटिया	लोटा–लुटिया

5. शब्दान्त प्रत्यय 'अक' को 'इका' में बदलकर

बालक–बालिका	लेखक–लेखिका	नायक–नायिका
पाठक–पाठिका	गायक–गायिका	विधायक–विधायिका

6. 'आनी' प्रत्यय लगाकर

देवर–देवरानी	चौधरी–चौधरानी	सेठ–सेठानी
भव–भवानी	जेठ–जेठानी	

7. 'नी' प्रत्यय लगाकर

शेर–शेरनी	मोर–मोरनी	जाट–जाटनी
सिंह–सिंहनी	ऊँट–ऊँटनी	भील–भीलनी

8. शब्दान्त में 'ई' के स्थान पर 'इनी'–लगाकर–

हाथी–हथिनी	तपस्वी–तपस्विनी	स्वामी–स्वामिनी

9. 'इन' प्रत्यय लगाकर

माली–मालिन	चमार–चमारिन	धोबी–धोबिन
नाई–नाइन	कुम्हार–कुम्हारिन	सुनार–सुनारिन

10. 'आइन' प्रत्यय लगाकर

चौधरी–चौधराइन	ठाकुर–ठकुराइन	मुंशी–मुंशियाइन

11. शब्दान्त 'वान' के स्थान पर 'वती' लगाकर

गुणवान–गुणवती	पुत्रवान–पुत्रवती	भगवान–भगवती
बलवान–बलवती	भाग्यवान–भाग्यवती,	सत्यवान–सत्यवती

12. शब्दान्त 'मान' के स्थान पर 'मती' लगाकर

श्रीमान्–श्रीमती	बुद्धिमान्–बुद्धिमती	आयुष्मान्–आयुष्मती

13. शब्दान्त 'ता' के स्थान पर 'त्री' लगाकर

कर्त्ता–कर्त्री	नेता–नेत्री	दाता–दात्री

14. शब्द के पूर्व में 'मादा' शब्द लगाकर

खरगोश–मादा खरगोश

भेड़िया–मादा भेड़िया भालू–मादा भालू

15. भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द

कवि–कवयित्री	वर–वधू	विद्वान–विदुषी
वीर–वीरांगना	मर्द–औरत	साधु–साध्वी
दुल्हा–दुल्हन	नर–नारी	बैल–गाय
राजा–रानी	पुरुष–स्त्री	भाई–भाभी / बहिन
बादशाह–बेगम	युवक–युवती	ससुर–सास

विशेष :

1. तारा, देवता, व्यक्ति, आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं किन्तु हिन्दी में पुल्लिंग।

2. आत्मा, बूँद, देह, बाहू, आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं किन्तु हिन्दी में स्त्रीलिंग।
3. संस्कृत में 'इमा' प्रत्यान्तक शब्द यथा–महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा, आदि पुल्लिंग होते हैं किन्तु हिन्दी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं।
4. 'अ' प्रत्यान्तक–जय, विजय, पराजय, संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं किन्तु हिन्दी में स्त्रीलिंग।
5. कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं।

   जैसे आकर्षक दृश्य या घटना। देदीप्यमान – प्रकाश या ज्योति। परिचित – पुरुष या महिला। धार्मिक – संगठन या संस्था। धर्मज्ञ – पुरुष या नारी
6. सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।
7. निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता।

   राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मंत्री, डाक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल।

(ख) वचन

सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गये कथन अथवा दिये गये आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किन्तु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है।

वह, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं।

प्रकार : वचन दो प्रकार के होते हैं।

(i) एक वचन (ii) बहुवचन

(i) **एकवचन :** विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं।

जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि हिन्दी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं।

सोना, चाँदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा

(ii) **बहुवचन :** विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं।

जैसे लड़के, मेरे, काले, जाते हैं

हिन्दी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं यथा –

आँसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हाल–चाल।

वचन परिवर्तन :

हिन्दी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। यथा –

1. **शब्दांत 'आ' को 'ए' में बदलकर**

   कमरा–कमरे, लड़का–लड़के, बस्ता–बस्ते,
   बेटा–बेटे, पपीता–पपीते, रसगुल्ला–रसगुल्ले।
2. **शब्दान्त 'अ' को 'एँ' में बदलकर**

   पुस्तक–पुस्तकें, दाल–दालें, राह–राहें,

दीवार–दीवारें, सड़क–सड़कें, कलम–कलमें।

3. **शब्दान्त में आये 'आ' के साथ 'एँ' जोड़कर**
बाला–बालाएँ, कविता–कविताएँ, कथा–कथाएँ।

4. **'ई' वाले शब्दों के अन्त में 'इयाँ' लगाकर**
दवाई–दवाइयाँ, लड़की–लड़कियाँ, साड़ी–साड़ियाँ,
नदी–नदियाँ, खिड़की–खिड़कियाँ, स्त्री–स्त्रियाँ।

5. **स्त्रीलिंग शब्द के अन्त में आए 'या' को 'याँ' में बदलकर–**
चिड़िया–चिड़ियाँ, डिबिया–डिबियाँ, गुड़िया–गुड़ियाँ,

6. **स्त्रीलिंग शब्द के अन्त में आए 'उ', 'ऊ' के साथ 'एँ' लगाकर**
वधू–वधुएँ, वस्तु–वस्तुएँ, बहू–बहुएँ।

7. **इ, ई स्वरान्त वाले शब्दों के साथ 'यों' लगाकर तथा 'ई' की मात्रा को 'इ' में बदलकर**
जाति–जातियों, रोटी–रोटियों, अधिकारी–अधिकारियों,
लाठी–लाठियों, नदी–नदियों, गाड़ी–गाड़ियों।

8. **एकवचन शब्द के साथ, जन, गण, वर्ग, वृन्द, हर, मण्डल, परिषद् आदि लगाकर।**
गुरु–गुरुजन, अध्यापक–अध्यापकगण,
लेखक–लेखकवृन्द, युवा–युवावर्ग,
भक्त–भक्तजन, खेती–खेतिहर, मंत्री–मन्त्रि मण्डल।

विशेष :

1. सम्बोधन शब्दों में 'ओं' न लगा कर 'ओ' की मात्रा ही लगानी चाहिए यथा – भाइयो ! बहनो ! मित्रो! बच्चो ! साथियो!
2. पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक आकारान्त देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत् ही रहते हैं। जैसे चाचा (न कि चाचे) माता, दादा बाबा, किन्तु भानजा, व भतीजा व साला से भानजे, भतीजे व साले शब्द बनते हैं।
3. विभक्ति रहित आकारान्त से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते।
जैसे – बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, संन्यासी, साधु, पशु, जन्तु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू
4. विदेशी शब्दों के हिन्दी में बहुवचन हिन्दी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलें न कि स्कूल्स, कागज से कागजों न कि कागजात।
5. भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए 'तू' का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर! तू बड़ा दयालु है।
6. निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं।
जैसे– जनता, वर्षा, हवा, आग

(ग) कारक

परिभाषा : 'कारक' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 'करनेवाला' किन्तु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं।

विभक्ति : कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जो चिह्न लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिह्न होता है, किन्तु हर कारक के साथ विभक्ति चिह्न का प्रयोग हो, यह आवश्यक नहीं है।

प्रकार : हिन्दी में कारक आठ प्रकार के होते हैं।

यथा – 1. कर्त्ता 2. कर्म 3. करण 4. सम्प्रदान 5. अपादान 6. सम्बन्ध 7. अधिकरण 8. सम्बोधन।

1. कर्त्ता कारक : (ने)

संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया (कार्य) के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात् क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कारक कहते हैं। कर्त्ता कारक का विभक्ति चिह्न 'ने' है। 'ने' विभक्ति का प्रयोग कर्त्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्यत्काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर 'ने' विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा।

जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। गुंजन हँसती है। वर्षा गाना गाती है। आलोक ने पत्र लिखा।

2. कर्म कारक : (को)

वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिह्न है– 'को'। कर्मकारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ 'को' विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं। जैसे – राम ने रावण को मारा। नन्दू दूध पीता है।

3. करण कारक (से)

वाक्य में कर्त्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात् क्रिया के साधन को करण कारक कहते है। करण कारक का विभक्ति चिह्न 'से' है।

जैसे – ज्योत्स्ना चाकू से सब्जी काटती है। मैं पेन से लिखता हूँ।

4. सम्प्रदान कारक (के लिए, को, के वास्ते)

सम्प्रदान शब्द का अर्थ है देना । वाक्य में कर्त्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान कारक का विभक्ति चिह्न 'के लिए' है, किन्तु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ 'को' विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे

(i) आलोक माँ के लिए दवाई लाया ।

(ii) मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी।

अतः द्वितीय वाक्य में 'कविता' सम्प्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है। (iii) भिखारी को भीख दो। यहाँ 'को' शब्द के लिए के अर्थ में आया है।

5. अपादान कारक (से पृथक् / से अलग)

वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है। जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाय, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी 'से' है किन्तु यहाँ 'से' पृथक् या अलग का बोध कराता है।

(i) पेड़ से पत्ता गिरता है।

(ii) कविता सविता से अच्छा गाती है।

6. सम्बन्ध कारक (का, की, के,/रा, री, रे, ना, ने, नी)

जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध हो, जिससे सम्बन्ध हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिह्न का, के, की, रा, रा, रे, ना, ने, नी आदि हैं।

यथा अजय की पुस्तक गुम गई।
तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है।
अपना कार्य स्वयं करें।

7. अधिकरण कारक : (में, पर, पे) वाक्य में प्रयुक्त, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिह्न में, पे, पर हैं।

पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं।
मेज पर पुस्तक पड़ी है।

8. सम्बोधन कारक (हे, ओ, अरे)

वाक्य में, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात् जिसे सम्बोधित किया जाय, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। सम्बोधन कारक के विभक्ति चिह्न हैं – हे, 'ओ ! अरे! सम्बोधन कारक के बाद सम्बोधन चिह्न (;) या अल्प विराम (,) लगाया जाता है। जैसे – हे प्रभु! रक्षा करो। अरे, मोहन यहाँ आओ।

विशेष : सर्वनाम में कारक सात ही होते हैं। इसका 'सम्बोधन कारक' नहीं होता है।

(घ) काल

व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं।

काल तीन प्रकार के होते हैं।

1. भूतकाल 2. वर्तमान काल 3. भविष्यत् काल

1. भूतकाल : वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय (भूत) में क्रिया का होना पाया जाता है अर्थात् क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं–

भूतकाल के 6 उपभेद किये जाते हैं –

(i) सामान्यभूत : जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किन्तु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक वहाँ सामान्य भूत होता है।

जैसे कुसुम घर गयी। अविनाश ने गाना गाया। अकबर ने पुस्तक पढ़ी।

(ii) आसन्न भूत : क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी–अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है/हैं के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा–

कुसुम घर गयी है। अविनाश ने गाना गाया है।

(iii) पूर्ण भूत : क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ 'था, थी, थे, लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किन्तु 'थी' के पूर्व 'ई' ही रहती है 'ईं' नहीं।

यथा – भूपेन्द्र सिरोही गया था। नीता ने खाना बनाया था।

(iv) अपूर्ण भूत : क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात् निरन्तर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण

भूत होता है। इसमें धातु (क्रिया) के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या 'ता था, ती थी, ते थे, आदि आते हैं।

हेमन्त पुस्तक पढ़ता था। वर्षा गाना गा रही थी।

(v) संदिग्ध भूत : क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ 'होगा, होगी, होंगे', लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे – अनवर गया होगा। शबनम खाना बना रही होगी।

(vi) हेतुहेतुमद् भूत : भूतकालिक क्रिया का वह रूप, जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलम्बित हो, वहाँ हेतुहेतुमद् भूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती, लगता है।

जैसे यदि महेन्द्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता।

युद्ध होता तो गोलियाँ चलतीं।

2. वर्तमान काल : क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाये, उसे वर्तमान काल कहते हैं।

वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं–

(i) सामान्य वर्तमान : जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु (क्रिया) के साथ 'ता है, ती है, ते हैं' आदि आते हैं।

जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है। गरिमा गाना गाती है

(ii) अपूर्ण वर्तमान : जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात् क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु (क्रिया) के साथ 'रहा है, रही है, रहे हैं', आदि आते हैं।

जैसे– प्रशान्त खेल रहा है। सरोज गीत गा रही है।

(iii) संदिग्ध वर्तमान : जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ 'ता, ती, ते, के साथ 'होगा, होगी, होंगे', का भी प्रयोग होता है।

जैसे – अभय खेत में काम करता होगा। राम पत्र लिखता होगा।

(iv) संभाव्य वर्तमान : जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है।

जैसे शायद आज पिताजी आते हों। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो।

(v) आज्ञार्थ वर्तमान : क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोधा कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है।

यथा – राधा, तू, नाच। आप भी पढ़िए।

3. भविष्यत् काल : क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में (भविष्य में) होना पाया जाता है, उसे भविष्यत् काल कहते हैं! भविष्यत् काल के तीन भेद किए जाते हैं।

(i) सामान्य भविष्यत् : क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, सामान्य रूप में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत् काल कहते हैं। इसमें क्रिया (धातु) के अन्त में 'एगा, एगी,

एंगे', आदि लगते हैं। यथा – लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी।

(ii) सम्भाव्य भविष्यत् : क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ सम्भाव्य भविष्यत् काल होता है। इसमें क्रिया के साथ 'ए, ऐ, ओ, ऊँ', का योग होता है।

यथा कदाचित् आज भूपेन्द्र आए। वे शायद जयपुर जाएँ।

(iii) आज्ञार्थ भविष्यत् : किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत् काल कहते है। इसमें क्रिया के साथ 'इएगा' लगता है।

जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा।

(च) वाच्य

वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्त्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं।

प्रकार :

वाच्य तीन प्रकार के होते है।

1. कर्त्तृवाच्य 2. कर्मवाच्य 3. भाववाच्य

1. कर्त्तृवाच्य : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान सम्बन्ध कर्त्ता से होता है, अर्थात् क्रिया के लिंग, वचन कर्त्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्त्तृवाच्य कहते हैं।

जैसे (i) लड़का दूध पीता है। (ii) लड़कियाँ दूध पीती हैं।

प्रथम वाक्य में 'पीता है।' क्रिया कर्त्ता 'लड़का' के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है जबकि दूसरे वाक्य में 'पीती हैं।' क्रिया कर्त्ता 'लड़कियाँ' के अनुसार स्त्रीलिंग, बहुवचन की है।

विशेष : आदरार्थ 'आप' के लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है जैसे आप जा रहे हैं।

2. कर्मवाच्य : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है अर्थात् क्रिया के लिंग, वचन कर्त्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है क्योंकि इसमें 'कर्म' की प्रधानता रहती है।

जैसे (i) राम ने चाय पी। (ii) सीता ने दूध पीया।

उपर्युक्त प्रथम वाक्य में क्रिया 'पी' स्त्रीलिंग एक वचन है जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म 'चाय' (स्त्रीलिंग, एकवचन) के अनुसार आयी है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया 'पीया' पुल्लिंग, एकवचन में है जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म 'दूध' (पुल्लिंग, एकवचन) के अनुसार है।

कर्मवाच्य की दो स्थितियाँ होती हैं

(i) कर्त्तायुक्त कर्मवाच्य (ii) कर्त्ता रहित कर्मवाच्य

(i) कर्त्तायुक्त कर्मवाच्य : जब वाक्य में कर्त्ता विद्यमान हो तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा अर्थात् कर्त्ता कारक चिह्न, (विभक्ति) युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की (भूतकालिक) होगी।

जैसे नरेन्द्र ने मिठाई खाई। रोजी ने दूध पीया।

(ii) कर्त्ता रहित कर्मवाच्य : कर्त्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है।

जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पद के गठन में आ। ई। ए मुख्यधातु में न जुड़कर उसके तुरन्त बाद में

प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। जैसे अन्थेनी की घड़ी चुराली गई चोर पकड़ लिए गए।

3. भाववाच्य : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्त्ता के अनुसार होती है, न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है।

जैसे आँखों में दर्द के कारण मुझ से पढ़ा नहीं जाता। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाव वाच्य में होता है।

भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्त्ता और कर्म दोनों तिर्यक (विभक्तिचिह्न युक्त) हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्यपुरुष, एकवचन, भूतकाल की होगी।

जैसे – राम ने रावण को मारा। लड़कियों ने लड़कों को पीटा।

वाच्य परिवर्तन :

(i) कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना : कर्तृवाच्य में कर्त्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय, वाक्य में कर्त्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्त्ता की गौण स्थिति भी दो प्रकार से हो सकती है! एक कर्त्ता को करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर, उसके साथ 'से के द्वारा' आदि विभक्तियाँ लगाकर या दूसरी स्थिति में कर्त्ता का लोप ही कर दिया जाता है।

जैसे 'राम पत्र लिखेगा।' कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा 'राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा।' अन्य उदाहरण

कर्तृवाच्य	**कर्मवाच्य**
1. कलाकार मूर्ति गढ़ता है।	1. कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है।
2. वह पत्र लिखता है।	2. उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है।
3. प्रशान्त ने पुस्तक पढ़ी।	3. प्रशान्त द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।
4. दादी कहानी सुनाएगी।	4. दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी।
5. मैं व्यायाम करता हूँ।	5. मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है।

(ii) कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना : कर्तृवाच्य में क्रिया कर्त्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्त्ता के अनुकूल होती है, न कर्म के अनुसार बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्त्ता के साथ 'से' लगाया जाता है या कर्त्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किन्तु कर्त्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है, जब मूल कर्त्ता सामान्य (लोग) हो। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदन्ती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया 'जा' लगती है।

1. मैं अब चल नहीं पाता।	1. मुझे से अब चला नहीं जाता।
2. गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं।	2. गर्मियों में खूब नहाया जाता है।
3. वे गा नहीं सकते।	3. उनसे गाया नहीं जा सकता।

(iii) कर्मवाच्य/भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना : कर्तृवाच्य में कर्त्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्त्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जैसे

1. उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा।	1. वह पत्र लिखेगा।
2. बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए।	2. बच्चों ने चित्र बनाए।
3. गधे द्वारा बोझा ढोया गया।	3. गधे ने बोझा ढोया।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में 'पुल्लिंग' शब्द है।
   (क) हिन्दी (ख) दही
   (ग) पूर्णिमा (घ) चाँदी ( )
2. कौनसा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है ?
   (क) छात्रा (ख) पृथ्वी
   (ग) वधू (घ) जीवन ( )
3. निम्न में से कौनसा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है ?
   (क) हस्ताक्षर (ख) सोना
   (ग) दर्शन (घ) प्राण ( )
4. 'पेड़ से पत्ता गिरता है।' वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है।
   (क) कर्त्ता (ख) करण
   (ग) अपादान (घ) अधिकरण ( )
5. 'यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता' वाक्य में क्रिया का काल है।
   (क) हेतुहेतुमद्भूत (ख) सम्भाव्य भविष्यत्
   (ग) अपूर्ण भूत (घ) अपूर्ण वर्तमान ( )
6. लिंग किसे कहते हैं ? दस पुल्लिंग शब्द लिखिए।
7. निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए–
   कवि, बुद्धिमान, हाथी, मुंशी, ठाकुर, देवर, सिंह, चूहा।
8. स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्दों को पृथक् कीजिए–
   मंगलवार, इमली, अरावली, जनवरी, देवनागरी, अवधी।
9. निम्न शब्दों के बहुवचन रूप बताइये–
   दवाई, अभ्यर्थी, चिड़िया, गुरु, मंत्री।
10. कारक किसे कहते हैं ? कारक के प्रकार व उनकी विभक्तियों का उल्लेख कीजिए।
11. कर्त्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए।
    (क) चित्रकार चित्र बनाता है।
    (ख) वह गाना गाती है।
    (ग) उसने खाना बनाया।
    (घ) नानी कहानी सुनाएगी।

5

पद–परिचय

वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय– पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ, वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके सम्बन्ध का भी उल्लेख किया जाता है।

1. संज्ञा शब्द का पद परिचय : किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती हैं

(i) संज्ञा का प्रकार (ii) उसका लिंग (iii) वचन

(iv) कारक तथा (v) उस शब्द का क्रिया के साथ सम्बन्ध

संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ सम्बन्ध 'कारक' के अनुसार जाना जा सकता है।

जैसे – यदि संज्ञा शब्द कर्त्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्त्ता या 'करने वालाः', तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का 'कर्म'! इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध बतलाया जायेगा।

अभिषेक पुस्तक पढ़ता है।

उक्त वाक्य में 'अभिषेक' तथा 'पुस्तक' शब्द संज्ञाएँ हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त पाँचों बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा–

अभिषेक : व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्त्ता।

पुस्तक : जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्म।

2. सर्वनाम शब्द का पद परिचय : किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा, जिनका संज्ञा शब्द के पद–परिचय में किया था। अर्थात् (i) सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, (ii) लिंग, (iii) वचन (iv) कारक तथा (v) क्रिया के साथ सम्बन्ध आदि।

मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।

इस वाक्य में 'मैं' शब्द सर्वनाम है। अतः इसका पद परिचय होगा–

मैं : पुरुषवाचक, सर्वनाम, उत्तम–पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, पढ़ता हूँ' क्रिया का कर्त्ता।

यह उसकी वही कार है, जिसे कोई चुराकर ले गया था।

इस वाक्य में 'यह', 'उसकी', 'जिसे', तथा 'कोई' पद सर्वनाम है। इनका भी पद परिचय इस प्रकार होगा–

यह : निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, सम्बन्ध कारक, 'कार' संज्ञा शब्द से सम्बन्ध।

जिसे : सम्बन्धवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन कर्मकारक, 'चुराकर ले गया' क्रिया का कर्म।

कोई : अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्यपुरुष, पुल्लिंग एकवचन, कर्त्ता कारक, 'चुराकर ले गया'

क्रिया का कर्त्ता।

3. विशेषण शब्द का पद परिचय : किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है (i) विशेषण का प्रकार (ii) अवस्था (iii) लिंग (iv) वचन तथा (v) विशेष्य व उसके साथ सम्बन्ध।

वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया।

उक्त वाक्य में 'वीर' तथा 'सब' शब्द विशेषण हैं, इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा –

वीर : गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एकवचन, 'राम' विशेष्य के गुण का बोध कराता है।

सब : संख्यावाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, 'राक्षसों' विशेष्य की संख्या का बोध कराता है।

4. क्रिया शब्द का पद परिचय : क्रिया 'शब्द' का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध को बतलाया जाता है।

राम ने रावण को बाण से मारा।

उक्त वाक्य में 'मारा' पद क्रिया है। इसका पद परिचय होगा –

मारा : सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल, 'मारा' क्रिया का कर्त्ता 'राम', कर्म रावण तथा करण बाण।

अव्यय या अविकारी शब्द का पद परिचय : अव्यय या अविकारी शब्द का रूप लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या सम्बन्ध ही बतलाया जाता है यथा –

5. क्रिया विशेषण का पद परिचय : लड़के ऊपर खड़े हैं।

'ऊपर' शब्द क्रिया विशेषण है अतः पद परिचय होगा

ऊपर : स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 'खड़े हैं' क्रिया के स्थान का बोध कराता है।

6. सम्बन्धबोधक अव्यय का पद परिचय : भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए।

प्रस्तुत वाक्य में 'के बाद' सम्बन्ध बोधक अव्यय है। अतः इसका पद परिचय होगा –

के बाद : सम्बन्ध बोधक अव्यय, जो भोजन संज्ञा का सम्बन्ध 'विश्राम' के साथ जोड़ता है।

7. समुच्चयबोधक अव्यय का पद परिचय : तृप्ति और गुंजन जा रही हैं।

प्रस्तुत वाक्य में 'और' शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका पद परिचय होगा

और : समुच्चय बोधक अव्यय, संयोजक, तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है।

8. विस्मयादिबोधक अव्यय का पद परिचय : अरे ! यह क्या हो गया ?

अरे : विस्मयादि बोधक अव्यय, जो विस्मय के भाव का बोध कराता है।

अभ्यास प्रश्न

1. 'पद परिचय' में मुख्यतः क्या करना होता है ?
   (क) पद का भावार्थ बताना
   (ख) पद का सरलार्थ बताना
   (ग) शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना
   (घ) पद पर नियुक्ति बताना ( )
2. संज्ञा पद के पद – परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता ?
   (क) संज्ञा का प्रकार (ख) लिंग
   (ग) वचन (घ) काल ( )
3. पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध, किस के पद परिचय में बतलाया जाता है ?
   (क) सर्वनाम (ख) क्रिया
   (ग) विशेषण (घ) संज्ञा ( )
4. 'पद परिचय' किसे कहते हैं ?
5. 'सर्वनाम' पद के पद परिचय में किन–किन बातों का उल्लेख करना होता है ?
6. निम्न वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पदों का पद परिचय दीजिए लोकेश विद्यालय जाएगा।
7. रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए
   यह <u>सुन्दर</u> <u>पुस्तक</u> <u>मुझे</u> <u>दो</u>।
8. वाह ! क्या ही नयनाभिराम दृश्य है ! 'वाह !' पद का पद परिचय दीजिए।

7

समास

परिभाषा :

'समास' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 'छोटा–रूप'। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द (पद) अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे 'रसोई के लिए घर' शब्दों में से 'के लिए' विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना 'रसोई घर', जो एक सामासिक शब्द है।

किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक् करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, माता–पिता=माता और पिता।

प्रकार :

समास छः प्रकार के होते हैं–

1. अव्ययीभाव समास, 2. तत्पुरुष समास
3. द्वन्द्व समास 4. बहुब्रीहि समास
5. द्विगु समास 5. कर्म धारय समास

1. अव्ययीभाव समास :

अव्ययीभाव समास में प्रायः

(i) पहला पद प्रधान होता है।

(ii) पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। (वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं)

(iii) यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है।

(iv) संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभव समास होते हैं–

यथाशक्ति	=	शक्ति के अनुसार।
यथाशीघ्र	=	जितना शीघ्र हो
यथाक्रम	=	क्रम के अनुसार
यथाविधि	=	विधि के अनुसार
यथावसर	=	अवसर के अनुसार
यथेच्छा	=	इच्छा के अनुसार
प्रतिदिन	=	प्रत्येक दिन। दिन–दिन। हर दिन
प्रत्येक	=	हर एक। एक–एक। प्रति एक
प्रत्यक्ष	=	अक्षि के आगे

घर–घर	=	प्रत्येक घर। हर घर। किसी भी घर को न छोड़कर
हाथों–हाथ	=	एक हाथ से दूसरे हाथ तक। हाथ ही हाथ में
रातों–रात	=	रात ही रात में
बीचों–बीच	=	ठीक बीच में
साफ–साफ	=	साफ के बाद साफ। बिल्कुल साफ
आमरण	=	मरने तक। मरणपर्यन्त
आसमुद्र	=	समुद्रपर्यन्त
भरपेट	=	पेट भरकर
अनुकूल	=	जैसा कूल है वैसा
यावज्जीवन	=	जीवनपर्यन्त
निर्विवाद	=	बिना विवाद के
दर असल	=	असल में
बाकायदा	=	कायदे के अनुसार

2. तत्पुरुष समास :

(i) तत्पुरुष समास में दूसरा पद (पर पद) प्रधान होता है अर्थात् विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है।

(ii) इसका विग्रह करने पर कर्त्ता व सम्बोधन की विभक्तियों (ने, हे, ओ, अरे) के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे –

(क) कर्म तत्पुरुष (को)

कृष्णार्पण	=	कृष्ण को अर्पण
नेत्र सुखद	=	नेत्रों को सुखद
वन–गमन	=	वन को गमन
जेब कतरा	=	जेब को कतरने वाला
प्राप्तोदक	=	उदक को प्राप्त

(ख) करण तत्पुरुष (से/के द्वारा)

ईश्वर–प्रदत्त	=	ईश्वर से प्रदत्त
हस्त–लिखित	=	हस्त (हाथ) से लिखित
तुलसीकृत	=	तुलसी द्वारा रचित
दयार्द्र	=	दया से आर्द्र
रत्न जड़ित	=	रत्नों से जड़ित

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष (के लिए)

हवन–सामग्री	=	हवन के लिए सामग्री
विद्यालय	=	विद्या के लिए आलय
गुरु–दक्षिणा	=	गुरु के लिए दक्षिणा
बलि–पशु	=	बलि के लिए पशु

(घ) अपादान तत्पुरुष (से पृथक)

ऋण–मुक्त	=	ऋण से मुक्त
पदच्युत	=	पद से च्युत
मार्ग भ्रष्ट	=	मार्ग से भ्रष्ट
धर्म–विमुख	=	धर्म से विमुख
देश–निकाला	=	देश से निकाला

(च) सम्बन्ध तत्पुरुष (का, के, की)

मन्त्रि–परिषद्	=	मन्त्रियों की परिषद्
प्रेम–सागर	=	प्रेम का सागर
राजमाता	=	राजा की माता
अमचूर	=	आम का चूर्ण
रामचरित	=	राम का चरित

(छ) अधिकरण तत्पुरुष (में, पे, पर)

वनवास	=	वन में वास
जीवदया	=	जीवों पर दया
ध्यान–मग्न	=	ध्यान में मग्न
घुड़सवार	=	घोड़े पर सवार
घृतान्न	=	घी में पक्का अन्न
कवि पुंगव	=	कवियों में श्रेष्ठ

3. द्वन्द्व समास

(i) द्वन्द्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।

(ii) दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं।

(iii) इसका विग्रह करने पर 'और', अथवा 'या' का प्रयोग होता है।

माता–पिता	=	माता और पिता
दाल–रोटी	=	दाल और रोटी
पाप–पुण्य	=	पाप या पुण्य/पाप और पुण्य
अन्न–जल	=	अन्न और जल
जलवायु	=	जल और वायु
फल–फूल	=	फल और फूल
भला–बुरा	=	भला या बुरा
रुपया–पैसा	=	रुपया और पैसा
अपना–पराया	=	अपना या पराया
नील–लोहित	=	नीला और लोहित (लाल)
धर्माधर्म	=	धर्म या अधर्म
सुरासुर	=	सुर या असुर/सुर और असुर
शीतोष्ण	=	शीत या उष्ण
यशापयश	=	यश या अपयश
शीतातप	=	शीत या आतप

शस्त्रास्त्र	=	शस्त्र और अस्त्र
कृष्णार्जुन	=	कृष्ण और अर्जुन

4. बहुब्रीहि समास

(i) बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता।

(ii) इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है।

(iii) इसका विग्रह करने पर 'वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं।

गजानन	=	गज का आनन है जिसका वह (गणेश)
त्रिनेत्र	=	तीन नेत्र हैं जिसके वह (शिव)
चतुर्भुज	=	चार भुजाएँ हैं जिसकी वह (विष्णु)
षडानन	=	षट् (छः) आनन हैं जिसके वह (कार्तिकेय)
दशानन	=	दश आनन हैं जिसके वह (रावण)
घनश्याम	=	घन जैसा श्याम है जो वह (कृष्ण)
पीताम्बर	=	पीत अम्बर हैं जिसके वह (विष्णु)
चन्द्रचूड़	=	चन्द्र चूड़ पर है जिसके वह
गिरिधर	=	गिरि को धारण करने वाला है जो वह
मुरारि	=	मुर का अरि है जो वह
आशुतोष	=	आशु (शीघ्र) प्रसन्न होता है जो वह
नीललोहित	=	नीला है लहू जिसका वह
वज्रपाणि	=	वज्र है पाणि में जिसके वह
सुग्रीव	=	सुन्दर है ग्रीवा जिसकी वह
मधुसूदन	=	मधु को मारने वाला है जो वह
आजानुबाहु	=	जानुओं (घुटनों) तक बाहुएँ हैं जिसकी वह
नीलकण्ठ	=	नीला कण्ठ है जिसका वह
महादेव	=	देवताओं में महान् है जो वह
मयूरवाहन	=	मयूर है वाहन जिसका वह
कमलनयन	=	कमल के समान नयन हैं जिसके वह
कनकटा	=	कटे हुए कान है जिसके वह
जलज	=	जल में जन्मने वाला है जो वह (कमल)
वाल्मीकि	=	वल्मीक से उत्पन्न है जो वह
दिगम्बर	=	दिशाएँ ही हैं जिसका अम्बर ऐसा वह
कुशाग्रबुद्धि	=	कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह
मन्द बुद्धि	=	मन्द है बुद्धि जिसकी वह
जितेन्द्रिय	=	जीत ली हैं इन्द्रियाँ जिसने वह
चन्द्रमुखी	=	चन्द्रमा के समान मुखवाली है जो वह
अष्टाध्यायी	=	अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह

5. द्विगु समास

(i) द्विगु समास में प्रायः पूर्वपद संख्यावाचक होता है तो कभी–कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है।

(ii) द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा है।

(iii) इसका विग्रह करने पर 'समूह' या 'समाहार' शब्द प्रयुक्त होता है।

दोराहा	=	दो राहों का समाहार
पक्षद्वय	=	दो पक्षों का समूह
सम्पादक द्वय	=	दो सम्पादकों का समूह
त्रिभुज	=	तीन भुजाओं का समाहार
त्रिलोक या त्रिलोकी	=	तीन लोकों का समाहार
त्रिरत्न	=	तीन रत्नों का समूह
संकलन–त्रय	=	तीन का समाहार
भुवन–त्रय	=	तीन भुवनों का समाहार
चौमासा/चतुर्मास	=	चार मासों का समाहार
चतुर्भुज	=	चार भुजाओं का समाहार (रेखीय आकृति)
चतुर्वर्ण	=	चार वर्णों का समाहार
पंचामृत	=	पाँच अमृतों का समाहार
पंचपात्र	=	पाँच पात्रों का समाहार
पंचवटी	=	पाँच वटों का समाहार
षड्भुज	=	षट् (छः) भुजाओं का समाहार
सप्ताह	=	सप्त अहों (सात दिनों) का समाहार
सतसई	=	सात सौ का समाहार
सप्तशती	=	सप्त शतकों का समाहार
सप्तर्षि	=	सात ऋषियों का समूह
अष्ट–सिद्धि	=	आठ सिद्धियों का समाहार
नवरत्न	=	नौ रत्नों का समूह
नवरात्र	=	नौ रात्रियों का समाहार
दशक	=	दश का समाहार
शतक	=	सौ का समाहार
शताब्दी	=	शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समाहार

6. कर्मधारय समास

(i) कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य।

(ii) इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का सम्बन्ध होता है तथा विग्रह करने पर 'रूपी' शब्द प्रयुक्त होता है –

पुरुषोत्तम	=	पुरुष जो उत्तम
नीलकमल	=	नीला जो कमल

महापुरुष	=	महान् है जो पुरुष
घन–श्याम	=	घन जैसा श्याम
पीताम्बर	=	पीत है जो अम्बर
महर्षि	=	महान् है जो ऋषि
नराधम	=	अधम है जो नर
अधमरा	=	आधा है जो मरा
रक्ताम्बर	=	रक्त के रंग का (लाल) जो अम्बर
कुमति	=	कुत्सित जो मति
कुपुत्र	=	कुत्सित जो पुत्र
दुष्कर्म	=	दूषित है जो कर्म
चरम–सीमा	=	चरम है जो सीमा
लाल–मिर्च	=	लाल है जो मिर्च
कृष्ण–पक्ष	=	कृष्ण (काला) है जो पक्ष
मन्द–बुद्धि	=	मन्द जो बुद्धि
शुभागमन	=	शुभ है जो आगमन
नीलोत्पल	=	नीला है जो उत्पल
मृग नयन	=	मृग के समान नयन
चन्द्र मुख	=	चन्द्र जैसा मुख
राजर्षि	=	जो राजा भी है और ऋषि भी
नरसिंह	=	जो नर भी है और सिंह भी
मुख–चन्द्र	=	मुख रूपी चन्द्रमा
वचनामृत	=	वचनरूपी अमृत
भव–सागर	=	भव रूपी सागर
चरण–कमल	=	चरण रूपी कमल
क्रोधाग्नि	=	क्रोध रूपी अग्नि
चरणारविन्द	=	चरण रूपी अरविन्द
विद्या–धन	=	विद्यारूपी धन

अभ्यास प्रश्न

1. समास कितने प्रकार के होते हैं ?
   (क) चार (ख) छः
   (ग) आठ (घ) पाँच ( )
2. निम्न में से समास का प्रकार नहीं है–
   (क) अव्ययीभाव (ख) बहुब्रीहि
   (ग) द्वन्द्व (घ) अविकारी ( )
3. निम्नलिखित में 'अव्ययीभव' समास है ?
   (क) राजपुत्र (ख) नीलकमल
   (ग) हाथों–हाथ (घ) लम्बोदर ( )

4. 'करण तत्पुरुष' समास का उदाहरण है–
   (क) तुलसीकृत (ख) पदच्युत
   (ग) पंचामृत (घ) ऋण–मुक्त ( )
5. 'दशानन' में कौनसा समास है ?
   (क) द्विगु (ख) द्वन्द्व
   (ग) बहुब्रीहि (घ) कर्म धारय ( )
6. 'कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले।'
   रेखांकित शब्द में कौनसा समास है?
   (क) बहुब्रीहि (ख) तत्पुरुष
   (ग) अव्ययीभव (घ) कर्मधारय ( )
7. किस समास में 'विशेषण–विशेष्य' या उपमेय–उपमान' का सम्बन्ध होता है ?
   (क) कर्मधारय समास (ख) अव्ययीभव समास
   (ग) तत्पुरुष समास (घ) द्वन्द्व समास ( )
8. द्वन्द्व समास किसमें नहीं है ?
   (क) धर्माधर्म (ख) घर–घर
   (ग) रुपया–पैसा (घ) दाल–रोटी ( )
9. समास किसे कहते हैं ?
10. समास के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए।
11. अव्ययीभाव समास के लक्षण बताइये।
12. निम्न सामासिक पदों का विग्रह कीजिए।
    त्रिनेत्र, यथाशक्ति, रातों–रात, रामचरित, बैलगाड़ी, सुरासुर,
    चतुर्भुज, चक्रपाणि, महर्षि, भरपेट, त्रिलोकी, मन्त्रिपरिषद्, दही–बड़ा।
13. निम्नलिखित का समास कीजिए।
    नौरात्रियों का समूह, इच्छा के अनुसार , शीत और आतप
    हाथ से लिखा हुआ, मुर का है अरि जो, चार मास का समाहार
    विद्यारूपी धन, पाँच पात्रों का समाहार,
    छः आनन हैं जिसके वह ।
14. निम्न सामासिक शब्दों का विग्रह दो प्रकार से होकर दो भिन्न समासों का बोध कराते हैं। विग्रह कर नामोल्लेख कीजिए।
    पीताम्बर, चतुर्भुज, घन–श्याम, नील–लोहित,
    पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर, जगन्नाथ, अष्टाध्यायी।

8

उपसर्ग

परिभाषा :

वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात् नये अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतन्त्ररूप से अपना कोई महत्त्व नहीं होता किन्तु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे 'हार' एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नये शब्द बनते हैं यथा आहार (भोजन), उपहार (भेंट) प्रहार (चोट) विहार (भ्रमण), परिहार (त्यागना), प्रतिहार (द्वारपाल) संहार (मारना), उद्धार (मोक्ष) आदि। अतः 'हार' शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम्, उत् शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं।

प्रकार : हिन्दी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं–

(i) संस्कृत के उपसर्ग

(ii) हिन्दी के उपसर्ग

(iii) विदेशी उपसर्ग

(i) संस्कृत के उपसर्ग

संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिन्दी में भी प्रयुक्त होते हैं इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं।

	उपसर्ग	अर्थ	उपसर्गयुक्त शब्द
1.	अति	अधिक / परे	अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र अत्यन्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव
2.	अधि	प्रधान / श्रेष्ठ	अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक
3.	अनु	पीछे / समान	अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनूदित
4.	अप	बुरा / विपरीत	अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण,

			अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा
5.	अभि	पास / सामने	अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट अभ्यन्तर, अभीप्सा, अभ्यास
6.	अव	बुरा / हीन	अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण
7.	आ	तक / से	आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन आकर्षण, आबालवृद्ध, आघात
8.	उत्	ऊपर / श्रेष्ठ	उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम
9.	उप	पास / सहायक	उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमन्त्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष
10.	दुर्	कठिन / बुरा / विपरीत	दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुरभिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा दुर्घटना, दुर्भावना, दुरुह
11.	दुस्	बुरा / विपरीत / कठिन	दुश्चिन्त, दुश्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य,
12.	नि	बिना / विशेष	निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्थ, निबन्ध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध
13.	निर्	बिना / बाहर	निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरवलम्ब, नीरोग, नीरस, निरीह, निरीक्षण
14.	निस्	बिना / बाहर	निश्चय, निश्छल, निष्काम, निष्कर्म निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्सन्देह
15.	प्र	आगे / अधिक	प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र, प्रारम्भ,

			प्रोज्ज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी
16.	परा	विपरीत/पीछे/अधिक	पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा
17.	परि	चारों ओर/पास	परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यन्त
18.	प्रति	प्रत्येक/विपरीत	प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति
19.	वि	विशेष/भिन्न	विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह
20.	सु	अच्छा/सरल	सुगन्ध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति
21.	सम्	अच्छी तरह/पूर्ण शुद्ध	संकल्प, संचय, सन्तोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा
22.	अन्	नहीं/बुरा	अनन्त, अनादि, अनेक, अनाहूत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनीह अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य

उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं –

1.	अन्तर्	–	अन्तर्गत, अन्तरात्मा, अन्तर्धान, अन्तर्दशा अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तरिक्ष, अन्तर्देशीय
2.	पुनर्	–	पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण
3.	प्रादुर	–	प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत
4.	पूर्व	–	पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्द्ध, पूर्वाह्न, पूर्वानुमान
5.	प्राक्	–	प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग्देवता, प्राङ्मुख, प्राक्कर्म
6.	पुरस्	–	पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरस्कृत
7.	बहिर्	–	बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन
8.	बहिस्	–	बहिष्कार, बहिष्कृत
9.	आत्म	–	आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान
10.	सह	–	सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी सहानुभूति, सहचर
11.	स्व	–	स्वतन्त्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ
12.	पुरा	–	पुरातन, पुरातत्त्व, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष
13.	स्वयं	–	स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणि, स्वयंसिद्ध

14. आविस् – आविष्कार, आविष्कृत
15. आविर् – आविर्भाव, आविर्भूत
16. प्रातर् – प्रातः काल, प्रातः वन्दना, प्रातः स्मरणीय
17. इति – इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त
18. अलम् – अलंकरण, अलंकृत, अलंकार
19. तिरस् – तिरस्कार, तिरस्कृत
20. तत् – तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदनन्तर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रूप
21. अमा – अमावस्या, अमात्य
22. सत् – सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार

(ii) हिन्दी के उपसर्ग

1. अन – (नहीं) अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल
   अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना
2. अध – (आधा) अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला,
   अधकचरा, अधखिला, अधनंगा
3. उ – उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला
4. उन – (एक कम) उन्नीस, उनतीस, उनचालीस, उनचास उनसठ, उन्नासी
5. औ – (अब) औगुन, औगढ़, औसर, औघट, औतार
6. कु – (बुरा) कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग
   कुचाल, कुचक्र, कुरीति
7. चौ – (चार) चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल
8. पच – (पाँच) पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी
9. पर – (दूसरा) परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा,
   परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार
10. भर – (पूरा) भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई
11. बिन – (बिना) बिनखाया, बिनब्याहा बिनबोया
    बिन माँगा, बिन बुलाया, बिनजाया
12. ति – (तीन) तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही
13. दु – (दो/बुरा) दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा
    दुपहरी, दुगुना, दुकाल, दुबला
14. का – (बुरा) कायर, कापुरुष, काजल
15. स – (सहित) सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक
16. चिर – (सदैव) चिरकाल, चिरायु, चिरयौवन, चिरपरिचित
    चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिरप्रतीक्षित
17. न – (नहीं) नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति,
18. बहु – (ज्यादा) बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज

बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहूपयोगी

19. आप – (स्वयं) आपकाज, आपबीती, आपकही, आपसुनी
20. नाना – (विविध) नानाप्रकार, नानारूप, नानाजाति, नानाविकार
21. क – (बुरा) कपूत, कलंक, कठोर
22. सम – (समान) समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र

(iii) विदेशी उपसर्ग

हिन्दी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं फलतः उनके उपसर्गों को हिन्दी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है।

1.	बे	रहित	बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब
2.	दर	में	दरअसल, दरबार, दरखास्त, दरहकीकत, दरम्यान
3.	बा	सहित	बाइज्जत, बामुलायजा, बाअदब, बाकायदा
4.	कम	अल्प	कमअक्ल, कमउम्र, कमजोर, कम समझ, कमबख्त
5.	ला	परे/बिना	लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब
6.	ना	नहीं	नापसन्द, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान
7.	हर	प्रत्येक	हरदम, हरवक्त, हररोज, हरहाल हर मुकाम, हर घड़ी
8.	खुश	श्रेष्ठ	खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी खुशमिजाज
9.	बद	बुरा	बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत
10.	सर	मुख्य/प्रधान	सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार
11.	ब	सहित	बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत
12.	बिला	बिना	बिलाकसूर, बिलावजह, बिलाकानून
13.	बेश	अत्यधिक	बेश कीमती, बेश कीमत
14.	नेक	भला	नेकराह, नेकनाम, नेकदिल, नेकनीयत
15.	ऐन	ठीक	ऐनवक्त, ऐनजगह, ऐन मौके
16.	हम	साथ	हमराज, हमदम, हमवतन, हमसफर, हमदर्द
17.	अल	निश्चित	अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेता
18.	गैर	रहित भिन्न	गैर हाजिर, गैरमर्द, गैर वाजिब
19.	हैड	प्रमुख	हैडमास्टर, हैड ऑफिस, हैडबॉय
20.	हाफ	आधा	हाफकमीज, हाफटिकट, हाफपेन्ट, हाफशर्ट
21.	सब	उप	सब रजिस्ट्रार, सबकमेटी, सब इन्स्पेक्टर
22.	को	सहित	को–आपरेटिव, को–आपरेशन, को–एजूकेशन

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न लिखित में किस में 'अन्' उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ?

   (क) अनुचर (ख) अनुज

   (ग) अनुपयोग (घ) अनुगामी ( )

2. निम्नलिखित में कौन–सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है ?

   (क) भरपेट (ख) प्रतिदिन

   (ग) अध्यक्ष (घ) रसोईघर ( )

3. 'हार' में 'आ' उपसर्ग लगने पर 'आहार' बनता है जिसका अर्थ है भोजन। 'हार' में कौनसा उपसर्ग लगायें कि उसका अर्थ 'छोड़ना' बन जायेगा।

   (क) उप (ख) वि

   (ग) प्रति (घ) परि ( )

4. 'उन्नीस' शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक् रूप होगा–

   (क) उत् + नीस (ख) उन और बीस

   (ग) उन् + बीस (घ) उन और ईस ( )

5. 'दुष्कर्म' शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ?

   (क) दुष् (ख) दुस्

   (ग) दुः (घ) दुश् ( )

6. संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गये हैं

   (क) बीस (ख) बाईस

   (ग) अट्ठारह (घ) तीस ( )

7. निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक् कीजिए–
   अनन्त, अलंकार, प्रातः काल, निश्चय, उद्धार, परीक्षा, प्रोज्ज्वल,
   प्रागैतिहासिक, स्वागत, अन्वीक्षण, अनुपयोग, नीरोग, संकल्प, नास्तिक, परिच्छेद।
8. उपसर्ग किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइये।
9. किन्हीं चार 'हिन्दी' के उपसर्गों का उल्लेख कर उनके दो–दो उदाहरण कीजिए।
10. विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए।
11. उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के दो–दो शब्द बनाइये–
    अ, अति, अन, अध, उन, खुश, चौ, दुर्, दुस्, निर्,
    परा, परि, प्रति, बद, ला, सम्, हम, प्रादुर्।

8
उपसर्ग

परिभाषा :

वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात् नये अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतन्त्ररूप से अपना कोई महत्त्व नहीं होता किन्तु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे 'हार' एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नये शब्द बनते हैं यथा आहार (भोजन), उपहार (भेंट) प्रहार (चोट) विहार (भ्रमण), परिहार (त्यागना), प्रतिहार (द्वारपाल) संहार (मारना), उद्धार (मोक्ष) आदि। अतः 'हार' शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम्, उत् शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं।

प्रकार : हिन्दी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं–

(i) संस्कृत के उपसर्ग

(ii) हिन्दी के उपसर्ग

(iii) विदेशी उपसर्ग

(i) संस्कृत के उपसर्ग

संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिन्दी में भी प्रयुक्त होते हैं इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं।

	उपसर्ग	अर्थ	उपसर्गयुक्त शब्द
1.	अति	अधिक/परे	अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र अत्यन्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव
2.	अधि	प्रधान/श्रेष्ठ	अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक
3.	अनु	पीछे/समान	अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनूदित
4.	अप	बुरा/विपरीत	अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण,

			अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा
5.	अभि	पास/सामने	अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट अभ्यन्तर, अभीप्सा, अभ्यास
6.	अव	बुरा/हीन	अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण
7.	आ	तक/से	आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन आकर्षण, आबालवृद्ध, आघात
8.	उत्	ऊपर/श्रेष्ठ	उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम
9.	उप	पास/सहायक	उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमन्त्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष
10.	दुर्	कठिन/बुरा/विपरीत	दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुरभिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा दुर्घटना, दुर्भावना, दुरुह
11.	दुस्	बुरा/विपरीत/कठिन	दुश्चिन्त, दुश्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य,
12.	नि	बिना/विशेष	निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्थ, निबन्ध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध
13.	निर्	बिना/बाहर	निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरवलम्ब, नीरोग, नीरस, निरीह, निरीक्षण
14.	निस्	बिना/बाहर	निश्चय, निश्छल, निष्काम, निष्कर्म निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्सन्देह
15.	प्र	आगे/अधिक	प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र, प्रारम्भ,

			प्रोज्ज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी
16.	परा	विपरीत/पीछे/अधिक	पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा
17.	परि	चारों ओर/पास	परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यन्त
18.	प्रति	प्रत्येक/विपरीत	प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति
19.	वि	विशेष/भिन्न	विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह
20.	सु	अच्छा/सरल	सुगन्ध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति
21.	सम्	अच्छी तरह/पूर्ण शुद्ध	संकल्प, संचय, सन्तोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा
22.	अन्	नहीं/बुरा	अनन्त, अनादि, अनेक, अनाहूत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनीह अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य

उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं –

1.	अन्तर्	–	अन्तर्गत, अन्तरात्मा, अन्तर्धान, अन्तर्दशा अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तरिक्ष, अन्तर्देशीय
2.	पुनर्	–	पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण
3.	प्रादुर	–	प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत
4.	पूर्व	–	पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्द्ध, पूर्वाह्न, पूर्वानुमान
5.	प्राक्	–	प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग्देवता, प्राङ्मुख, प्राक्कर्म
6.	पुरस्	–	पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरस्कृत
7.	बहिर्	–	बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन
8.	बहिस्	–	बहिष्कार, बहिष्कृत
9.	आत्म	–	आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान
10.	सह	–	सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी सहानुभूति, सहचर
11.	स्व	–	स्वतन्त्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ
12.	पुरा	–	पुरातन, पुरातत्त्व, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष
13.	स्वयं	–	स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणि, स्वयंसिद्ध

14. आविस् – आविष्कार, आविष्कृत
15. आविर् – आविर्भाव, आविर्भूत
16. प्रातर् – प्रातः काल, प्रातः वन्दना, प्रातः स्मरणीय
17. इति – इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त
18. अलम् – अलंकरण, अलंकृत, अलंकार
19. तिरस् – तिरस्कार, तिरस्कृत
20. तत् – तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदनन्तर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रूप
21. अमा – अमावस्या, अमात्य
22. सत् – सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार

(ii) हिन्दी के उपसर्ग

1. अन – (नहीं) अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल
   अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना
2. अध – (आधा) अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला,
   अधकचरा, अधखिला, अधनंगा
3. उ – उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला
4. उन – (एक कम) उन्नीस, उनतीस, उनचालीस, उनचास उनसठ, उन्नासी
5. औ – (अब) औगुन, औगढ़, औसर, औघट, औतार
6. कु – (बुरा) कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग
   कुचाल, कुचक्र, कुरीति
7. चौ – (चार) चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल
8. पच – (पाँच) पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी
9. पर – (दूसरा) परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा,
   परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार
10. भर – (पूरा) भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई
11. बिन – (बिना) बिनखाया, बिनब्याहा बिनबोया
    बिन माँगा, बिन बुलाया, बिनजाया
12. ति – (तीन) तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही
13. दु – (दो/बुरा) दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा
    दुपहरी, दुगुना, दुकाल, दुबला
14. का – (बुरा) कायर, कापुरुष, काजल
15. स – (सहित) सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक
16. चिर – (सदैव) चिरकाल, चिरायु, चिरयौवन, चिरपरिचित
    चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिरप्रतीक्षित
17. न – (नहीं) नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति,
18. बहु – (ज्यादा) बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज

बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहूपयोगी

19. आप – (स्वयं) आपकाज, आपबीती, आपकही, आपसुनी
20. नाना – (विविध) नानाप्रकार, नानारूप, नानाजाति, नानाविकार
21. क – (बुरा) कपूत, कलंक, कठोर
22. सम – (समान) समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र

(iii) विदेशी उपसर्ग

हिन्दी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं फलतः उनके उपसर्गों को हिन्दी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है।

1.	बे	रहित	बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब
2.	दर	में	दरअसल, दरबार, दरखास्त, दरहकीकत, दरम्यान
3.	बा	सहित	बाइज्जत, बामुलायजा, बाअदब, बाकायदा
4.	कम	अल्प	कमअक्ल, कमउम्र, कमजोर, कम समझ, कमबख्त
5.	ला	परे/बिना	लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब
6.	ना	नहीं	नापसन्द, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान
7.	हर	प्रत्येक	हरदम, हरवक्त, हररोज, हरहाल हर मुकाम, हर घड़ी
8.	खुश	श्रेष्ठ	खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी खुशमिजाज
9.	बद	बुरा	बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत
10.	सर	मुख्य/प्रधान	सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार
11.	ब	सहित	बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत
12.	बिला	बिना	बिलाकसूर, बिलावजह, बिलाकानून
13.	बेश	अत्यधिक	बेश कीमती, बेश कीमत
14.	नेक	भला	नेकराह, नेकनाम, नेकदिल, नेकनीयत
15.	ऐन	ठीक	ऐनवक्त, ऐनजगह, ऐन मौके
16.	हम	साथ	हमराज, हमदम, हमवतन, हमसफर, हमदर्द
17.	अल	निश्चित	अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेता
18.	गैर	रहित भिन्न	गैर हाजिर, गैरमर्द, गैर वाजिब
19.	हैड	प्रमुख	हैडमास्टर, हैड ऑफिस, हैडबॉय
20.	हाफ	आधा	हाफकमीज, हाफटिकट, हाफपेन्ट, हाफशर्ट
21.	सब	उप	सब रजिस्ट्रार, सबकमेटी, सब इन्स्पेक्टर
22.	को	सहित	को–आपरेटिव, को–आपरेशन, को–एजूकेशन

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न लिखित में किस में 'अन्' उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ?
   (क) अनुचर (ख) अनुज
   (ग) अनुपयोग (घ) अनुगामी ( )
2. निम्नलिखित में कौन–सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है ?
   (क) भरपेट (ख) प्रतिदिन
   (ग) अध्यक्ष (घ) रसोईघर ( )
3. 'हार' में 'आ' उपसर्ग लगने पर 'आहार' बनता है जिसका अर्थ है भोजन। 'हार' में कौनसा उपसर्ग लगायें कि उसका अर्थ 'छोड़ना' बन जायेगा।
   (क) उप (ख) वि
   (ग) प्रति (घ) परि ( )
4. 'उन्नीस' शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक् रूप होगा–
   (क) उत् + नीस (ख) उन और बीस
   (ग) उन् + बीस (घ) उन और ईस ( )
5. 'दुष्कर्म' शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ?
   (क) दुष् (ख) दुस्
   (ग) दुः (घ) दुश् ( )
6. संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गये हैं
   (क) बीस (ख) बाईस
   (ग) अट्ठारह (घ) तीस ( )
7. निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक् कीजिए–
   अनन्त, अलंकार, प्रातः काल, निश्चय, उद्धार, परीक्षा, प्रोज्ज्वल,
   प्रागैतिहासिक, स्वागत, अन्वीक्षण, अनुपयोग, नीरोग, संकल्प, नास्तिक, परिच्छेद।
8. उपसर्ग किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइये।
9. किन्हीं चार 'हिन्दी' के उपसर्गों का उल्लेख कर उनके दो–दो उदाहरण कीजिए।
10. विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए।
11. उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के दो–दो शब्द बनाइये–
    अ, अति, अन, अध, उन, खुश, चौ, दुर्, दुस्, निर्,
    परा, परि, प्रति, बद, ला, सम्, हम, प्रादुर्।

9

प्रत्यय

परिभाषा :

वे शब्दांश जो किसी शब्द के अन्त में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात् नये अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे –

समाज + इक	=	सामाजिक
सुगन्ध + इत	=	सुगन्धित
भूलना + अक्कड़	=	भुलक्कड़
मीठा + आस	=	मिठास

अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में सन्धि नहीं होती बल्कि शब्द के अन्तिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जायेगी, व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है जैसे

लोहा + आर	=	लुहार
नाटक + कार	=	नाटककार

प्रकार :

हिन्दी में प्रत्यय मुख्यत : दो प्रकार के होते हैं–

(i) कृदन्त प्रत्यय (ii) तद्धित प्रत्यय

1. कृदन्त प्रत्यय :

वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात् क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं कृदन्त या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिन्दी क्रियाओं में अन्तिम वर्ण 'ना' का लोपकर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदन्त या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं–

(i) कर्त्तृवाचक : वे प्रत्यय जो कर्त्तावाचक शब्द बनाते हैं जैसे–

अक	=	लेखक, नायक, गायक, पाठक
अक्कड़	=	भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़
आक	=	तैराक, लड़ाक
आलू	=	झगड़ालू
आकू	=	लड़ाकू
आड़ी	=	खिलाड़ी
इयल	=	अड़ियल, मरियल
एरा	=	लुटेरा, बसेरा
ऐया	=	गवैया,
ओड़ा	=	भगोड़ा
ता	=	दाता,

	वाला	=	पढ़नेवाला
	हार	=	राखनहार, चाखनहार
(ii)	कर्मवाचक	=	वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं
	औना	=	खिलौना (खेलना)
	नी	=	सूँघनी (सूँघना)
(iii)	करणवाचक	=	वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं
	आ	=	झूला (झूलना)
	ऊ	=	झाड़ू (झाड़ना)
	न	=	बेलन (बेलना)
	नी	=	कतरनी (कतरना)
(iv)	भाववाचक	=	वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं।
	अ	=	मार, लूट, तोल, लेख
	आ	=	पूजा
	आई	=	लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई
	आन	=	मिलान, चढान, उठान, उड़ान
	आप	=	मिलाप, विलाप
	आव	=	चढ़ाव, घुमाव, कटाव
	आवा	=	बुलावा
	आवट	=	सजावट, लिखावट, मिलावट
	आहट	=	घबराहट, चिल्लाहट
	ई	=	बोली
	औता	=	समझौता
	औती	=	कटौती, मनौती
	ती	=	बढ़ती, उठती, चलती
	त	=	बचत, खपत, बढ़त
	न	=	फिसलन, ऐंठन
	नी	=	मिलनी
(v)	क्रिया बोधक	=	वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं
	हुआ	=	चलता हुआ, पढ़ता हुआ

2. तद्धित प्रत्यय :

वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे

छात्र + आ	=	छात्रा
देव + ई	=	देवी
मीठा+आस	=	मिठास
अपना+पन	=	अपनापन

तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं।

(i) **कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय** – वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्त्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं।–

आर	=	लुहार, सुनार
इया	=	रसिया
ई	=	तेली
एरा	=	घसेरा

(ii) **भाववाचक तद्धित प्रत्यय** – वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं।

आई	=	बुराई
आपा	=	बुढ़ापा
आस	=	खटास, मिठास
आहट	=	कड़वाहट
इमा	=	लालिमा
ई	=	गर्मी
ता	=	सुन्दरता, मूर्खता, मनुष्यता,
त्व	=	मनुष्यत्व, पशुत्व
पन	=	बचपन, लड़कपन, छुटपन

(iii) **सम्बन्धवाचक तद्धित प्रत्यय** – इन प्रत्ययों के लगने से सम्बन्ध वाचक शब्दों की रचना होती है।

एरा	=	चचेरा, ममेरा
इक	=	शारीरिक
आलु	=	दयालु, श्रद्धालु
इत	=	फलित
ईला	=	रसीला, रंगीला
ईय	=	भारतीय
ऐला	=	विषैला
तर	=	कठिनतर
मान	=	बुद्धिमान
वत्	=	पुत्रवत, मातृवत्
हरा	=	इकहरा
जा	=	भतीजा, भानजा
ओई	=	ननदोई

(iv) अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय – संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्यवाचक प्रत्यय लगाने से सन्तान का बोध होता है।

अ	=	वासुदेव, राघव, मानव
ई	=	दाशरथि, वाल्मीकि, सौमित्रि
एय	=	कौन्तेय, गांगेय, भागिनेय

य	=	दैत्य, आदित्य
ई	=	जानकी, मैथिली, द्रोपदी, गांधारी

(v) ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय – संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं।

इया	=	खटिया, लुटिया, डिबिया
ई	=	मण्डली, टोकरी, पहाड़ी, घण्टी
ओला	=	खटोला, संपोला

(vi) स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय : वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते है।

आ	=	सुता, छात्रा, अनुजा
आइन	=	ठकुराइन, मुंशियाइन
आनी	=	देवरानी, सेठानी, नौकरानी
इन	=	बाघिन, मालिन
नी	=	शेरनी, मोरनी

उर्दू के प्रत्यय

हिन्दी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे

गर	=	जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर
ची	=	अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची
नाक	=	शर्मनाक, दर्दनाक
दार	=	दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार
आबाद	=	अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद
इन्दा	=	परिन्दा, बाशिन्दा, शर्मिन्दा, चुनिन्दा
इश	=	फरमाइश, पैदाइश, रंजिश
इस्तान	=	कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान
खोर	=	हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर
गाह	=	ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह
गार	=	मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार
गीर	=	राहगीर, जहाँगीर
गी	=	दीवानगी, ताजगी, सादगी
गीरी	=	कुलीगीरी, मुंशीगीरी
नवीस	=	नक्शानवीस, अर्जीनवीस
नामा	=	अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा
बन्द	=	हथियारबन्द, नजरबन्द, मोहरबन्द
बाज	=	नशेबाज, चालबाज, दगाबाज
मन्द	=	अकलमन्द, जरूरतमंद, ऐहसानमंद
साज	=	जिल्दसाज, घड़ीसाज, जालसाज

विशेष : कई बार प्रत्यय लगने पर मूलशब्द के आदि मध्य या अन्त में प्रयुक्त स्वरों में

परिवर्तन हो जाता है। जैसे

इक	=	समाज–सामाजिक, इतिहास–ऐतिहासिक, नीति–नैतिक, पुराण–पौराणिक, भूगोल–भौगोलिक, लोक–लौकिक
य	=	मधुर–माधुर्य, दिति–दैत्य, सुन्दर–सौन्दर्य, शूर–शौर्य
इ	=	दशरथ–दाशरथि, सुमित्रा–सौमित्रि
एय	=	गंगा–गांगेय, कुन्ती–कौन्तेय
आइन	=	ठाकुर,–ठकुराइन, मुंशी–मुंशियाइन
इनी	=	हाथी–हथिनी
एरा	=	चाचा–चचेरा, लूटना–लुटेरा
आई	=	साफ–सफाई, मीठा–मिठाई, बोना–बुवाई
अक्कड़	=	भूलना–भुलक्कड़, पीना–पियक्कड़
आरी	=	पूजना–पुजारी, भीख–भिखारी
ऊटा	=	काला–कलूटा
आव	=	खींचना–खिंचाव, घूमना–घुमाव
आस	=	मीठा–मिठास
आपा	=	बूढ़ा–बुढ़ापा
आर	=	लोहा–लुहार, सोना–सुनार
इया	=	चूहा–चुहिया, लोटा–लुटिया
वाड़ी	=	फूल–फुलवाड़ी
वास	=	रानी–रनिवास
पन	=	छोटा–छुटपन, बच्चा–बचपन, लड़का–लड़कपन
हारा	=	मनी–मनिहारा
एल	=	नाक–नकेल
आवना	=	लोभ–लुभावना

अभ्यास प्रश्न

1. 'पुराण' में 'इक' प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा–
   (क) पुराणिक (ख) पौराणिक
   (ग) पुराणेक (घ) पोराणिक ( )
2. किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ?
   (क) भुलक्कड़ (ख) ठाकुराइन
   (ग) स्वाभाविक (घ) भिखारी ( )
3. निम्न में से कृदन्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ?
   (क) चढ़ाई (ख) सफाई
   (ग) ऊँचाई (घ) मिठाई ( )
4. 'य' प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है।
   (क) सौन्दर्य (ख) भारतीय
   (ग) औदार्य (घ) आदित्य ( )
5. किस में 'इनी' प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है ?
   (क) हंसिनी (ख) हथिनी
   (ग) भिखारिनी (घ) सरोजिनी ( )
6. प्रत्यय किसे कहते हैं व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ?
7. निम्नलिखित के मूल शब्द एवम् प्रत्यय को पृथक् कर लिखिए–
   व्यावहारिक, वाल्मीकि, माधुर्य, वैयक्तिक, ऐतिहासिक, वैदिक,
   भौतिक, कौन्तेय, कलूटा, चचेरा, पियक्कड़, चुहिया, रनिवास, लड़कपन, मुंशियाइन, लुहार।
8. निम्न प्रत्यय लगाकर दो–दो नए शब्द बनाइये–
   अनीय, आऊ, आनी, आपा, आलु, इत, ईला, तर, त्व, नी,
   पन, गर, बन्द, य, हार, त्र, ज्ञ।
9. निम्न शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाइये।

व्यक्ति + इक	गंगा + एय,	जीव + इक
पीसना + आई	घूमना + अक्कड़	लूटना + एरा
फूल + वाड़ी	एकल + औता,	बेटा + इया
छोटा + पन	रक्षा + अक,	भूलना + आवा
साँप + ओला,	कठिन + य	एक + हरा

10
अर्थ विचार

1. पर्यायवाची शब्द

भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्त्व है। एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है, परंतु भाषा–प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अपनी भाषा–शैली को प्रभविष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

अग्नि : आग, अनल, पावक, दहन, वह्नि, कृशानु।
अतिथि : अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगन्तुक।
अमृत : सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमिय, सुरभोग, देवभोग।
अपमान : अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार।
अलंकार : आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर।
अश्व : घोड़ा, हय, हरि, घोटक, बाजि, सैन्धव, तुरंग।
असुर : दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर
अहंकार : गर्व, दर्प, दंभ, घमण्ड, मद, मान।
अंधकार : तम, तमस, तिमिर, तमिस्र, अंधेरा, अंधियारा।
आकाश : नभ, गगन, अम्बर, अन्तरिक्ष, अनन्त, व्योम, शून्य।
आँख : नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि।
इच्छा : आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा।
इन्द्र : सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, शचीपति, देवेन्द्र।
उपवन : बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन।
कच : बाल, केश, कुन्तल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह।
कण्ठ : ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा।
कपड़ा : पट, चीर, वसन, अम्बर, वस्त्र, दुकूल, परिधान।
कबूतर : कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल।
कमल : जलज, पंकज, सरोज, अरविन्द, राजीव, शतदल, पुण्डरीक, इन्दीवर।
कान : कर्ण, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपुट।
कामदेव : मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा, मन्मथ।

किनारा : तीर, कूल, कगार, तट।
किरण : कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा।
कीर्त्ति : यश, प्रसिद्धि।
खग : पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अण्डज, शकुनि, पखेरू।
गणेश : विनायक, गजानन, लम्बोदर, गणपति, एकदन्त।
गुरु : शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय।
गृह : घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय, मंदिर।
चन्द्रमा : इन्दु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु, हिमांशु।
चरण : पैर, पाद, पग, पद, पाँव।
चाँदनी : चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, चन्द्रमरीचि, उजियारी, चन्द्रप्रभा, जुन्हाई।
जगत् : संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक, भुवन।
जल : वारि, अम्बु, तोय, नीर, सलिल, जीवन, पय।
जीभ : रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान।
ज्योति : आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि।
तरुवर : वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूंख, पादप।
तलवार : असि, कृपाण, करवाल, खड्ग, चन्द्रहास।
तालाब : जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर।
तीर : शर, बाण, विशिख, शिलीमुख, अनी, सायक।
दधि : दही, गोरस, मट्ठा, तक्र।
दाँत : दशन, रदन, रद, द्विज, दन्त, मुखखुर।
दास : सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर, परिचारक।
दिन : दिवस, वार, वासर, अह्न, दिवा।
दीन : गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंकाल।
दीपक : दीप, दीया, प्रदीप।
दुर्गा : चण्डी, चामुण्डा, कल्याणी, कालिका, भवानी।
दूध : दुग्ध, पय, क्षीर, गौरस, स्तन्य।
देवता : देव, अजर, अमर, सुर, विबुध।
देह : काया, तन, शरीर, वपु, गात।
द्रव्य : धन, अर्थ, वित्त, सम्पदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ।
धन : द्रव्य, वित्त, अर्थ, सम्पत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा।
धनुष : चाप, कमान, कोदण्ड, सरासन, पिनाक, सारंग।
नदी : सरिता, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा, निर्झरिणी।
नाव : नौका, तरणी, वनवाहन, जलयान, पोत, नैया, तरी।
पत्थर : पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, शिलाखण्ड।
पत्ता : दल, पल्लव, पर्ण, द्रुमदल, किसलय, पान, पत्र।
पति : कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, नाथ।
पथ : बाट, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, मग।

पर्वत : पहाड़, अचल, गिरि, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरू।
पशु : चतुष्पद, जानवर, चौपाया, मृग।
पाताल : रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उरगस्थान।
पार्वती : शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, अम्बिका।
पास : आसन्न, निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट, उपकण्ठ, सानिध्य।
पुत्र : सुत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नन्दन, लाल।
पुत्री : सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नन्दिनी, दुहिता, बेटी।
पुष्प : कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहुप, गुल।
प्रातः : प्रभात उषा, अरुणोदय, सुबह, अहर्मुख, सवेरा।
प्रवाल : मूँगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि, रक्तमणि।
पृथ्वी : भू, भूमि, अवनि, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी।
फल : परिणाम, नतीजा, लाभ, प्रभाव।
बन्दर : कपि, हरि, मर्कट, वानर, शाखामृग।
बसन्त : ऋतुराज, मधु, पिकानन्द, मधुमास, कुसुमाकर, मदनमीत।
ब्रह्म : विधि, विधाता, विरंचि, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति।
बादल : मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद।
बालक : शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का, शावक।
ब्राह्मण : द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, महीदेव, अग्रजन्मा।
बिजली : विद्युत, चपला, चंचला, तडित, सौदामिनी, दामिनी।
बुद्धि : धी, मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा।
भाई : बन्धु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सगर्भा, सजाता।
भौंरा : भ्रमर, मधुकर, मधुप, अलि, षट्पद, भृंग।
मक्खन : नवनीत, माखन, दधिसार, लौनी।
मनुष्य : नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मर्त्य, आदमी।
महादेव : शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ।
माता : मा, अम्बा, जननी, प्रसू, मात, जन्मदायिनी, अम्ब।
मुख : आनन, वदन, वक्र, मुँह, चेहरा।
मूर्ख : अज्ञ, मूढ़, जड़, अज्ञानी, निर्बुद्धि।
मेंढ़क : मण्डूक, दादुर, हरि, भेक, शालूर, वर्षाभू।
मृग : कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार, हरिण।
मृत्यु : निधन, मरण, देहावसान, देहान्त, मौत, स्वर्गवास।
युद्ध : रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह, लड़ाई।
युवक : युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान।
युवती : तरुणी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना, नवांगना।
रमा : लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इन्दिरा, श्री, सिन्धुजा, विष्णुप्रिया।
रवि : भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तण्ड।
राजा : नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेन्द्र, महीन्द्र, महीपाल।

रात	:	रात्रि, निशा, शर्वरी, रजनी, यामिनी, राका, विभावरी।
रानी	:	राजवधू, राज्ञी, महारानी, महाराज्ञी, राजपत्नी।
लहर	:	तरंग, हिलोर, ऊर्मि, वीचि, लहरी।
वज्र	:	कुलिश, पवि, अशनि, भेदी, भिदुर, दंभोलि।
विद्वान्	:	कोविद, पण्डित, प्राज्ञ, विदुष।
विष	:	जहर, गरल, हलाहल, कालकूट, गर।
विवाह	:	पाणिग्रहण, ब्याह, शादी, परिणय, प्रणय सूत्रबन्धन।
विष्णु	:	जनार्दन, चक्रपाणि, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर, दामोदर।
शत्रु	:	अरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र, द्वेषी।
शुक	:	तोता, कीर, सुग्गा, दाड़िम–प्रिय, रक्ततुण्ड, सुआ।
सखी	:	सहचरी, आली, सजनी, सहेली, सैरंध्री।
सन्ध्या	:	साँझ, शाम, सायं, दिनांत, गोधूलि, प्रदोषकाल।
सर्प	:	अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, नाग, उरग।
समुद्र	:	सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि, पारावार।
सरस्वती	:	भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणि, हंसवाहिनी।
सिंह	:	शार्दूल, केसरी, हरि, मृगेन्द्र, वनराज, मृगराज।
सेना	:	कटक, अनी, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य, फौज।
स्वर्ग	:	सुरलोक, देवलोक, नाग, इन्द्रपुरी, द्यौ, परमधाम।
स्त्री	:	नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी, तिय।
हृदय	:	उर, हिय, वक्ष, वक्षस्थल, हृद।
हनुमान	:	पवनसुत, महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनिसुत, मारुतनन्दन।
हाथ	:	हस्त, कर, पाणि, बाहु, भुजा।
हाथी	:	गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरद, द्विप, नाग, करि।
हंस	:	मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वतीवाहन।

2. विलोम–शब्द

'विलोम' का अर्थ है 'विपरीत'। शब्द भण्डार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शब्द विशेष का प्रचलन होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। यथा आनंद के लिए 'हर्ष' शब्द प्रचलित है तो इससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु 'शोक' शब्द प्रचलित है। जैसे–

1. उपसर्ग लगाकर बनने वाले

(i) 'अ' उपसर्ग लगाकर–

चल – अचल, चेतन – अचेतन, छूत – अछूत

थाह – अथाह, ग्राह्य – अग्राह्य क्षर – अक्षर

(ii) 'अन्' उपसर्ग लगाने से–

एक – अनेक, अभिज्ञ – अनभिज्ञ, अर्थ – अनर्थ

आवृत्त – अनावृत्त, आहूत – अनाहूत, आर्य – अनार्य

(iii) 'अप' उपसर्ग लगाने से– यश – अपयश, कीर्त्ति –अपकीर्त्ति, मान– अपमान शकुन – अपशकुन।

(iv) 'दुर्' उपसर्ग के लगाने से– दशा – दुर्दशा, आशा – दुराशा।

(v) 'वि' उपसर्ग के योग से–

क्रय – विक्रय, पक्ष – विपक्ष, सम – विषम

तृष्णा – वितृष्णा, देश – विदेश

(vi) 'कु' उपसर्ग के योग से– रूप – कुरूप, पुत्र – कुपुत्र।

(vii) 'पर' उपसर्ग के योग से– देशी – परदेशी, लोक – परलोक।

(viii) 'अव' उपसर्ग के योग से– गुण – अवगुण।

(ix) 'औ' उपसर्ग के योग से– गुण – औगुण।

(x) 'प्रति' उपसर्ग के योग से–

क्रिया – प्रतिक्रिया, घात – प्रतिघात, वादी – प्रतिवादी

(xi) 'निर्' उपसर्ग के योग से–

आशा – निराशा, आदर – निरादर, आमिष – निरामिष

(xii) 'परा' उपसर्ग के योग से– जय – पराजय

(xiii) 'क' उपसर्ग के योग से– पूत – कपूत

(xiv) 'निस्' उपसर्ग के योग से–

छल – निश्छल, फल – निष्फल, सन्देह – निस्संदेह

2. उपसर्ग बदलने से

1. 'स' के स्थान पर 'निर्'–

सजीव – निर्जीव, सदोष – निर्दोष, सार्थक – निरर्थक

2. 'स' के स्थान पर 'वि'– सधवा – विधवा

3. 'सु' के स्थान पर 'कु'–

सुपात्र – कुपात्र, सुयोग – कुयोग, सुरीति – कुरीति

4. 'सत्' के स्थान पर 'दुर्'– सदाचार – दुराचार, सदुपयोग – दुरुपयोग

5. 'अ' के स्थान पर 'सु'– अकाल – सुकाल, अरुचि – सुरुचि।

6. 'अ' के स्थान पर 'प्र'– अवर – प्रवर।

7. 'सु' के स्थान पर 'दुर्'– सुबोध – दुर्बोध।

8. 'पूर्व' के स्थान पर 'पर'– पूर्ववर्ती – परवर्ती।

9. 'सम्' के स्थान पर 'वि'– संकल्प – विकल्प, सम्पन्नता– विपन्नता।

10. 'अनु' के स्थान पर 'वि'– अनुराग – विराग।

11. 'अ' के स्थान पर 'स'– अनाथ – सनाथ।

12. 'आ' के स्थान पर 'प्र'– आदान – प्रदान।

13. 'उत्' के स्थान पर 'अप'– उत्कर्ष – अपकर्ष

14. 'उप' के स्थान पर 'पर' उपसर्ग – परसर्ग

15. 'वि' के स्थान पर 'परा' विभव – पराभव, विजय – पराजय

16. 'स्व' के स्थान पर 'पर' स्वार्थ – परार्थ, स्वतन्त्र – परतन्त्र
17. 'स' के स्थान पर 'दुर' सबल – दुर्बल
18. 'स' के स्थान पर 'क' सपूत – कपूत
19. 'अनु' के स्थान पर 'प्रति' अनुकूल – प्रतिकूल, अनुलोम – प्रतिलोम
20. 'उत्' के स्थान पर 'नि' उत्कृष्ट– निकृष्ट
21. 'उत्' के स्थान पर 'अव' उन्नति – अवनति
22. 'सम्' के स्थान पर 'अप' सम्मान – अपमान
23. 'उप' के स्थान पर –अप' उपकार – अपकार, उपचय – अपचय
24. आविर् के स्थान पर 'तिरो'
आविर्भाव – तिरोभाव, आविर्भूत – तिरोभूत
25. 'अन्तर्' के स्थान पर 'बहिर्'
अन्तरंग – बहिरंग, अन्तर्भाव – बहिर्भाव

3. लिंग परिवर्तन से

लड़का – लड़की, मोर – मोरनी, सेठ – सेठानी
कवि – कवयित्री, विद्वान – विदुषी, हाथी – हथिनी
कुत्ता – कुतिया।

4. स्थायी या निश्चित।

अवनि – अम्बर अर्पण – ग्रहण, अग्र – पश्च
अनिवार्य – ऐच्छिक, अमृत – विष, अथ – इति
अधम – उत्तम, अर्वाचीन – प्राचीन
आय – व्यय आरम्भ – अन्त, कृपण – उदार
उत्थान – पतन, उग्र – सौम्य, उत्तर – दक्षिण
खल – सज्जन, गुरु – लघु, ग्राह्य – त्याज्य
गृहस्थ – संन्यासी, तामसिक – सात्विक, तीव्र – मंथर
दिन – रात, दीर्घ – ह्रस्व, निन्दा – स्तुति
निंद्य – वंद्य, बद्ध – मुक्त, मिथ्या – सत्य
यथार्थ – आदर्श, योगी – भोगी, राजा – रंक
लाभ – हानि, शोक – हर्ष, सात्विक – तामसिक
नैसर्गिक– कृत्रिम, अग्र – पश्च, अगला – पिछला

अ अघोष – सघोष, अतिवृष्टि – अल्पवृष्टि, अथ – इति
अधम – उत्तम, अधिक – न्यून
अनुज – अग्रज, अपना – पराया, अपराधी – निरपराध
अभ्यन्तर– बाह्य, अर्थ – अनर्थ, अभिज्ञ – अनभिज्ञ
अल्पायु – दीर्घायु, अल्पसंख्यक – बहुसंख्यक अस्वस्थ – स्वस्थ

आ आकाश – पाताल, आजादी – गुलामी, आदर – निरादर
आधार – निराधार, आंतरिक – बाह्य, आय – व्यय
आरम्भ – अन्त, आर्द्र – शुष्क, आशा – निराशा

	आशीष – दुराशीष, आसक्त – अनासक्त, आस्था – अनास्था
	आज्ञा – अवज्ञा
उ	उचित – अनुचित, उत्कर्ष – अपकर्ष, उत्तम – अधम
	उदय – अस्त, उदार – अनुदार, उधार – नकद
	उन्मुख – विमुख, उन्मूलन – रोपण, उन्नत – अवनत
	उपकार – अपकार
ए	एक – अनेक औपचारिक – अनौपचारिक
क	कदाचार – सदाचार, कोमल – कठोर, कृतज्ञ – कृतघ्न।
ख	खण्डन – मण्डन, खरा – खोटा, खल – सज्जन
	खाद्य – अखाद्य, खिलना – मुरझाना, खुला – बन्द।
ग	गुप्त – प्रकट, गुण – दोष, गरिमा – लघिमा गौरव – लाघव
घ	घाटा – मुनाफा
च	चढ़ाव – उतार, चतुर – मूढ़/मूर्ख, चिरन्तन – नश्वर
	चिरायु – अल्पायु, चेतन – जड़।
ज	जड़ – चेतन, जय – पराजय, जरा – शैशव जाति – विजाति।
झ	झगड़ालू– शान्त, झूठ – सच।
त	तिरस्कार – सत्कार, तुच्छ – महान, तेजस्वी – निस्तेज।
द	दण्ड – पुरस्कार, दयालु – निर्दय, दरिद्र – सम्पन्न
	द्वन्द्व – निर्द्वन्द्व, दक्षिण – वाम/उत्तर,
	दीर्घकाय – कृशकाय, दुर्जन – सज्जन,
	दुर्बल – सबल, दुराशय– सदाशय, दोष – निर्दोष।
ध	धनी – निर्धन।
न	नश्वर – अनश्वर, निडर – कायर, डरपोक
	निन्दा – स्तुति, निरपेक्ष – सापेक्ष, निर्गुण – सगुण,
	निर्दय – सदय, निर्मम – सहृदय, निजी – सार्वजनिक।
प	पाश्चात्य – पौर्वात्य।
फ	फल – निष्फल।
ब	बैर – प्रीति।
म	मधुर – कटु, ममता – निष्ठुरता/घृणा,
	महात्मा – दुरात्मा, मादा – नर, मान – अपमान,
	मानव – दानव, मितव्ययी – अपव्ययी,
	मुख्य – गौण, मूक – वाचाल।
य	याचक – दाता।
र	रोगी – नीरोग।
व	विधवा – सधवा, विधि – निषेध, विपन्न – सम्पन्न,
	विराग – अनुराग, विशिष्ट– सामान्य/साधारण
	विस्तृत – संक्षिप्त, विस्मरण – स्मरण, विज्ञ – अज्ञ,
	व्यष्टि – समष्टि।

श	शाश्वत – नश्वर/क्षणिक,	शीत – उष्ण।		
स	सकाम – निष्काम,	सजल – निर्जल,	सक्रिय – निष्क्रिय,	
	सजातीय – विजातीय,	सत्कार – तिरस्कार,	सद्भावना – दुर्भावना	
	सज्जन – दुर्जन,	सम – विषम,	सम्मुख – विमुख,	
	सरस – नीरस,	समष्टि – व्यष्टि,	सर्वज्ञ – अल्पज्ञ,	
	संन्यासी – गृहस्थ,	साकार – निराकार,	सामान्य – विशेष,	
	सूक्ष्म – स्थूल,	सौम्य – उग्र,	स्वतन्त्र – परतन्त्र।	
ह	हर्ष – विषाद/शोक			

3. समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द (शब्द–युग्म)

विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं, जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि में वे शब्द बिलकुल भिन्न होते हैं। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द–युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ या विकृत अर्थ हो जाएगा जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा।

1.	अकथ	:	कुछ कहा न जा सके	अथक	:	जो थके नहीं
2.	अकुल	:	बिना कुल के	आकुल	:	व्याकुल
3.	अकूत	:	बिना अंदाज	आकूत	:	अभिप्राय
4.	अग	:	सर्प/पर्वत	अघ	:	पाप
5.	अगम	:	जहाँ जाना संभव नहीं	आगम	:	शास्त्र/आना
6.	अचल	:	पर्वत	अचला	:	पृथ्वी
7.	अर्चन	:	पूजा	अर्जन	:	संग्रह
8.	अजर	:	देवता	अजिर	:	आँगन
9.	अतल	:	गहरा	अतुल	:	तुलना न हो
10.	अद्य	:	आज	आद्य	:	पहला
11.	अतीत	:	बीता हुआ	अतीव	:	बहुत ज्यादा
12.	अनल	:	आग	अनिल	:	हवा
13.	अनुग	:	अनुयायी	अनुज	:	छोटा भाई
14.	अन्तर्देशीय	:	देश के भीतर	अन्तरदेशीय	:	देशों के बीच
15.	अनभिज्ञ	:	अनजान	अभिज्ञ	:	जानकार
16.	अनु	:	पीछे	अणु	:	कण
17.	अपकार	:	बुराई	उपकार	:	भलाई
18.	अनिष्ट	:	बुरा	अनिष्ठ	:	निष्ठाहीन
19.	अभिनय	:	नाटक खेलना	अभिनव	:	नया
20.	अपमान	:	निरादर	उपमान	:	जिससे उपमा दी जाय
21.	अपेक्षा	:	आशा/तुलना	उपेक्षा	:	अवहेलना
22.	अभिराम	:	सुन्दर	अविराम	:	लगातार
23.	अभिज्ञ	:	जानकार	अविज्ञ	:	मूर्ख

24.	अभय	:	निडर	उभय :	दोनों
25.	अमूल	:	बिना जड़ का	अमूल्य :	अनमोल
26.	अरि	:	दुश्मन	अरी :	सम्बोधन
27.	अवलम्ब	:	सहारा	अविलम्ब :	शीघ्र
28.	अवगत	:	ज्ञात	अविगत :	अव्यक्त / दूर
29.	अविहित	:	विधि विरूद्ध	अभिहित :	कथित / उक्त
30.	अवदान	:	प्रशंसित कार्य	अवधान :	योग / ध्यान
31.	अवधि	:	समय	अवधी :	भाषा विशेष
32.	अव्यय	:	जो खर्च न हो	अवयव :	अंग / भाग
33.	अवशेष	:	बाकी	अविशेष :	सामान्य
34.	अवमर्श	:	स्पर्श / सम्पर्क	अवमर्ष :	आलोचना
35.	अलि	:	भ्रमर	आली :	सम्बोधन
36.	अलक	:	बाल	अलिक :	ललाट
37.	अलिक	:	ललाट	अलीक :	झूठा
38.	अलोक	:	अदृश्य	आलोक :	प्रकाश
39.	अश्व	:	घोड़ा	अस्व :	पराया
40.	अश्व	:	घोड़ा	अश्म :	जीवाश्म
41.	अशीलता	:	उद्दण्डता	असिलता :	तलवार
42.	अशर	:	बिना बाण	असर :	प्रभाव
43.	अशक्त	:	निर्बल	असक्त :	उदासीन
44.	अस्त	:	छिपना	अस्तु :	अच्छा
45.	असक्त	:	उदासीन	आसक्त :	मोहित

1.	असाध	:	कठिन	असाधु :	दुष्ट
2.	अस्ति	:	है	अस्थि :	हड्डी
3.	अह	:	दिन	अहि :	सर्प
4.	अक्ष	:	धुरी	अक्षि :	आँख
5.	अंश	:	हिस्सा	अंस :	कंधा
6.	अंगना	:	स्त्री	आँगन :	आँगन
7.	अदृश्य	:	जो दिखाई न दे	अदृष्ट :	भाग्य
8.	अभिसार	:	छिपकर मिलना	अभीसार :	आक्रमण
9.	अयश	:	बदनामी	अयस :	लोहा
10.	अभिनन्दन	:	स्वागत	अभिवादन :	नमस्कार
11.	आदि	:	प्रारम्भिक	आदी :	आदत वाला
12.	आधि	:	मानसिक कष्ट	व्याधि :	शारीरिक कष्ट
13.	आकर	:	खान	आकार :	बनावट / रूप
14.	आपाद	:	पैर तक	आपात् :	आकस्मिक

15.	आभरण	:	आभूषण	आवरण :	पर्दा
16.	आभरण	:	आभूषण	आमरण :	मृत्युपर्यन्त
17.	आयत	:	आकृति विशेष	आयात :	बाहर से मँगाना
18.	आय	:	आमदनी	आयु :	उम्र
19.	आयास	:	श्रम	आवास :	घर
20.	आरति	:	विराम	आरती :	पूजा
21.	आरि	:	जिद्द	आरी :	काटने का औजार
22.	आहुत	:	हवन सामग्री	आहूत :	बुलाया हुआ
23.	आवृत	:	ढका हुआ	आवृत्ति :	दोहराना
24.	आस्तिक	:	ईश्वर को मानने वाला	आस्तीक :	ऋषि विशेष
25.	इति	:	समाप्ति	ईति :	दैविक आपदा
26.	इतर	:	अन्य/भिन्न	इत्र :	सुगन्धित पदार्थ
27.	उक्ति	:	कथन	युक्ति :	दलील
28.	उदात्त	:	उच्च	उदार :	दानी
29.	उत्पल	:	कमल	उपल :	पत्थर/ओले
30.	उद्रेक	:	वृद्धि	उद्वेग :	चिन्ता
31.	उधार	:	ऋण	उद्धार :	मोक्ष
32.	उद्यम	:	श्रम	ऊधम :	शरारत
33.	उपयुक्त	:	उचित	उपर्युक्त :	ऊपर कहा हुआ
34.	उपादान	:	सामग्री	उपधान :	तकिया
35.	उद्धरण	:	उतारना	उदाहरण :	दृष्टान्त
36.	उर	:	हृदय	ऊरू :	जाँघ
37.	ओटना	:	बिनौले अलग करना	औटाना :	खौलना
38.	ओट	:	आड़	ओठ :	होंठ
39.	ओर	:	तरफ	और :	दूसरा
40.	कच	:	बाल	कुच :	स्तन
41.	कटक	:	सेना	कंटक :	काँटा
42.	कटिबन्ध	:	कमर का आभूषण	कटिबद्ध :	तैयार
43.	कपट	:	छल	कपाट :	द्वार
44.	कर्ण	:	कान	करण :	साधन
45.	कथा	:	कहानी	कंथा :	गुदड़ी
46.	कर्म	:	काम	क्रम :	सिलसिला
47.	कलि	:	कलयुग	कली :	कलिका
48.	कलुष	:	पाप	कुलिश :	वज्र
49.	कलश	:	घट	कलुष :	पाप
50.	कान	:	कर्ण	कानि :	मर्यादा
51.	काय	:	शरीर	निकाय :	समूह/राशि

52.	कान्ति	:	चमक	क्रान्ति :	परिवर्तन
53.	कुल	:	वंश / सब	कूल :	किनारा
54.	कुण्डल	:	कान का आभूषण	कुन्तल :	बाल
55.	केत	:	घर	केतु :	ध्वज
56.	कुच	:	स्तन	कूच :	प्रस्थान
57.	कोसल	:	अवध	कौशल :	निपुणता
58.	कोर	:	किनारा	कौर :	ग्रास
59.	कंगाल	:	गरीब	कंकाल :	अस्थि–पंजर
60.	कृत	:	किया हुआ	कृत्य :	कार्य
61.	कृपण	:	कंजूस	कृपाण :	तलवार
62.	कृतज्ञ	:	उपकार मानना	कृतघ्न :	उपकार न मानना
63.	खाद्य	:	खाने योग्य	खाद :	उर्वरक
64.	गण	:	समूह	गण्य :	गिने जाने योग्य
65.	गदा	:	अस्त्र	गधा :	गर्दभ
66.	गत	:	बीता हुआ	गति :	चाल
67.	गर्त	:	गड्ढा	गर्द :	धूल
68.	गर्व	:	अभिमान	गर्भ :	आन्तरिक भाग
69.	ग्रह	:	नक्षत्र	गृह :	घर
70.	ग्रंथि	:	गाँठ	ग्रन्थी :	गुरुग्रंथ पढ़ने वाला
71.	गुरु	:	शिक्षक	गुर :	उपाय
72.	गेय	:	गाने योग्य	ज्ञेय :	जानने योग्य
73.	घट	:	घड़ा	घाट :	किनारा
74.	घन	:	बादल	घण :	हथौड़ा
75.	चतुष्पद	:	चौपाया	चतुष्पथ :	चौराहा
76.	चपल	:	चंचल	चपला :	बिजली
77.	चर्म	:	चमड़ा	चरम :	अन्तिम
78.	चिर	:	सदैव	चीर :	वस्त्र
79.	चिन्ता	:	सोच	चिता :	मृतक दाहाग्नि
80.	चरित	:	जीवनी	चरित्र :	आचरण
81.	छात्र	:	विद्यार्थी	क्षात्र :	क्षत्रिय संबंधी
82.	जगत्	:	संसार	जगत :	कुएँ की मुण्डेर
83.	तर्क	:	बहस / युक्ति	तक्र :	छाछ
84.	तरणि	:	सूर्य	तरणी :	नाव
85.	तरंग	:	लहर	तुरंग :	घोड़ा
86.	दशा	:	हालात	दिशा :	तरफ
87.	दिन	:	दिवस	दीन :	गरीब / असहाय
88.	दिवा	:	दिन	दीवा :	दीपक

89.	दुति	:	चमक	दूती	:	संदेशवाहिका
90.	दूत	:	संदेशवाहक	द्यूत	:	जुआ
91.	देव	:	देवता	दैव	:	भाग्य
92.	धरा	:	पृथ्वी	धारा	:	नदी / प्रवाह
93.	धनु	:	धनुष	धेनु	:	गाय
94.	नाक	:	स्वर्ग / नासिका	नाग	:	हाथी / सर्प
95.	निर्जर	:	देवता	निर्झर	:	झरना
96.	निधन	:	मृत्यु	निर्धन	:	गरीब
97.	निन्दा	:	बुराई	निद्रा	:	नींद
98.	निदेश	:	आज्ञा	निर्देश	:	निरूपण / दिशा निर्देश
99.	निर्माण	:	रचना	निर्वाण	:	मोक्ष
100.	नियन्त्रण	:	बन्धन	निमन्त्रण	:	न्यौता
101.	निश्छल	:	छल रहित	निश्चल	:	अचल
102.	नीर	:	पानी	नीड़	:	घोंसला
103.	परिणत	:	रूपान्तर	परिणीत	:	विवाहित
104.	परवाह	:	चिन्ता	प्रवाह	:	बहाव
105.	पहर	:	समय	प्रहार	:	चोट
106.	परिधान	:	वस्त्र	प्रधान	:	मुख्य
107.	परिवर्तन	:	रूपान्तर	प्रवर्तन	:	संचालन / प्रारम्भ
108.	परिताप	:	दुःख	प्रताप	:	पराक्रम
109.	परुष	:	कठोर	पुरुष	:	व्यक्ति
110.	परिणाम	:	फल	परिमाण	:	नाप तोल
111.	पर्यंक	:	पलंग	पर्यन्त	:	सीमा तक
112.	प्रमाण	:	सबूत	प्रणाम	:	नमस्कार
113.	प्रसाद	:	कृपा / भोग	प्रासाद	:	राजमहल
114.	प्रवाद	:	जनश्रुति	प्रमाद	:	भूलचूक / आलस्य
115.	प्रकार	:	ढंग / भेद	प्राकार	:	परकोटा
116.	प्रथा	:	रीति	पृथा	:	कुन्ती
117.	प्रेषक	:	भेजने वाला	प्रेक्षक	:	देखने वाला
118.	प्रभाव	:	असर	प्रवाह	:	बहाव
119.	प्रतीप	:	विपरीत	प्रदीप	:	दीपक
120.	प्रश्न	:	सवाल	प्रसन्न	:	खुश
121.	पुष्कर	:	जलाशय / तीर्थराज	पुष्कल	:	अत्यधिक
122.	पानी	:	जल	पाणि	:	हाथ
123.	पायस	:	खीर	पावस	:	वर्षा ऋतु
124.	पेय	:	पीने योग्य	प्रेय	:	प्रिय
125.	पंक	:	कीचड़	पंख	:	पर

126.	बदन	:	शरीर	वदन :	मुँह
127.	बलि	:	भेंट	बली :	बलवान
128.	बान	:	आदत	बाण :	तीर
129.	बहु	:	बहुत	बहू :	वधू
130.	बेल	:	लता	बैल :	वृषभ
131.	बात	:	बातचीत	वात :	वायु
132.	बेर	:	एक प्रकार का फल	बैर :	दुश्मनी
133.	भवन	:	घर	भुवन :	लोक/संसार
134.	मन्थर	:	धीमे	मन्थरा :	दासी विशेष
135.	मल	:	मैल	मल्ल :	पहलवान
136.	मात्र	:	केवल	मातृ :	माता
137.	रंक	:	गरीब	रंग :	वर्ण
138.	लता	:	बेल	लत्ता :	कपड़ा
139.	लक्ष	:	लाख	लक्ष्य :	उद्देश्य
140.	वर्ण	:	रंग	व्रण :	घाव
141.	वरण	:	चुनना	वारण :	हाथी
142.	वसन	:	वस्त्र	व्यसन :	बुरी आदत
143.	वसुदेव	:	कृष्ण के पिता	वासुदेव :	कृष्ण
144.	विधा	:	गद्य/पद्य का प्रकार	विद्या :	ज्ञान
145.	विचक्षण	:	ज्ञाता, निपुण	विलक्षण :	अनोखा
146.	विवरण	:	ब्यौरा	विवर्ण :	रंगहीन
147.	वितरण	:	बाँटना	विवरण :	ब्यौरा
147.	विरूद	:	यश	विरूद्ध :	खिलाफ
148.	विषमय	:	जहरीला	विस्मय :	आश्चर्य
149.	व्यजन	:	पंखा	व्यंजन :	पकवान/वर्ण
150.	व्याज	:	बहाना	ब्याज :	सूद
151.	वृत	:	घेरा	व्रत :	उपवास
152.	शर	:	बाण	सर :	तालाब
153.	शस्त्र	:	हथियार	शास्त्र :	धार्मिक ग्रंथ
154.	शम	:	शांति	सम :	बराबर
155.	शुचि	:	पवित्र	शची :	इन्द्राणी
156.	शूर	:	वीर	सूर :	सूर्य, अंधा
157.	शुल्क	:	फीस	शुक्ल :	श्वेत
158.	शंकर	:	शिव	संकर :	मिश्रण
159.	श्वेत	:	सफेद	स्वेद :	पसीना
160.	श्वजन	:	कुत्ता	स्वजन :	परिजन/अपना
161.	श्रमण	:	भिक्षु	श्रवण :	सुनना/कान

162.	शप्त	: शाप दिया हुआ	सप्त	:	सात
163.	शती	: सौ वर्ष	सती	:	पतिव्रता स्त्री
164.	सदेह	: सशरीर	संदेह	:	शंका
165.	समान	: बराबर	सम्मान	:	इज्जत
166.	सर्वदा	: हमेशा	सर्वथा	:	बिलकुल
167.	सिल	: पत्थर	सील	:	मुहर, नमी
168.	सिता	: मिश्री	सीता	:	जानकी
169.	सुत	: पुत्र	सूत	:	धागा/सारथी
170.	स्वगत	: अपना कथन	स्वागत	:	आदर
171.	सुधा	: अमृत	क्षुधा	:	भूख
172.	हर	: महादेव	हरि	:	विष्णु
173.	हरि	: विष्णु	हरी	:	हरे रंग की
174.	ह्रास	: हानि	हास	:	हँसी
175.	क्षिति	: पृथ्वी	क्षति	:	हानि
176.	हेम	: स्वर्ण	होम	:	यज्ञ
177.	हंस	: मराल (एक पक्षी विशेष)	हँस	:	हँसना

4. वाक्यांश के लिए एक शब्द

हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा–प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटना क्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है।

जिसका कथन न किया जा सके	अकथनीय
जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके	अकाट्य
जिसे खाया न जा सके	अखाद्य
वह स्थान जिस पर कोई जा न सके	अगम्य
सबसे पहले गिना जाने वाला	अग्रगण्य
वह जो पहले जन्मा हो	अग्रज
वह जो इन्द्रियों द्वारा न जाना जा सके	अगोचर
वह जो कभी बूढ़ा न हो	अजर
वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो	अजातशत्रु
वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके	अजेय
वह जो इन्द्रियों के अनुभव के परे हो	अतीन्द्रिय
मात्रा से अधिक वर्षा होना	अतिवृष्टि
वह जिसकी तुलना न की जा सके	अतुलनीय
वह जिसके जैसा दूसरा न हो	अद्वितीय
वह जो दूर की बात न सोच सके	अदूरदर्शी
वह जो दिखाई न दे	अदृश्य

आत्मा से सम्बन्धित	अध्यात्म
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि	अधित्यका
गजट में प्रकाशित सूचना	अधिसूचना
वह कथा जो मूलकथा में आए	अन्तर्कथा
वह जो सबके मन की बात जानता है	अन्तर्यामी
अनेक राष्ट्रों के बीच	अन्तरराष्ट्रीय
वह जिसका कोई अन्त न हो	अनन्त
वह जिसका दूसरे से सम्बन्ध न हो	अनन्य
वह जिसे किसी बात का पता न हो	अनभिज्ञ
वह जिसका कोई स्वामी (नाथ) न हो	अनाथ
पलकों को बिना गिराये	अनिमेष
वह जिसका वर्णन न किया जा सके	अनिर्वचनीय
वह जिसे रोका नहीं जा सके	अनिरुद्ध
वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो	अनिवार्य
वह उक्ति जो परम्परा से चल रही हो	अनुश्रुति
वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके	अनिर्वचनीय
वह जो अनुकरण के योग्य हो	अनुकरणीय
किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता	अनुदान
वह जो बाद में जन्मा हो	अनुज
वह जो व्यर्थ खर्च करता है	अपव्ययी
वह कारण जिसे टाला न जा सके	अपरिहार्य
वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो	अपठित
वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो	अप्रत्याशित
वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो	अभियुक्त
वह जिसे भेदा न जा सके	अभेद्य
छः माह में एक बार होने वाला	अर्द्धवार्षिक
वह जिसे कम ज्ञान हो	अल्पज्ञ
वह जिसका वध न किया जा सके	अवध्य
वह घटना जो अवश्य घटने वाली है	अवश्यंभावी
वह जो कानून विरुद्ध हो	अवैध
वह जो बिना वेतन के काम करे	अवैतनिक
वह जिसे क्षमा न किया जा सके	अक्षम्य
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार	अस्त्र
वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो	अज्ञ
पूरे जीवन भर/जीवन तक	आजीवन
अपनी ही हत्या करने वाला	आत्महंता/आत्मघाती
पैर से लेकर सिर तक	आपादमस्तक

शीघ्र प्रसन्न होने वाला	आशुतोष
वह जो ईश्वर में विश्वास रखे	आस्तिक
जो इन्द्रियों की पहुँच के परे हो	इन्द्रियातीत
वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो	उऋण
पर्वत के नीचे की भूमि	उपत्यका
वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो	ऊसर
इतिहास से सम्बन्धित	ऐतिहासिक
वह जो कविता करती है	कवयित्री
वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान	कुंज
वह जो बाह्य जगत् के ज्ञान से अनभिज्ञ हो	कूपमण्डूक
वह जो किए का उपकार माने	कृतज्ञ
वह जो कीटाणुओं को मारे	कृमिघ्न
क्षण में नष्ट होने वाला	क्षण भंगुर
क्षमा करने योग्य	क्षम्य
चक्र है पाणि में जिसके वह	चक्रपाणि
चार भुजाएँ हैं जिसके वह	चतुर्भुज
वह रचना जो गद्य–पद्य मिश्रित हो	चम्पू
वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो	जनश्रुति
वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो	जिज्ञासु
वह जिसमें बाण रखे जाते हैं	तरकश
वह जो तीन कालों की बात जानता है	त्रिकालज्ञ
वह जो तीनों गुणों से परे हो	त्रिगुणातीत
तीनमाह में एक बार होने वाला	त्रैमासिक
वह जिसके दश मुख हो	दशानन
वह जिसके दश कन्धे हो	दशकंध
वह जिसे लाँघना कठिन हो	दुर्लंघ्य
वह जिसे भेदना कठिन हो	दुर्भेद्य
वह जिसका दमन करना कठिन हो	दुर्दमनीय
वह जिसे पार करना कठिन हो	दुस्तर
वह जिसका जन्म अभी हुआ हो	नवजात
वह जो नाशवान है	नश्वर
वह जो ईश्वर में आस्था न रखे	नास्तिक
वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो	निर्जन
बिना पलकें गिराये देखना	निर्निमेष
वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो	निर्वासित
वह जो ममता से रहित हो	निर्मम
वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो	निरक्षर

वह जो रात्रि में विचरण करता है	निशाचर
वह जो दूसरों के अधीन हो	पराधीन
पन्द्रह दिन में एक बार हो	पाक्षिक
वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो	परित्यक्ता
परिश्रम के बदले दी गई राशि	पारिश्रमिक
दोपहर के पहले का समय	पूर्वाह्न
वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है	प्रत्युत्पन्नमति
वह जो दिखने में प्रिय लगे	प्रियदर्शी
वह जो बहुत कुछ जानता है	बहुज्ञ
वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो	भाषाविद्
वह जो किसी के मर्म को जानले	मर्मज्ञ
वह जो मास में एक बार हो	मासिक
वह जो कम बोलता है	मितभाषी
वह जो कम खर्च करता है	मितव्ययी
वह जो खुले हाथ से दान करे	मुक्तहस्त
वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो	मृत्युंजय
क्रम के अनुसार	यथाक्रम
जहाँ तक सम्भव हो	यथासंभव
शक्ति के अनुसार	यथाशक्ति
प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति	लब्धप्रतिष्ठ
बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत	लोरी
वह जो वर्णन से परे हो	वर्णनातीत
वह जो बहुत ज्यादा बोलता है	वाचाल
माता–पिता का सन्तान के प्रति प्रेम	वात्सल्य
इच्छानुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण	वातानुकूलित
वर्ष में एक बार हो	वार्षिक
वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गयी हो	विधुर
वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो	विशेषज्ञ
वह जो वेदों का ज्ञाता हो	वेदज्ञ
वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो	वैयाकरण
वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाये जाते हैं	शस्त्र
शत्रु को मारने वाला	शत्रुघ्न
छूत से फैलने वाला रोग	संक्रामक
वह जो सबको समान रूप से देखे	समदर्शी
उसी समय घटित होने वाला	समकालीन
एक ही समय से सम्बन्धित	समसामयिक
वह जो समान आयु का हो	समवयस्क

वह जो सब कुछ जानता हो	सर्वज्ञ
देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक	संविधान
वह जो अपने आप पर निर्भर हो	स्वावलम्बी

5. एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द

अति	–	बहुत अधिक	अधिक	–	ज्यादा/तुलना में
अभिमान	–	स्वाभाविक गर्व	अहंकार	–	झूठा घमण्ड
अमूल्य	–	जिसका मूल्य न आँका जाय	बहुमूल्य	–	बहुत कीमती
अनिवार्य	–	जिसके बिना काम न चले	आवश्यक	–	जरूरी
अभिवादन	–	प्रणाम	अभिनन्दन	–	स्वागत
अनुसंधान	–	रहस्य का पता लगाना	अन्वेषण	–	अज्ञात स्थान की खोज
आविष्कार	–	नई वस्तु की खोज			
अर्चना	–	बाह्य सत्कार/नैवेद्य	पूजा	–	मानसिक एवं बाह्य दोनों
अवस्था	–	जीवन का एक भाग	आयु	–	सम्पूर्ण जीवन
अनुरोध	–	विनयपूर्वक हठ	आग्रह	–	हठ
अशुद्धि	–	लिखने व बोलने में गलती	भूल	–	सब प्रकार की गलती
त्रुटि	–	भूल की अपेक्षा गहरा भाव	दोष	–	त्रुटि से भी गहरा
अवसान	–	कुछ समय के लिए समाप्त	अन्त	–	सदा के लिए समाप्त
अभिभाषण	–	लिखित भाषण	व्याख्यान	–	मौखिक भाषण
अध्ययन	–	सामान्य पढ़ना	अनुशीलन	–	सूक्ष्म एवं गहन चिन्तन
अनुरोध	–	नम्रतापूर्वक याचना	आग्रह	–	अधिकार की भावनायुक्त माँगना
अनुभव	–	कर्मेन्द्रियों से प्राप्त बाह्यज्ञान			
अनुभूति	–	ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त आन्तरिक ज्ञान			
अपवाद	–	बिना प्रमाण के दोषारोपण	निन्दा	–	तथ्यों पर दोषारोपण
आवेदन	–	नौकरी हेतु पत्र	निवेदन	–	विनयपूर्वक कथन
आकार	–	बनावट/डीलडौल	रूप	–	आकृति/शक्ल
आचार	–	वैयक्तिक आचरण	व्यवहार	–	सामाजिक आचरण
उदाहरण	–	नमूना प्रस्तुतकरना	दृष्टान्त	–	प्रमाण देना
उन्नति	–	ऊपर उठते हुए विकास	प्रगति	–	साधारण विकास
उपहार	–	अन्य को दी जाने वाली भेंट	भेंट	–	बड़ों को दी जाने वाली
कर्त्तव्य	–	नैतिक बन्धनयुक्त कार्य	कार्य	–	सामान्य काम
काल	–	समय की सत्ता	युग	–	समय की सीमा
कारण	–	कार्य सम्पन्न करने का साधन	हेतु	–	उद्देश्य
ग्लानि	–	स्वयं के प्रति अरुचि	घृणा	–	दूसरों के प्रति अरुचि
चमत्कार	–	आश्चर्य जनक वस्तु			
आश्चर्य	–	अप्रत्याशित घटना/दृश्य पर उत्पन्न भाव			

चिह्न – निशान लक्षण – विशेषताएँ
टीका – मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना
भाष्य – ग्रन्थ की विवेचनात्मक व्याख्या

तन्द्रा – ऊँघना/झपकी लेना निद्रा – गहरी नींद
धारणा – विश्वास विचार – मन्तव्य
निर्णय – फैसला न्याय – सत्य असत्य प्रकट करना
निरीक्षक – किसी व्यवस्था की देख रेख करने वाला
परीक्षक – किसी की योग्यता की जाँच करने वाला
परामर्श – सामान्य सलाह/विचार विनिमय
मन्त्रणा – गुप्तरूप से विचार विनिमय

पारितोषिक – प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है
पुरस्कार – अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट

प्रयत्न – कार्य करने का हल्का भाव प्रयास – अत्यधिक प्रयत्न
प्रेम – सामान्य अनुराग स्नेह – छोटों के प्रति लगाव का भाव
योग्यता – गुणयुक्त विशेषता क्षमता – शारीरिक शक्ति
लालसा – अप्राप्य के प्राप्ति की इच्छा
लोभ – आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा

वीरता – प्राकृतिक शक्ति साहस – भय रहित शक्ति
वात्सल्य – माता पिता का सन्तान के प्रति प्रेम
स्नेह – छोटों के प्रति प्रेम/प्यार

सभ्यता – भौतिक उन्नति संस्कृति – आध्यात्मिक उन्नति
सन्देश – व्यक्तिगत सूचना सूचना – विशेष घटना का समाचार
सम्पत्ति – धन वैभव – ऐश्वर्य
स्त्री – सामान्य नारी
पत्नी – एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर वह उसकी पत्नी कहलाएगी।
महिला – कुलीन परिवार की स्त्री

स्तुति – यश का बरवान प्रशंसा – बड़ाई
हत्या – प्राण लेना बलिदान – देश व धर्म के लिए प्राण देना

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में 'कमल' का पर्यायवाची शब्द कौनसा है ?
   (क) जलद (ख) उदधि
   (ग) पंकज (घ) रत्नाकर ( )
2. निम्न में से कौनसा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है ?
   (क) अनंग (ख) मदन
   (ग) पुष्पधन्वा (घ) शचीपति ( )
3. किस शब्द समूह के सभी शब्द 'आग' के पर्यायवाची हैं
   (क) अनल, ज्वाला, दहन
   (ख) अनिल, हुताशन, जलन
   (ग) पावक, वह्नि, पुण्डरीक
   (घ) कृशानु, अनल, सलिल ( )
4. 'दीर्घ' का विलोम शब्द होगा–
   (क) लघु (ख) ह्रस्व
   (ग) गुरु (घ) अल्प ( )
5. निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है?
   (क) अथ–इति (ख) जंगम–स्थावर
   (ग) उन्मीलिन–निमीलन (घ) कोमल–कठोर ( )
6. 'तरणि–तरणी' शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा–
   (क) नाव–सूर्य (ख) युवती–नाव
   (ग) सूर्य–युवती (घ) सूर्य–नाव ( )
7. 'वह उक्ति जो परम्परा से चल रही हो' वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा–
   (क) जनश्रुति (ख) अत्युक्ति
   (ग) अनुश्रुति (घ) अधिसूचना ( )
8. 'मित्तभाषी' शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होगा ?
   (क) वह जो कम खर्च करता है।
   (ख) वह जो कम खाता है।
   (ग) वह जो कम बोलता है।
   (घ) वह जो मीठे वचन बोलता है। ( )
9. माता–पिता का अपनी सन्तान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा–
   (क) स्नेह (ख) श्रद्धा
   (ग) वात्सल्य (घ) प्रणय ( )

10. निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची शब्द लिखिए—

वन, व्योम, कल्पतरु, ज्योत्स्ना, सरिता, दामिनी, मधुकर, आदित्य, मराल, शारदा।

11. निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द लिखिए—

अवनि, अमृत, कृपण, तीव्र, अनुलोम, उन्नति, आमिष, उपकार, उत्कर्ष, कुटिल

12. निम्नलिखित शब्द—युग्मों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

अविराम—अभिराम, उत्पल—उपल, कुल—कूल, ग्रह—गृह, द्विप—द्वीप, नीर—नीड़, परुष—पुरुष, बलि—बली, शंकर—संकर

13. निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइये—

(i) वह जो अपने आप पर निर्भर हो

(ii) छूत से फैलने वाला रोग

(iii) वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो

(iv) वह जिसने मृत्यु को जीत लिया

(v) वह जो रात्रि में विचरण करता है

(vi) वह जिसके दश मुख हो

(vii) वह जो किए का उपकार माने

(viii) वह जो ईश्वर में विश्वास करे।

14. निम्न शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए :

अमूल्य—बहुमूल्य, ग्लानि—लज्जा, परामर्श—मन्त्रणा, स्त्री—पत्नी, अनुग्रह—आग्रह।

11
शुद्ध–वर्तनी

भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी महत्त्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौन्दर्य तो नष्ट होता ही है, कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं यथा

1. **स्वरागम के कारण :** निम्न शब्दों में किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है अतः उसे हटा कर वर्तनी शुद्ध की जा सकती है।

अशुद्ध वर्तनी	=	शुद्ध वर्तनी	अत्याधिक	=	अत्यधिक
आधीन	=	अधीन	अभ्यार्थी	=	अभ्यर्थी
अनाधिकार	=	अनधिकार	अहिल्या	=	अहल्या
दुरावस्था	=	दुरवस्था	शमशान	=	श्मशान
गत्यावरोध	=	गत्यवरोध	प्रदर्शिनी	=	प्रदर्शनी
द्वारिका	=	द्वारका	वापिस	=	वापस
घुटुना	=	घुटना	व्यौपारी	=	व्यापारी
भागीरथ	=	भगीरथ			

2. **स्वरलोप के कारण :** उचित स्वर के अभाव के कारण

आखरी	=	आखिरी	आप्लवित	=	आप्लावित
कुटम्ब	=	कुटुम्ब	दुगनी	=	दुगुनी
जलूस	=	जुलूस	बदाम	=	बादाम
मैथली	=	मैथिली	विपन्नवस्था	=	विपन्नावस्था
अगामी	=	आगामी	सतरंगनी	=	सतरंगिनी
गोरव	=	गौरव	युधिष्ठर	=	युधिष्ठिर
महात्म्य	=	माहात्म्य	अन्त्यक्षरी	=	अन्त्याक्षरी
आजीवका	=	आजीविका	फिटकरी	=	फिटकिरी
कुमुदनी	=	कुमुदिनी	विरहणी	=	विरहिणी
स्वस्थ्य	=	स्वास्थ्य	वाहनी	=	वाहिनी
वयवृद्ध	=	वयोवृद्ध	पारितोषक	=	पारितोषिक
मुकट	=	मुकुट	भगीरथी	=	भागीरथी
अजानु	=	आजानु	अष्टवक्र	=	अष्टावक्र
उन्नतशील	=	उन्नतिशील	जमाता	=	जामाता
अतिश्योक्ति	=	अतिशयोक्ति	नृत्यंगना	=	नृत्यांगना
मुकन्द	=	मुकुन्द	लोकिक	=	लौकिक

3. **व्यंजनागम के कारण :** शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी

अशुद्ध हो जाती है।

अवन्नति	=	अवनति	प्रज्ज्वलित	=	प्रज्वलित
बुद्धवार	=	बुधवार	अन्तर्ध्यान	=	अन्तर्धान
सदृश्य	=	सदृश	पूज्यनीय	=	पूजनीय
निश्च्छल	=	निश्छल	श्राप	=	शाप
समुन्द्र	=	समुद्र	निन्द्रित	=	निद्रित
केन्द्रीयकरण	=	केन्द्रीकरण	कुत्तिया	=	कुतिया
शुभेच्छुक	=	शुभेच्छु	गोवर्द्धन	=	गोवर्धन
कृत्य–कृत्य	=	कृत–कृत्य	षष्ठम्	=	षष्ठ

4. व्यंजन लोप के कारण : किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

अध्यन	=	अध्ययन	ईर्षा	=	ईर्ष्या
उमीदवार	=	उम्मीदवार	तदन्तर	=	तदनन्तर
व्यंग	=	व्यंग्य	सामर्थ	=	सामर्थ्य
उछृंखल	=	उच्छृंखल	द्वन्द	=	द्वन्द्व
उद्देश	=	उद्देश्य	उत्पन	=	उत्पन्न
महत्व	=	महत्त्व	समुनयन	=	समुन्नयन
समुचय	=	समुच्चय	मिष्टान	=	मिष्टान्न
इन्द्रा	=	इन्दिरा	उलंघन	=	उल्लंघन
उपलक्ष	=	उपलक्ष्य	चार दीवारी	=	चहार दीवारी
तरुछाया	=	तरुच्छाया	स्तनपान	=	स्तन्य पान
आर्द	=	आर्द्र	तत्वाधान	=	तत्त्वावधान
निरलम्ब	=	निरवलम्ब	श्रेयकर	=	श्रेयस्कर
राजाभिषेक	=	राज्याभिषेक	स्वालम्बन	=	स्वावलम्बन
स्वातन्त्र	=	स्वातन्त्रय	योधा	=	योद्धा
द्विधा	=	द्विविधा			

5. **वर्णक्रम भंग के कारण** वर्तनी में किसी वर्ण का क्रम बदलने पर अर्थात् वर्ण का क्रम आगे पीछे होने पर वर्तनी अशुद्ध हो जायेगी। यथा–

अथिति	=	अतिथि	चिन्ह	=	चिह्न
मध्यान्ह	=	मध्याह्न	ब्रम्हा	=	ब्रह्मा
आव्हान	=	आह्वान	जिव्हा	=	जिह्वा
गव्हर	=	गह्वर	आन्नद	=	आनन्द
आल्हाद	=	आह्लाद	प्रसंशा	=	प्रशंसा
अलम	=	अमल	मतबल	=	मतलब

6. वर्णपरिवर्तन के कारण : किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

बतक	=	बतख	दस्तकत	=	दस्तखत

जुखाम	=	जुकाम	ऊँगना	=	ऊँघना
संगटन	=	संघटन	मेगनाद	=	मेघनाद
संघठन	=	संगठन	रिमजिम	=	रिमझिम
यथेष्ठ	=	यथेष्ट	सन्तुष्ठ	=	सन्तुष्ट
मिष्ठान्न	=	मिष्टान्न	परिशिष्ठ	=	परिशिष्ट
संश्लिष्ठ	=	संश्लिष्ट	बलिष्ट	=	बलिष्ठ
कनिष्ट	=	कनिष्ठ	कटहरा	=	कठहरा
बसिष्ट	=	वसिष्ठ	युधिष्टिर	=	युधिष्ठिर
कुष्ट	=	कुष्ठ	सीड़ी	=	सीढ़ी
धनाड्य	=	धनाढ्य	रामायन	=	रामायण
ऋन	=	ऋण	पुन्य	=	पुण्य
सुश्रूषा	=	शुश्रूषा	अवकास	=	अवकाश
आशीश	=	आशीष	शोडशी	=	षोडशी
आमिश	=	आमिष	कैलाश	=	कैलास
विध्वंश	=	विध्वंस	पुरष्कार	=	पुरस्कार
निसिद्ध	=	निषिद्ध	विध्यालय	=	विद्यालय

7. **पंचम् वर्ण/अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु के कारण** किसी वर्ग के अन्तिम नासिक्य वर्ण के स्थान पर अन्य नासिक्य वर्ण लगाने या सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगाने तथा उचित स्थान पर चन्द्रबिन्दु का उपयोग न करने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

वांगमय	=	वाङ्मय	चन्चल	=	चंचल
मन्डल	=	मण्डल	षन्मुख	=	षण्मुख
सन्यासी	=	संन्यासी	एंकाकी	=	एकांकी
इन्होनें	=	इन्होंने	उन्नींसवी	=	उन्नीसवीं
करेगें	=	करेंगे	स्वयम्वर	=	स्वयंवर
सम्वर्धन	=	संवर्धन	क्रांन्ति	=	क्रान्ति
आंख	=	आँख	हंसी	=	हँसी
ऊंट	=	ऊँट	आंधी	=	आँधी
पहुंच	=	पहुँच	सांझ	=	साँझ
ऊंचाई	=	ऊँचाई	जाऊंगा	=	जाऊँगा
ढूंढ़ना	=	ढूँढ़ना	दांत	=	दाँत
कुँआ	=	कुआँ	दिनाँक	=	दिनांक
दुनियाँ	=	दुनिया	पांच	=	पाँच

8. **रेफ सम्बन्धी :** र् रेफ के रूप में उचित वर्ण पर न लगाने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। 'र्' रेफ के रूप में उस वर्ण पर लगाना चाहिए, जिस वर्ण से पूर्व 'र्' का उच्चारण होता है।

आर्शीवाद	=	आशीर्वाद	उर्त्तीण	=	उत्तीर्ण
आकषर्ण	=	आकर्षण	प्रार्दुभाव	=	प्रादुर्भाव

दशर्नीय	=	दर्शनीय	गर्वनर	=	गवर्नर
अर्न्तभाव	=	अन्तर्भाव	अर्न्तगत	=	अन्तर्गत
मुर्हरम	=	मुहर्रम	आर्युवेद	=	आयुर्वेद
दुर्व्यसन	=	दुर्व्यसन	शार्गीद	=	शागीर्द
पुर्नजन्म	=	पुनर्जन्म	प्रर्वतक	=	प्रवर्तक

9. ऋ के स्थान पर र (्र) के प्रयोग के कारण

श्रृंगार	=	शृंगार	स्त्रष्टि	=	सृष्टि
द्रश्य	=	दृश्य	अनुग्रहीत	=	अनुगृहीत
पैत्रिक	=	पैतृक	द्रष्टि	=	दृष्टि
ग्रहिणी	=	गृहिणी	प्रक्रति	=	प्रकृति
भ्रंग	=	भृंग	भ्रगु	=	भृगु
जाग्रति	=	जागृति	संग्रहीत	=	संगृहीत
श्रंग	=	शृंग	ग्रहीत	=	गृहीत
तिरस्क्रत	=	तिरस्कृत	भ्रत्य	=	भृत्य
सम्रद्ध	=	समृद्ध	व्रत्तान्त	=	वृतांत
ह्रदय	=	हृदय	म्रदंग	=	मृदंग
श्रृंखला	=	शृंखला			

10. 'र' के स्थान पर 'ऋ' के प्रयोग के कारण।

बृज	=	ब्रज	जागृत	=	जाग्रत
दृष्टा	=	द्रष्टा	बृटिश	=	ब्रिटिश
अनुगृह	=	अनुग्रह	दृष्टव्य	=	द्रष्टव्य

11. र (्र) के स्थान पर 'त्र' के प्रयोग के कारण।

सहस्त्र	=	सहस्र	स्त्रोत	=	स्रोत
अजस्त्र	=	अजस्र	स्त्राव	=	स्राव

12. **संयुक्ताक्षर सम्बन्धी** सही संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

कब्बड़ी	=	कबड्डी	गद्धा	=	गद्दा
प्रसिद्व	=	प्रसिद्ध	महत्व	=	महत्त्व
विध्यालय	=	विद्यालय	ज्योत्सना	=	ज्योत्स्ना
द्वन्द्ध	=	द्वन्द्व	पध्य	=	पद्य
लग्न	=	लग्न	दफ्तर	=	दफ्तर
द्वितीय	=	द्वितीय			

13. **सन्धि सम्बन्धी :** सही सन्धि न होने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

उपरोक्त	=	उपर्युक्त	उज्जवल	=	उज्ज्वल
अत्योक्ति	=	अत्युक्ति	निरोग	=	नीरोग
पुनरोक्ति	=	पुनरुक्ति	तदोपरान्त	=	तदुपरान्त

सदोपदेश	=	सदुपदेश	शरदोत्सव	=	शरदुत्सव
लघुत्तर	=	लघूत्तर	महेश्वर्य	=	महैश्वर्य
मनहर	=	मनोहर	अनुसंग	=	अनुषंग
मरुद्यान	=	मरूद्यान	अन्तर्चेतना	=	अन्तश्चेतना
यावत्जीवन	=	यावज्जीवन	पयोपान	=	पयःपान
उत्शिष्ट	=	उच्छिष्ट	षट्मुख	=	षण्मुख
विसाद	=	विषाद	षड़यन्त्र	=	षड्यन्त्र
रविन्द्र	=	रवीन्द्र	अन्तसाक्ष्य	=	अन्तः साक्ष्य
निरावलम्ब	=	निरवलम्ब			

14. समास सम्बन्धी : सामासिक प्रक्रिया में पदों के मेल पर उनके रूप में परिवर्तन भी होता है अतः सही समास न होने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

मन्त्री परिषद्	=	मन्त्रि–परिषद्	नवरात्रि	=	नवरात्र
योगीराज	=	योगिराज	दुपहर	=	दोपहर
पिता–भक्ति	=	पितृ–भक्ति	अहो–रात्रि	=	अहोरात्र
माताहीन	=	मातृहीन	निशिशेष	=	निशाशेष
पक्षीराज	=	पक्षिराज	प्राणी–विज्ञान	=	प्राणि–विज्ञान
दुरात्मागण	=	दुरात्मगण	चक्रपाणी	=	चक्रपाणि
मुनीजन	=	मुनिजन	राजागण	=	राजगण

15. प्रत्यय सम्बन्धी : प्रत्यय का सही प्रयोग न होने पर।

व्यवहारिक	=	व्यावहारिक	अनुपातिक	=	आनुपातिक
प्रमाणिक	=	प्रामाणिक	इतिहासिक	=	ऐतिहासिक
सेनिक	=	सैनिक	वेदिक	=	वैदिक
पुराणिक	=	पौराणिक	भूगोलिक	=	भौगोलिक
योगिक	=	यौगिक	सौन्दर्यता	=	सौन्दर्य
माधुर्यता	=	माधुर्य	औदार्यता	=	औदार्य
कौशलता	=	कौशल	प्रधान्यता	=	प्राधान्य
बाहुल्यता	=	बाहुल्य	लावण्यता	=	लावण्य
निरपराधी	=	निरपराध	नीरोगी	=	नीरोग
निर्दयी	=	निर्दय	दरिद्री	=	दरिद्र
निर्दोषी	=	निर्दोष	निर्धनी	=	निर्धन
यौवनावस्था	=	यौवन	मान्यनीय	=	माननीय
आवश्यकीय	=	आवश्यक	एकत्रित	=	एकत्र
कृतघ्नी	=	कृतघ्न	अभिशापित	=	अभिशप्त
क्रोधित	=	क्रुद्ध	अनुवादित	=	अनूदित
लब्ध प्रतिष्ठित	=	लब्ध–प्रतिष्ठ			

16. लिंग सम्बन्धी : अशुद्ध लिंग रूप भी वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि बन जाता है।

कवियित्री	=	कवयित्री	हथनी	=	हथिनी

सुलोचनी	=	सुलोचना	श्रीमति	=	श्रीमती
विदुषि	=	विदुषी	साम्राज्ञी	=	सम्राज्ञी
हंसनी	=	हंसिनी	चमारन	=	चमारिन
ठाकुराइन	=	ठकुराइन	प्रियदर्शनी	=	प्रियदर्शिनी
गृहणी	=	गृहिणी	कमलनी	=	कमलिनी
सरोजनी	=	सरोजिनी	बुद्धिमति	=	बुद्धिमती
कामनी	=	कामिनी	कर्ती	=	कर्त्री
कृशांगिनी	=	कृशांगी	तपस्वनी	=	तपस्विनी

17. वचन सम्बन्धी : बहुवचन बनाने के नियमों की उपेक्षा करने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

दवाईयाँ	=	दवाइयाँ।	इकाईयाँ	=	इकाइयाँ
परीक्षार्थीयों	=	परीक्षार्थियों	हिन्दूओं	=	हिन्दुओं
संन्यासी वर्ग	=	संन्यासिवर्ग	खेतीहर	=	खेतिहर
प्राणीवृन्द	=	प्राणिवृन्द	विद्यार्थीगण	=	विद्यार्थिगण

18. विसर्ग सम्बन्धी : वर्तनी में सही विसर्ग का प्रयोग न करने या विसर्ग सन्धि की अशुद्धि पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

प्रातकाल	=	प्रातः काल	अधोपतन	=	अधः पतन
दुख	=	दुःख	निकंटक	=	निष्कंटक/निःकंटक
प्राय	=	प्रायः	निश्वास	=	निःश्वास
अन्तकरण	=	अन्तः करण	निसन्देह	=	निःसन्देह/निस्सन्देह
अतः एव	=	अतएव			

19. हलन्त का प्रयोग न करने पर।

परिषद	=	परिषद्	उच्छवास	=	उच्छ्वास
षडयन्त्र	=	षड्यन्त्र	उदघाटन	=	उद्घाटन
षटरस	=	षट् रस	उदगार	=	उद्गार
गदगद	=	गद्गद्	विद्युत	=	विद्युत्
तड़ित	=	तड़ित्	पृथक	=	पृथक्
भाषाविद	=	भाषाविद्			

20. उपसर्ग सम्बन्धी : सही उपसर्ग का प्रयोग न होने या अनावश्यक उपसर्ग लगा देने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।

उदण्ड	=	उद्दण्ड	बेफजूल	=	फजूल
दरअसल में	=	दरअसल	सविनयपूर्वक	=	सविनय

21. मात्रा सम्बन्धी : स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से सर्वाधिक वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ होती हैं।

रात्री	=	रात्रि	मूर्ती	=	मूर्ति
हानी	=	हानि	तिलांजली	=	तिलांजलि
वाल्मीकी	=	वाल्मीकि	ईकाई	=	इकाई

बिमार	=	बीमार	परिक्षा	=	परीक्षा
पत्नि	=	पत्नी	पती	=	पति
निरोग	=	नीरोग	निरिक्षण	=	निरीक्षण
रचियता	=	रचयिता	महिना	=	महीना
दिवार	=	दीवार	पिपिलिका	=	पिपीलिका
इप्सित	=	ईप्सित	गुरू	=	गुरु
शत्रू	=	शत्रु	अश्रू	=	अश्रु
मूमूर्ष	=	मुमूर्ष	सामुहिक	=	सामूहिक
सुक्ष्म	=	सूक्ष्म	जाउँगा	=	जाऊँगा
मुहुर्त	=	मुहूर्त	कुतुहल	=	कुतूहल
एरावत	=	ऐरावत	एच्छिक	=	ऐच्छिक
वित्तेषणा	=	वित्तैषणा	त्यौहार	=	त्योहार
न्यौछावर	=	न्योछावर	भोतिक	=	भौतिक
ओजार	=	औजार	दधीची	=	दधीचि
कालीदास	=	कालिदास	रूपया	=	रुपया
अमुल्य	=	अमूल्य	नुपुर	=	नूपुर
प्रतिनिधी	=	प्रतिनिधि	वधु	=	वधू

अन्य कारण—उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त वर्तनी अशुद्धि के और भी कई कारण हो सकते हैं।

इस्कूल	=	स्कूल	इस्नान	=	स्नान
कृष्णा	=	कृष्ण	गुप्ता	=	गुप्त
कालेज	=	कॉलेज	वालीबाल	=	वॉली बॉल
बारहवी	=	बारहवीं	तियालीस	=	तैंतालीस
सहाब	=	साहब			

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है –
   (क) संन्यासी (ख) उज्ज्वल
   (ग) अनुग्रहीत (घ) आशीर्वाद ( )
2. निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी रूप है।
   (क) रचियता (ख) रचियिता
   (ग) रचयिता (घ) रचीयता ( )
3. वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है।
   (क) लघूत्तर (ख) कवियत्री
   (ग) अत्याधिक (घ) उपरोक्त ( )
4. लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है।
   (क) श्रीमती (ख) अनाथिनी
   (ग) सुलोचना (घ) हथिनी ( )

5. निम्नलिखित में किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है ?

(क) संन्यासीवर्ग (क्ष) दवाइयाँ

(ग) परीक्षार्थियों (घ) प्राणिवृन्द ( )

6. रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है।

(क) गवर्नर (ख) मुहर्रम

(ग) अर्न्तगत (घ) आकर्षण ( )

7. निम्न शब्दों के शुद्ध वर्तनी रूप लिखिए।

गत्यावरोध, महात्म्य, अतिश्योक्ति, एंकाकी, ऊंचाई, श्रृंगार, सहस्त्र, कब्बड़ी, सौन्दर्यता, बुद्धिमति, सदोपदेश, नवरात्रि, पक्षीगण, उदण्ड, वाल्मीकी, प्रातकाल, उपलक्ष, उदघाटन, मिष्ठान्न, अभिसेक।

8. निम्नलिखित सामासिक पदों का सही वर्तनी रूप लिखिए।

मन्त्री–परिषद्, योगीराज, दिवारात्रि, अष्टवक्र, निरपराधी, पिता–भक्ति, राजापथ, दुपहर।

9. अनावश्यक स्वर हटाकर शुद्ध वर्तनी रूप लिखिए।

अत्याधिक, आधीन, अभ्यार्थी, दुरावस्था, द्वारिका, प्रदर्शिनी, अनाधिकार, शमशान।

10. उचित स्थान पर व्यंजन लगाकर शुद्ध वर्तनी रूप लिखिए।

व्यंग, अध्यन, उछृंखल, तदन्तर द्वन्द, स्वास्थ, आछादन, तत्वाधान।

11. अनुचित व्यंजन के स्थान पर उचित व्यंजन लगाकर शुद्ध वर्तनी रूप लिखिए।

रामायन, विसाल, कैलाश, सुश्रूषा, यथेष्ठ, आशीश, युधिष्टिर, संघठन।

12. निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को शुद्ध करके लिखिए।

1. लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए।
2. परसाई व्यंग प्रधान पुस्तकों के रचियता है।
3. महात्माओं के सदोपदेश सुनने चाहिए।
4. मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
5. पूज्यनीय पिताजी आज आयेंगे।

12
शब्द—शक्ति

परिभाषा :

वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं किन्तु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः शब्द में अन्तर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द—शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है, वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। (i) वाचक (ii) लक्षक और (iii) व्यंजक। वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है, लक्षक के द्वारा आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है तथा व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव व्यंग्यार्थ कहलाता है।

शब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध के अनुसार शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है—

1. अभिधा 2. लक्षणा 3. व्यंजना

1. अभिधा शब्द शक्ति : अभिधा शब्द—शक्ति की परिभाषा देते हुए पं. रामदहिन मिश्र ने कहा कि ''साक्षात् संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते है।'' आचार्य मम्मट के अनुसार साक्षात् संकेतित अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। एक रीतिकालीन आचार्य के अनुसार

अनेकार्थक हू सबद में, एक अर्थ की भक्ति।
तिहि वाच्यारथ को कहै, सज्जन अभिधा शक्ति।।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्द कोश में भी अनेक अर्थ होते हैं जैसे कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी। कनक का कौनसा अर्थ लिया जाय, इसका ज्ञान प्रसंग से अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध से होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं—

मोती एक नटखट लड़का है।
उसके हार के मोती कीमती हैं।
हरि पुस्तक पढ़ रहा है।
विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। (बन्दर)
गाय दूध देती है।
गधा घास चर रहा है।

शेर जंगल में रहता है।

2. लक्षणा शब्द शक्ति :

मुख्यार्थ बाधेतद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्।
अन्यऽर्थो लक्ष्यते (तत्र) लक्षणा रोपिता क्रिया।।

जब किसी वक्ता द्वारा कहे गये शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो अर्थात् शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न तीन बातें आवश्यक हैं।

(i) शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े।
(ii) शब्द के मुख्यार्थ से सम्बन्धित कोई अन्य अर्थ लिया जाए।
(iii) उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो।

जैसे राम सदा चौकन्ना रहता है।
राजस्थान जाग उठा।
मोहन ने कहा, मेरा नौकर तो गधा है।
लाला लाजपतराय पंजाब के शेर थे।
यह तो निरी गाय है।

लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद होते हैं (i) रूढ़ा लक्षणा (ii) प्रयोजनवती लक्षणा।

(i) रूढ़ा लक्षणा : जब किसी काव्य रूढ़ि या परम्परा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द–शक्ति होती है। अर्थात् रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ि या परम्परा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। हिन्दी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अन्तर्गत आते हैं। जैसे –

वह हवा से बातें कर रहा है।
बाजार में लाठियाँ चल गईं।
उसने तो मेरी नाक कटा दी।
पुलिस को देख चोर नौ दो ग्यारह हो गया।

(ii)प्रयोजनवती लक्षणा : जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात् जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे

उसका आश्रम गंगा में है।
अब सिंह अखाड़े में उतरा।
लाल पगड़ी आ रही है।
वह तो निरी गाय है।
अध्यापक जी ने कहा, मोहन तो गधा है।

3. व्यंजना शब्द शक्ति : जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के सन्दर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ

से हो, वहाँ व्यंजना शब्द–शक्ति होती है। जैसे–

प्रधानाचार्य जी ने कहा, ''साढ़े चार बज गये।''

पुजारी ने कहा, ''अरे ! सन्ध्या हो गई।''

व्यंजना शब्द शक्ति भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। (i) शाब्दी व्यंजना (ii) आर्थी व्यंजना

(i) शाब्दी व्यंजना : वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है अर्थात् उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अतः शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में ही होती है जैसे –

चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न सनेह गंभीर।

को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर।।

यहाँ 'वृषभानुजा' के दो अर्थ हैं गाय तथा राधा; वही 'हलधर' के भी दो अर्थ हैं बैल और बलराम (कृष्ण के भाई)। अतः शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ व्यंजित होता है। अन्य उदाहरण 'पानी गये न ऊबरे, मोती मानुस, चून।'

(ii)आर्थी व्यंजना : जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात् उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी बनी रहे, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले, शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देशकाल, कण्ठस्वर आदि का बोध कराती है। यथा

सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर।

मन ह्वै जात अजौ वहै, वा यमुना के तीर।।

यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के ह्रदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताये गए दिनों, क्रीड़ा–विलास आदि के विषय में बताया गया है।

अभिधा एवम् लक्षणा में अन्तर :

अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्ष्यार्थ द्वारा अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे– 'गाय दूध देती है' में 'गाय' शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है जबकि ''उस बुढ़िया को मत सताओ, वह तो निरी गाय है।'' यहाँ 'निरीगाय' में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है।

लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अन्तर :

लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से बल्कि कथन के सन्दर्भ के अनुसार अलग–अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। उदाहरण –

लक्षणा शब्द शक्ति – मैंने उसे नाकों चने चबवा दिये।

व्यंजना शब्द शक्ति – बातें करती हुई गृहिणी ने कहा,
''अरे ! सन्ध्या हो गई।''

अभ्यास प्रश्न

1. 'लक्षणा' शब्द शक्ति में कौनसा अर्थ लगता है ?
   (क) मुख्यार्थ (ख) व्यंग्यार्थ
   (ग) लक्ष्यार्थ (घ) वाच्यार्थ ( )
2. निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है ?
   (क) राजस्थान जाग उठा।
   (ख) गिरधारी शेर है।
   (ग) प्रशान्त बुद्धिमान है।
   (घ) 'अंधेरा हो गया' सेठ ने नौकर से कहा। ( )
3. अभिधा शब्द शक्ति में कौनसा अर्थ नहीं लिया जाता–
   (क) वाच्यार्थ (ख) प्रयोजनार्थ
   (ग) मुख्यार्थ (घ) सरलार्थ ( )
4. 'जहाँ एक कथन के सन्दर्भ के अनुसार अलग–अलग अर्थ होते हैं, वहाँ कौनसी शब्द शक्ति होती है?
   (क) व्यंजना (ख) अभिधा
   (ग) लक्षणा (घ) रुढ़ा लक्षणा ( )

5. लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षण बतलाइये।
6. लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद बतलाकर उनके एक–एक उदाहरण दीजिए।
7. व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए।
8. व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों का नामोल्लेख कीजिए।
9. अभिधा व लक्षणा में सोदाहरण अन्तर स्पष्ट कीजिए।
10. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द शक्ति का नाम बताइये।
    1. दूध जीवन है।
    2. लाल पगड़ी आ रही है।
    3. अभिषेक पुस्तक पढ़ता है।
    4. ''अरे संध्या हो गई।'' बातें करती हुई गृहिणी ने कहा।
    5. बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय।
       सौंह करे भौंहनि हँसे, देन कहे नटि जाय।।

13
वाक्य–विचार

परिभाषा :

भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं तथा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य। अर्थात् वाक्य शब्द–समूह का वह सार्थक विन्यास होता है, जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है।

वाक्य के अंग :–

सामान्यः वाक्य के दो अंग माने गये हैं –

(i) उद्देश्य और (ii) विधेय

(i) उद्देश्य :

जिसके सम्बन्ध में वाक्य में कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्त्ता ही वाक्य में 'उद्देश्य' होता है, किन्तु यदि कर्त्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो, जिसे कर्त्ता का विस्तारक कहते हैं, उद्देश्य के ही अन्तर्गत आता है।

यथाः मेरा भाई प्रशान्त धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है।'

इस वाक्य में 'मेरा भाई प्रशान्त' उद्देश्य है, जिसमें 'प्रशान्त' कर्त्ता है तो 'मेरा भाई' प्रशान्त कर्त्ता का विशेषण अर्थात् इसे कर्त्ता का विस्तारक कहेंगे।

(ii) विधेय :

उद्देश्य अर्थात् कर्त्ता के सम्बन्ध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, उसे 'विधेय' कहते हैं। अतः विधेय के अन्तर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक तथा पूरक का विस्तारक आदि आते हैं उक्त वाक्य में 'धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है' वाक्यांश विधेय हैं जिसमें 'पढ़ता है' शब्द क्रिया है तो 'अधिक' शब्द क्रिया का विस्तारक (जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया का विस्तारक कहते हैं), 'पुस्तकें' शब्द कर्म है तो 'धार्मिक' शब्द पुस्तकों की विशेषता बतलाने के कारण पुस्तकें 'कर्म का विस्तारक' है। इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे 'पूरक' कहते हैं तथा 'पूरक' की विशेषता बतलाने वाले शब्द को 'पूरक का विस्तारक' कहते हैं।

वाक्य के भेद :

क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के निम्न भेद प्रभेद किये जाते हैं–

(1) क्रिया की दृष्टि से : क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं

(अ) कर्त्तृवाच्य प्रधान : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान सम्बन्ध कर्त्ता से होता है अर्थात् क्रिया के लिंग, वचन कर्त्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कर्त्तृवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे :

धर्मेन्द्र पुस्तक पढ़ता है।

पिंकी पुस्तक पढ़ती है।

(आ) कर्मवाच्य प्रधान : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है अर्थात् क्रिया के लिंग, वचन कर्त्ता कारक के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्मवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। यथा

महेन्द्र ने गाना गाया।

वर्षा ने गाना गाया।

(इ) भाव वाच्य प्रधान : जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्त्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, न ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार, तो उसे भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। यथा :–

हेमराज से पढ़ा नहीं जाता।

जया से पढ़ा नहीं जाता।

2. अर्थ के आधार पर : अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं

(i) विधानार्थक वाक्य : जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है,उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं।

जैसे– भूपेन्द्र खेलता है।

(ii) निषेधात्मक वाक्य : जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं।

जैसे– नीता घर पर नहीं है।

(iii) आज्ञार्थक वाक्य : जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं यथा

वर्षा, तुम गाना गाओ।

(iv) प्रश्नार्थक वाक्य : जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो अर्थात् किसी कार्य या विषय के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं।

जैसे– कौन गाना गा रही हैं ?

(v) इच्छार्थक वाक्य : जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं।

यथा– भगवान करे, तुम्हारा भला हो।

(vi) संदेहार्थक वाक्य : जिस वाक्य में सम्भावना या सन्देह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं जैसे –

उन दोनों में जाने, कौन खेलेगा।

(vii) संकेतार्थक वाक्य : जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं।

जैसे– यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ।

दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा।

(viii) विस्मय बोधक वाक्य : जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं यथा–

वाह ! कैसा नयनाभिराम दृश्य है।

3. रचना के आधार पर : रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं–

(i) साधारण वाक्य : जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं।

जैसे– नीता खाना बना रही है।

(ii) मिश्र या मिश्रित वाक्य : जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं।

जैसे– गाँधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो।

इस वाक्य में प्रधान उप वाक्य तथा आश्रित उपवाक्य का निर्णय करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्यों के विषय में जानकारी कर लेनी चाहिए।

(अ) प्रधान उपवाक्य : जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे 'प्रधान उपवाक्य' कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में 'गाँधी जी ने कहा' प्रधान उपवाक्य है जिसमें 'गाँधी जी मुख्य उद्देश्य है तो 'कहा' मुख्य विधेय।

(आ) आश्रित उपवाक्य : जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में 'कि सदा सत्य बोलो।' आश्रित उपवाक्य है।

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं :

(i) संज्ञा उपवाक्य : जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। 'संज्ञा उपवाक्य' का प्रारम्भ प्रायः 'कि' से होता है। उक्त वाक्य में 'कि सदा सत्य बोलो' 'कि' से प्रारम्भ होने के कारण संज्ञा उपवाक्य कहलायेगा।

(ii) विशेषण उपवाक्य : जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाये तो उस उपवाक्य को 'विशेषण उपवाक्य' कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारम्भ प्रायः जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि में से किसी शब्द से होता है।

जैसे– जो विद्वान होते हैं, उनका सभी आदर करते हैं।

(iii) क्रिया विशेषण उपवाक्य : जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाये या सूचना दे, उस आश्रित उपवाक्य को 'क्रिया विशेषण उपवाक्य' कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रायः यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि में से किसी शब्द से शुरू होता है यथा –

यदि राम परिश्रम करता, तो अवश्य उत्तीर्ण होता।

3. संयुक्त वाक्य : जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य, किसी संयोजक शब्द (तथा, एवं, या, अथवा, और, परन्तु, लेकिन, किन्तु, बल्कि, अतः आदि) से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यथा–

भरत आया किन्तु भूपेन्द्र चला गया।

(समानाधिकरण उपवाक्य – ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं।)

वाक्य विश्लेषण

रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित पृथक् कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध

ा बताने को वाक्य विश्लेषण कहते हैं–

1. साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण : साधारण वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम साधारण वाक्य के दो अंग–उद्‌देश्य तथा विधेय को बतलाना होता है, तत्पश्चात् उद्‌देश्य के अंगों कर्त्ता तथा कर्त्ता का विस्तारक तथा 'विधेय' के अन्तर्गत कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक तथा क्रिया एवं क्रिया के विस्तारक जो भी हो, उसका उल्लेख करना होता है। यथा मेरा भाई प्रशान्त धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है!

उद्‌देश्य		**विधेय**					
कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तारक	कर्म	कर्म का विस्तारक	पूरक	पूरक का विस्तारक	क्रिया	क्रिया का विस्तारक
प्रशान्त	मेरा भाई	पुस्तकें	धार्मिक	–	–	पढ़ता है	बहुत

आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है।

उद्‌देश्य		**विधेय**					
कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तारक	कर्म	कर्म का विस्तारक	पूरक	पूरक का विस्तारक	क्रिया	क्रिया का विस्तारक
ताजमहल	आगरा	–	–	स्थलहै।	दर्शनीय	–	–

2. मिश्र या मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण : मिश्र या मिश्रितवाक्य के वाक्य विश्लेषण में उसके प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है यथा –

(i) सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा।

(ii) जो परिश्रम करते हैं, वे सफल होते हैं।

(iii) श्याम को गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि वह समय पर नहीं गया।

प्रधान उपवाक्य	**आश्रित उपवाक्य**	**उपवाक्य का प्रकार**
1. सुशील ने कहा	कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा।	संज्ञा उपवाक्य
2. वे सफल होते हैं	जो परिश्रम करते हैं।	विशेषण उपवाक्य
3. श्याम को गाड़ी नहीं मिली	क्योंकि वह समय पर नहीं गया।	क्रिया विशेषण उपवाक्य

3. संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण : संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में साधारण वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों या समानाधिकरण उपवाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले संयोजक शब्द का उल्लेख करना होता है।

यथा – कृष्ण बाँसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी।

साधारण वाक्य/प्रधानउपावाक्य/समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक शब्द

(अ) कृष्ण बाँसुरी बजाते थे और

(ब) राधा नाचती थी।

वाक्य में पदों का क्रम :

प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। हिन्दी में इस सम्बन्ध ा में कुछ नियम इस प्रकार हैं–

1. सामान्य वाक्यों में पहले कर्त्ता फिर कर्म तथा अन्त में क्रिया होती है। जैसे अभिषेक गाना गाता है।
2. यदि वाक्य में सम्बोधन या विस्मयादिबोधक है, तो वह कर्त्ता से पहले आता है।
   जैसे प्रशान्त, मेरी बात सुनो। अरे ! हरिण भाग गया।
3. कर्त्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक क्रमश : इनसे पहले ही आते हैं जैसे भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी–जल्दी खा गया।
4. पदवी या व्यवसाय–सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं।
   जैसे डॉ. आलोक आज जापान जायेंगे।
   प्रोफेसर अशोक छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
5. वाक्य में सम्बन्ध कारक का प्रयोग सम्बन्धी से पहले किया जाता है जैसे यह गोविन्द का घर है।
6. क्रिया–विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है।
7. प्रश्नवाचक पद प्रायः व्यक्ति या विषय से पूर्व लगाया जाता है। जैसे तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो ?
8. पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे वह खाना खाकर चला गया।
9. द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है।
   जैसे अशोक ने सुशील को पुस्तक दी।
10. निषेधात्मक वाक्यों में 'न' अथवा 'नहीं' का प्रयोग प्रायः क्रिया से पूर्व किया जाता है। जैसे दुष्यन्त वहाँ नहीं जायेगा।
11. करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक तथा अधिकरण कारक कर्त्ता और कर्म के मध्य रखे जाते हैं तथा वाक्य में इनका प्रयोग विपरीत क्रम यानी अधिकरण, अपादान, सम्प्रदान, करण कारक में होता है।
    जैसे – टीना ने कागज पर रिंकु के लिए पेन्सिल से चित्र बनाया।
12. पूरक, कर्त्तृ पूरक स्थिति में सदैव कर्त्ता के बाद तथा कर्म पूरक स्थिति में कर्म के बाद रहता है।
13. मिश्रवाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य प्रायः आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जैसे –
    गाँधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो।
    राम सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं।
14. मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है–

तुम इसी समय रवाना हो जाओ ताकि गाड़ी मिल जाय।
कृष्ण बाँसुरी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है।

वाक्य में पदों की अन्विति :

किसी वाक्य में पदों का सही क्रम ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसके पदों में अन्विति का होना भी आवश्यक होता है। 'अन्विति' का अर्थ होता है– 'सम्बद्धता'। अर्थात् वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों में उचित मेल होना आवश्यक है।

1. कर्त्ता और क्रिया की अन्विति

(i) कर्त्ता के साथ परसर्ग नहीं होने पर क्रिया 'कर्त्ता' के लिंग, वचन के अनुसार होती है।

जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है।

(ii) वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक कर्त्ता परसर्ग रहित हों तो क्रिया बहुवचन में होती है तथा उसका लिंग अन्तिम कर्त्ता के अनुसार होता है। जैसे लड़के और लड़कियाँ खेलती हैं। लड़कियाँ और लड़के खेलते हैं।

(iii) यदि एक से अधिक कर्त्ता परसर्ग रहित हों और अन्त में समूह वाचक शब्द हो तो क्रिया बहुवचन में होती हैं जैसे राम, श्याम, राधा सब जा रहे हैं।

(iv) यदि एक से अधिक परसर्ग रहित कर्त्ता एक ही पुरुष, लिंग के एक वचन हों, तो क्रिया इसी लिंग के बहुवचन में होगी नीता, मीता और सीता खेल रही हैं।

(v) यदि भिन्न लिंग, वचन के परसर्ग रहित एक वचन के कर्त्ता और, तथा, आदि से जुड़े हों, तो वाक्य में क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी।

जैसे शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे।
राम और सीता वन से नहीं आए।

(vi) यदि भिन्न लिंग वचन के परसर्ग रहित कर्त्ता एकवचन हों तथा वाक्य में विभाजक समुच्चय बोधक (अथवा, या) लगा हो, तो क्रिया का लिंग वचन अन्तिम कर्त्ता के लिंग, वचन के अनुसार होगा।

गुंजन या अभिषेक चला गया।
प्रशान्त अथवा वर्षा गाना गायेगी।

(vii) आदरसूचक एक वचन कर्त्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आती है।

जैसे– माताजी खाना बना रही हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं।

(viii) कर्त्ता का लिंग अज्ञात होने पर क्रिया पुल्लिंग ही होती है।

जैसे– कौन आया है? वहाँ कोई खड़ा है।

(ix) हिन्दी में आँसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है।

यथा, आज आपके दर्शन हो गये। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं।

2. कर्म और क्रिया की अन्विति

(i) यदि कर्त्ता परसर्ग 'ने' सहित हो तथा कर्म के साथ 'को' न लगा हो, तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन के अनुसार होती है।

जैसे भूपेन्द्र ने आम खाया। नीता ने आम खाया।

महेन्द्र ने चाय पी। सन्तोष ने चाय पी।

(ii) यदि कर्त्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा हो तो क्रिया एकवचन, पुल्लिंग और अन्यपुरुष में होती है जैसे

राम ने मोहन को पीटा। सीता ने गीता को पीटा।

लड़कियों ने लड़कों को मारा। पुलिस ने चोर को पकड़ा।

(iii) परसर्ग सहित कर्त्ता के साथ एक से अधिक कर्म समान लिंग, वचन के होने पर क्रिया उन्हीं लिंग, वचन में होगी।

जैसे मैंने आम और केले खरीदे। उसने पुस्तक और कापी खरीदी

(iv) यदि कर्त्ता के साथ परसर्ग 'ने' लगा हो और वाक्य में दो कर्म हों, तो क्रिया अन्तिम कर्म के अनुसार होती है। जैसे

राम ने पुस्तकें और रबड़ खरीदा।

सीता ने रबड़ और पेन्सिलें खरीदीं।

3. संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति

(i) वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है, जिसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है।

जैसे– राम ने कहा, "मैं पत्र लिखूँगा।"

छात्रों ने कहा, "हम खेल खेलेंगे।"

(ii) जो सर्वनाम अनेक संज्ञाओं के स्थान पर आए, वह बहुवचन होता है। जैसे गीता, सीता, नीता अजमेर गईं, वे कल लौटेंगी।

(iii) किसी एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग उचित है, अलग–अलग नहीं।

जैसे– राम ने अपने बड़े भाई से कहा 'आप जल्दी जाइये, आपको देर हो जायेगी'।

4. विशेषण और विशेष्य का मेल

(i) विशेषण का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। आकारान्त विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार प्रायः बदल जाते हैं

(i) तुम पीला कुरता पहनो।

(ii) वह पीली साड़ी पहनेगी।

(iii) पीले झण्डे फहरा रहे हैं।

किन्तु अन्य विशेषण में विशेष्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है – लाल कमीज, लाल साड़ियाँ, लाल झण्डे।

(ii) यदि वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हों तो विशेषण अपने निकट वाले विशेष्य के अनुरूप होगा।

जैसे– काली टोपियाँ और कुरते लाओ।

काले कुरते और टोपियाँ लाओ।

5. सम्बन्ध और सम्बन्धी का अन्वय

(i) वाक्य में आने वाले सम्बन्ध वाचक शब्दों के लिंग, वचन सम्बन्धी के लिंग, वचन

के अनुरूप होते हैं।

जैसे यह राम की गाय है। (प्रस्तुत वाक्य में सम्बन्धी 'गाय' के अनुरूप सम्बन्ध वाचक 'की' स्त्रीलिंग, एकवचन का प्रयोग हुआ है।

ये राजा के घोड़े हैं। (यहाँ सम्बन्धी 'घोड़े' के अनुरूप सम्बन्ध वाचक 'के' पुल्लिंग, बहुवचन का प्रयोग हुआ है।

(ii) एक वाक्य में भिन्न लिंग वचन की अनेक संज्ञाएँ सम्बन्धी तो सम्बन्ध कारक अपने बाद में आने वाली संज्ञा के अनुरूप होगा। जैसे

(अ) उसकी अँगूठी और हार तैयार है। (उसकी अँगूठी के अनुसार)

(आ) उसका हार और अँगूठी तैयार है। (उसका हार के अनुसार)

(इ) उसके कपड़े और जूते लाओ। ('उसके' कपड़े के अनुसार)

(ई) उसकी पुस्तक और पेन खो गया। (उसकी पुस्तक के अनुसार)

वाक्य–शुद्धि :

शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अन्विति न होने से, लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जो अर्थ के साथ भाषा सौन्दर्य को हानि पहुँचाता है।

1. अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि :

समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है। अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे।

	अशुद्ध वाक्य		**शुद्ध वाक्य**
1.	मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ।	1.	मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ।
2.	जज ने उसे मृत्यु दण्ड की सजा दी।	2.	जज ने उसे मृत्यु दण्ड दिया।
3.	इसके बाद फिर क्या हुआ ?	3.	इसके बाद क्या हुआ ?
4.	यह कैसे सम्भव हो सकता है ?	4.	यह कैसे संभव है ?
5.	मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है।	5.	मेरे पास केवल एक घड़ी है।
6.	तुम वापस लौट जाओ।	6.	तुम वापस जाओ।
7.	सारे देश भर में यह बात फैल गई।	7.	सारे देश में यह बात फैल गई।
8.	वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है।	8.	वह सचिवालय में लिपिक है।
9.	विन्ध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है।	9.	विन्ध्याचल हिमालय से प्राचीन है।
10.	नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए।	10.	नौजवानों को आगे आना चाहिए।
11.	किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए।	11.	किसी और से परामर्श लीजिए।
12.	सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए।	12.	सप्रमाण उत्तर दीजिए।

13. गुलामी की दासता बुरी है।	13. गुलामी बुरी है।
14. प्रशान्त बहुत सज्जन पुरुष है।	14. प्रशान्त बहुत सज्जन है।
15. शायद आज वर्षा अवश्य आयेगी।	15. शायद आज वर्षा आयेगी।
16. शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जायेगा।	16. वह जरूर उत्तीर्ण हो जायेगा।
17. कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें।	17. कृपया शीघ्र उत्तर दें।
18. वह गुनगुने गरम पानी से नहाता है।	18. वह गुनगुने पानी से नहाता है।
19. गरम आग लाओ।	19. आग लाओ।
20. तुम सबसे सुन्दरतम हो।	20. तुम सबसे सुन्दर हो।

2. अनुपयुक्त शब्द के कारण :

वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

1. सीता राम की स्त्री थी।	1. सीता राम की पत्नी थी।
2. रातभर गधे भौंकते रहे।	2. रातभर कुत्ते भौंकते रहे।
3. कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है।	3. कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है।
4. बन्दूक एक शस्त्र है।	4. बन्दूक एक अस्त्र है।
5. आकाश में तारे चमक रहे हैं।	5. आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं।
6. आकाश में झण्डा लहरा रहा है।	6. आकाश में झण्डा फहरा रहा हैं।
7. उसकी भाषा देवनागरी है।	7. उसकी लिपि देवनागरी है।
8. वह दही जमा रही है।	8. वह दूध जमा रही है।
9. साहित्य व समाज का घोर संबंध है।	9. साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है।
10. उसके गले में बेड़ियाँ पड़	10. उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई।
11. हाथी पर काठी बाँध दो।	11. हाथी पर हौदा रख दो।
12. चिन्ता एक भयंकर व्याधि है।	12. चिन्ता एक भयंकर आधि है।
13. गगन बहुत ऊँचा है।	13. गगन बहुत विशाल है।
14. वह पाँव से जूता निकाल रहा है।	14. वह पाँव से जूता उतार रहा है।
15. कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें।	15. कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें।
16. उसे अपनी योग्यता पर अहंकार	16. उसे अपनी योग्यता पर गर्व है।
17. राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए।	17. राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए।
18. कृष्ण ने कंस की हत्या की।	18. कृष्ण ने कंस का वध किया।
19. विख्यात आतंकवादी मारा गया।	19. कुख्यात आतंकवादी मारा गया।

3. लिंग सम्बन्धी :

वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1. यह एकांकी बहुत अच्छी है।	1. यह एकांकी बहुत अच्छा है।
2. मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है।	2. मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है।

3. मीरां एक प्रसिद्ध कवि थी।	3. मीरां एक प्रसिद्ध कवयित्री है।
4. बेटी पराये घर का धन होता हैं।	4. बेटी पराये घर का धन होती है।
5. सत्य बोलना उसकी आदत था।	5. सत्य बोलना उसकी आदत थी।
6. बुआजी आप क्या कर रहे हैं?	6. बुआजी आप क्या कर रही हैं?
7. आत्मा अमर होता है।	7. आत्मा अमर होती है।
8. सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है।	8. सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है।
9. ब्रह्मपुत्र असम में बहता है।	9. ब्रह्मपुत्र असम में बहती है।
10. वह स्त्री नहीं मूर्तिमन्त करुणा हैं।	10. वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा हैं।
11. जया एक बुद्धिमान बालिका है।	11. जया एक बुद्धिमती बालिका हैं।
12. उसका ससुराल जयपुर में है।	12. उसकी ससुराल जयपुर में है।
13. तूफान मेल तेजी से आ रही है।	13. तूफानमेल तेज़ी से आ रहा है।
14. गंगा पतितपावन नदी है।	14. गंगा पतित पावनी नदी है।
15. रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है।	15. रामायण हमारा भक्तिग्रंथ है।
16. उसके हाथ की वस्तु आम थी।	16. उसके हाथ की वस्तु आम था।
17. वह अपने धुन में जा रहा है।	17. वह अपनी धुन में जा रहा है।

4. वचन सम्बन्धी :

हिन्दी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्त्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1. वह दृश्य देख मेरी आँख में आँसू आ गया।	1. वह दृश्य देख मेरी आँखों में आँसू आ गये।
2. वृक्षों पर कौवा बोल रहा है।	2. वृक्ष पर कौवा बोल रहा है।
3. यह मेरा ही हस्ताक्षर है।	3. ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं।
4. आज आपका दर्शन हो गया।	4. आज आपके दर्शन हो गये।
5. अभी तीन बजा है।	5. अभी तीन बजे हैं।
6. यह दस रुपया का नोट है।	6. यह दस रुपये का नोट है।
7. प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते।	7. प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता।
8. हिन्दी और अंग्रेजी मेरी भाषा है।	8. हिन्दी और अंग्रेजी मेरी भाषाएँ है।
9. प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया।	9. प्यास के मारे उसके प्राण निकल गये।
10. माँ मेरे मामे के घर गयी है।	10. माँ मेरे मामा के घर गयी हैं।
11. दिल्ली में चार गिरफ्तारी हुईं।	11. दिल्ली में चार गिरफ्तारियाँ हुईं।
12. विधि का नियम बड़ा कठोर होता है।	12. विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं।
13. नवरस में शृंगार का प्रधान स्थान है।	13. नवरसों में शृंगार का प्रधान स्थान है।
14. उसकी भुजाएँ घुटने तक लम्बी हैं।	14. उसकी भुजाएँ घुटनों तक लम्बी हैं।
15. अब आप पढ़ों।	15. अब आप पढ़िये।

16. आम और कलम शब्द संज्ञा है।	16. आम और कलम शब्द संज्ञाएँ हैं।
17. शहर प्रायः गन्दा होता है।	17. शहर प्रायः गन्दे होते हैं।
18. किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखों।	18. किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखो।
19. हिमालय पर्वत का राजा है।	19. हिमालय पर्वतों का राजा है।
20. मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ीं।	20. मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ीं।

5. क्रमभंग सम्बन्धी :

वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1. अधिकतर हिन्दी के लेखक निर्धन हैं।	1. हिन्दी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं।
2. यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है।	2. यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है।
3. शीतल गन्ने का रस पीजिए।	3. गन्ने का शीतल रस पीजिए।
4. हनुमान पक्के राम के भक्त थे।	4. हनुमान राम के पक्के भक्त थे
5. एक खाने की थाली लगाओ।	5. खाने की एक थाली लगाओ।
6. स्वामी दयानन्द का देश आभारी रहेगा।	6. देश स्वामी दयानन्द का आभारी रहेगा।
7. उपयोजना मंत्री आज आयेंगे।	7. योजना उपमंत्री आज आयेंगे।
8. कुत्ते को राम डण्डे से मारता है।	8. राम डण्डे से कुत्ते को मारता है।
9. आपको मैं कुछ नहीं कह सकता।	9. मैं आपको कुछ नहीं कह सकता।
10. हवा ठण्डी चल रही है।	10. ठण्डी हवा चल रही है।
11. सीता के गले में एक मोतियों का हार है।	11. सीता के गले में मोतियों का एक हार है।
12. अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं।	12. अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं।
13. वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं।	13. वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं।
14. कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई।	14. रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई।
15. मैंने बहते हुए पत्ते को देखा।	15. मैंने पत्ते को बहते हुए देखा।
16. वास्तव में तुम चतुर हो।	16. तुम वास्तव में चतुर हो।
17. बच्चे को धोकर फल खिलाओ।	17. फल धोकर बच्चे को खिलाओ।
18. वहाँ मुफ्त आँखों का आपरेशन होगा।	18. वहाँ आँखों का मुफ्त आपरेशन होगा।
19. बैर अपनों से अच्छा नहीं।	19. अपनों से बैर अच्छा नहीं।

6. कारक सम्बन्धी :

वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से, अनावश्यक विभक्ति लगने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1. पाँच बजने को दस मिनट है।	1. पाँच बजने में दस मिनट हैं।
2. उसके सिर में घने बाल है।	2. उसके सिर पर घने बाल हैं।
3. देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं।	3. देशभक्त बड़ी–बड़ी यातनाएँ सहते हैं।

4.	अपने बच्चे चरित्रवान् बनाओ।	4.	अपने बच्चों को चरित्रवान् बनाओ।
5.	दवा रोग को समूल से नष्ट करती है।	5.	दवा रोग को समूल नष्ट करती है।
6.	अपराधी को रस्सी बाँधकर ले गए।	6.	अपराधी को रस्सी से बाँधकर ले गये।
7.	मेरी राय से आप चले जाइए।	7.	मेरी राय में आप चले जाइए।
8.	उसने पत्नी का गला घोंट कर मार डाला।	8.	उसने पत्नी का गला घोंट डाला।
9.	बन्दर पेड़ में बैठे हैं।	9.	बन्दर पेड़ पर बैठे हैं।
10.	सीता घर नहीं है।	10.	सीता घर पर नहीं है।
11.	उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी।	11.	उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी।
12.	उसने न्यायाधीश को निवेदन किया।	12.	उसने न्यायाधीश से निवेदन किया।
13.	आजकल राजनीति में अपराधी करण हो गया है।	13.	आजकल राजनीति का अपराधी करण हो गया है।
14.	वह बाजार में सब्जी लाने गया।	14.	वह बाजार से सब्जी लाने गया।
15.	राम आज स्कूल से अनुपस्थित हैं।	15.	राम आज स्कूल में अनुपस्थित है।
16.	आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी।	16.	आज संसद में बजट पर बहस होगी।
17.	गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें।	17.	गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें।
18.	यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिख गया है।	18.	यह ग्रथ विद्वता से लिखा गया है।
19.	जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे।	19.	जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे।
20.	आम को खूब पका होना चाहिए।	20.	आम खूब पका होना चाहिए।

7. सर्वनाम सम्बन्धी :

सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1.	मैंने आज अजमेर जाना है।	1.	मुझे आज अजमेर जाना है।
2.	तुम तुम्हारा काम करो।	2.	तुम अपना काम करो।
3.	मेरे को सौ रुपये की आवश्यकता हैं।	3.	मुझे सौ रुपये की आवश्यकता है।
4.	राम थककर उसके घर में सो गया।	4.	राम थककर अपने घर में सो गया।
5.	यह काम तेरे से नहीं होगा।	5.	यह काम तुझसे नहीं होगा।
6.	मैं उनको मिल कर प्रसन्न हुआ।	6.	मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ।
7.	सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है।	7.	सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है।
8.	अपन ठीक रास्ते पर हैं।	8.	हम ठीक रास्ते पर हैं।
9.	तेरे को कहाँ जाना है ?	9.	तुम्हें कहाँ जाना है?
10.	मेरे को पता नहीं वह कहाँ गया ?	10.	मुझे पता नहीं वह कहाँ गया?
11.	आपका उत्तर मुझ से अच्छा है	11.	आपका उत्तर मेरे उत्तर सेअच्छा है।
12.	हम हमारी कक्षा में गये।	12.	हम अपनी कक्षा में गये।
13.	हमारे वाला मकान खाली है।	13.	हमारा मकान खाली है।
14.	वह आपको और मुझ को देख कर भाग गया।	14.	वह आप और मुझे देखकर भाग गया।
15.	तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता।	15.	तुमसे कोई काम नहीं हो सकता।
16.	हमको सबको देश पर मर मिटना है।	16.	हम सब को देश पर मर मिटना है।

17.	पिताजी ने मुझको कहा।	17.	पिताजी ने मुझे कहा।
18.	मेरे को यह रुचिकर नहीं।	18.	मुझे यह रुचिकर नहीं।
19.	आप और मैंने मिलकर यह काम किया।	19.	आपने और मैंने मिलकर यह काम किया।
20.	मेरे को दो निबन्ध लिखने हैं।	20.	मुझे दो निबन्ध लिखने हैं।

8. क्रिया सम्बन्धी :

सही क्रिया रूप प्रयुक्त न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1.	मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखीं।	1.	मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की।
2.	यह आप पर निर्भर करता है।	2.	यह आप पर निर्भर है।
3.	सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं।	3.	सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं।
4.	राम ने गुरूजी से प्रश्न पूछा।	4.	राम ने गुरुजी से प्रश्न किया।
5.	प्रस्तुत पंक्तियाँ 'भाभी' पाठ से ली हैं।	5.	प्रस्तुत पंक्तियाँ 'भाभी' पाठ सेली गई हैं।
6.	आप आम खाके देखों।	6.	आप आम खाकर देखें।
7.	अब तुम जाइये।	7.	अब तुम जाओ। अब आप जाइये।
8.	मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी।	8.	मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी।
9.	वह क्या करना माँगता है ?	9.	वह क्या करना चाहता है ?
10.	उसने मुझे गाली निकाली।	10.	उसने मुझे गाली दी।
11.	गत रविवार वह जोधपुर जायेगा।	11.	गत रविवार वह जोधपुर गया।
12.	हम रात में भोजन खाते हैं।	12.	हम रात में भोजन करते हैं।
13.	राम को यहाँ आने के लिए बोल दो।	13.	राम को यहाँ आने के लिए कह दो।
14.	तुम्हारे गये पर जया आई थी।	14.	तुम्हारे जाते ही जया आई थी
15.	नदी पार हो गई।	15.	नदी पार कर ली गई।
16.	बालक मिठाई और दूध पी कर सो गया।	16.	बालक मिठाई खाकर और दूध पी कर सो गया।
17.	गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया।	17.	गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया।
18.	भीतर प्रवेश करना निषेध है।	18.	प्रवेश निषेध है।
19.	गाँधी जी को भुलाया नहीं जा सकता।	19.	गाँधीजी को भूला नहीं जा सकता।
20.	उसने क्या संकल्प लिया ?	20.	उसने क्या संकल्प किया ?

9. मुहावरे के कारण :

मुहावरे का सही प्रयोग न होने या उसमें पाठान्तर होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1.	प्रधानमंत्री ने देश का धुआँधार दौरा किया।	1.	प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया।
2.	पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक हैं	2.	पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है।
3.	प्रेम करना तलवार की नोंक पर चलना है।	3.	प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है।
4.	दुश्मनों ने हथियार रख दिये।	4.	दुश्मनों ने हथियार डाल दिये।
5.	आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं।	5.	आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है।
6.	चोरी करते पकड़े जाने पर, उस	6.	चोरी करते पकड़े जाने पर,

	पर घड़ों पानी गिर गया।		उस पर घड़ों पानी पड़ गया।
7.	कुसंगति से उस के तन पर कालिख पुत गई।	7.	कुसंगति से उसके मुख पर कालिख पुत गई।
8.	युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है ?	8.	युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है ?
9.	तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गये।	9.	तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गये।
10.	मेरे तो सॉस में दम आ गया।	10.	मेरे तो नाक में दम आ गया।

10. संयोजक शब्द सम्बन्धी :

सही संयोजक शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1.	यदि वह रुपया, माँगता, तब मैं अवश्य देता।	1.	यदि वह रुपया माँगता तो मैं अवश्य देता।
2.	जैसा मोहन ने लिखा, जैसा तुम भी लिखो।	2.	जैसा मोहन ने लिखा, वैसा तुम भी लिखो।
3.	जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बन्दरों ने बहुत आनन्द मनाया।	3.	जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बन्दरों ने बहुत आनन्द मनाया।
4.	यद्यपि उसने उद्योग किया, पर उसे सफलता नहीं मिली।	4.	यद्यपि उसने उद्योग किया, तथापि उसे सफलता नहीं मिली।
5.	जैसा लिखो, जैसा मोहन ने लिखा।	5.	ऐसा लिखो, जैसा मोहन ने लिखा।
6.	जैसा बोओगे, उसी प्रकार काटोगें।	6.	जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।
7.	ज्यों ही मैं पहुँचा, वह उठ गया।	7.	ज्यों ही मैं पहुँचा, त्यों ही वह उठ गया।
8.	यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ।	8.	यह काम करो या अपने घर जाओ।
9.	क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है।	9.	क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है।
10.	आप इसी समय रवाना हो जाइये, क्योंकि आप को गाड़ी मिल जाय।	10.	आप इसी समय रवाना हो जाइये, ताकि आपको गाड़ी मिल जाय।

11. अशुद्ध वर्तनी के कारण :

वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

1.	ताजमहल की सौन्दर्यता अनुपम है।	1.	ताजमहल का सौन्दर्य अनुपम है।
2.	महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए।	2.	महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए।
3.	'कामायनी' के रचियता प्रसाद है।	3.	कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं।
4.	पूज्यनीय पिताजी आ रहे है।	4.	पूजनीय पिताजी आ रहे हैं।
5.	पधार कर अनुग्रहीत करें	5.	पधार कर अनुगृहीत करें।
6.	देश की दुरावस्था शोचनीय है।	6.	देश की दुरवस्था शोचनीय है।
7.	व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है।	7.	व्यक्ति यौवन में भूलें करता है।
8.	यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है।	8.	यहाँ शृंगार सामग्री मिलती है।
9.	मन्त्री–मण्डल की बैठक आज होगी।	9.	मन्त्रिमंडल की बैठक आज होगी।

10. मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।	10. मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

अभ्यास प्रश्न

1. जिसके सम्बन्ध में वाक्य में कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं ?
   (क) उद्देश्य (ख) विधेय
   (ग) पद परिचय (घ) पदान्वय ( )
2. 'विधेय' के अन्तर्गत निम्न में से कौनसा अंग नहीं आता ?
   (क) क्रिया (ख) कर्म
   (ग) कर्त्ता (घ) पूरक ( )
3. 'जो परिश्रम करता है, वह सफल होता हैं'।' यह वाक्य किस प्रकार का है ?
   (क) साधारण वाक्य (ख) मिश्र वाक्य
   (ग) संयुक्त वाक्य (घ) सरल वाक्य ( )
4. निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है?
   (क) जहाँ वर्षा जायेगी वहाँ ज्योत्स्ना भी जायेगी।
   (ख) महेन्द्र चतुर है और कर्मेन्द्र मूर्ख ।
   (ग) यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती।
   (घ) अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। ( )
5. वाक्य किसे कहते हैं ? रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइये।
6. साधारण वाक्य की परिभाषा देकर एक उदाहरण दीजिए।
7. उपवाक्य किसे कहते हैं व ये कितने प्रकार के होते हैं ?
   प्रत्येक का एक–एक उदाहरण दीजिए।
8. संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ? एक उदाहरण दीजिए।
9. निम्न वाक्यों का वाक्य विश्लेषण कीजिए।
   (i) गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान की राजधानी है।
   (ii) गाँधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो।
   (iii) मैं कामायनी पढ़ता हूँ, जो प्रसाद की रचना है।
   (iv) राम परीक्षा में असफल रहा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं।
   (v) नीता पढ़ रही है किन्तु जया खाना बना रही है।
10. जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे कहते हैं ?
    (क) मिश्र वाक्य (ख) साधारण वाक्य
    (ग) संयुक्त वाक्य (घ) जटिल वाक्य ( )
11. सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है–इस वाक्य में उद्देश्य क्या है?
    (क) सूर्य (ख) पूर्व
    (ग) दिशा (घ) उदय ( )

14

विराम–चिह्न

विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिह्न लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिह्न कहते हैं।

विराम चिह्न के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिह्नों का भी उचित प्रयोग न किया जाये तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ

(i) रोको, मत जाने दो।

(ii) रोको मत, जाने दो।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिह्न के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है।

हिन्दी में निम्न विराम चिह्न प्रयुक्त होते हैं :–

1. अल्प विराम ,
2. अर्द्ध विराम ;
3. अपूर्ण विराम :
4. पूर्ण विराम ।
5. प्रश्न सूचक चिह्न ?
6. सम्बोधन चिह्न !
7. विस्मय सूचक चिह्न !
8. अवतरण चिह्न/उद्धरण चिह्न/उपरिविराम –
   (i) इकहरा ' ' (ii) दुहरा " "
9. योजक चिह्न/समासचिह्न –
10. निदेशक ————
11. विवरण चिह्न :————
12. हंसपद/विस्मरण चिह्न
13. संक्षेपण/लाघव चिह्न 0
14. तुल्यता सूचक/समता सूचक =
15. कोष्ठक ( ) { } [ ]
16. लोप चिह्न ....
17. इतिश्री/समाप्ति सूचक चिह्न –0– –– ––

18.	विकल्प चिह्न	/
19.	पुनरुक्ति चिह्न	" "
20.	संकेत चिह्न	*

1. अल्पविराम (,)

(i) वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में राम ने आम, अमरुद, केले आदि खरीदे।

(ii) वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में
हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे।

(iii) दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किये जाने पर अब्दुल ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया।

(iv) वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर।
यह बात, यदि सच पूछो तो, मैं भूल ही गया था।

(v) उद्धरण चिह्न के पूर्व भी।
उसने कहा, ''मैं तुम्हें नहीं जानता।''

(vi) समय सूचक शब्दों को अलग करने में –
कल गुरुवार, दि. 20 मार्च से परीक्षाएँ प्रारम्भ होंगी।

(vii) कभी कभी सम्बोधन के बाद इसका प्रयोग होता है।
राधे, तुम आज भी विद्यालय नहीं गयीं।

(viii) समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे –
विदेहराज की पुत्री वैदेही, राम की पत्नी थी।

(ix) हाँ, अस्तु के पश्चात्। जैसे–
हाँ, तुम अन्दर आ सकते हो।

(x) पत्र में अभिवादन, समापन के साथ
पूज्य पिताजी, भवदीय,

2. अर्द्ध विराम (;)

(i) वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है।

जैसे 'ध्रुवस्वामिनी' में एक ओर ध्रुवस्वामिनी, मन्दाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं; दूसरी ओर रामगुप्त, चन्द्रगुप्त, शिखरस्वामी आदि पुरुष पात्र हैं।

(ii) जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों। जैसे सूर्योदय हुआ; अन्धकार दूर हुआ; पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा।

(iii) मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वालों उपवाक्यों के बीच में।

जैसे– जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं; वे उन्हें फल देते हैं।

(iv) विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है; आलस्य ही मृत्यु।

3. अपूर्ण विराम (:)

समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिह्न न हो।

जैसे– छोटा सवाल : बड़ा सवाल
परमाणु विस्फोट : मानव जाति का भविष्य

4. पूर्ण विराम (।)

(i) साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर।

जैसे– मजीद खाना खाता है।

यदि राम पढ़ता, तो अवश्य उत्तीर्ण होता।

जेक्सन पढ़ेगा किन्तु जूली खाना बनायेगी।

(ii) अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे – उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है।

(iii) काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अन्त में। रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाय पर वचन न जाई

विशेष – अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिन्दी (. अंग्रेजी का फुल स्टॉप) का प्रयोग करने लगे हैं किन्तु हिन्दी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई (।) का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

5. प्रश्न सूचक चिह्न (?)

(i) प्रश्न सूचक वाक्यों के अन्त में। जैसे–

तुम कहाँ रहते हो ?
उसकी पुस्तक किसने ली ?
राम घर पर आया या नहीं ?

(ii) एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अन्त में अल्पविराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में। जैसे –

गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो ?

6. सम्बोधक चिह्न (!)

(i) जब किसी को पुकारा या बुलाया जाय। जैसे

हे प्रभो ! अब यह जीवन नौका तुम्हीं से पार लगेगी।
मोहन ! इधर आओ।

7. विस्मय सूचक चिह्न (!)

हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अन्त में –

वाह, क्या ही सुन्दर दृश्य है।
हाय ! अब मैं क्या करूँ ?
अरे ! तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गये।

8. अवतरण चिह्न " "

जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिह्न या उपरिविराम भी कहते हैं। अवतरण चिह्न दो प्रकार का होता है –

(i) इकहरा ' ' जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम,

लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो। जैसे–

रामधारीसिंह 'दिनकर' ओज के कवि हैं।

'राम चरित मानस' के रचयिता तुलसीदास हैं।

(ii) दोहरा " " वाक्यांश को उद्धृत करते समय। महावीर ने कहा, "अहिंसा परमोधर्मः।"

9. योजक चिह्न (–)

(i) दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वन्द्व एवं तत्पुरुष समास में।
सुख–दुख, माता–पिता, प्रेम–सागर

(ii) पुनरुक्त शब्दों के बीच में।
पात–पात, डाल–डाल, धीरे–धीरे,

(iii) तुलनावाचक सा, सी, से के पहले।
भरत–सा भाई, यशोदा–सी माता

(iv) अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक – तिहाई, एक – चौथाई।

10. निर्देशक (—)

(i) नाटकों के संवादों में
मनसा–बेटी, यदि तू जानती
मणिमाला –क्या ?

(ii) जब परस्पर सम्बद्ध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाय। जैसे–

काल तीन प्रकार के होते हैं – भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत्काल।

(iii) जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाय। जैसे–
यदि आज पिताजी जीवित होते––– पर अब

(iv) जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाय –
महामना मदनमोहन मालवीय–ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे–भारत की महान् विभूति थे।

11. विवरण चिह्न (:–––)

जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अन्त में इसका प्रयोग होता है। जैसे–

पुरुषार्थ चार हैं :– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।

निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए :– सर्वनाम, विशेषण।

12. हंस पद – (^)

इसे विस्मरण चिह्न भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिह्न का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है।

जैसे– मुझे आज जाना है।

अजमेर
मुझे आज ^ जाना है।

13. संक्षेपण चिह्न 0

इसे लाघव चिह्न भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ :– सं. रा. सं.

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी मो. क. गाँधी

डॉक्टर राजेश डॉ. राजेश

14. तुल्यता या समता सूचक चिह्न =

किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। यथा –

भानु = सूर्य, 1 रुपया = 100 पैसे

15. कोष्ठक : ( ), { }, [ ]

(i) वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुँह की उपमा मयंक (चन्द्रमा) से दी जाती है।

(ii) नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए।

कोमा – (खिन्न होकर) मैं क्या न करूँ ? (ठहर कर) किन्तु नहीं, मुझे विवाद करने का अधि ाकार नहीं।

16. लोप चिह्न ....

लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर x x xया .... लगा देता है।

''तुम्हारा सब काम करूँगा।....... बोलो, बड़ी माँ.......

तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ? बोलो.........।।''

17. इतिश्री/समाप्ति चिह्न —0— —— ——

किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

18. विकल्प चिह्न /

जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो।

जैसे– शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री/कवियत्री या दोनों शब्द समानार्थी है जैसे जो सदा रहने वाला है। शाश्वत/सनातन/नित्य

19. पुनरुक्ति चिह्न ,, ,,

जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिह्न का प्रयोग करते हैं।

जैसे– श्री सोहनलाल श्री गोविन्द लाल

20. संकेत चिह्न — *

अभ्यास प्रश्न

1. विराम चिह्न से क्या तात्पर्य है?
2. हिन्दी में प्रयुक्त कतिपय विराम चिह्नों के नाम एवं प्रतीक बताइये।
3. सही विराम चिह्न लगाइये –

राम मोहन सोहन जा रहे थे परंतु उनमें से एक के भाई ने कहा तुम्हें मेरी इच्छा के विपरीत वहाँ नहीं जाना चाहिये उन्होंने कहा क्यों

15
मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

विश्व की सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रचलन है। प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ अलिखित कानून के रूप में मानी गई हैं। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है।

लोकोक्ति शब्द लोक+उक्ति के योग से निर्मित हुआ है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव का सार एवं व्यावहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का विशेष योगदान होता है और उसी कोटि की स्थिति परिस्थिति के समय उस लोकोक्ति का प्रयोग स्थिति या अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस सम्प्रदाय या समाज को सहर्ष स्वीकार्य होता है।

मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति–कौशल में अभिवृद्धि होती है। प्रायः मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। जैसे –

(i) नाकों चने चबाना (ii) दाँतों तले अंगुली दबाना।

अंतर :

लोकोक्ति का अपर नाम 'कहावत' भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्रायः प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति का रूप प्रायः एक सा ही रहता है, जब कि मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है।

मुहावरे

1.	अपना उल्लू सीधा करना	:	स्वार्थ सिद्ध करना
2.	अपनी खिचड़ी अलग पकाना	:	सबसे अलग रहना
3.	अपने मुँह मियां मिट्ठू बनना	:	अपनी प्रशंसा स्वयं करना
4.	अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना	:	स्वयं को हाँनि पहुँचाना
5.	अपने पैरों पर खड़े होना	:	आत्म निर्भर होना
6.	अक्ल पर पत्थर पड़ना	:	बुद्धि भ्रष्ट होना
7.	अक्ल के पीछे लट्ठ लेकर फिरना	:	मूर्खता प्रदर्शित करना
8.	अँगूठा दिखाना	:	कोई वस्तु देने या काम करने से इंकार करना
9.	अँधे की लकड़ी होना	:	एक मात्र सहारा
10.	अच्छे दिन आना	:	भाग्य खुलना
11.	अंग–अंग फूले न समाना	:	बहुत खुशी होना
12.	अंगारों पर पैर रखना	:	साहसपूर्ण खतरे में उतरना
13.	आँख का तारा होना	:	बहुत प्यारा
14.	आँखें बिछाना	:	अत्यन्त प्रेम पूर्वक स्वागत करना

15. आँखें खुलना : वास्तविकता का बोध होना
16. आँखों से गिरना : आदर कम होना
17. आँखों में धूल झोंकना : धोखा देना
18. आँख दिखाना : क्रोध करना/डराना
19. आटे दाल का भाव मालूम होना: बड़ी कठिनाई में पड़ना
20. आग बबूला होना : बहुत गुस्सा होना
21. आग से खेलना : जानबूझ कर मुसीबत मोल लेना
22. आग में घी डालना : क्रोध भड़काना
23. आँच न आने देना : हानि या कष्ट न होने देना
24. आड़े हाथों लेना : खरी–खरी सुनाना
25. आनाकानी करना : टालमटोल करना
26. आँचल पसारना : याचना करना
27. आस्तीन का साँप होना : कपटी मित्र
28. आकाश के तारे तोड़ना : असंभव कार्य करना
29. आसमान से बातें करना : बहुत ऊँचा होना
30. आकाश सिर पर उठाना : बहुत शोर करना
31. आकाश पाताल एक करना : कठिन प्रयत्न करना
32. आँख का काँटा होना : बुरा लगना
33. आँसू पीकर रह जाना : भीतर ही भीतर दुःखी होना
34. आठ–आठ आँसू गिराना : पश्चाताप करना
35. इधर–उधर की हाँकना : बेमतलब की बातें करना
36. इतिश्री होना : समाप्त होना
37. इस हाथ लेना उस हाथ देना : हिसाब–किताब साफ करना
38. ईद का चाँद होना : बहुत दिनों बाद दिखाई देना
39. ईंट से ईंट बजाना : नष्ट कर देना
40. ईंट का जवाब पत्थर से देना : कड़ाई से पेश आना
41. आँसू पोंछना : सान्त्वना देना
42. आँखें तरेरना : क्रोध से देखना
43. आकाश टूट पड़ना : अचानक विपत्ति आना
44. आग लगने पर कुआँ खोदना : ऐन मौके पर उपाय करना
45. उंगली उठाना : निन्दा करना/लाँछन लगाना
46. उन्नीस–बीस का फर्क होना : मामूली फर्क होना
47. उल्टी गंगा बहाना : प्रचलन के विपरीत कार्य करना
48. उड़ती चिड़िया पहचानना : बहुत अनुभवी होना
49. उल्लू बनाना : मूर्ख बनाना
50. उँगली पर नचाना : वश में करना
51. उल्लू सीधा करना : अपना स्वार्थ देखना

52.	एक और एक ग्यारह होना	:	एकता में शक्ति होना
53.	एक लाठी से हाँकना	:	सबसे एक जैसा व्यवहार करना
54.	एक आँख से देखना	:	समदृष्टि होना/भेदभाव न करना
55.	एडी चोटी का जोर लगाना	:	बहुत कोशिश करना
56.	एक ही थाली के चट्टे–बट्टे होना	:	एक प्रवृत्ति के होना
57.	ओखली में सिर देना	:	जानबूझ कर विपत्ति में फँसना
58.	ओढ़ लेना	:	जिम्मेदारी लेना
59.	और का और होना	:	एकदम बदल जाना
60.	औने–पौने बेचना	:	हानि उठाकर बेचना
61.	औघट घाट चलना	:	सही रास्ते पर न चलना
62.	कंचन बरसना	:	चारों ओर खूब धन मिलना
63.	काट खाना	:	सूनेपन का अनुभव
64.	किस्मत ठोकना	:	भाग्य को कोसना
65.	कंठ का हार होना	:	प्रिय बनना
66.	काम में हाथ डालना	:	काम शुरू करना
67.	कूप मण्डूक होना	:	अल्पज्ञ होना
68.	कुएँ में भाँग पड़ना	:	सब की बुद्धि मारी जाना
69.	कन्नी काटना	:	आँख बचाकर खिसक जाना
70.	कसौटी पर कसना	:	परीक्षण करना
71.	कलेजा मुँह को आना	:	व्याकुल होना/बहुत परेशान होना
72.	कलेजा ठण्डा होना	:	सन्तुष्ट होना
73.	काम आना	:	युद्ध में मारा जाना
74.	कान खाना	:	शोर करना/परेशान करना
75.	कान भरना	:	चुगली करना
76.	कान में तेल डालना	:	शिक्षा पर ध्यान न देना/अनसुना करना
77.	कफन सिर पर बाँधना	:	लड़ने मरने को तैयार होना
78.	किंकर्त्तव्य विमूढ़ होना	:	कोई निर्णय न कर पाना
79.	कमर कसना	:	तैयार होना
80.	कोल्हू का बैल होना	:	हर समय श्रम करने वाला
81.	कलेजा टूक–टूक होना	:	दुःख पहुँचना
82.	कान कतरना	:	बहुत चतुराई दिखाना
83.	काम तमाम कर देना	:	मार देना
84.	कीचड़ उछालना	:	कलंक लगाना/नीचा दिखाना
85.	कंधे से कंधा मिलाकर चलना	:	साथ देना
86.	कच्चा–चिट्ठा खोलना	:	भेद खोलना
87.	कोड़ी के मोल बिकना	:	बहुत सस्ता होना

88. कान का कच्चा होना : जल्दी बहकावे में आना
89. कान पर जूँ न रेंगना : कोई असर न होना
90. खून खौलना : गुस्सा आना
91. खून के घूँट पीना : गुस्सा मन में दबा लेना
92. खून पसीना एक करना : बहुत मेहनत करना
93. खाक छानना : भटकना/काफी खोज करना
94. खेत रहना : युद्ध में मारे जाना
95. खाक में मिलना : बर्बाद होना
96. खाक में मिलाना : बर्बाद करना
97. खून–सूखना : भयभीत होना
98. कठपुतली की तरह नाचना : किसी के वश में होना
99. कब्र में पाँव लटकना : मौत के करीब होना
100. कलम तोड़ना : अत्यधिक मर्मस्पर्शी रचना करना
101. कलेजा छलनी करना : ताने मारना/व्यंग्य करना
102. कलेजा थामकर रह जाना : असह्य बात सहन कर रह जाना
103. कलेजे का टुकड़ा होना : अत्यन्त प्रिय/आत्मिक होना
104. कागज की नाव होना : क्षण–भंगुर
105. कागजी घोड़े दौड़ाना : केवल कागजी कार्यवाही करना
106. कानों कान खबर न होना : किसी को पता न चलना
107. कुत्ते की मौत मरना : बुरी दशा में प्राणान्त होना
108. कमर टूटना : सहारा न रहना
109. कान भरना : किसी के विरूद्ध शिकायत करते रहना
110. किसी का घर जलाकर अपना हाथ सेकना : अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हाँनि पहुँचाना
111. कटे पर नमक छिड़कना : दुःखी को और अधिक दुःखी करना
112. गुदड़ी का लाल होना : छुपारूस्तम/गरीब किन्तु गुणवान
113. गड़े मुर्दे उखाड़ना : बीती बातें छेड़ना
114. गले पड़ना : जबरन आश्रय लेना
115. गंगा नहाना : दायित्व से मुक्ति पाना
116. गिरगिट की तरह रंग बदलना : अवसरवादी होना/निश्चय बदलना
117. गुड़ गोबर होना : काम बिगड़ना
118. गुड़ गोबर करना : काम बिगाड़ना। किया कराया नष्ट करना
119. गुलछर्रे उड़ाना : मौज उड़ाना
120. गाल बजाना : अपनी प्रशंसा करना
121. गागर में सागर भरना : थोड़े में बहुत कुछ कह देना
122. गाँठ में कुछ न होना : पैसा पास न होना
123. गला काटना : लोभ में पड़कर हाँनि पहुँचाना

124. गर्दन पर छुरी फेरना	:	अत्याचार करना
125. घाट–घाट का पानी पीना	:	स्थान–स्थान का अनुभव होना
126. घाव पर नमक छिड़कना	:	दुःखी को और दुःखी करना
127. घड़ों पानी पड़ना	:	बहुत लज्जित होना
128. घी के दीये जलाना	:	बहुत खुश होना/खुशियाँ मनाना
129. घर फूँक कर तमाशा देखना	:	अपना लुटाकर भी मौज करना/ अपने नुकसान पर प्रसन्न होना
130. घर सिर पर उठाना	:	बहुत शोर करना
131. घोड़े बेचकर सोना	:	निश्चिंत होना
132. घुटने टेक देना	:	हार मान लेना
133. चादर के बाहर पैर पसारना	:	आय से अधिक व्यय करना
134. चुंगल में फँसना	:	किसी के काबू में होना
135. चोली दामन का साथ होना	:	घनिष्ट सम्बन्ध होना
136. चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना	:	घबरा जाना
137. चिकनी चुपड़ी बातें करना	:	चापलूसी करना/कपट व धोखा
138. चुल्लूभर पानी में डूब मरना	:	बहुत शर्मिन्दा होना
139. चिकना घड़ा होना	:	अत्यन्त बेशर्म
140. चूड़ियाँ पहनना	:	कायरता दिखाना
141. चकमा देना	:	धोखा देना
142. चौपट करना	:	पूर्णरूप से नष्ट करना
143. चारों खाने चित्त होना	:	बुरी तरह हारना
144. चैन की बंशी बजाना	:	आराम से रहना
145. चूना लगाना	:	धोखा देकर ठगना
146. चार चाँद लगाना	:	शोभा बढ़ाना
147. चम्पत होना	:	गायब होना
148. छठी का दूध याद आना	:	बड़ी मुसीबत में फँसना
149. छाती ठोकना	:	उत्साहित होना
150. छप्पर फाड़कर देना	:	बिना परिश्रम देना
151. छाती पर मूँग दलना	:	बहुत परेशान करना
152. छोटे मुँह बड़ी बात करना	:	अपनी हैसियत से ज्यादा बात करना
153. छाती पर साँप लोटना	:	अत्यन्त ईर्ष्या करना
154. छक्के छुड़ाना	:	पैर उखाड़ देना/बेहाल करना
155. छाती पर पत्थर रखना	:	हृदय कठोर करना
156. जले पर नमक छिड़कना	:	दुःखी का दुःख बढ़ाना
157. जान हथेली पर रखना	:	मरने की परवाह न करना
158. जमीन पर पैर न पड़ना	:	बहुत गर्व करना
159. जान में जान आना	:	धीरज बँधना/मुसीबत से

		छुटकारा पाना
160. जबानी जमा खर्च करना	:	गप्पें लड़ाना
161. जबान पर लगाम लगाना	:	बहुत कम बोलना
162. जहर का घूँट पीना	:	कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना
163. जीती मक्खी निगलना	:	जानबूझ कर बेईमानी करना
164. जान पर खेलना	:	साहसपूर्ण कार्य करना
165. जूता चाटना	:	चापलूसी करना
166. जहर उगलना	:	कड़वी बात कहना
167. झख मारना	:	समय नष्ट करना
168. झगड़ा मोल लेना	:	विवाद में जानबूझ कर पड़ना
169. जी तोड़ कर काम करना	:	बहुत मेहनत करना
170. जी भर आना	:	दया उमड़ना/चित्त में दुःख होना
171. टोपी उछालना	:	अपमानित करना
172. टेढ़ी–खीर होना	:	कठिन काम
173. टका सा जवाब देना	:	साफ इंकार करना
174. टेक निभाना	:	वचन पूरा करना
175. टट्टी की आड़ में शिकार खेलना	:	छिपकर षड्यंत्र रचना
176. टाट उलट देना	:	दिवाला निकाल देना
177. टाँग अड़ाना	:	व्यर्थ दखल देना
178. ठगा सा रह जाना	:	किंकर्त्तव्य विमूढ़ होना/ विस्मित रह जाना
179. ठकुर सुहाती बातें करना	:	चापलूसी करना
180. ठिकाने लगाना	:	नष्ट कर देना
181. डूबते को तिनके का सहारा देना	:	मुसीबत में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद
182. डकार जाना	:	हड़प लेना/हजम कर जाना
183. डींग हाँकना	:	झूठी बड़ाई करना
184. डूब मरना	:	शर्म से झुक जाना
185. डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना	:	अपना मत अलग ही रखना
186. डंका बजना	:	प्रभाव होना
187. ढिंढोरा पीटना	:	प्रचार करना/सूचना देना
188. ढोल में पोल होना	:	थोथा या सारहीन
189. ढोल पीटना	:	अत्यधिक प्रचार करना
190. तलवे चाटना	:	खुशामद करना

191. तिल का ताड़ करना	:	छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना
192. तूती बोलना	:	खूब प्रभाव होना
193. तोते उड़ जाना	:	घबरा जाना
194. तेवर चढ़ाना	:	नाराज होना/त्यौंरी बदलना
165. तलवार के घाट उतारना	:	मार डालना
196. तिलांजलि देना	:	त्याग देना/छोड़ देना
197. तितर–बितर होना	:	अलग–अलग होना
198. तारे गिनना	:	बेचैनी में रात काटना
199. तीन तेरह करना	:	तितर–बितर करना
200. थूक कर चाटना	:	अपने वचन से मुकरना
201. थैली खोलना	:	जी खोलकर खर्च करना
202. थू–थू करना	:	घृणा प्रकट करना
203. दूध का दूध पानी का पानी करना	:	ठीक न्याय करना
204. दौड़ धूप करना	:	खूब प्रयत्न करना
205. दाँत खट्टे करना	:	परेशान करना/हरा देना
206. दाने–दाने को तरसना	:	बहुत गरीब होना
207. दाल में काला होना	:	छल/कपट होना/संदेहपूर्ण होना
208. दीया लेकर ढूँढ़ना	:	अच्छी तरह खोजना
209. दुम दबाकर भागना	:	डर कर भाग जाना
210. दाल गलना	:	काम बनना
211. दिन में तारे दिखाई देना	:	घबरा जाना
212. दाँतों तले उँगली दबाना	:	आश्चर्य चकित होना
213. दो–दो हाथ करना	:	द्वन्द्व युद्ध/अन्तिम निर्णय हेतु तैयार होना
214. दो टूक जवाब देना	:	स्पष्ट कहना
215. दिन–रात एक करना	:	खूब परिश्रम करना
216. द्रोपदी का चीर होना	:	अनन्त/अन्तहीन
217. दिमाग आसमान पर चढ़ना	:	अत्यधिक गर्व होना
218. दाँतकाटी रोटी होना	:	अत्यधिक स्नेह होना
219. दोनों हाथों में लड्डू होना	:	सर्वत्र लाभ ही लाभ होना
220. दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना	:	दूसरे को माध्यम बनाकर काम करना
221. दिल छोटा करना	:	दुःखी होना, निराश होना
222. दिन फिरना	:	अच्छा समय आना
223. धूप में बाल सुखाना	:	अनुभव हीन होना
224. धाक जमाना	:	रोब जमाना/प्रभाव जमाना
225. धूल में मिलाना	:	नष्ट करना

226. धरती पर पाँव न पड़ना	:	फूला न समाना अभिमानी होना
227. धूल फाँकना	:	दर–दर की ठोकरें खाना
228. धज्जियाँ उड़ाना	:	दुर्गति करना, कड़ा विरोध करना
229. बरस पड़ना	:	बहुत क्रोधित होकर उल्टी–सीधी सुनाना
230. नमक मिर्च लगाना	:	बात को आकर्षक बनाकर कहना
231. नानी याद आना	:	बड़ी कठिनाई में पड़ना घबरा जाना
232. निन्यानवे के फेर में पड़ना	:	धन इकट्ठा करने की चिन्ता में रहना
233. नाम कमाना	:	प्रसिद्ध होना
234. नौ दो ग्यारह होना	:	भाग जाना
235. नीला–पीला होना	:	क्रोध करना
236. नाक रगड़ना	:	दीनता प्रदर्शित करना, खुशामद करना
237. नाक में दम करना	:	बहुत परेशान करना
238. नाक भौं सिकोड़ना	:	घृणा करना
239. नाकों चने चबाना	:	खूब परेशान करना
240. नाक कटना	:	बदनामी होना
241. नुक्ताचीनी करना	:	दोष निकालना
242. नाक रख लेना	:	इज्जत बचाना
243. नाम निशान तक न बचना	:	पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना
244. नचा देना	:	बहुत परेशान कर देना
245. नींव की ईंट होना	:	प्रमुख आधार होना
246. पानी मरना	:	किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना
247. पैर पटकना	:	खूब कोशिश करना
248. पगड़ी उछालना	:	बेइज्जत करना
249. पेट पालना	:	जीवन निर्वाह करना
250. पहाड़ टूट पड़ना	:	बहुत मुसीबत आना
251. पानी पीकर जात पूछना	:	काम करके फिर जानकारी लेना
252. पेट में दाढ़ी होना	:	लड़कपन में बहुत चतुर होना घाघ होना
253. पैरों तले से जमीन खिसकना	:	बहुत घबरा जाना, अचानक परेशानी आना
254. पापड़ बेलना	:	कड़ी मेहनत करना, विषम परिस्थितियों से गुजरना
255. प्राण हथेली पर रखना	:	जान देने के लिये तैयार रहना
256. पिंड छुड़ाना	:	पीछा छुड़ाना या बचना
257. पानी पानी होना	:	लज्जित होना
258. पेट में चूहे कूदना	:	तेज भूख लगना
259. पाँचों उँगलियाँ घी में होना	:	सब ओर से लाभ होना
260. पीठ ठोकना	:	शाबासी देना, हिम्मत बँधाना

261. फूँक फूँक कर कदम रखना	:	सावधानी पूर्वक कार्य करना
262. फूटी आँखों न सुहाना	:	बिल्कुल पसन्द न होना
263. फूला न समाना	:	अत्यधिक खुश होना
264. पट्टी पढ़ाना	:	बहका देना, उल्टी राय देना
265. पेट काटना	:	बहुत कंजूसी करना
266. पानीदार होना	:	इज्जतदार होना
267. पाँवों में बेड़ी पड़ जाना	:	बंधन में बंध जाना
268. बाँह पकड़ना	:	सहायता करना/सहारा देना
269. बीड़ा उठाना	:	कठिन कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना
270. बाल की खाल निकालना	:	नुक्ताचीनी करना
271. बात बनाना	:	बहाना करना
272. बाँसों उछलना	:	अत्यधिक प्रसन्न होना
273. बाल बाँका न होना	:	कुछ भी नुकसान न होना
274. बाज न आना	:	आदत न छोड़ना
275. बगलें झाँकना	:	इधर–उधर देखना/निरुत्तर होना/जवाब न दे सकना।
276. बायें हाथ का खेल होना	:	सरल कार्य
277. बल्लियों उछलना	:	अत्यधिक प्रसन्न होना
278. बछिया का ताऊ होना	:	महामूर्ख
279. भौंह चढ़ाना	:	क्रुद्ध होना
280. भूत सवार होना	:	हठ पकड़ना/काम करने की धुन लगना
281. भीगी बिल्ली बनना	:	डरपोक होना
282. भाड़ झोंकना	:	तुच्छ कार्य करना/व्यर्थ समय गुजारना
283. भरी थाली को लात मारना	:	जीविकोपार्जन के साधन ठुकरा देना
284. भैंस के आगे बीन बजाना	:	मूर्ख के समक्ष बुद्धिमानी की बातें करना व्यर्थ
285. बाल–बाल बचना	:	कुछ भी हानि न होना
286. बाछें खिल जाना	:	आश्चर्य जनक हर्ष
287. मन खट्टा होना	:	मन फिर जाना/जी उचाट होना
288. मन के लड्डू खाना	:	कोरी कल्पनाएँ करना
289. मुँह में पानी भर आना	:	इच्छा होना/जी ललचाना
290. मुँह में लगाम न लगाना	:	अनियंत्रित बातें करना
291. मुट्ठी गर्म करना	:	रिश्वत देना, लेना
292. मुँह की खाना	:	हार जाना/हार मानना
293. मक्खियाँ मारना	:	बेकार भटकना/बैठना
294. मक्खीचूस होना	:	बहुत कंजूस होना
295. मुँह पर हवाइयाँ उड़ना	:	चेहरा फक पड़ जाना
296. मन मसोस कर रह जाना	:	इच्छा को रोकना

297. मुँह काला करना	:	कलंकित होना
298. मुँह की खाना	:	बातों में हारना/अपमानित होना
299. मुँह तोड़ जवाब देना	:	कठोर शब्दों में कहना
300. मन मारना	:	उदास होना/इच्छाओं पर नियंत्रण
301. मुँह मोड़ना	:	ध्यान न देना
302. रंग में भंग होना	:	मजा किरकिरा होना/बाधा होना
303. राई का पहाड़ बनाना	:	बात को बढ़ा–चढ़ा देना
304. रंगा–सियार होना	:	ढोंगी/धोखेबाज
305. रोम–रोम खिल उठना	:	प्रसन्न होना
306. रौंगटे खड़े होना	:	डर से रोमांचित होना
307. रफूचक्कर होना	:	भाग जाना
308. रंग दिखाना/जमाना	:	प्रभाव जमाना
309. रंगे हाथों पकड़ना	:	अपराध करते हुए पकड़े जाना
310. लकीर का फकीर होना	:	परम्परावादी होना/ अंधानुकरण करना
311. लोहे के चने चबाना	:	बहुत कठिन कार्य करना/ संघर्ष करना
312. लाल–पीला होना	:	क्रोधित होना
313. लोहा मानना	:	बहादुरी स्वीकार करना
314. लहू का घूँट पीना	:	अपमान सहन करना
315. लोहा बजाना	:	शस्त्रों से युद्ध करना
316. लुटिया डूबो देना	:	काम बिगाड़ देना
317. लोहा लेना	:	युद्ध करना/मुकाबला करना
318. लोहू–पसीना एक करना	:	कठिन परिश्रम करना
319. लंबा हाथ मारना	:	धोखाधड़ी से पैसे बनाना
320. विष उगलना	:	किसी के खिलाफ बुरी बात कहना
321. शहद लगाकर चाटना	:	तुच्छ वस्तु को महत्त्व देना
322. शैतान के कान कतरना	:	बहुत चतुर होना
323. समझ पर पत्थर पड़ना	:	अक्ल मारी जाना
324. सिर धुनना	:	पछताना/चिन्ता करना
325. सिर हथेली पर रखना	:	मृत्यु की चिन्ता न करना
326. सिर उठाना	:	विद्रोह करना
327. सितारा चमकना	:	भाग्यशाली होना
328. सूरज को दीपक दिखाना	:	अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना
329. सब्ज बाग दिखाना	:	लोभ देकर बहकाना लालच देकर धोखा देना
330. सिर पर कफ़न बाँधना	:	मरने को प्रस्तुत रहना
331. सिर से बला टालना	:	मुसीबत से पीछा छुड़ाना
332. सिर आँखों पर रखना	:	आदर सहित आज्ञा मानना

333. सोने की चिड़िया हाथ से निकलना	:	लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रहना
334. सिक्का जमाना	:	प्रभाव डालना/प्रभुत्व स्थापित करना
335. सोने की चिड़िया होना	:	बहुत धनवान होना
336. साँप छछुन्दर की गति होना	:	दुविधा में पड़ना
337. सीधे मुँह बात तक न करना	:	बहुत इतराना
338. सोने में सुगन्ध होना	:	एक गुण में और गुण मिलना
339. सौ–सौ घड़े पानी पड़ना	:	अत्यन्त लज्जित होना
340. सिर–मूँडना	:	ठगना
341. हवा से बातें करना	:	बहुत तेज दौड़ना
342. हाथ धोकर पीछे पड़ना	:	बुरी तरह पीछे पड़ना
343. हाथ तंग होना	:	धन की कमी या दिक्कत होना
344. होम करते हाथ जलना	:	भलाई करने में नुकसान होना
345. होंठ चबाना	:	क्रोध प्रकट करना
346. हवाई किले बनाना	:	थोथी कल्पना करना
347. हवा हो जाना	:	भाग जाना
348. हाथ पाव मारना	:	प्रयत्न करना
349. हथियार डाल देना	:	हार मान लेना/आत्मसमर्पण करना
350. हाथ पर हाथ धर कर बैठना	:	निष्क्रिय बनना/बेकार बैठे रहना
351. हवा के घोड़ों पर सवार होना	:	बहुत जल्दी में होना
352. हवा का रूख देखना	:	समय की गति पहचान कर काम करना
353. हाथ के तोते उड़ जाना	:	भौंचक्का रह जाना/होश गंवाना
354. हाथ खींचना	:	सहायता बंद करना
355. हाथ पांव फूलना	:	घबरा जाना। विपत्ति में पड़ना
356. हाथ पैर मारना	:	मेहनत करना/प्रयत्न करना
357. हाथ साफ करना	:	ठगना/माल मारना
358. हुक्का पानी बंद करना	:	बिरादरी से बाहर करना
359. हथेली पर सरसों जमाना	:	जल्दबाजी करना
360. हाथ खींचना	:	साथ न देना/मदद बंद करना
361. हाथ धो बैठना	:	गंवा देना
362. हाथ पीले करना	:	विवाह करना
363. श्री गणेश करना	:	आरम्भ करना

लोकोक्तियाँ

1. अपना रख, पराया चख	:	अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना
2. अपनी करनी पार उतरनी	:	स्वयं का परिश्रम ही काम आता है।

3.	अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता	:	अकेला व्यक्ति शक्ति हीन होता है।
4.	अधजल गगरी छलकत जाय	:	ओछा आदमी अधिक इतराता है।
5.	अंधों में काना राजा	:	मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है।
6.	अंधे के हाथ बटेर लगना	:	अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिलना।
7.	अंधा पीसे कुत्ता खाय	:	मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। असावधानी से अयोग्य को लाभ।
8.	अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत	:	अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं।
9.	अन्धे के आगे रोवै अपने नैना खावैं	:	निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
10.	अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है	:	अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है।
11.	अन्धेर नगरी चौपट राजा	:	प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना।
12.	अन्धा क्या चाहे दो आँखें	:	बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना।
13.	अक्ल बड़ी या भैंस	:	शारीरिक बल से बुद्धिबल श्रेष्ठ होता है।
14.	अपना हाथ जगन्नाथ	:	अपना काम अपने ही हाथों ठीक रहता है।
15.	अपनी–अपनी डपली अपना–अपना राग	:	तालमेल का अभाव/सबका अलग–अलग मत होना/एकमत का अभाव
16.	अंधा बाँटे रेवड़ी फिर–फिर अपनों को देय	:	स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है।
17.	अंत भला तो सब भला	:	कार्य का अन्तिम चरण ही महत्त्वपूर्ण होता है।
18.	आ बैल मुझे मार	:	जानबूझ कर मुसीबत में फंसना
19.	आम के आम गुठली के दाम	:	हर प्रकार का लाभ/एक काम से दो लाभ
20.	आँख का अंधा नाम नयन सुख	:	गुणों के विपरीत नाम होना।
21.	आगे कुआँ पीछे खाई	:	दोनों/सब ओर से विपत्ति में फँसना
22.	आप भला जग भला	:	अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है।
23.	आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास	:	उद्देश्य से भटक जाना/श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना/कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना।
24.	आधा तीतर आधा बटेर	:	अनमेल मिश्रण/बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो।
25.	इन तिलों में तेल नहीं	:	किसी लाभ की आशा न होना।
27.	आठ कनौजिए नौ चूल्हे	:	फूट होना।
28.	उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे	:	अपना अपराध न मानना और

			पूछने वाले को ही दोषी ठहराना।
29.	उल्टे बाँस बरेली को	:	विपरीत कार्य या आचरण करना
30.	ऊधो का न लेना, न माधो का देना	:	किसी से कोई मतलब न रखना/ सबसे अलग।
31.	ऊँची दुकान फीका पकवान	:	वास्तविकता से अधिक दिखावा। दिखावा ही दिखावा। केवल बाहरी दिखावा।
32.	ऊँट के मुँह में जीरा	:	आवश्यकता की नगण्य पूर्ति
33.	ऊखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर	:	जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना
34.	ऊँट किस करवट बैठता है	:	परिणाम में अनिश्चितता होना।
35.	एक पंथ दो काज	:	एक काम से दोहरा लाभ/एक तरकीब से दो कार्य करना/एक साधन से दो कार्य करना।
36.	एक अनार सौ बीमार	:	वस्तु कम, चाहने वाले अधिक/ एक स्थान के लिये सैकड़ों प्रत्याशी
37.	एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है	:	एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं।
38.	एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं	:	दो प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते।
39.	एक हाथ से ताली नहीं बजती	:	लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं।
40.	एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा	:	बुरे से और अधिक बुरा होना/ एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना।
41.	कागज की नाव नहीं चलती	:	बेइमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती।
42.	काला अक्षर भैंस बराबर	:	बिल्कुल निरक्षर होना।
43.	कंगाली में आटा गीला	:	संकट पर संकट आना।
44.	कोयले की दलाली में हाथ काले	:	बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है/ दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं।
45.	का वर्षा जब कृषि सुखानी	:	अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है।
46.	कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा	:	अलग–अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना/इधर–उधर से सामग्री जुटा कर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना।
47.	कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर	:	एक–दूसरे के काम आना परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं।
48.	काबुल में क्या गधे नहीं होते	:	मूर्ख सब जगह मिलते हैं।
49.	कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता	:	कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता।
50.	कोउ नृप होउ हमें का हानि	:	अपने काम से मतलब रखना।
51.	कौवा चला हंस की चाल,	:	दूसरों के अनधिकार अनुकरण

भूल गया अपनी भी चाल		से अपने रीति रिवाज भूल जाना।
52. कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना	:	परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहतीं।
53. करले सो काम भजले सो राम	:	एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना
54. काज परै कछु और है, काज सरै कछु और	:	दुनिया बड़ी स्वार्थी है काम निकाल कर मुँह फेर लेते हैं।
55. खोदा पहाड़ निकली चुहिया	:	अधिक परिश्रम से कम लाभ होना
56. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है	:	स्पर्धावश काम करना/साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है।
57. खग जाने खग ही की भाषा	:	मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है।
58. खिसियानी बिल्ली खम्भा खोंसे	:	शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना
59. गागर में सागर भरना	:	थोड़े में बहुत कुछ कह देना
60. गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गये	:	चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना
61. गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त	:	स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना
62. गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज	:	झूठा ढोंग रचना
63. गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध	:	अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता।
64. गरीब तेरे तीन नाम–झूठा, पापी, बेईमान	:	गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते हैं। निर्धनता सदैव अपमानित होती है।
65. गुड़ दिये मरे तो जहर क्यों दे	:	प्रेम से कार्य हो जाये तो फिर दण्ड क्यों।
66. गंगा गये गंगादास यमुना गये यमुनादास	:	अवसरवादी होना
67. गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा	:	पास की वस्तु को दूर खोजना
68. गरजते बादल बरसते नहीं	:	कहने वाले (शोर मचाने वाले) कुछ करते नहीं
69. गुरु कीजै जान, पानी पीवै छान	:	अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना
70. घर–घर मिट्टी के चूल्हे हैं	:	सबकी एक सी स्थिति का होना सभी समान रूप से खोखले हैं।
71. घोड़ा घास से दोस्ती करे तो क्या खाये	:	मजदूरी लेने में संकोच कैसा ?
72. घर का भेदी लंका ढाहे	:	घरेलू शत्रु प्रबल होता है।
73. घर की मुर्गी दाल बराबर	:	अधिक परिचय से सम्मान कम/

			घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना
74.	घर बैठे गंगा आना	:	बिना प्रयत्न के लाभ, सफलता मिलना
75.	घर मैं नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने	:	झूठा दिखावा करना
76.	घर आये नाग न पूजै, बाँबी पूजन जाय	:	अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना
77.	घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध	:	विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान/परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर
78.	चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाए	:	बहुत कंजूस होना
79.	चलती का नाम गाड़ी	:	काम का चलते रहना/बनी बात के सब साथी होते हैं।
80.	चंदन की चुटकी भली गाड़ी	:	अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली
81.	चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात	:	सुख का समय थोड़ा ही होता है।
82.	चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता	:	निर्लज्ज पर किसी बात का असर नहीं होता।
83.	चिराग तले अँधेरा	:	दूसरों को उपदेश देना स्वयं अज्ञान में रहना
84.	चींटी के पर निकलना	:	बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का, नष्ट होना
85.	चील के घोंसले में माँस कहाँ?	:	भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है
86.	चुपड़ी और दो–दो	:	लाभ में लाभ होना
87.	चोरी का माल मोरी में	:	बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है
88.	चोर की दाढ़ी में तिनका	:	अपराधी का सशंकित होना अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है।
89.	चोर–चोर मौसेरे भाई	:	दुष्ट लोग प्रायः एक जैसे होते हैं एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना
90.	छछुंदर के सिर में चमेली का तेल	:	अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना
91.	छोटे मुँह बड़ी बात	:	हैसियत से अधिक बातें करना
92.	जहाँ काम आवै सुई का करै तरवारि	:	छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता है वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता है।
93.	जल में रहकर मगर से बैर	:	बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं
94.	जब तक साँस तब तक आस	:	जीवन पर्यन्त आशान्वित रहना
95.	जंगल में मोर नाचा किसने देखा	:	दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है। गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर।
96.	जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी	:	मातृभूमि का महत्त्व स्वर्ग से भी बढ़कर है।
97.	जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता	:	किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता कोई अपरिहार्य नहीं है।

98. जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि	:	कवि दूर की बात सोचता है सीमातीत कल्पना करना
99. जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई	:	जिसने कभी दुःख नहीं देखा वह दूसरों का दुःख क्या अनुभव करे
100. जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी	:	भावनानुकूल (प्राप्ति का होना) औरों को देखना
101. जान बची और लाखों पाये	:	प्राण सबसे प्रिय होते हैं।
102. जाको राखे साइयाँ मारि सके न कोय	:	ईश्वर रक्षक हो तो फिर डर किसका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
103. जिस थाली में खाये उसी में छेद करना	:	विश्वासघात करना। भलाई करने वाले का ही बुरा करना। कृतघ्न होना
104. जिसकी लाठी उसकी भैंस	:	शक्तिशाली की विजय होती है
105. जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ	:	प्रयत्न करने वाले को सफलता/लाभ अवश्य मिलता है।
106. जो ताको काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल	:	अपना बुरा करने वालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो
107. जादू वही जो सिर चढ़कर बोले	:	उपाय वही अच्छा जो कारगर हो
108. झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी	:	जल्दबाजी का काम खराब ही होता है।
109. झूठ कहे सो लड्डू खाय साँच कहे सो मारा जाय	:	आजकल झूठे का बोल बाला है।
110. जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दीजै	:	समयानुसार कार्य करना।
111. टके का सौदा नौ टका विदाई	:	साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक
112. टेढ़ी उँगली किये बिना घी नहीं निकलता	:	सीधेपन से काम नहीं (चलता) निकलता।
113. टके की हाँडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली	:	थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना।
114. डूबते को तिनके का सहारा	:	संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद/पर्याप्त होती है।
115. ढाक के तीन पात	:	सदा एक सी स्थिति बने रहना
116. ढोल में पोल	:	बड़े–बड़े भी अन्धेर करते हैं।
117. तीन लोक से मथुरा न्यारी	:	सबसे अलग विचार बनाये रखना
118. तीर नहीं तो तुक्का ही सही	:	पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाये उसी में संतोष करना।
119. तू डाल–डाल मैं पात–पात	:	चालाक से चालाकी से पेश आना एक से बढ़कर एक चालाक होना
120. तेल देखो तेल की धार देखो	:	नया अनुभव करना धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो परिणाम की प्रतीक्षा करो।

121. तेली का तेल जले मशालची का दिल जले	:	खर्च कोई करे बुरा किसी और को ही लगे।
122. तेते पाँव पसारिये जेती लाम्बी सौर	:	हैसियतानुसार खर्च करना/अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना
123. तन पर नहीं लत्ता पान खाये अलबत्ता	:	अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना/झूठा दिखावा करना।
124. तीन बुलाए तेरह आये	:	अनिमन्त्रित व्यक्ति का आना।
125. तीन कनौजिये तेरह चूल्हे	:	व्यर्थ की नुक्ता–चीनी करना। ढोंग करना।
126. थोथा चना बाजे घना	:	गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगें मारता है/आडम्बर करता है।
127. दूध का दूध पानी का पानी	:	सही सही न्याय करना।
128. दमड़ी की हाँडी भी ठोक बजाकर लेते हैं	:	छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं।
129. दान की बछिया के दाँत नहीं गिने जाते	:	मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते।
130. दाल भात में मूसल चंद	:	किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना।
131. दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम	:	संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना।
132. दूध का जला छाछ को फूँक फूँक कर पीता है	:	एक बार धोखा खाया व्यक्ति दुबारा सावधानी बरतता है।
133. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं	:	दूरवर्ती वस्तुएँ अच्छी मालूम होती हैं दूर से ही वस्तु का अच्छा लगना पास आने पर वास्तविकता का पता लगना
134. दैव दैव आलसी पुकारा	:	आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है
135. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का	:	किधर का भी न रहना न इधर का न उधर का
136. न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी	:	ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी न हो सके/बहाने बनाना।
137. न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी	:	झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना
138. नक्कार खाने में तूती की आवाज	:	अराजकता में सुनवाई न होना बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं।
139. न सावन सूखा न भादों हरा	:	सदैव एक सी तंग हालत रहना
140. नाच न जाने आँगन टेढ़ा	:	अपना दोष दूसरों पर मढ़ना/ अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरों में दोष ढूँढ़ना।
141. नाम बड़े और दर्शन खोटे	:	बड़ों में बड़प्पन न होना गुण कम किन्तु प्रशंसा अधिक।
142. नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान	:	अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है।
143. नेकी और पूछ–पूछ	:	भलाई करने में भला पूछना क्या?

144. नेकी कर कुए में डाल	:	भलाई कर भूल जाना चाहिये।
145. नौ नगद, न तेरह उधार	:	भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा लाभ अच्छा/व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्त्व देना।
146. नौ दिन चले अढ़ाई कोस	:	बहुत धीमी गति से कार्य का होना
147. नौ सौ चूहे खाय बिल्ली हज को चली	:	बहुत पाप करके पश्चाताप करने का ढोंग करना।
148. पढ़े पर गुने नहीं	:	अनुभवहीन होना।
149. पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह विधना का खेल	:	शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना।
150. पराधीन सपनेहु सुख नाहीं	:	परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता।
151. पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती	:	सभी समान नहीं हो सकते।
152. प्रभुता पाय काहि मद नाहीं	:	अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता।
153. पानी में रहकर मगर से बैर	:	शक्तिशाली आश्रयदाता से वैर करना।
154. प्यादे से फरजी भयो टेढ़ो–टेढ़ो जाय	:	छोटा आदमी बड़े पद पर पहुँचकर इतराकर चलता है।
155. फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता।	:	एक बार मतभेद होने पर पुनः मेल नहीं हो सकता।
156. बारह बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं	:	कभी न कभी सबका भाग्योदय होता है।
157. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद	:	मूर्ख को गुण की परख न होना। अज्ञानी किसी के महत्त्व को आँक नहीं सकता।
158. बद अच्छा, बदनाम बुरा	:	कलंकित होना बुरा होने से भी बुरा है।
159. बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी	:	जब संकट आना ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है
169. बावन तोले पाव रत्ती	:	बिल्कुल ठीक या सही सही होना
160. बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज	:	बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना
161. बाँबी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूँ	:	खतरे का कार्य दूसरों को सौंपकर स्वयं अलग रहना।
162. बापू भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया	:	आजकल पैसा ही सब कुछ है।
163. बिल्ली के भाग छींका टूटना	:	संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना/अनायास अप्रत्याशित वस्तु की प्राप्ति होना।
164. बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख	:	भाग्य से स्वतः मिलता है इच्छा से नहीं।
165. बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती	:	प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता।
166. बैठे से बेगार भली	:	खाली बैठे रहने से तो किसी का

		कुछ काम करना अच्छा।
167. बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए	:	बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है।
168. भई गति साँप छछूंदर जैसी	:	दुविधा में पड़ना।
169. भूल गये राग रंग भूल गये छकड़ी तीन चीज याद रही नोन, तेल, लकड़ी	:	गृहस्थी के जंजाल में फंसना
170. भूखे भजन न होय गोपाला	:	भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
171. भागते भूत की लंगोट भली	:	हाथ पड़े सोई लेना जो बच जाए उसी से संतुष्टि/कुछ नहीं से जो कुछ भी मिल जाए वह अच्छा।
172. भैंस के आगे बीन बजाये भैंस खड़ी पगुराय	:	मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है।
173. बिच्छू का मंत्र न जाने साँप के बिल में हाथ डाले	:	योग्यता के अभाव में उलझनदार काम करने का बीड़ा उठा लेना।
174. मन चंगा तो कटौती में गंगा	:	मन पवित्र तो घर में तीर्थ है।
175. मरता क्या न करता	:	मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है।
176. मानो तो देव नहीं तो पत्थर	:	विश्वास फलदायक होता है।
177. मान न मान मैं तेरा मेहमान	:	जबरदस्ती गले पड़ना।
178. मार के आगे भूत भागता है	:	दण्ड से सभी भयभीत होते हैं।
179. मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ?	:	यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है ?
180. मुख में राम बगल में छुरी	:	ऊपर से मित्रता अन्दर शत्रुता धोखेबाजी करना।
181. मेरी बिल्ली मुझ से ही म्याऊँ	:	आश्रयदाता का ही विरोध करना
182. मेंढ़की को जुकाम होना	:	नीच आदमियों द्वारा नखरे करना।
183. मन के हारे हार है मन के जीते जीत	:	साहस बनाये रखना आवश्यक है। हतोत्साहित होने पर असफलता व उत्साहपूर्वक कार्य करने से जीत होती है।
184. यथा राजा तथा प्रजा	:	जैसा स्वामी वैसा सेवक
185. यथा नाम तथा गुण	:	नाम के अनुसार गुण का होना।
186. यह मुँह और मसूर की दाल	:	योग्यता से अधिक पाने की इच्छाकरना
187. मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन	:	मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना।
188. रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई	:	सर्वनाश होने पर भी घमण्ड बने रहना/टेक न छोड़ना।
189. रंग में भंग पड़ना	:	आनन्द में बाधा उत्पन्न होना।
190. राम नाम जपना, पराया माल अपना	:	मक्कारी करना।
191. रोग का घर खाँसी, झगड़े	:	हँसी मजाक झगड़े का कारण

का घर हाँसी		बन जाती है।
192. रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना	:	प्रतिदिन कमाकर खाना रोज कमाना रोज खा जाना।
193. लकड़ी के बल बन्दरी नाचे	:	भयवश ही कार्य संभव है।
194. लम्बा टीका मधुरी बानी दगेबाजी की यही निशानी	:	पाखण्डी हमेशा दगाबाज होते हैं।
195. लातों के भूत बातों से नहीं मानते	:	नीच व्यक्ति दण्ड से/भय से कार्य करते हैं कहने से नहीं।
196. लोहे को लोहा ही काटता है	:	बुराई को बुराई से ही जीता जाता है।
197. वक्त पड़े जब जानिये को बैरी को मीत	:	विपत्ति/अवसर पर ही शत्रु व मित्र की पहचान होती है।
198. विधिकर लिखा को मेटनहारा	:	भाग्य को कोई बदल नहीं सकता।
199. विनाश काले विपरीत बुद्धि	:	विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है।
200. शबरी के बेर	:	प्रेममय तुच्छ भेंट
201. शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है	:	जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है।
202. शुभस्य शीघ्रम	:	शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए।
203. शठे शाठ्यं समाचरेत	:	दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिये।
204. साँच को आँच नहीं	:	सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं।
205. सब धान बाईस पंसेरी	:	अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति बराबर होते हैं।
206. सब दिन होत न एक समान	:	जीवन में सुख–दुःख आते रहते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है।
207. सैइयाँ भये कोतवाल अब काहे का डर	:	अपनों के उच्चपद पर होने से बुरे कार्य बे हिचक करना।
208. समरथ को नहीं दोष गुसाईं	:	गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता।
209. सावन सूखा न भादों हरा	:	सदैव एक सी स्थिति बने रहना।
210. साँप मर जाये और लाठी न टूटे	:	सुविधापूर्वक कार्य होना/बिना हानि के कार्य का बन जाना।
211. सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है	:	अपने समान सभी को समझना।
212. सीधी अँगुली घी नहीं निकलता	:	सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता
213. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना	:	कार्य प्रारम्भ करते ही बाधा उत्पन्न होना।
214. सोने में सुगन्ध	:	अच्छे में और अच्छा।
215. सौ सुनार की एक लुहार की	:	सैंकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा।
216. सूप बोले तो बोले छलनी भी	:	दोषी का बोलना ठीक नहीं। बोले
217. हथेली पर दही नहीं जमता	:	हर कार्य के होने में समय लगता है

218. हथेली पर सरसों नहीं उगती	:	कार्य के अनुसार समय भी लगता है।
219. हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाय	:	आसानी से काम बन जाना कम खर्च में अच्छा कार्य।
220. हाथ कंगन को आरसी क्या	:	प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या ?
221. हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और	:	कपटपूर्ण व्यवहार/कहे कुछ करे कुछ/कथनी व करनी में अन्तर।
222. होनहार बिरवान के होत चीकने पात	:	महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं।
223. हाथ सुमरिनी बगल कतरनी	:	कपटपूर्ण व्यवहार करना।

अभ्यास प्रश्न

1. 'अँगूठा दिखाना' मुहावरा का सही अर्थ होगा –
   (क) मजाक बनाना (ख) ऊपर उड़ना
   (ग) मना कर देना (घ) चिड़ाना ( )
2. 'आस्तीन का साँप' मुहावरा का अर्थ है –
   (क) धोखेबाज मित्र (ख) घनिष्ठ मित्र
   (ग) दुष्ट व्यक्ति (घ) जहरीला जानवर ( )
3. निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ?
   (क) कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया।
   (ख) नल खुला रह जाने से घर में पानी–पानी हो गया।
   (ग) राम नकल करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी–पानी हो गया।
   (घ) गर्मी के मारे उसका शरीर पानी–पानी हो गया। ( )
4. 'अपनी हानि स्वयं करना' वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा–
   (क) आँधी के आम होना
   (ख) कान में तेल डालना
   (ग) अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना।
   (घ) अंगारों पर पैर रखना। ( )
5. 'ओछा आदमी अधिक इतराता है।' के लिए उचित कहावत होगी –
   (क) अंधों में काना राजा
   (ख) अधजल गगरी छलकत जाय।
   (ग) नाच न जाने आँगन टेढ़ा।
   (घ) बाप न मारी मेंढ़की बेटा तीरंदाज। ( )
6. निम्नलिखित मुहावरों/कहावतों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए'

   एक अनार सौ बीमार। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल।
   कंगाली में आटा गीला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
   थोथा चना बाजे घना। नौ दिन चले अढ़ाई कोस।

16

अलंकार

परिभाषा :

अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 'आभूषण' यानी गहने, किन्तु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द 'अलम्' और 'कार' दो शब्दों के योग से बना है। 'अलम्' का अर्थ है 'शोभा' तथा 'कार' का अर्थ हैं 'करने वाला'। अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुन्दरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं।

आचार्य केशव ने काव्य में अलंकारों के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि–

जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त।
भूषण बिनु न बिराजही, कविता, वनिता मित्त।।

वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है, भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है, कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व प्रभावोत्पादकता आने से कविता संप्रेषणीय बन जाती है।

प्रकार :

अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैंः

1. शब्दालंकार : काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्द में होता है, अर्थात् जहाँ शब्दों के प्रयोग से ही सौन्दर्य में वृद्धि होती है। काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदल कर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद हैं।

1. अनुप्रास : काव्य में जब एक वर्ण से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे–

भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाइये।
x x x x
तरनि–तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये।
x x x x
गंधी गंध गुलाब को, गंवई गाहक कौन ?

उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः भ, त, 'ग' वर्ण से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है।

छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अन्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास आदि अनुप्रास के उपभेद हैं।

2. यमक : काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आये तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यथा–

कनक कनक तें सौगुनी, मादकता अधिकाय।

या खाये बौराय जग, वा पाये बौराय।।

यहाँ 'कनक' शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है जिसमें पहले में कनक 'सोना' तथा दूसरे में 'धतूरा' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

अन्य उदाहरण–

गुनी गुनी सब के कहे, निगुनी गुनी न होत।
सुन्यौ कहुँ तरु अरक तें, अरक समानु उदोत।।

x x x x

ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहन वारी।
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती हैं।

x x x x

तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं।

3. श्लेष : जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे–

'पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून'

यहाँ 'पानी' शब्द का मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में 'इज्जत' तथा चून (आटा) के संदर्भ में जल।

'सुबरण को ढूँढत फिरत, कवि, व्यभिचारी चोर।'

यहाँ 'सुबरण' में श्लेष है। सुबरण का कवि के संदर्भ में सुवर्ण (अक्षर), व्यभिचारी के संदर्भ में 'सुन्दर रूप' तथा चोर के संदर्भ में 'सोना' अर्थ है।

अर्थालंकार :

काव्य में जहाँ अलंकार का सौन्दर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सन्देह, भ्रान्तिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टान्त आदि अर्थालंकार हैं।

1. उपमा : काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति, वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है अर्थात् उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। **'सागर सा गंभीर हृदय हो'।** उपमा के चार अंग होते हैं –

(i) उपमेय : वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। उक्त उदाहरण में 'हृदय' के बारे में कहा गया है अतः **'हृदय'** उपमेय है।

(ii) उपमान : जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उक्त उदाहरण में 'हृदय' की समानता सागर से की गई है। अतः यहाँ **'सागर'** उपमान है।

(iii) समान धर्म : उपमेय और उपमान में समान रूप से पाये जाने वाले गुण को 'समान धर्म' कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय व सागर में 'गम्भीरता' को लेकर समानता बतलाई गई है, अतः **'गम्भीर'** शब्द समान धर्म है।

(iv) वाचक शब्द : जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे 'वाचक शब्द' कहते हैं। उक्त उदाहरण में 'सा' शब्द द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बतलाया गया है। अतः 'सा' शब्द वाचक शब्द है। अन्य उदाहरण–

(i) पीपर पात **सरिस** मन डोला।

(ii) कोटि कुलिस **सम** वचन तुम्हारा।

पहले उदाहरण में उपमेय (मन), उपमान (पीपर पात), समान धर्म (डोला) तथा वाचक शब्द (सरिस) उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है अतः इसे पूर्णोपमा कहते हैं जबकि दूसरे उदाहरण में उपमेय (वचन), उपमान (कोटि कुलिस) तथा वाचक शब्द (सम) का प्रयोग हुआ है यहाँ समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है अतः इसे लुप्तोपमा कहा जाता है। क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंगों का समावेश नहीं है।

2. रूपक : काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात् अभेद आरोप किया जाता है अर्थात् उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य 'रूपी' वाचक शब्द आता है। 'अम्बर–पनघट में डुबो रही तारा–घट ऊषा–नागरी' उक्त उदाहरण में तीन स्थलों पर रूपक अलंकार का "प्रयोग हुआ है। यथा 'अम्बर–पनघट', तारा–घट, एवं 'ऊषा–नागरी'।

1. अम्बर रूपी पनघट।
2. तारा रूपी घट।
3. ऊषा रूपी नागरी।

चरण–कमल बन्दौं हरि राई।

3. उत्प्रेक्षा : काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा संभावना हेतु जनु, मनु, जानो, मानो आदि में से किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे–

सोहत ओढ़े पीत–पट, स्याम सलोने गात।
मनों नीलमणि सैल पर, आतप पर्‌यो प्रभात।।

पीताम्बर धारी श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीत–पट ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानों नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का आतप (धूप) शोभायमान हो। अन्य उदाहरण देखिए–

लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाई।
निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई।।

x x x x

मोर मुकुट की चन्द्रकनि, त्यों राजत नन्दनन्द।
मनु ससि सेखर को अकस, किए सेखर सतचन्द।।

यमक और श्लेष में अन्तर :

यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, जबकि श्लेष अलंकार में किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं।

जैसे उदाहरण यमक :

कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।

श्लेष पानी गये न ऊबरे, मोती मानुस चून।

उपमा और रूपक : उपमा अलंकार में किसी बात को लेकर उपमेय एवं उपमान में समानता

बतलाई जाती है जबकि रूपक में उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है (जैसे उदाहरण–

उपमा – पीपर पात सरिस मन डोला।

रूपक – चरण–कमल बन्दौं हरि राई।।

अभ्यास प्रश्न

1. 'सुन्यौ कहुँ तरु अरक ते, अरक समानु उदोत।'
   उपर्युक्त पंक्ति में कौनसा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ?
   (क) अनुप्रास (ख) यमक
   (ग) श्लेष (घ) उपमा ( )
2. निम्नलिखित में से किस में उपमा अलंकार है ?
   (क) अम्बर–पनघट में डुबो रही, तारा–घट ऊषा नागरी।
   (ख) सुनि सुरसरि सम पावन बानी।
   (ग) सोहत जनु जुग जलज सनाला।
   (घ) पानी गये न ऊबरे, मोती मानुस चून। ( )
3. अलंकार किसे कहते हैं व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ?
4. श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दीजिए।
5. 'तरणि–तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये।' मैं कौनसा अलंकार है व क्यों ?
6. 'रूपक' अलंकार की परिभाषा लिखिए।
7. 'लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाई।
   निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल विलगाई।।
   उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख कर उसके लक्षण भी बताइये।
8. अलंकारों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
   1. यमक और श्लेष।
   2. उपमा और रूपक।

खण्ड 'ख'

17
पत्र–लेखन

जब किसी सन्देश को मौखिक रूप से पहुँचाना संभव न हो तब किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता है तो उसे पत्र कहते हैं। अतः पत्र, एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुँचाने का सरल सुगम साधन है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसे एक दूसरे से विचार–विनिमय करना पड़ता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में विचार विनिमय के अत्याधुनिक साधनों के होते हुए भी 'पत्र' का अपना महत्त्व है। जहाँ एक ओर पत्र विभिन्न स्थानों में रहने वाले अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से सम्पर्क बनाए रखने का प्रमुख साधन है, वहीं सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों एवं व्यापारियों द्वारा विभिन्न सूचनाएँ आदान–प्रदान करने हेतु पत्र का ही आश्रय लेना पड़ता है। किसी छात्र को अपना निवेदन करने तथा किसी व्यक्ति द्वारा किसी की शिकायत हेतु भी पत्र ही लिखना होता है।

पत्रों के प्रकार :

पत्र किसे लिखा जा रहा है ? पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है ? पत्र प्राप्त करने वाले से क्या अपेक्षा की जा रही है ? इन आधारों पर सामान्यतः पत्रों के निम्न प्रकार किए जा सकते हैं –

1. व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र
2. सरकारी अथवा कार्यालयी–पत्र
3. व्यावसायिक पत्र
4. अन्य पत्र–प्रार्थना–पत्र, आवेदन–पत्र, सार्वजनिक पत्र आदि। पत्र लेखन भी एक कला है। एक अच्छे पत्र में सरलता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, विनम्रता, विचारों में क्रमबद्धता तथा सभी अंगों का समुचित प्रयोग होना चाहिए।

व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक–पत्र

परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने से बड़ों को, छोटों को, मित्रों या सम्बन्धियों को व्यक्तिगत सूचनाएँ देने, बधाई देने, निमन्त्रण देने या संवेदना भेजने आदि से सम्बन्धित पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है ? किसे लिखा जा रहा है, उसके लिए क्या सम्बोधन या आशीर्वचन होगा ? पत्र का विषय क्या है, पत्र लिखने वाला कौन है ? उसके हस्ताक्षर कहाँ होंगे आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक हैं–

1. पत्र लेखक का पता व तिथि :

व्यक्तिगत पत्र में पत्र लेखक का पता पत्र के दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। जिसमें पत्र लेखक के मकान नम्बर तथा मकान का नाम यदि है तो, साथ ही मोहल्ले व गली का नाम तथा स्थान का नाम लिखा जाता है। स्थान के नीचे जिस दिन पत्र लिखा जाता है

उस दिन की दिनांक का उल्लेख किया जाता है। यथा–

25, 'सुन्दर–विलास',
शिवनगर, महामंदिर,
जोधपुर।
दिनांक : 12 फरवरी, 03

2. सम्बोधन एवम् अभिवादन :

जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, उससे पत्र प्रेषक का जो सम्बन्ध है, उसके अनुरूप, बड़ों के लिए आदरसूचक, छोटों के लिए स्नेहसूचक तथा समवयस्कों के लिए आवश्यक सम्बोधन पत्र के बाँयी ओर लिखा जाता है। तत्पश्चात् उसके नीचे योग्यतानुसार अभिवादन या आशीर्वचन शब्दों को प्रयोग किया जाता है। निम्न रूप से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

	सम्बन्ध	**सम्बोधन**	**अभिवादन**
1.	बड़ों के प्रति	पूज्य / पूज्या / पूजनीय श्रद्धेय / आदरणीय	सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम
2.	छोटों के प्रति	प्रिय अनुज, प्रिय चिरंजीव, प्रियअनुजा	प्रसन्न रहो, खुशरहो शुभाशीष, आशीर्वाद
3.	समान आयुवालों के प्रति	प्रियमित्र, प्रियबंधु प्रिय सहेली	नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, जयहिन्द

3. स्वनिर्देश एवं हस्ताक्षर :

पत्र के अन्त में दाहिनी ओर सम्बोधन एवं अभिवादन की तरह सम्बन्धानुसार स्वनिर्देश अलग–अलग होता है। जैसे :

सम्बन्ध	**स्वनिर्देश**	
1. बड़ों को लिखे गये पत्रों में	आपका आज्ञाकारी,	कृपाकांक्षी
2. छोटों को लिखे गये पत्रों में	तुम्हारा शुभेच्छु,	तुम्हारा हितैषी
3. समान आयुवालों को लिखे दिये गये पत्रों में	तुम्हारा अभिन्न मित्र	शुभचिन्तक

स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना हस्ताक्षर कर उसके नीचे कोष्ठक में नाम लिखना चाहिए।

21, दयानन्द छात्रावास,
जालोर।
दिनांक : 5 मई, 2003

पूज्य पिताजी,

सादर चरण स्पर्श।

मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आप सबकी कुशलता परमपिता परमात्मा से नेक चाहता हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षाएँ समाप्त हो गई हैं। सभी प्रश्न–पत्र अच्छे हुए हैं। 13 मई तक परीक्षा–परिणाम प्राप्त हो जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहूँगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वर्ष विद्यालय का एक दल ग्रीष्मकालीन अवकाश में कश्मीर भ्रमण हेतु जा रहा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी इस दल में सम्मिलित होऊँ।

कहते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, वहाँ फूलों से लदी घाटियाँ तथा बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ लोगों का मन मोह लेती है। वहाँ के शालीमार एवं निशात बाग नन्दन कानन से सुन्दर हैं। वहाँ केसर की खेती होती है।

अतः आप से सविनय निवेदन है कि आप मुझे भी इस दल में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान करावें तथा भ्रमण हेतु दो हजार रुपये भी धनादेश द्वारा भेजने का कष्ट करें।

माताजी को प्रणाम। प्रिंस व पिन्टू से प्यार। गुंजन के लिए कश्मीर से अखरोट अवश्य लाऊँगा, उसे कहदें!

आपका आज्ञाकारी पुत्र

हस्ताक्षर

(गौरव)

सारणों की ढांणी,
जाटा बास,
चौहटण।
दिनांक : 04 अक्तूबर, 2003

प्रिय अनुज राज,

खुश रहो ।

कल तुम्हारे प्रधानाचार्य जी का पत्र मिला, जिससे ज्ञात हुआ कि तुम दिन–प्रतिदिन अनुशासन की अवहेलना करते हुए उद्दण्ड बन रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति भी कम है तथा प्रथम परीक्षा में सभी विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। तुम्हारे बारे में यह सब जानकर मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी। किस आशा के साथ तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था। घरवालों की आशा के विपरीत तुमने यह सब कर हमें बहुत कष्ट पहुँचाया है।

पिताजी ने कहा कि यदि तुम्हारी पढ़ने की इच्छा न हो तो पुनः गाँव चले आओ। गाढ़े पसीने की कमाई व्यर्थ बहाने की नहीं। मैंने पिताजी से एक अवसर देने का निवेदन किया है, अतः द्वितीय परीक्षा में यदि अच्छे अंक प्राप्त नहीं किये, नियमित रूप से विद्यालय नहीं गये तो तुम्हारा अध् ययन बीच में छुड़ाने को विवश होना पड़ेगा।

आशा है, तुम इस पत्र को पढ़ने के बाद अपने व्यवहार में सुधार कर, हमारी भावनाओं पर खरे उतरोगे।

तुम्हारा शुभेच्छु

ओम प्रकाश

25, महावीर नगर,
नन्दपुरी,
जयपुर ।
दिनांक : 15, मार्च, 2003

प्रिय सखी सविता,

हार्दिक बधाई।

आज तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि इस बार तुम अपना जन्म दिन 25 मार्च को धूमधाम से मनाने जा रही हो। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे जन्म दिन समारोह में सम्मिलित होती किन्तु तुम्हें ज्ञात ही होगा कि हमारे बोर्ड की परीक्षाएँ 20 मार्च से प्रारम्भ होने जा रही है। अतः जन्म दिन के शुभ अवसर पर मेरी ओर से तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ।

साथ ही, मैं भगवान् से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करें तथा तुम अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर पहुँचो । परीक्षा की समाप्ति पर मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगी। एक बार पुनः मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

आदरणीय चाचाजी एवं चाची जी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहें तथा अनुज अनुराग को स्नेह।

तुम्हारी अभिन्न सहेली

दीपा

संवेदना पत्र

सरोज सदन,
शिवनगर,
बीकानेर ।
दिनांक : 15 जून, 2003

प्रिय मनोज,

हार्दिक संवेदना।

तुम्हारे पूज्य पिताजी की असामयिक मृत्यु का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। अभी पिछले पत्र में तुमने उनके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिखा था, फिर यह अप्रत्याशित कैसे हो गया ? तुम्हारे पिताजी का जो मुझ से विशेष स्नेह था उसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता।

प्रियमित्र, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है। जो इस पृथ्वी पर जन्मा है, उसे एक न एक दिन जाना है। विधि के विधान एवं नियति के निर्णय से कौन बचा है ? इसलिए हम सब को ईश्वर के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही होता है।

मेरी परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि वह स्वर्गीय आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे तथा तुम्हें व तुम्हारे परिजनों को इस असह्यशोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। मुझे विश्वास

है कि शोक की इस घड़ी में तुम धीरज से परिजनों को सान्त्वना देकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करोगे।

तुम्हारा शुभेच्छु
चन्द्रशेखर

प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
मथानिया।

विषय : शुल्क मुक्ति हेतु !

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी का देहावसान गत वर्ष हो गया। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी माताजी ही मजदूरी कर घर–खर्च चलाती है। हम तीन भाई बहिन हैं। अतः मेरी माताजी विद्यालय का शुल्क जमा कराने में असमर्थ है।

गत वर्ष मैंने बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। इस वर्ष विद्यालय की फुटबॉल टीम का जिला स्तर पर मैंने नेतृत्व किया तथा टीम उप विजेता रही।

अतः मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मेरा शुल्क माफ करने का कष्ट करेंगे अन्यथा मुझे अपना अध्ययन रोकना पड़ेगा। आशा है, मेरा शुल्क माफ कर मुझे पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे!

आपका आज्ञाकारी शिष्य
दिनांक : 15 जुलाई, 2003
राजेश
कक्षा 11 क

शिकायती – पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,
नगर पालिका,
देशनोक ।

विषय : मोहल्ले में व्याप्त गन्दगी के बारे में।

मान्यवर,

बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले में

व्याप्त गन्दगी हटाने हेतु बार–बार निवेदन करने पर भी उनके कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। गत दो माह में सफाई न होने से स्थान–स्थान पर कूड़े के ढेर लग गये हैं। नालियाँ भर जाने से गन्दा पानी सड़कों पर फैल रहा है तथा बदबू के मारे मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है।

यदि समय पर सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो बीमारियाँ फैलने का खतरा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एक बार स्वयं मोहल्ले का निरीक्षण करके गन्दगी हटवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय
हस्ताक्षर
(बाबूलाल)
मौहल्ला लायकान
वार्ड नं. 6

दिनांक : 4 अक्टूबर, 2003

विवाह का निमन्त्रण

।। श्री गणेशायनमः ।।

मान्यवर !

श्रीमती एवं श्री रामलाल वर्मा
अपने पुत्र
चि. मनोज कुमार
संग
सौ. कां. मंजु
(सुपुत्री श्रीमती एवं श्री अवधेश कुमार वर्मा)
के
शुभ – विवाह पर
संवत् 2059 फाल्गुन शुक्ला 2, दिनांक 5 मार्च 2003 बुधवार
की मांगलिक बेला पर वर–वधू को आशीर्वाद प्रदान
करने हेतु आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

उत्तराकांक्षी :
रामलाल वर्मा,
आदर्श चौक
भावी (जोधपुर)

दर्शनाभिलाषी :
गिरधारीलाल, ईश्वरलाल, चन्दूलाल
मदनलाल, अनिल, सुनील एवं
समस्त वर्मा परिवार

वैवाहिक (मांगलिक) कार्यक्रम

बारात प्रस्थान : दिनांक 5 मार्च 2003, सायं 6 बजे

पाणिग्रहण संस्कार : दिनांक 5 मार्च 2003, रात्रि 10 बजे
आशीर्वाद समारोह : दिनांक 6 मार्च 2003, रात्रि 8 बजे
एवं प्रीतिभोज

कार्यालयी – पत्र

कार्यालयी या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से है, जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर–सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं।

सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं। जिनमें सामान्य सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन–पत्र (स्मरण पत्र) विज्ञप्ति, अनुस्मारक, अर्द्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश आदि प्रमुख हैं। हर सरकारी पत्र अपने निश्चित प्रारूप में ही लिखा जाता है–

सामान्य

राजस्थान सरकार

जिलाधीश कार्यालय, जोधपुर।

पत्र क्रमांक : जिका/जोध/2002–03/1023 दिनांक 14 सितम्बर, 2003

प्रेषक :
जिलाधीश,
जोधपुर।

प्रेषित/सेवामें

राजस्व सचिव,
राजस्व विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय : अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति।
संदर्भ : पत्र क्रमांक जिका/जोध/02–03/931 दि. 25 जुलाई, 2003

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस जिले की चिन्ताजनक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। गत तीन वर्षों से जिले में वर्षा के नितान्त अभाव के कारण फसलें नहीं हो रही है। किसानों के पास न भरपेट अनाज है और न ही जीविकोपार्जन का कोई साधन। फलतः जिले के किसान जीविकोपार्जन हेतु पलायन कर रहे हैं।

गाँवों में अन्न, जल तथा चारे का घोर संकट उपस्थित हो गया है। यदि समय पर शासन द्वारा राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये तो जिले में भुखमरी फैलने की आशंका है।

अतः पूर्व पत्र के क्रम में पुनः अनुशंसा करता हूँ कि जिले में राहत कार्य आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करावें ताकि समय पर अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय
हस्ताक्षर
संलग्न : गिरदावरी रिपोर्ट।   जिलाधीश,
जोधपुर

निविदा

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को सम्पन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमन्त्रण प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं।

निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदण्ड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

राजस्थान – सरकार

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा।

क्रमांकः जिशिअ/कोटा/2003–04/1511   दिनांकः 20 जून, 2003

निविदा सूचना संख्या 05 वर्ष 2003–04

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्त्ति हेतु मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। इस हेतु प्रपत्र दिनांक 10 जुलाई 2003 को 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं और दिनांक 11 जुलाई 2003 को 3.30 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। दिनांक 13 जुलाई 2003 को 4.00 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा कराकर कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

क्रम संख्या	सामान का विवरण	अनुमानित राशि लाखों में	धरोहर राशि रुपये	निविदा–शुल्क रुपये	सामान आपूर्ति की अवधि
1.	कम्प्यूटर	3.00	6000	100	2 माह
2.	स्टील आलमारी	2.00	4000	100	2 माह
3.	स्टेशनरी सामान	0.50	1000	50	1 माह

आवश्यक शर्तें :

1. सशर्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी।
2. तार द्वारा प्राप्त निविदाएँ, विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।
3. बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता का सुरक्षित है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
कोटा

अधिसूचना NOTIFICATION

किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश–प्राप्ति, त्याग–पत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं।

अधिसूचनाएँ किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित भी हो सकती हैं किन्तु इनका सम्बन्ध सामान्य जनता से होता है इसलिए इन्हें राजकीय राज पत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है! यथा –

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांकः ऊवि / 2003–04 / 101 जयपुर,, दिनांक : 14 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

राजस्थान सरकार केन्द्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटातापीय विद्युतगृह, कोटा में छठी इकाई स्थापित करना चाहती है। अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से दो माह की अवधि के अन्दर सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योतिनगर, जयपुर को प्रेषित कर सकता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम)
उपशासन सचिव
ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण निगम, जयपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।

परिपत्र (गश्ती पत्र) CIRCULAR

जब एक ही सूचना आदेश, निर्देश या सन्देश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गश्तीपत्र कहलाता है।

परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं किन्तु इसमें प्रेषिति के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र को आवश्यकतानुसार टाइप, साइक्लोस्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं।

राजस्थान सरकार
वित्त – विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प 9(1) वित्त–(1) आ.व्य./2003 जयपुर, दिनांक. 13 जून, 2003

परिपत्र

प्रेषित :

समस्त शासन सचिव, राजस्थान।
समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
समस्त जिला कलेक्टर।

विषय : राजकीय व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता करने तथा राजकीय कार्य में सादगी अपनाने के उद्देश्य से यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्ननिर्णय तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे–

1. किसी भी विभाग में नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता होगी।
2. समस्त विभागों में नये पदों के सृजन/क्रमोन्नयन पर प्रतिबंध रहेगा।
3. हवाई जहाज से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
4. वाहन, एयर कन्डीशनर, सैल्यूलर फोन की खरीद पर प्रतिबंध रहेगा।
5. राजकीय भोज आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आज्ञा से
हस्ताक्षर
(हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम)
वित्त सचिव,
वित्त विभाग।

अनुस्मारक – पत्र

पूर्व में लिखे गये किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है अर्थात् प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है तो ऐसे

पत्रों को अनुस्मारक पत्र कहते हैं।

इसका प्रारूप सरकारी पत्र का ही होता है किन्तु विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए।

राजस्थान सरकार

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर।

स्मरण–पत्र

क्रमांकः जिसेन्या/जोध/2003:04/57 दिनांक 11 जून, 2003

प्रेषक :

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जोधपुर।

प्रेषित :

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय,
फलोदी।

विषय : लेखन एवं मुद्रण सामग्री के माँग पत्र बाबत।

संदर्भ : इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 27 दिनांक 3 मई 2003

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय से मुद्रण व लेखन सामग्री के माँग पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः उक्त माँग पत्र शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करावें अन्यथा विलम्ब के लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

भवदीय
हस्ताक्षर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1 के लिए
जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर।

अर्द्ध शासकीय पत्र

जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यानाकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्द्ध शासकीय या अर्द्ध सरकारी पत्र कहते हैं।

ऐसे पत्रों में बायीं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है तथा दायीं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्द्ध शासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दायीं ओर लिखी जाती है। जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री सम्बोधन का प्रयोग होता है। पत्र के अन्त में हितैषी, शुभचिन्तक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते

हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाता है किन्तु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। प्रेषिति का नाम व पता सबसे नीचे बायीं ओर लिखा जाता है।

डॉ. रामलाल वर्मा — राजकीय जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय
अधीक्षक — अजमेर।

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/राजनेचि/अज/2003–04/1511

दिनांक : 1 जुलाई, 03

प्रिय श्री गुप्ता साहब,

जैसा कि आपको विदित है कि यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है एवं यहाँ चिकित्सा की सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों के प्रवेश एवं निदान के लिए कोई अलग से वार्ड नहीं है।

अतः परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय माँग को दृष्टि में रखते हुए इस चिकित्सालय में 50 शय्याओं युक्त बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड निर्माण की अविलम्ब आवश्यकता है।

कृपया 50 शय्याओं के एक वार्ड निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि की व्यवस्था करा कर इस आवश्यकता को पूरा कराने का कष्ट करें।

श्री ओ पी गुप्ता साहब — आपका शुभेच्छु
निदेशक — हस्ताक्षर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य — (डॉ. रामलाल वर्मा)
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विज्ञप्ति A COMMUNIQUE

विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से सम्बन्धित सूचनाओं को सम्बन्धित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं।

यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुँचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगवा दिया जाता है किन्तु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है।

कार्यालयः आयुक्त, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, जयपुर।

क्रमांक : आराचुआ/जय/2003–04/102 — दिनांक : 1 जुलाई, 2003

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय–पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रानिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किये हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि राज्य में निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो सकें।

हस्ताक्षर

नाम हस्ताक्षरकर्त्ता
मुख्य चुनाव आयुक्त,
राजस्थान राज्य चुनाव आयोग,
जयपुर ।

ज्ञापन MEMORANDUM (स्मरण – पत्र)

कार्यालयी कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन – पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो अर्थात् विषय सामग्री कम महत्त्वपूर्ण हो तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है।

ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता है, यह प्रायः अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें एक ही अनुच्छेद होता है तथा अन्तिम प्रशंसात्मक वाक्यांश भी नहीं होता। इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ही हस्ताक्षर होते हैं प्रेषिति का नाम व पता पत्र के नीचे बायीं ओर लिखा जाता है –

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

स्मरण पत्र क्रमांकः रालोसेआ/अज/2003–04/1234

दिनांक : 10 जून, 2003

विषय : हिन्दी व्याख्याताओं की नियुक्ति।

श्री दुष्यन्त कुमार को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25 जून, 2003 को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। वे अपने साथ सभी प्रमाण–पत्रों तथा प्रशंसा–पत्रों की मूल प्रतियाँ भी लेकर आवें। उन्हें यह ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराया एवं भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा।

आज्ञा से
हस्ताक्षर
सचिव के लिए

प्रेषिति :

श्री दुष्यन्त कुमार गोयल
आदर्श चौक,
ओसियाँ (जोधपुर)

कार्यालय टिप्पणी

कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक एवं अन्त में अधिकारी द्वारा उस पत्र या प्रकरण का विवरण देकर जो निर्णय या प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालय टिप्पणी कहते हैं।

श्री अर्जुन सिंह साँखला जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर द्वारा कार्यालय में उपार्जित अवकाश लेने हेतु आवेदन किया, उनके आवेदन पत्र पर

कार्यालय टिप्पणी का एक प्रारूप देखिए –

राजस्थान सरकार

कार्यालय : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

कार्यालय टिप्पणी

क्रम संख्या (आवती) 181 पृष्ठ सं. 25 (अवकाश पत्रावली)

51. कृपया अवकाश पत्रावली के पत्र संख्या 181 का अवलोकन करें जिसमें श्री अर्जुन सिंह साँखला जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक ने दिनांक 5 फरवरी 2003 से 15 दिन के उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन किया है।
52. श्री साँखला के खाते में 60 दिन का उपार्जित अवकाश शेष है।
53. बोर्ड के निर्देशानुसार विद्यालय की उच्च माध्यमिक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएँ फरवरी माह में होनी है।
54. श्री साँखला की यह प्रवृत्ति रही है कि जब भी परीक्षा का आयोजन होता है, वे अवकाश ले लेते हैं, जिससे प्रायोगिक परीक्षा के संचालन में परेशानी उठानी पड़ती है।
55. यदि इस वर्ष भी उनके द्वारा चाहे गये अवकाश को स्वीकृत कर दिया गया तो छात्रों को परीक्षा में असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
56. उक्त सभी परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए अवकाश स्वीकृत करना छात्रहित में नहीं है।

    बद्री सिंह
    (हस्ताक्षर लिपिक)
    दिनांक 4/01/03
    का.अ.म.

57. टिप्पणी संख्या 56 के अनुसार अवकाश स्वीकृत करना छात्रहित में नहीं है।

    आदेशार्थ
    किशन सिंह
    (हस्ताक्षर का.अ.म.)
    5/01/03

58. प्राचार्य महोदय

    टिप्पणी संख्या 57 के अनुसार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और साँखला को निर्देश दिये जाते हैं कि वे परीक्षा अवधि में नियमित उपस्थित हों ताकि परीक्षा कार्य में बाधा न आये।

हस्ताक्षर
(प्रधानाचार्य)
5/01/03

व्यावसायिक – पत्र

किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा व्यावसायिक कार्य हेतु अन्य संस्थाओं, एजेन्सियों एवं व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र मूल्यों की पूछताछ करने, मूल्य बताने, माल क्रय का आदेश देने, माल प्रेषण की सूचना देने, शिकायत करने, तकाजा करने, बैंक, बीमा, परिवहन एजेन्सी आदि को लिखे जाते हैं।

हेमराज प्रेमराज
कपड़े के व्यापारी

तार का पता : हेम — गाँधी चौक,
टेलिफोन नं. 2550028 — घी का झण्डा
कोड नं. ए.बी.सी. — पाली (मारवाड़)
पत्र क्रमांक : 2003/151 — दिनांक 25 जुलाई, 2003

सर्वश्री मांगीलाल सोहनलाल
रामगंज
अजमेर

विषय : मूल्यसूची मँगाने हेतु !

प्रिय महोदय,

हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि हमने दो वर्ष पूर्व बड़ी पूँजी विनियोजित कर कपड़े का व्यवसाय शुरू किया था जो निरन्तर प्रगति पर है। हमें अपने एक व्यापारी मित्र से ज्ञात हुआ है कि आप अजमेर के कपड़े के प्रमुख व्यापारियों में से एक हैं।

हम आपसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं। हमें आपके द्वारा बेचे जाने वाले कपड़ों के सम्बन्ध में नवीनतम मूल्य सूची भेजने का कष्ट करें। साथ ही अपनी व्यापारिक शर्तों से भी अवगत करावें।

यदि मूल्य व्यापारिक शर्तें अनुकूल हुई तो हम एक बड़ी राशि का क्रयादेश देंगे।

भवदीय
हेमराज प्रेमराज के लिए
हस्ताक्षर
(हेमराज)
साझेदार।

राहुल एण्ड कम्पनी
क्रॉकरी विक्रेता

तार का पता : राहुल — गणगौर बाजार
टेलिफोन नं. 2442252 — जयपुर।
कोड नं. ए.बी.सी.
पत्र क्रमांक 1945/2003 — दिनांक 12 फरवरी, 2003

सर्वश्री अपोलो सर्विसेज,
आसफ अली रोड,
दिल्ली।

विषय : क्षतिपूर्ति हेतु।

प्रिय महोदय,

आपके यहाँ का 14 जनवरी 2003 का भेजा, क्रॉकरी का माल मिला, किन्तु पेटियों में बहुत सा माल टूटा पाया गया। टूटे सामान का विस्तृत विवरण हमने माल सुपुर्दगी के समय ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को बता दिया था तथा उसकी सूचना आपको भी भिजवा दी थी। अपनी व्यापारिक शर्तों के अनुसार हमने 10 प्रतिशत हर्जाने के साथ टूटे माल की क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन किया था।

आपके द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर हमने माल की आपूर्ति के साथ क्षतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान हेतु आग्रह भी किया था, ताकि भविष्य में अपने व्यापारिक सम्बन्ध मधुर बने रहें, परन्तु आज तक आपकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप 10 प्रतिशत हर्जाने के साथ माल की क्षतिपूर्ति करना नहीं चाहते हैं।

अतः बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि आप या तो 15 दिन में माल की आपूर्ति दस प्रतिशत हर्जाने के साथ कर दें अन्यथा हमें मजबूर होकर कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

भवदीय
राहुल एण्ड कम्पनी के लिए
हस्ताक्षर
राहुल
साझेदार।

संलग्न : टूटे माल की प्रतिलिपि।

अभ्यास प्रश्न

1. पत्र लेखन में अपने से बड़ों के लिए उपयुक्त संबोधन है–
   (क) बन्धुवर (ख) प्रिय महोदय
   (ग) आदरणीय (घ) चिरंजीव ( )
2. व्यक्तिगत पत्र में दिनांक का उल्लेख होता है –
   (क) पत्र के नीचे बायीं ओर
   (ख) पत्र के ऊपर दायीं ओर
   (ग) पत्र के नीचे दायीं ओर
   (घ) हस्ताक्षर के नीचे ( )
3. 'शुल्क मुक्ति हेतु लिखा पत्र कहलाता है –
   (क) कार्यालयी पत्र (ख) आवेदन–पत्र
   (ग) प्रार्थना–पत्र (घ) शिकायती – पत्र ( )
4. निम्न में से कौनसा पत्र कार्यालयी पत्र नहीं होता
   (क) परिपत्र (ख) अधिसूचना
   (ग) ज्ञापन (घ) आवेदन – पत्र ( )

5. अधिसूचना किसे कहते हैं ?

6. आप 25, शहर सराय, रतलाम निवासी अरविन्द हैं, इन्दौर निवासी अपने मित्र राजेश को एक बधाई पत्र लिखिए, जिसमें गणतन्त्र दिवस पर, जिला प्रशासन द्वारा समाज सेवा में प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित होने का उल्लेख हो।

7. आप मीनाक्षी शर्मा श्रीनगर (कश्मीर) निवासिनी हैं। अजमेर निवासिनी अपनी सहेली को एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश इस बार आपके साथ जम्मू–कश्मीर में बिताने का आग्रह हो।

8. स्वयं को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भावी का छात्र मानते हुए जोधपुर शहर स्थिति 'राजीव गाँधी बुक बैंक' के व्यवस्थापक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवश्यक कारणों का उल्लेख हो।

9. अपने को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के 'इन्दिरा गाँधी छात्रावास' की छात्रा रजनी मानते हुए अपनी प्रधानाचार्या को छात्रावास की कमियों का वर्णन करते हुए एवं उन्हें दूर करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए।

10. आप वासुदेव रामगंज अजमेर निवासी हैं, अपने अनुज हेमन्त, जो चंडीगढ़, में अध्ययनरत है को एक पत्र लिखिए जिसमें नियमित रूप से अध्ययन करने तथा अपव्यय से बचने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव दीजिए।

11. स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी तथद मानते हुए, अपने अधीनस्थ संस्थाओं के लिए आवश्यक लेखन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक निविदा का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।

12. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर के वार्षिकोत्सव के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए छात्र संघ, अध्यक्ष की ओर से एक निमन्त्रण पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।

13. सुरेश एण्ड कम्पनी, स्टेशन रोड़, भरतपुर को भंसाली ट्रेडर्स महात्मा गाँधी रोड़, नई दिल्ली से दवाइयों का एक पार्सल, टूटी–फूटी हालत में मिला। इससे लगभग 2000 रु. की हानि हुई। हानि की पूर्ति के लिए सम्बन्धित रेल अधिकारी को एक पत्र लिखिए।

14. अपने अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक टिप्पणी लिखिए, जिसमें अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्थायी करने की अनुशंसा की गई हो।

15. जवाहरलाल नेहरू राजकीय उ. मा. विद्यालय, अजमेर के छात्र अरविन्द की ओर से वहाँ के नगर दण्ड नायक को पत्र लिखिए, जिसमें परीक्षा के दिनों में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई हो।

16. नगर परिषद् पाली के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, उनके निराकरण की प्रार्थना की गई हो।

18

तार–लेखन

किसी समाचार को पत्र की अपेक्षा शीघ्र भेजने का सबसे सस्ता साधन तार (Telegram) होता है। टेलीफोन की अपेक्षा तार भेजना प्रमाणीकरण के लिए भी ठीक रहता है। तार भेजने के लिए हमें तारघर या डाकघर जाना होता है। वहाँ तार भेजने के लिए एक निश्चित प्रपत्र दिया जाता है, जिसमें निश्चित स्थान पर तार का प्रकार व श्रेणी तार पाने वाले का नाम व पता, मुख्य सन्देश तथा प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर एवं पता लिखना होता है।

तार के शब्दों को गिनकर हमसे तार कर्मचारी धनराशि वसूल करता है। इसलिए तार लेखन भी एक कला है अतः हमें तार लेखन से पूर्व तार विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

तार के प्रकार :–

तार के मुख्यतः तीन प्रकार माने गये हैं:–

(i) निजी तार : यह व्यक्तिगत तार होता है।

(ii) बधाई या शुभकामना तार : बधाई देने या शुभ कामना संदेश आदि इसके अन्तर्गत आते हैं। वैसे डाक–तार–विभाग द्वारा ऐसे तारों के लिए निश्चित कोड नम्बर निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार के तारों में केवल कोड नम्बर लिखने होते हैं तथा शुल्क भी कम लगता है।

(iii) सरकारी तार : राजकीय कार्यालयों से राज–काज हेतु प्रेषित तार इस कोटि में आते हैं।

श्रेणी : तार का सन्देश तार–यन्त्र द्वारा प्रेषित किया जाता है अतः इनको भेजने की प्राथमिकता के आधार पर इसकी श्रेणियाँ भी निर्धारित की गई हैं।

(i) साधारण तार : जब सामान्य सूचना भेजनी होती है तो उसे साधारण तार की श्रेणी में भेजा जाता है। अतः तार भेजने वाले को साधारण श्रेणी को चिह्नित करना होता है। ऐसे तार निजी भी हो सकते हैं और बधाई तार भी। इनका शुल्क भी सामान्य ही होता है।

(ii) आवश्यक या जरूरी तार : इसे एक्सप्रेस या द्रुतगामी तार भी कहा जाता है। यदि कोई सूचना शीघ्र भेजनी होती है तो तार की आवश्यक श्रेणी को चिह्नित किया जाता है। ऐसे तार साधारण तारों की अपेक्षा पहले भेजे जाते हैं तथा इनका शुल्क सामान्य से दुगुना लगता है।

(iii) जवाबी तार : यदि तार का उत्तर तार से ही वापस मंगवाना होता है, तब जवाबी तार शीर्षक को चिह्नित किया जाता है। यह तार साधारण या आवश्यक किसी भी श्रेणी का हो सकता है किन्तु भेजे जा रहे संदेश का उत्तर पाने के लिए उत्तर का शुल्क भी वसूला जाता है।

तार लेखन हेतु सामान्य बातें : तार प्रेषण में राशि शब्दों के आधार पर ली जाती हैं

अतः डाक तार विभाग के तार सम्बन्धी नियमों की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है तथा हमें भी तार–राशि में बचत हेतु उनका उपयोग करना चाहिए–

(i) तार के सन्देश की महत्ता के आधार पर उसकी श्रेणीः चिह्नित करनी चाहिए। बधाई व शुभकामना संदेश सदैव साधारण श्रेणी में ही भेजने चाहिए। निजी तार की आवश्यकता के अनुसार उसकी श्रेणी निर्धारित करनी चाहिए।

(ii) तार पाने वाले का नाम व पूरा पता स्पष्ट लिखना चाहिए, किन्तु नाम के पूर्व 'श्री' तथा बाद में 'जी– जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी का नाम 'श्रीधर' हो तो 'श्री एवं धर' को अलग–अलग न लिख कर एक साथ 'श्रीधर' लिखना चाहिए। उसी प्रकार किसी का नाम रामजीलाल हो तो वहाँ नाम में से 'जी' को नहीं हटाना चाहिए। पता पूरा लिखा जाए ताकि तार पहुँचाने वाले कर्मचारी को व्यर्थ ही इधर उधर न भटकना पड़े।

(iii) तार का संदेश ऐसा हो जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात स्पष्टता के साथ कही जा सके। बधाई व शुभकामना संदेश हेतु संदेश स्थान पर निश्चित कोड नम्बर ही अंकित करने चाहिए, इससे तार शीघ्र पहुँचता है तथा शुल्क भी कम लगता है।

(iv) तार–संदेश निर्धारित स्थान पर साफ–साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए।

(v) तार के प्रारूप में प्रेषक के लिए भी एक कॉलम होता है, अतः प्रेषक को अपना नाम भी निश्चित स्थान पर स्पष्ट लिखना चाहिए।

(vi) तार के अन्त में प्रेषक के हस्ताक्षर ; नाम व पूरे पते हेतु भी स्थान नियत होता है अतः निर्देशानुसार तार को भेजने वाले को अपने हस्ताक्षर कर उसके नीचे नाम व पूरा पता स्पष्ट लिखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है।

(vii) हिन्दी में तार लिखते समय शब्दों के साथ उनके कारक चिह्नों (विभक्तियों) को साथ जोड़ कर लिखा जाता है।

जैसे प्रशान्तको शीघ्र भेजो।

(viii) डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित कोड क्रमांक और इनके संदेशों की सूची इस प्रकार है इसकी एक प्रति डाक या तार घर में भी लगी होती है –

कोड क्रमांक	**सन्देश**
1.	दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
2.	ईद मुबारक।
3.	विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।
4.	नव वर्ष आपको शुभ हो।
5.	ईश्वर करे यह शुभ दिन बार–बार आये।
6. क.	पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई।
6. ख.	पुत्री भाग्यवती और चिरंजीवी हो।
7.	आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई।
8.	सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएँ।
9.	क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

10. परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई।
11. आपकी यात्रा आनन्दमय और सकुशल हो।
12. चुनाव में सफलता पर हार्दिक बधाई।
13. आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिशः धन्यवाद।
14. बधाई।
15. सप्रेम शुभकामनाएँ।
16. वर–वधू पर परमात्मा की असीम कृपा हो।
17. आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी तथा समृद्धिशाली हो।
18. स्वतन्त्रता दिवस पर मंगलकामनाएँ
19. हार्दिक बधाई, 'अमर रहे गणतन्त्र हमारा।'
20. होली की शुभकामनाएँ।
21. उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।
22. बधाई सन्देश के लिए अनेक धन्यवाद।
23. परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएँ।
24. निर्वाचन में सफलता के लिए शुभकामनाएँ।
25. वर–वधू को आशीर्वाद।
26. पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएँ।
27. गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।
28. विश्व क्षमाशीलता दिवस 'पर्यूषण' के शुभ अवसर पर बधाई।
29. ओणम् की हार्दिक बधाई।
30. विवाह की वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ।
31. आपका सेवानिवृत्त जीवन सुखमय हो।
32. शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएँ।
33. उगाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ।
34. सफलता पर बधाई।
35. बिहू की शुभकामनाएँ।
36. ईस्टर की शुभकामनाएँ।
37. बुद्ध जयन्ती पर हार्दिक बधाई।
38. गृह–प्रवेश पर हार्दिक बधाई।
39. गुरु रविदास पूर्णिमा पर हार्दिक शुभ कामनाएँ।
40. नवरोज की शुभकामनाएँ।
41. झूलेलाल जयन्ती के अवसर पर हार्दिक बधाई।

शोक वाक्यांश

100. मेरी गहरी संवेदनाएँ।

तार के प्रारूप

तार का प्रकार व श्रेणी	प्रेषितिः (पाने वाले का पता)
निजी/बधाई/सरकारी	नामः ....

साधारण / आवश्यक / जवाबी   पताः ....

सन्देश के लिए निर्धारित स्थान

प्रेषक : (तार द्वारा प्रेषणीय)   प्रेषक का नाम

तार द्वारा अप्रेषणीय

प्रेषक के हस्ताक्षर

प्रेषक का नाम : ....

पूरा पता : ....

25, महादेव नगर, नन्दपुरी, जयपुर के आलोक गोयल की ओर से अपने मित्र अरविन्द सोलंकी, पारख भवन, हाथीराम का ओडा, जोधपुर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर एक बधाई तार सही प्रारूप में लिखिए।

तार का प्रकार व श्रेणी   प्रेषिति :

निजी / **बधाई** / सरकारी   नाम : अरविन्द सोलंकी

साधारण / आवश्यक / जवाबी   पता : पारख भवन हाथीराम का ओडा, जोधपुर

इस चयन हेतु हार्दिक बधाई

प्रेषक : (तार द्वारा प्रेषणीय)   आलोक गोयल

तार द्वारा अप्रेषणीय   (   )

प्रेषक के हस्ताक्षर

प्रेषक का नाम : आलोक गोयल

पूरा पता : 25, महादेव नगर, नन्दपुरी, जयपुर।

(ii) स्वयं को जया शर्मा रामगंज अजमेर मानते हुए अपनी सहेली श्रीमती रेखा चौहान, 4 हवालामार्ग, अजन्ता होटलवाली गली, सूरजपोल, उदयपुर के विदेशयात्रा पर शुभकामना संदेश तार द्वारा प्रेषित कीजिए–

तार का प्रकार व श्रेणी   प्रेषिति :

निजी / बधाई / सरकारी   नाम : रेखा चौहान

साधारण / आवश्यक / जवाबी   पता : 5 हवाला मार्ग, अजन्ता होटल वाली गली, सूरजपोल, उदयपुर

विदेश यात्रा मंगलमय हो

प्रेषक : (तार द्वारा प्रेषणीय)   जया शर्मा

तार द्वारा अप्रेषणीय   प्रेषक के हस्ताक्षर

प्रेषक का नाम : श्रीमती जया शर्मा,

पूरा पता : तेलीवाली गली, रामगंज, अजमेर

अभ्यास प्रश्न

1. स्वयं को अलवर निवासी महावीर मानते हुए मेन रोड, मथुरा निवासी अपने मित्र श्रीकृष्ण दयाल को, उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए सही प्रारूप में बधाई तार लिखिए।
2. स्वयं को पटना निवासी गौरव मानते हुए अपने मामाजी दिव्यांशु शर्मा, विश्वेशनगर, पुणे को चुनाव में उनकी विजय पर सही प्रारूप में बधाई तार लिखिए।
3. स्वयं को बाँसवाड़ा निवासी प्रदीप मानते हुए अपनी दादीजी के बीमार होने पर महादेव नगर, नन्दपुरी, जयपुर निवासी अपने चाचाजी श्रीकान्त पाठक को शीघ्र बुलाने हेतु एक तार सही प्रारूप में लिखिए।
4. प्रथम डी, हिरण मगरी उदयपुर निवासी अजय की ओर से अपने मित्र नरेन्द्र गौड़, शिवनगर महामंदिर, जोधपुर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर एक बधाई तार सही प्रारूप में लिखिए।

19
संक्षिप्तीकरण

संक्षेपण आज के युग की आवश्यकता बन गया है। आज व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि वह कोई विस्तृत रचना पढ़ना पसन्द नहीं करता बल्कि संक्षिप्त में ही सब कुछ जानना चाहता है। संक्षिप्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे किसी विस्तृत विवरण या वक्तव्य को संक्षिप्त में कहना, जिसमें उसके मूलभाव की रक्षा के साथ उसका क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप लगभग एक तिहाई भाग में होता है। अतः संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से किसी वक्तव्य के अभिप्राय को अनावश्यक वर्णनों एवं संदर्भों से निकाल कर मूल तथ्यों का प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त संकलन होता है।

संक्षेपण के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता, इससे समय की बचत होती है, श्रम की रक्षा होती है, मूलभाव तक पहुँचाने में सहायक होता है; मूलभाव के अतिरिक्त अनावश्यक सन्दर्भों से पृथक् रखता है तथा हमारी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का विकास करता है।

संक्षिप्तीकरण हेतु सामान्य निर्देश–

सर्वप्रथम दिये गये विवरण एवं वक्तव्य का अध्ययन कर उसकी पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेने के बाद उस वक्तव्य में अनुभूत आवश्यक शब्दों, वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिनका मूल विषय वस्तु से सीधा सम्बन्ध हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण तथ्य छूट न पाये। संक्षिप्तीकरण के लिए सदैव अपनी ओर से अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात् भाव उसके भाषा अपनी। हमें उसकी विषय वस्तु के बारे में टीका–टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता अतः न तो हमें उसमें व्यक्त विचारों का खण्डन करना चाहिए और न ही अपनी ओर से मौलिक या स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण को अन्तिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यांशों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए।

संक्षिप्तीकरण अन्य पुरुष शैली में लिखा जाय; वक्तव्य के क्रियारूपों में यथोचित परिवर्तन किया जाय। किसी भी वाक्यांश को ज्यों का त्यों नहीं लिया जाय, भावों की पुनरावृत्ति को रोका जाय, जहाँ तक संभव हो वाक्य खण्डों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाय, लंबे वाक्य प्रयुक्त न किये जाय, भाषा में आलंकारिकता एवं साहित्यिकता का प्रयत्न न किया जाय बल्कि सरल, सुबोध, प्रवाहपूर्ण भाषा हो तथा विचारों की क्रमबद्धता एवं तारतम्यता बनी रहे।

पूछने पर ही उचित शीर्षक दिया जाय जो लघु हो, उसकी वर्तनी शुद्ध हो तथा विषय वस्तु से सम्बद्ध तथा सभी तथ्यों को समेटने वाला हो।

अपठित गद्यांश में भी जहाँ उसका सार एवं शीर्षक पूछा जाता है वहीं उस गद्यांश से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सार या सारांश ही संक्षेपण है।

1. निम्न अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए।

'शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालान्तर में निर्जीव–सा नहीं पर डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत् सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से, जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकार ग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति–सम्पन्न होना अच्छे साहित्य पर अवलम्बित है।

संक्षिप्तीकरण : अच्छे भोजन से शरीर स्वस्थ्य रहता है तो बासी से बीमार उसी प्रकार अच्छा साहित्य मानव के लिए लाभदायक होता है तो बुरा हानिकारक। साहित्य के महत्त्व को स्वीकारते हुए सदैव अच्छे साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए।

2. "लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सान्निध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार–बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनन्द से विमुख रहता है। उसका अन्तःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असन्तोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुःख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है।"

संक्षिप्तीकरण : लोभ एक असाध्य रोग है। लोभी की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में वह सदैव दुखी ही रहता है। सुख की प्राप्ति सन्तोष से ही संभव है।

3. पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है, उसे अपनी मातृ–भूमि समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृ–भूमि के हृदय से जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता, मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते। मातृभूमि के प्रति अपने कर्त्तव्य की बात सोचते हैं।

संक्षिप्तीकरण : जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करता।

अभ्यास हेतु अन्य अवतरण – निम्न का संक्षिप्तीकरण कीजिए–

1. लोक गीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं असंभव सा है, क्योंकि लोक गीत उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तैरते चलते हैं। लोक गीतों पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनका मूल रूप कायम नहीं रहता। इससे जहाँ वे गाये जाने लगते हैं, वहाँ वे बहुत से शब्द, जो पर्यायवाची होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं और उनके मूल शब्दों को स्थान च्युत कर देते हैं। इसमें कौन–सा गीत पहले पहल कहाँ बना इसका पता नहीं लगाया जा सकता। केवल इस बात का पता लग सकता है कि कौन–सा गीत कहाँ गाया जाता है।

2. हमें स्वराज्य तो मिल गया, परन्तु सुराज्य हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान

कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्त्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम हाथों से यथेष्ट काम करने को हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता।

3. उदारीकरण एवं अन्य वैज्ञानिक तकनीकी विकसित होने के बाद दुनिया छोटी हो गई है। पहले भारतीय छात्रों को स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होने के प्रयास करने पड़ते थे। आने वाला समय अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धा का है। विज्ञान ने जो उन्नति की, छात्र उसे तो आत्मसात् करें, किन्तु भारतीय संस्कृति की मर्यादाएँ, परम्पराएँ एवम् सिद्धान्तों को जीवन में उतारें। हिन्दुस्तान के युवक युवतियों को पश्चिमी संस्कृति की नकल न करनी चाहिए। यदि अपनी मर्यादाओं को छोड़कर उच्छृंखल व्यवहार करेंगे तो पाश्चात्य देशों जैसी स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. राष्ट्र भाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। अपने को एक ही राष्ट्र के निवासी मानने वाले दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में बातें करें यह हास्यास्पद असंगति है। इस बात का द्योतक भी है कि उस देश में कोई समुन्नत भाषा नहीं है। दूसरे के सामने हाथ पसारना समृद्धि का नहीं, दरिद्रता का चिह्न है। दूसरे की भाषा से काम चलाना भी बहुत कुछ वैसा ही है। जिसकी अपनी भाषा है, वह दूसरे की भाषा क्यों उधार ले ? इससे राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। विदेशों में जाने पर भारतीयों को अंग्रेजी में बातें करते देखकर वहाँ के निवासी आश्चर्य से पूछ बैठते हैं कि क्या आपकी कोई भाषा नहीं है ? इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाय। भाषाएँ तो हमारे यहाँ अनेक हैं– एक से एक सुन्दर व समृद्ध। हीन भावना के कारण उनको नहीं अपना पाते। अपनी साहित्यिक और भाषिक समृद्धि पर सन्देह बना रहता है।

20

भाव विस्तार/पल्लवन

भाव विस्तार, रचना पल्लवन या वृद्धीकरण का तात्पर्य है किसी भाव को विस्तार से लिखना। इसमें कविता की कोई पंक्ति, काव्य–सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति या गद्य सूक्ति को उसके अर्थ के विस्तार के साथ सोदाहरण प्रस्तुत किया जाता है।

काव्य सूक्ति या लोकोक्ति में भाव या विचार अन्तर्निहित होते हैं; एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। अतः उसका विस्तार से विवेचन करना, ताकि सूत्रवाक्य, सूक्ति या कहावत में छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। वास्तव में ये एक प्रकार से गागर में सागर भरे होने के समान होते हैं। भाव विस्तार में हमें गागर में भरे उस सागर को निकालकर उसका पूरा प्रवाह दिखाना होता है। इसीलिए इसे भाव विस्तार, रचना पल्लवन या वृद्धीकरण कहते हैं।

भाव विस्तार की प्रक्रिया

1. काव्य सूक्ति या कहावत, लोकोक्ति को समझाना, शब्दिक अर्थ के द्वारा।
2. शाब्दिक अर्थ के बाद उसके आशय को विस्तार से स्पष्ट करना।
3. उदाहरणों द्वारा, अन्य कवियों, विद्वानों के कथनों द्वारा उसके आशय को पुष्ट करना।

ध्यान रखने योग्य बातें –

(i) भाव विस्तार की भाषा सरल एवं सुबोध हो।
(ii) वाक्य छोटे हों तथा आलंकारिक भाषा से बचा जाय।
(iii) भाव विस्तार सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए।
(iv) सामासिक शैली की अपेक्षा व्यास शैली का प्रयोग करना चाहिए।
(v) मूल भाव पर किसी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप उस भाव से चाहे सहमत हैं या नहीं; हमें तो उस भाव का विस्तार करना चाहिए।
(vi) कविता की पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण :

1. आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव धरती पर टिके हों।

व्यक्ति को जीवन में उन्नति हेतु महत्त्वाकांक्षी होना चाहिए किन्तु इतना महत्त्वाकांक्षी न हो कि वह यथार्थ की ही उपेक्षा कर बैठे अर्थात् व्यक्ति की कल्पनाएँ या स्वप्न ऐसे होने चाहिए जो कार्य रूप में बदल सके अर्थात् व्यक्ति को अपने व्यावहारिक पक्ष को समझ कर अपनी आकांक्षाओं को लचीला बनाना चाहिए। केवल हवाई किले बनाने, मन के लड्डू खाने या खयाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने का। सेठिया ने ठीक ही कहा कि ''बटाऊ चाल्याँ मंजल मिलसी, मन रा लाडू खा'र कदैई सुन्यौ न, कोई धाप्यो।'' वास्तव में जितनी रजाई लम्बी है, उतने ही तो पाँव पसारने चाहिए। अतः आदर्श स्थिति की प्राप्ति व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए किन्तु जीवन की यथार्थता को नहीं भूलना चाहिए।

2. एकै साधे सब सधै, सब साधै सब जाय।

व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्त्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आँख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करता है, निश्चय ही सफलता उसके चरणों को चूमती है। एक ही साथ दो घोड़ों पर सवार होने वाले का फिसलकर नीचे गिरना निश्चित है। किसी पेड़ के तने, डालियों, पत्तों फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा जबकि वह यदि मूल (जड़) को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होनी ही है। अतः व्यक्ति को एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही प्रयत्न करना चाहिए। कवि के निम्न कथन में इसी भाव की पुष्टि होती है कि–

एकै साधे सब सधै, सब साधै सब जाय।
जो तू सींचे मूल को, फूलै फलै अघाय।।

3. अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।

जब खेत हरा भरा था, फसल लहलहा रही थी, दाने पक रहे थे तब चिड़ियों ने आकर दाना चुगना प्रारम्भ कर दिया किन्तु तब तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, चिड़ियों को उड़ाने का प्रयत्न नहीं किया यानी फसल की रक्षा न की किन्तु बाद में फसल के अभाव में आठ–आठ आँसू बहाने, सिर पीटने से क्या लाभ ? यदि व्यक्ति किसी कार्य को समय पर नहीं करेगा तो असफलता का ही मुँह देखना होगा क्योंकि समय की समाप्ति पर तो कुछ नहीं होने का, केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए समय के मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है; गया हुआ समय कभी लौट कर आने का नहीं। समय पर किये कार्य का सुपरिणाम भी लम्बे समय रहता है। कवि ने ठीक ही कहा है–

समझदार सुजाण, नर औसर चूकै नहीं।
अवसर रो औसांण, रहे घणा दिन राजिया।।

उसी प्रकार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, किन्तु मृत्यु के समय पश्चाताप के आँसू बहाने से क्या लाभ। उसे तो समय रहते जीवन को सार्थक जो करना था। अतः कबीर की हाँ में हाँ मिलाते, यह कहना शत प्रतिशत सटीक है–

आछे दिन पाछे गये, हरि सों कियो न हेत।
अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।।

4. करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।

बार–बार अभ्यास करने से मन्द बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। अर्थात् अभ्यास व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक है। बोधिचर्यावतार ने कहा कि ''कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर हो।'' अंग्रेजी में भी एक कथन है कि `Practice makes a man perfect'. अर्थात् अभ्यास मनुष्य को अपने कार्य में (कुशल) दक्ष बना देता है। वास्तव में निरन्तर अभ्यास ही ज्ञानार्जन का मूल मंत्र है। अल्प बुद्धि जन यदि निरन्तर अभ्यास करें तो विद्वान ही नहीं महा विद्वान बन सकते हैं तथा कई बने भी हैं। कुएँ की जगत पर (मुंडेर) पानी खींचने की कोमल सूत की रस्सी के निरन्तर रगड़ से निशान बन जाते हैं उसी प्रकार निरन्तर अभ्यास से कार्य में सिद्धि और सफलता अवश्य मिलती है। कहते हैं वरदराज अज्ञानी एवं मूर्ख था किन्तु निरन्तर अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त किया, आगे चल कर जिसने 'लघु सिद्धान्त कौमुदी' और 'युग बोध' नामक उच्च कोटि के ग्रन्थों का प्रणयन किया। अर्जुन को गुरु द्रोण ने शिक्षा देकर महान् धनुर्धर बनाया परन्तु भील बालक एकलव्य ने निरन्तर अभ्यास से ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त की। अभ्यास एवं लगन ही एकलव्य के गुरु थे। अतः यह सत्य है कि–

करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात ते, सिल पर होत निसान।।

अभ्यासार्थ कुछ महत्त्वपूर्ण सूक्तियाँ :

1. अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम।
2. अठे सुजस प्रभुता उठे, अवसर मरियाँ आव।
3. अतिशय रगड़ करै जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई।।
4. अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है।
5. अमृत नहीं अपमान से, विष मान से पीना भला।
6. आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
7. इला न देणी आपणी, हालरिया हुलराय।
8. इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो।
9. करणी जासी आपणी कुण बेटो कुण बाप।
10. का वर्षा जब कृषि सुखाने।
11. चलने का है नाम जिन्दगी, चलते रहो निरन्तर।
12. जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान।
13. जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।
14. जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
15. जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।
16. जो ताको काँटा बुवै, ताहि बोइ तू फूल।
17. ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय।
18. दीनों की सेवा ही सच्ची ईश्वर–सेवा है।
19. दुःख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात।
20. दैव दैव आलसी पुकारा।
21. निजभाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
22. पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
23. परहित सरिस धर्म नहिं भाई।
24. पराधीन सपनेहु सुख नांही।
25. पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान करले।
26. बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है।
27. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।।
28. मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।
29. लघुता से प्रभुता मिलै, प्रभुता से प्रभु दूर।।
30. श्वास घुटे तो समझो, अब इतिहास बदलने वाला है।
31. शूर न पूछे टीपणो, शकुन न देखै शूर।
32. स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष।
33. हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
34. होनहार बिरवान के, होत चीकने पात।
35. क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।

21

निबन्ध

(i) आजादी के 50 वर्ष : क्या खोया–क्या पाया?

समय के भाल पर भारतीय आजादी का 50 वाँ सूरज उदित हुआ तो देश के प्रबुद्ध लोग विगत 50 वर्ष की समीक्षा करने लगे। राजनीतिज्ञों का अपना नजरिया है, तो समाजशास्त्री अपने ढंग से सोच रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का अपना दृष्टिकोण है, तो वैज्ञानिकों की सोच कुछ और। संत पुरुषों की अपनी अवधारणा है तो आम आदमी का अपना मत है। इन सब के चिन्तन का आकलन कर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रस्तुति में बहुत अन्तर रह सकता है, पर कुछेक कटु सच्चाइयाँ वर्तमान का बड़ा सच है, जिसके निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास इतनी तीव्र गति से हुआ कि सामाजिक स्तर पर हमें निराशा का गहरा कुहासा झेलना पड़ रहा है, जिसमें हमें सही राह दिखायी नहीं दे रही है। धर्म के स्तर पर कर्मकाण्डी कठमुल्लापन; राजनीति के स्तर पर स्वार्थता; समाज के स्तर पर संकीर्णता, व्यक्ति के स्तर पर अधिकार लिप्सा आदि ऐसे तत्त्व हैं जिन्होंने समूचे जीवन को अराजकता के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। साम्प्रदायिकता का भयावह खेल चल रहा है; जातिगत सीमाएँ और ज्यादा सिकुड़ती जा रही हैं, अपनी व्यक्तिगत एषणाओं की पूर्ति के लिए लोग सभी प्रकार के आदर्शों की बलि चढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की दौड़ में सभी भागे जा रहे हैं।

कश्मीर, पंजाब और असम में साम्प्रदायिकता तथा आतंकवाद का बोलबाला है; क्षेत्रीयता और भाषा की समस्याएँ फण फैलाए समाज को लीलने का प्रयास कर रही हैं, महँगाई और बेरोजगारी द्रोपदी के चीर से होड़ कर रही है; जनसंख्या वृद्धि का दौर जारी है। वह दिनदुनी रात चौगुनी सुरसा के मुँह की नाँईं बढ़ रही है; साम्प्रदायिकता की अमर बेल विष बेल बन कर फैल रही है; जातीयता के नाम पर सामूहिक हत्याओं का नंगा नाच हो रहा है, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, तस्करी व काला बाजारी आदि आग में घी का काम कर रहे हैं।

भारत विदेशी ऋण के बोझ से दबा जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से हमारी रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी है। पेप्सी कोला संस्कृति का बोल बाला है। पूँजीवादी युग का 'पेटेंट कानून' पनप रहा है, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण मजदूरों का हक छीन रहा है, महानगरों का विस्तार खेतों को लील रहा है। झोपड़ पट्टियों की बगल में भव्य इमारतें खड़ी हो रही हैं, दो जून की रोटी हेतु जूझते बाल श्रमिक शोषण की चक्की में पिस रहे हैं, सार्वजनिक उद्योग दिन–ब–दिन घाटे में जा रहे हैं तथा बोझ बन गये हैं। कहने को स्वराज्य मिला किन्तु सुराज्य की स्थापना नहीं हुई। गाँवों की स्थिति आज भी वैसी ही है। कविवर रामधारी सिंह 'दिनकर' ने यथार्थ चित्रांकन करते हुए लिखा है–

"वह संसार जहाँ पर अब तक पहुँची नहीं किरण है।
जहाँ क्षितिज है मौन और यह अम्बर तिमिर वरण है।

देख जहाँ का दृश्य, आज भी अन्तस्तल हिलता है।
माँ को लज्जा वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है।''

यह तो सिक्के का एक पहलू हुआ कि हमने क्या खोया ? आइये उसके दूसरे पहलू को भी देखलें कि हमने इन 50 वर्षों में क्या पाया है।

आजादी के बाद अनेकानेक नकारात्मक दवाबों व चुनौतियों तथा विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारतीय लोकतन्त्र पड़ोसी राज्यों की तरह असफल नहीं हुआ है, बल्कि आज भी अपनी निज गरिमा के साथ विश्व रंगमंच पर स्थापित है तथा दिन–ब–दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चाहे वह प्रतिरक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान तकनीक या औद्योगिक परिदृश्य एवं शिक्षा के विकास का। अपनी उपलब्धियों के निरन्तर गतिमान चक्र के सहारे आज भारत विश्व की 6 बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में यदि आत्म निर्भर हैं तो औद्योगिक आधार में पर्याप्त विस्तार के साथ ही हम बुनियादी तथा पूँजीगत दोनों प्रकार के उद्योगों में काफी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। हम युद्ध के हामी नहीं रहे हैं किन्तु हमने पड़ोसी देश की नाकाम एवं नापाक कोशिशों का मुँह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सीमाएँ सुरक्षित हैं। हम उन चुनिन्दा देशों में से एक हैं, जिनके पास अपने सैटेलाइट बनाने एवं उन्हें अन्तरिक्ष में छोड़ने की क्षमता है। पोकरण में एक के बाद एक परमाणु विस्फोट कर भारत विश्व पटल पर एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन गया है।

आज भारत का लोकतन्त्र विश्व का सबसे बड़ा व सफल लोकतन्त्र माना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली वाला देश बन गया है तथा उत्तरोत्तर शिक्षा का विकास हो रहा है। परिवहन, विद्युत उत्पादन, दूर संचार आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारतीय रेल विश्व की तीन बड़ी रेल सेवाओं में से एक है। 'एयर इण्डिया' विश्व की प्रतिष्ठित विमानन सेवा है।

किसी राष्ट्र के निर्माण में 50 वर्ष का समय कोई लम्बा समय नहीं है। वास्तव में राष्ट्र निर्माण एक ऐसा कार्य है जिसकी सीमाएँ बढ़ती रहती हैं। आगे का रास्ता अभी बहुत लम्बा है इसलिए हमें अभी बहुत से काम पूरे करने हैं। जिस गरीबी की दशा में देश के लाखों लोग रह रहे हैं उसे मिटाना है। आर्थिक और सामाजिक असमानता जो दीवार बनकर एक मनुष्य को दूसरे से अलग कर रही है उसे हटाने की आवश्यकता है। वंचितों को सबल बनाने हेतु महात्मा गाँधी के कार्यों को आगे बढ़ा 'रामराज्य' के सपने को साकार करना है। अतः आवश्यकता है सारे देश को एकजुट होकर विकास के चक्र को आगे बढ़ाने की, सबको संगठित होकर समर्पण की भावना के साथ इस महान् देश को उसकी नियति तक ले जाने का संकल्प लेने की, युवाओं को आगे आने तथा नेताओं को अपने आचरण में उदात्त मूल्यों की स्थापना कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की।

(ii) बेरोजगारी : समस्या और समाधान

सर विलियम बेवरीज के अनुसार ''संसार में पाँच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिए तैयार हैं– निर्धनता, अज्ञानता, गन्दगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इनमें बेरोजगारी सबसे भयंकर है।'' बेरोजगारी का अर्थ है, काम करने योग्य एवं काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तब कहलायेगा, जबकि वह काम करने के योग्य है तथा काम करना चाहता है, किन्तु उसे काम नहीं मिलता। अर्थात् जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है एवं काम करना चाहता है परन्तु उसे कार्य नहीं मिलता

अथवा काम से अलग होने के लिए बाध्य किया जाता है।

वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या विश्व व्यापी समस्या है, किन्तु यहाँ भारत के संदर्भ में विचार करें तो पाते हैं कि भारत में बेरोजगारी विभिन्न रूपों में पायी जाती है। जब काम ढूँढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। व्यवसाय में नियुक्त ऐसी जन शक्ति के कुछ भाग को, जब उस क्षेत्र से हटाकर किसी अन्य व्यवसाय में लगा दिया जाता है तो भी उससे व्यवसाय के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशिष्ट समय के लिए रोजगार मिले और वह शेष अवधि के लिए बेरोजगार बैठा रहे तो वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण जो बेरोजगारी फैलती है, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इनके अतिरिक्त अस्थिर बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी तथा तकनीकी बेरोजगारी भी भारत में देखी जा सकती है।

जनसंख्या की वृद्धि को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। देश में प्रतिवर्ष जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, पर रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथापि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन बहुत कम है। साथ ही भारत के विविध प्राकृतिक साधन अभी तक अविकसित होने से कृषि एवम् औद्योगिक विकास धीमी गति से हो रहा है। पारिवारिक और सामाजिक कारणों के कारण लोग अपना निवास छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते जिससे भारतीय श्रम भी गतिहीनता का शिकार हो गया है। दरिद्रता और बेरोजगारी का तो मानो चोली दामन का साथ है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह बेरोजगार है तथा वह बेरोजगार है इसलिए गरीब है।

वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में लगाने, स्वावलम्बी बनाने तथा आत्मविश्वास पैदा करने में असफल रही है। फलतः आज पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए मारा–मारा फिर रहा है। भारत में माँग व प्रशिक्षण की सुविधाओं में समन्वय के अभाव में कई विभागों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। उक्त कारणों के अतिरिक्त भारत में विद्युत की कमी, परिवहन की असुविधा, कच्चा माल तथा औद्योगिक अशान्ति के कारण नये उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं, वहीं उत्पादन में तकनीकी विधियों को लागू करने से भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। हस्त व लघु उद्योगों की अवनति, त्रुटिपूर्ण नियोजन, यन्त्रीकरण एवं अभिनवीकरण, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना, विदेशों से भारतीयों का आगमन आदि कारण भी बेरोजगारी समस्या के लिए उत्तरदायी हैं।

बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यन्त भयंकर एवं गम्भीर समस्या बन गयी है। देश का शिक्षित एवं बेरोजगार युवक अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति हड़तालें करने, बसें जलाने एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने में कर रहा है वहीं कई बार वह कुंठित हो आत्महत्या जैसा भयंकर कुकृत्य कर बैठता है। कहते हैं "खाली दिमाग शैतान का घर" कहावत को हमारे युवक चरितार्थ कर रहे हैं। सच भी है मरता क्या नहीं करता, आवश्यकता सब पापों की जड़ है, अतः वह चोरी, डकैती, अपहरण, तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हो रहा है। देश की जनशक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है, फलतः आर्थिक ढाँचा चरमरा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश को अपनी बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु सर्वप्रथम जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम को हाथ में लेकर परिवार नियोजन, महिला शिक्षा, शिशु स्वास्थ्य के कार्य अपनाने होंगे। कृषि विकास के लिए शोध गति से विस्तार एवं कृषि में उन्नत बीजों को अपनाना होगा। नियोजन की प्रभावी नीति, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया

जाना चाहिए तथा उन्हें कच्चा माल, औजार, लाइसेंस व अन्य आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति, परिवहन सम्बन्धी अड़चन दूर करने का प्रयत्न किया जाय। वर्तमान शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाए जाने की महती आवश्यकता है। यदि माध्यमिक शिक्षा के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की अधिकाधिक स्थापना कर युवकों को प्रशिक्षित कर वित्त, कच्चे माल व विपणन की सुविधा देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाय तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता। साथ ही प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, गाँवों में रोजगारोन्मुख नियोजन, युवा शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। वैसे सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयत्न हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

इस विश्व व्यापी समस्या के समाधान हेतु उपाय अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही सार्थक, प्रभावशाली एवं उचित सिद्ध होंगे। केवल सरकारी योजनाओं से इसका निराकरण संभव नहीं होगा। आवश्यकता है–इस हेतु युवकों को ही आगे आकर अपने लिए मार्ग का निर्धारण करना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने का नहीं। नौकरी के लिए भटकने की अपेक्षा अपनी रुचि उद्योगों के प्रति जाग्रत करनी होगी, तभी इसका कोई स्थायी समाधान हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

(iii) महँगाई : समस्या और समाधान

वर्तमान में भारत जिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है उसमें महँगाई की मार सबसे अधिक भयावह, कष्टप्रद और घातक सिद्ध हो रही है। महँगाई के मारे आम आदमी का जीवनयापन मुश्किल हो गया है। कीमतें दिन दुनी रात चौगुनी सुरसा के मुँह की भाँति बढ़ती जा रही हैं, आम उपयोग की वस्तुओं के भाव आकाश को छू रहे हैं। मूल्यवृद्धि से निम्न एवं मध्यम वर्ग की कमर ही टूट गई है, जन सामान्य का जीवन निर्वाह कठिन हो रहा है।

जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि सामान्य व्यक्ति बढ़ी कीमतों पर वस्तु खरीदने को विवश होता है तब उसे महँगाई की संज्ञा देते हैं। कभी व्यापारी वर्ग आवश्यक वस्तुओं का अभाव दिखलाकर चोरी–छिपे वस्तुओं को अधिक दाम पर बेचता है, और जनसामान्य उन कीमतों पर आवश्यक वस्तुएँ क्रय करता है तब वह महँगाई की मार का शिकार होता है।

महँगाई के कारणों का अवलोकन करें तो पाते हैं कि अनेक कारण हमारे सम्मुख आ खड़े होते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया जुड़ रहा है जबकि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। व्यापारी अपनी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के कारण आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण कर कृत्रिम अभाव पैदा कर मनमाने भाव वसूलने लगते हैं तो महँगाई का बाजार गरम होने लगता है। कालाधन और तस्करी ने वर्तमान अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। सार्वजनिक उद्योग निरन्तर घाटे में जा रहे हैं। देश पर लगभग 8 हजार करोड़ का विदेशी ऋण है, फलतः देश का विदेशी मुद्राकोष खाली हो गया है। आर्थिक उन्नति के साथ नये स्थापित सरकारी संस्थानों के कारण सरकारी खजाने खाली हो रहे हैं, सरकारी खर्च बढ़ रहे हैं। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता एवं वितरण की गलत प्रणाली भी महँगाई वृद्धि में सहायक बन रही है, क्योंकि अनावश्यक कण्ट्रोल एवं नियन्त्रण के कारण बाजार से आवश्यक वस्तुएँ गायब हो जाती हैं एवं मनमाने भावों पर चोरी–छिपे बिकती हैं। सट्टेबाज एवं बिचौलिए भी कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं।

विदेशी मुद्रा प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा आम वस्तुओं का निर्यात, समय समय पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर, वाहनों के किराये में वृद्धि, सरकार का घाटे का बजट एवं ओवर ड्राफ्ट

भी महँगाई को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। समय समय पर प्रकृति का प्रकोप, कभी अकाल के रूप में तो कभी बाढ़ के रूप में; कभी भूकम्प के रूप में तो कभी तूफान के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। इतना ही नहीं बल्कि मजदूरों द्वारा अपनी माँगों के न मानने पर की जाने वाली हड़तालें एवं तालाबन्दी भी उत्पादन को प्रभावित करती है। देश की राजनीतिक उथल पुथल एवं बदलती आर्थिक नीतियाँ, सीमावर्ती प्रदेशों में राजनीतिक अस्थिरता, उनसे युद्ध का भय, वहाँ से लाखों की संख्या में शरणार्थियों का आगमन तथा देश में जल्दी जल्दी होने वाले चुनावों में उद्योग पतियों से राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक चन्दा वसूली ही उन्हें मनमानी कीमतों पर बेचने की खुली छूट दे देते हैं।

महँगाई का मारा सामान्य जन अपनी सीमित आय के कारण न भरपेट भोजन कर पाता है और न ही तन ढकने को कपड़ा। कहते हैं आवश्यकता सब पापों की जननी है, मरता क्या नहीं करता। संस्कृत में भी कहा गया है कि 'बुभुक्षितं किंम न करोति पापम्'। फलतः कर्मचारी वर्ग रिश्वत लेने को प्रवृत्त होता है तो व्यापारी वर्ग जमाखोरी और मुनाफाखोरी की ओर प्रवृत्त होता है। निम्न वर्ग नैतिकता को ताक में रखकर अनैतिकता एवं अपराध को अपनाता है। फलतः चोरी, डाका, लूट खसोट जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है, निध्ंनता के प्रतिशत में बढ़ोतरी, समाज में असन्तोष, जीवन मूल्यों में गिरावट के साथ बचत के अभाव में राष्ट्रीय योजनाएँ आधी अधूरी रह जाती हैं, देश का आर्थिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि की प्रगति रुक जाती है।

कविवर रामधारीसिंह 'दिनकर' ने कहा है कि "है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में; ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।" अर्थात् दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है। हर समस्या का समाध्ाान किया जा सकता है तो फिर वह महँगाई ही क्यों न हो, उस पर नियन्त्रण पाया जा सकता है; किन्तु इस हेतु जहाँ एक ओर सरकार सक्रिय होकर मुद्रा प्रसार को रोके, आवश्यक वस्तुओं हेतु सस्ते मूल्य की दुकानें खोले, आवश्यक वस्तुओं का स्वयं भण्डारण करे, कर–वंचकों, जमाखोरों की धर पकड़ कर कठोर कार्यवाही करे तथा कठोर सजा का प्रावधान रखे, बैंकों को निर्देश दे कि वे जमाखोरों, सट्टेबाजों, मुनाफाखोरों एवं कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों को बैंकों से धन उपलब्ध न कराये, सरकारी कर्मचारियों का समय समय पर महँगाई भत्ता बढ़ाने की अपेक्षा उस पर नियन्त्रण करे, आवश्यकतानुसार बड़े नोटों का विमुद्रीकरण कर काले धन पर नियन्त्रण रखे। इतना ही नहीं सरकार द्वारा स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय, दोहरी मूल्य प्रणाली का आवश्यकतानुसार उपयोग करे, प्रशासनिक व्यय में कमी की जाय, लागतमूल्य एवं विक्रयमूल्य में न्यायोचित सन्तुलन तय किया जाय, व्यापारियों से चन्दा वसूली हेतु राजनीतिक दलों पर रोक लगाये, अधिक मूल्य दबाव वाली वस्तुओं का समय पर आयात करे तथा साथ ही जनसंख्या पर नियन्त्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दे, माँग व पूर्ति के अनुसार ही उत्पादन का आधार तैयार करे तो निश्चय ही महँगाई को रोका जा सकता है।

केवल सरकारी प्रयत्नों से इस पर विजय पाना आसान नहीं है, आवश्यकता है जन सामान्य को आगे आने की, जन चेतना जाग्रत करने की, अपने नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने की। यदि देशवासियों में स्वदेशी के प्रति रुचि एवं विदेशी वस्तुओं के प्रति अरुचि जगेगी, कालाबाजारी करने वालों एवं भण्डारण करने वालों का पर्दाफाश होगा सरकार वस्तुओं के अभाव की आशंका में स्वयं अनावश्यक भण्डारण न करेगी, काला बाजारी से वस्तुएँ नहीं खरीदेगी तथा 'छोटा परिवारः सुखी परिवार' के सिद्धान्त को अपनायेगी तो इस समस्या का समाधान अवश्य होगा,

इसमें कोई शंका नहीं। अतः सरकार एवं जनता के पारस्परिक सहयोग से इन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती कीमतों पर नियन्त्रण पाया जा सकता है।

(iv) राजस्थान और अकाल

राजस्थान में अकाल यानी फसल की बरबादी, खाली खेत खलिहान, सूखते सिमटते जलाशय, चारे पानी की तलाश में यत्र तत्र भटकते पशुपालक, रोटी रोजी की जुगाड़ में बेहाल आबादी तथा साँय साँय करता समूचा परिवेश। कभी अन्न काल तो कभी जल काल, कभी तृण काल; कभी तीनों की मार एक साथ। राजस्थान को पिछले 50 वर्षों में तीस वर्ष अकाल की काली छाया में गुजारने पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और काल का जन्म जन्मान्तर का साथ है। सामान्यतः लोग अकाल का अर्थ वर्षा के न होने से लगाते हैं। परन्तु मेरे विचार से अकाल का अर्थ है – किसान के घर में फसल का न आना।

राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण समुचित वर्षा का न होना ही है। एक तो राजस्थान मरु प्रदेश है। यहाँ यथेष्ट मात्रा में वन नहीं है तथा ऐसे ऊँचे पहाड़ों का भी अभाव है जो आने वाले मानसून को रोक सके। साथ ही और भी अनेक कारण हैं, जिनके कारण से किसान के घर फसल के अभाव में खाली ही पड़े रहते हैं। किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है फलतः फसल बह जाती है तो कभी सर्दी में पड़ा पाला रातों रात फसल को बरबाद कर जीरा, मिर्ची, इसबगोल जैसी व्यापारिक फसलों को चटकर जाता है। अचानक ओलों की बौछार भी फसलों को रौंद कर रख देती है। कभी कातरा उगती फसल को ही खा जाता है तो कभी टिड्डी दल का प्रहार पक्की पकाई फसल को चट कर जाता है।

साल दर साल सालने वाला अकाल राजस्थान की गरीब जनता में भुखमरी की स्थिति का प्रमुख कारण बन जाता है। कवि नागार्जुन की यह पंक्ति मानों राजस्थान की यथार्थ स्थिति का चित्रण करती प्रतीत होती है, यथा "कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।" कविवर कन्हैयालाल सेठिया ने भी अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दी कि "पड्ग्यो बीखो, खावै खेजड़ा रा छोडा।" आज भी आये दिन अखबारों में छपी 'भूख से मौतें' सरकार की नींद उड़ा देती है। अकाल की मारी जनता जीविका निर्वाह हेतु पलायन को मजबूर हो जाती है। गाँव एवं ढाणियाँ खाली हो जाती हैं। कवि ने ठीक ही कहा है कि 'सुण'र दकाळ भाग छूट्यो मानखो',

पड़्या साव सूना, गाँव र गवाड़।''

अतः अकाल के कारण भुखमरी के कारण यहाँ से पलायन करने की प्रवृत्ति राजस्थान के लिए स्थायी समस्या बन गई है। रोटी रोजी की जुगाड़ में लोग अपना घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। अकाल की मारी अधिकांश जनता अनैतिकता को अपनाने को मजबूर होती है, फलतः चोरी, लूट खसोट एवं डाका की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। सामान्य व्यक्ति भी अकाल के मारे फसलों के अभाव में ऋण भार से दबते जाते हैं, महँगाई की मार जनसामान्य की कमर ही तोड़ देती है। साथ ही चारे पानी के अभाव में पशुधन की हानि किसानों का जीना दूभर कर देती है। पीने के पानी के अभाव में दूरदराज में 5–6 किलोमीटर दूरी से पानी लाने में ही नारी का दिन बीत जाता है।

इस अकाल के समाधान हेतु सरकार द्वारा सक्रिय होने पर अन्य विकास कार्य अवरूद्ध हो जाते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सारा सरकारी तन्त्र लग जाता है। महँगाई की मार, भुखमरी की स्थिति, बेरोजगारी आर्थिक तन्त्र को झकझोर कर रख देती है। जलाशय सूख जाते हैं, कुओं का पानी नीचे चला जाता है, कुपोषण के कारण रोग निरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। महामारी की स्थिति बन जाती है। मरे पशुओं की हड्डियों के ढेर, दूर दूर तक उजाड़ साँय

साँय करता वातावरण श्मशान का सा दृश्य उपस्थित कर देता है।

राजस्थान में अकाल का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। आजादी के 55 वर्षों में कई सरकारें आईं और चली गईं। उन सरकारों ने अकाल से लोहा लिया परन्तु आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। करोड़ों रुपये के अकाल राहत कार्य कराये गये, कच्ची सड़कें बनी और आँधी में उड़ गयीं। कुएँ–तालाब खुदाए गये पर वे भी रेत में डूब गये। सरकार ने स्थायी समाधान हेतु स्थायी निर्माण के कार्य का बीड़ा उठाया, कतिपय स्थानों पर पाठशाला भवन, पंचायत भवन व पशुशालाएँ बनी, जो घटिया स्तर की सामग्री के कारण उपयोग में आने से पहले ही ढहने लगी। यदि सरकार अकाल का स्थायी समाधान चाहती है तो वर्षा के जल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी, वहीं नये जल स्रोतों की खोज कर ट्यूब वैलों से पीने के पानी का समाधान करना होगा। साथ ही जन सामान्य को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना करनी होगी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है उस पर नियन्त्रण करने के साथ ही उस जल का संग्रहण करना होगा, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा ऐसे बीजों की खोज करनी होगी, जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सके। राजस्थान के मरु प्रदेश को हरा–भरा बनाना होगा, समय–समय पर कातरा व टिड्डी दल से मुकाबला करने हेतु पूर्व तैयारी करनी होगी। केन्द्र सरकार को चाहिए कि इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा मान उसके स्थायी समाधान हेतु कारगर कदम उठाये। केन्द्र द्वारा समय रहते सहायता मिले तथा राज्य सरकार जन सहयोग से इसके समाधान हेतु कमर कसले तो वह दिन दूर नहीं जबकि राजस्थान का पर्याय बने इस अघोरीकाल पर नियन्त्रण पाया जा सके।

(v) दहेज–दानव

टन की घंटी बजी। इसी के साथ आवाज सुनाई दी बाबूजी! पेपर। अखबार हाथ में लेते ही दृष्टि सर्व प्रथम बड़े अक्षरों में छपी उस खबर पर गयी दहेज–दानव की बलिवेदी पर एक ओर भेंट। साथ ही उसके नीचे छपे उस छायाचित्र को देखकर तो मेरे रौंगटे खड़े हो गये, मैं काँप सा गया। एक दृश्य मेरी आँखों के आगे छा गया कि दहेज दानव दिन–ब–दिन नवयुवतियों, नव विवाहिताओं को अपना शिकार बनाता खूब फल फूल रहा है। हर जाति एवं समाज में अपने पैर पसार रहा है। वह दिन कब आयेगा जब इस दहेज–दानव का अन्त संभव होगा ? साथ ही यह प्रश्न भी बिजली की तरह कौंध गया कि किस शुभ घड़ी में इसका जन्म हुआ कि आज इसकी पाँचों अंगुलियाँ घी में हैं। लोग एक दूसरे से होड़ में लगे इसका पोषण कर रहे हैं।

शायद किसी पिता ने अपने पुत्रों के साथ अपनी पुत्री को भी उसका हक देना चाहा होगा, उसी दिन इस रक्तबीज का जन्म हुआ होगा या किसी पुत्रहीन पिता ने अपनी सम्पत्ति स्वेच्छा से विवाह के अवसर पर अपनी पुत्री को दी होगी, उसी कन्यादान की घड़ी में इस दनुज की उत्पत्ति हुई होगी या फिर पुत्र के लोभी पिता ने किसी रईस कन्या के पिता के सम्मुख अपनी लोभी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए धनराशि (जिसमें बच्चे के पालन पोषण एवं पढ़ाई के खर्च) की माँग की होगी तो इस राक्षस ने जन्म लिया हो। जब से विवाह के अवसर पर आवश्यक गृहकार्य की वस्तुएँ एवं धन राशि सोना चाँदी भेंट की तब से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फलतः आज भी इसकी तूती बोल रही है, दूल्हे बिक रहे हैं और यह दानव सोना, चाँदी, कार, बंगले के साथ फल फूल रहा है।

दहेज दानव के इस प्रकार बने रहने के कारणों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि आज हर पुत्री का पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की कामना करता है, इसके मूल में है। अच्छे

वर यानी आई.ए.एस., आई.पी.एस., डॉक्टर व इंजीनियरों की संख्या कम होने के कारण माँग व पूर्ति के सिद्धान्तानुसार अच्छे वरों की कीमतों में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है। कतिपय पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छे घर की कामना करते हैं, जिससे अच्छे घर वाले अपनी हैसियत के अनुसार शादी का प्रस्ताव रख दहेज दानव की नींव मजबूत कर देते हैं। भारतीय समाज में नारी का पुरुष पर आश्रित होना, विवाह की अनिवार्यता तथा कन्याओं की अधिकता दहेज दानव को सदैव बनाये रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और पुत्र के लोभी पिता की इच्छा पूर्ति हेतु पुत्री के पिता को यथेष्ट मात्रा में दहेज देने को विवश होना पड़ता है। आज के भौतिकवादी युग में युवतियाँ स्वयं सुखी जीवन यापन करने हेतु अपने पिता की आर्थिक स्थिति की चिन्ता किये बिना पिता के सम्मुख लम्बी चौड़ी फरमाइश कर दहेज दानव का भरण पोषण कर रही है।

दहेज दानव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नव वधुओं को सास ननद के अत्याचारों की चक्की में पीस उन्हें आत्महत्याओं के लिए विवश कर रहा है। अतः नारी ही नारी की शोषक बन निर्मम वेदनाओं के द्वारा घर रूपी स्वर्ग को नरक बना रही है। कहीं अमेल विवाह का बाजार गरम है, तो कहीं बाल विवाह, बहु विवाह एवं वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों का कारण बन गया है। दहेज के चक्कर में पुत्री का पिता कहीं ऋण भार में दबा जा रहा है वहीं कहीं भ्रष्टाचार की राह चल जेल की हवा खा रहा है। कन्यावध तथा भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्य का खून इस दानव के मुँह लग चुका है। फलतः कन्या जन्म एक भार बन कर रह गया; वहीं विवाह विच्छेद तथा दहेज की दरकार के विरुद्ध मुकदमों का ग्राफ आकाश की ऊँचाइयों को छू रहा है।

वैसे दहेज–दानव का संहार एक व्यक्ति के वश की बात नहीं रही है। इस के वध हेतु पहली आवश्यकता है कि हर बेटे वाला यह समझे कि वह बेटी वाला भी है। इससे न दहेज लो और न दहेज दो की स्थिति बन सकती है। आज कल सामूहिक विवाह का प्रचलन भी दहेज दानव के मुँह पर करारी चोट सिद्ध हो सकती है किन्तु इसके लिए बड़े लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार भी इस दहेज दानव से दो दो हाथ करने हेतु प्रयत्नशील है और कठोर कानून व दण्ड का प्रावधान किया जा रहा है, इससे संबंधित कानूनों में यथावश्यक परिवर्तन संशोधन किया जा रहा है। युवक–युवतियों को स्वयं आगे आना होगा, अन्तर्जातीय विवाह तथा कोर्ट मैरेज को अपनाना होगा, बुजुर्गों एवं युवक–युवतियों को अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा, नारी को शिक्षित बन आत्मनिर्भर होना होगा। यदि ऐसा हुआ तो दहेज दानव को दुम दबाकर भागना होगा इसमें कोई शक नहीं।

(vi) यात्रा करते समय जब मेरी जेब कट गई

खट–खट की आवाज से मेरा सुखद स्वप्न टूटा, इसी के साथ आवाज कानों में पड़ी 'बाबूजी टिकट'। लेटे लेटे मैंने कहा, "आप मुसाफिरों को रात में भी नहीं सोने देते, भला सोचिए तो सही कि बिना टिकट यात्रा करने वाला ऐसी निश्चितता से सोयेगा क्या ?" बालों में कंघी करते हुए बड़े ही अंदाज में ऊपर से नीचे उतरा, बुशर्ट की जेबें टटोली, पर्स न पाकर ज्योंही हाथ को पेन्ट की जेब में डाला तो देखा कि जेब कट गई, हाथ आर–पार हो गया। मेरी आँखों के आगे अँधेरा छाने लगा, मैं पसीने–पसीने हो गया, चक्कर से आने लगे, धक से नीचे बैठ गया तथा रुँआसे स्वर से बोला, 'सर! मेरी तो जेब कट गई है! पर्स में टिकट के साथ पाँच सौ रुपये भी

थे।'' इस पर टी. टी. महोदय मुँह बनाकर बोले, ''टिकट खरीदा ही नहीं, और अब कह रहे हैं, जेब कट गई, भला कोई टिकट चुरा कर क्या करेगा।''

डिब्बे में बैठे अन्य मुसाफिरों के टिकट चैक कर टी.टी. महोदय मेरे सामने हाथ में डायरी लिए यमराज के दूत की तरह आ खड़े हुए तथा पैसे निकालने का कहने लगे। मैं टी. टी. महोदय के सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि सब कुछ पर्स में ही था, पर टी. टी. महोदय का हृदय नहीं पिघला, तो सोचा अन्धे के आगे रोने और अपने दीदे खोने से क्या लाभ। बुशर्ट की जेब में एक बीस रुपये का नोट मिल गया, वह उनके आगे कर दिया। काफी समय तक तो वे अड़े रहे किन्तु पैसों की और कुछ संभावना को न देख बीस रुपये का नोट जेब में डालते हुए बोले, ''आइन्दा ऐसी हरकत मत कीजियेगा तथा अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाइएगा।'' जाते हुए टी. टी. महोदय से रुपयों की रसीद माँगने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि पैसे पूरे जो न थे।

टी. टी. महोदय से तो पीछा छूटा किन्तु पास बैठे यात्रियों के प्रश्न और दुखी करने लगे। कितने रुपये थे ? बाबूजी, कहाँ जाना था ? कहाँ से बैठे ? आदि प्रश्नों के उत्तर न देना चाहने पर भी देने पड़े। इसी बीच अगला स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी, अपने बोरिए–बिस्तर समेट नीचे उतरा तथा प्लेटफार्म की एक बैंच पर लेट गया। लेटने से भला नींद कैसे आने की ? मन चिन्ता में पड़ गया, जेब कहाँ कटी ? कैसे कटी? ऐसी भीड़ तो न थी, पैसा जेब में एक न बचा था, वापस घर कैसे पहुँचा जाय? कभी विचार आता, आने वाली गाड़ी में पुनः चला जाऊँ किन्तु बिना टिकट यात्रा का भय, कभी विचार कौंधता क्यों न किसी से कुछ माँग लिया जाय, वह साहस कहाँ ? और यहाँ अनजान जगह में कौन पैसा देने का, यह भी विचार आया कि क्यों न हाथ की अंगूठी बेच कर कुछ राशि जुटा ली जाय। इनके साथ ही घर से रवाना होने का दृश्य आँखों के सम्मुख आ उपस्थित होता। माँ ने कितनी हिदायतें दी थी, मैं उन्हें सुनी अनसुनी करता रहा। अचानक माथा ठनका घर से रवाना होते समय किसी ने छींक कर दी थी। रास्ते में बिल्ली भी रास्ता काट चुकी थी किन्तु सब हँसी में उड़ाता स्टेशन पहुँच गया था। इसी बीच रात्रि की ठण्डी बयार ने अपना असर दिखाया, हल्की सी झपकी आ गई।

कुकड़कूँ, सवेरा हुआ। अन्धेरा भागा। तारे डूबे। चिड़ियाँ चहकीं। सूर्य महोदय जग चुके थे। प्लेट फार्म पर चहल पहल शुरू होने लगी। शायद कोई गाड़ी आने को थी। एक ठेले पर देशी घी में निकल रही जलेबी की भीनी भीनी गंध भूख को तेज करने लगी पर पैसा कहाँ ? पास ही की प्याऊ से ठण्डा पानी पी बैंच पर लेट गया पर अब नींद कहाँ ? इसी बीच एक काला सूट पहने महाशय मेरी ओर बढ़ते हुए मुझे गौर से देखने लगे, मैं फिर घबराया। वे पास आ ही गये और आश्चर्य से बोले, 'तुम यहाँ कैसे?'' मैं कुछ समझ न पाया क्या जवाब देता, उन्हें पहचान भी न सका किन्तु इसी बीच उनका यह कहना कि तुम राजेश के मित्र ही हो ना, पिछले माह उसकी बहिन की शादी में मिले थे। मैं उसका मामा हूँ और यहाँ स्टेशन मास्टर। यह सुनते ही सब कुछ याद आ गया, मैंने मामा जी के चरण छुए, उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। वे मुझे अपने क्वाटर ले गये, भोजन कराया। उनसे रुपये लेकर दोपहर की गाड़ी से पुनः' अपने गाँव लौटा। मामाजी के एहसान को मैं आज तक नहीं भूला हूँ और न उस रेल यात्रा को, जिसमें मेरी जेब कट गई थी। अब जब भी रेल यात्रा करता हूँ स्मृति पटल पर वह घटना ताजा हो ही जाती है, किन्तु उस घटना ने जो सीख दी उसका आज भी निर्वाह करता हूँ। रात में रेल यात्रा करते समय न सोता हूँ और न ही सारे पैसे एक ही जेब में रखता हूँ।

(vii) यदि मैं प्रधानाध्यापक होता!

खुदा चाहे तो गंजे को नाखून न दे किन्तु कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है तो कभी अंधे के हाथ बटेर भी लग जाती है। वास्तव में जब नीली छतरी वाले की मेहरबानी होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ और मैं एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो बन गया। फिर क्या था, पाँचों अंगुलियाँ घी में, जी नहीं सिर कड़ाई में। कड़ाई की बात तो बाद में होगी आइए मैं आपको अपने विद्यालय ले चलता हूँ।

टन टन टन की घण्टी बज रही है। छात्र गणवेश में विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। वे छात्र जो पहले ही आ चुके मैदान में यत्र–तत्र चहल कदमी कर रहे हैं। लो, यह दूसरी घण्टी बज चुकी है, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा में जा चुके हैं। चारों ओर अचानक एक सन्नाटा सा छा गया है किन्तु डम–डमा डम डम की आवाज आ रही है। बैण्ड बज रहा है। छात्र अपनी उपस्थिति देकर कतारबद्ध प्रार्थना स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो विभिन्न नदियाँ आ कर एक ही समुद्र में मिल रही हो। सभी छात्र इकट्ठे हो चुके हैं। कक्षानायक अपनी कक्षा के आगे खड़े हैं तथा कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के सामने। शारीरिक शिक्षक सावधान! विश्राम! का आदेश दे रहे हैं। हारमोनियम एवं तबला बज उठा है सुमधुर ध्वनि में सामूहिक रूप से 'या कुन्देन्दु तुषार–हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता' सरस्वती वंदना हो चुकी है। एक छात्र ने आज के समाचार सुनाए, तो दूसरे ने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। संस्कृत के अध यापक जी ने सुविचार व्यक्त किए। एक छात्र ने सभी को प्रतिज्ञाएँ दिलाई। 'जन गण मन' राष्ट्रगान सम्पन्न हुआ, बैण्ड पुनः बज उठा, छात्र अपनी कक्षाओं की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।

आइए, विद्यालय परिसर का सिंहावलोकन करलें। छात्रों की आवश्यकतानुसार आधुनिक सुविध ााओं युक्त पर्याप्त अध्ययन कक्ष विद्यालय में बने हैं। अत्याधुनिक श्यामपट्ट, छात्रों के बैठने हेतु स्वच्छ, सुन्दर फर्नीचर उपलब्ध है तथा प्रत्येक कक्ष में पंखों की भी व्यवस्था है। ये देखिए विज्ञान के छात्रों हेतु भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएँ, जिनमें सभी आवश्यक सामग्री, फर्नीचर एवं सुविधाएँ छात्रों को उपलब्ध हैं। इधर 'कम्प्यूटर कक्ष' है तो उस ओर रुचिकेन्द्र (हॉबी सेन्टर), जिसमें छात्रों को, कला, संगीत, फोटोग्राफी आदि की सुविधाएँ उपलब्ध ा हैं। विद्यालय परिसर में छात्रों की सुविधा हेतु स्वच्छ कैंटिन की व्यवस्था भी है। प्याऊ में ठण्डे पानी की सुविधा है। विद्यालय भवन के बरामदों में लगे महापुरुषों के चित्र एवं अमृत वचन छात्रों को हर समय प्रेरणा देते से प्रतीत होते हैं। विद्यालय का सुरम्य उद्यान, उसमें लगे विविध फूलों के पौधे छात्रों का मन मोहते रहते हैं किन्तु कोई छात्र फूल पत्ती तोड़ता नहीं पाया गया। प्रध ाानाध्यापक कक्ष के पास ही कार्यालय कक्ष तथा अतिथि कक्ष भी है। विद्यालय में आने वाले हर अभिभावक हेतु बैठने की एवं जल सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में आयोजित सहगामी क्रियाओं खेलकूद, एन.सी.सी, बालचर, एस. यू. पी डब्ल्यू, कला, शिक्षा, सांस्कृतिक सुविधा आदि हेतु अलग–अलग कक्ष भी उपलब्ध हैं। विद्यालय का पुस्तकालय जिसमें लगभग 10 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहीं वाचनालय में लगभग 20 दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्र–पत्रिकाएँ छात्रों के लिए मँगवाई जाती हैं।

अध्यापकों के अध्यापन का हर महीने परिवीक्षण किया जाता है तो छात्रों के गृह कार्य का भी अवलोकन किया जाता है। विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों एवं कमजोर छात्रों के लिए जीरो कालांश में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था है। प्रतिभावान छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्तियाँ तथा गरीब छात्रों हेतु विद्यालय शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यालय में नियमित रूप से 'विद्यालय उत्सव दिवसों' का आयोजन किया जाता है। महापुरुषों की जयन्तियाँ समारोह पूर्वक

मनायी जाती हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, विज्ञान क्विज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

विद्यालय कर्मचारियों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मेरे सबके साथ मधुर सम्बन्ध हैं। कार्य की पूजा होती है, अच्छे परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों को 'शिक्षक दिवस' पर सम्मानित किया जाता है, वहीं विभिन्न प्रभारियों को विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सम्मान दिया जाता है। मेरे कक्ष में विद्यालय के समस्त छात्रों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी कम्प्यूटर में उपलब्ध है, यथा छात्र की उपस्थिति, परखों के अंक, स्वास्थ्य जाँच की रिपोर्ट, पलायन करने वाले छात्रों की सूची आदि।

टन–टन–टन............ की लम्बी घण्टी बज गई। छात्र खेल के मैदान में उपस्थिति दे रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं युक्त खेल के मैदान तथा स्तर की खेल सामग्री छात्रों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। योग्य प्रशिक्षकों की सुविधा है, उधर फुटबाल खेली जा रही है तो इधर वॉलीबॉल, हॉकी का खेल जारी है तो कबड्डी के मैदान में कबड्डी की टीमें। छात्र जिमनास्टिक कर रहे हैं वहीं विकलांग एवं अशक्त छात्रों हेतु इण्डोर गैम्स की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। खेल हर छात्र हेतु अनिवार्य है। देखते ही देखते एक घण्टा बीत चुका है। खेल समाप्ति की घण्टी बज रही है, खिलाड़ी छात्रों ने घरों की राह ली और मैं भी विद्यालय से घर की ओर चल पड़ा। काश ! मैं प्रधानाध्यापक होता तो मेरा विद्यालय ऐसा होता। आशा करता हूँ एक दिन यह सपना अवश्य पूरा होगा।

(viii) आदर्श विद्यार्थी

विद्यार्थी शब्द 'विद्या' तथा 'अर्थी' दो शब्दों के संयोग से बना है अतः जिसके मन में विद्या सीखने की अत्यधिक लगन है वही विद्यार्थी है। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम उसके हृदय में विद्या प्राप्ति हेतु अत्यन्त उत्साह हो। जिसे विद्याध्ययन का अत्यधिक शौक होगा, ज्ञान प्राप्ति ही जिसका एक मात्र ध्येय होगा वही आदर्श विद्यार्थी कहलायेगा।

आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें एकलव्य की सी लगन हो, अन्य सांसारिक बातों से दूर अपनी धुन का धनी हो। 'आदर्श विद्यार्थी' नाम से ही हमारी आँखों के सम्मुख एक ऐसी आकृति उभर कर आती है जो अत्यधिक सीधा सादा, विनम्रता की मूर्ति, ज्ञान प्राप्ति हेतु जी तोड़ मेहनत करने वाला, सत्य का समर्थक, बड़ों का आज्ञाकारी, मन का पवित्र एवं मानव मात्र का शुभचिन्तक होता है। आदर्श विद्यार्थी को तो अपने सुखों को त्यागकर रात–दिन कठोर परिश्रम जो करना होता है। संस्कृत में भी कहा गया है–

सुखार्थिनः कुत्तो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्।
सुखार्थी वात्यजेत विद्याम्, विद्यार्थी वात्यजेत सुखम्।।

वास्तव में न तो विद्यार्थी को सुख है, और न सुखार्थी को विद्या नसीब।

आज के संदर्भ में यदि कहें कि जो छात्र समय पर विद्यालय जाता है; मन लगा कर वहाँ विद्याध्ययन करता है; गृह कार्य को नियमित करता है; अपना पाठ याद कर विद्यालय जाता है वही आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। आज के इस भौतिकता के युग में भी जो फैशन से दूर रहे, टी.वी. सिनेमा एवं फिल्मी गीतों में रुचि न ले बल्कि जिसमें ज्ञान की भूख हो वही आदर्श विद्यार्थी की संज्ञा पा सकता है। संस्कृत के निम्न श्लोक में आदर्श विद्यार्थी के पाँच लक्षण बताये हैं–

काक चेष्टा वकोध्यानं श्वान निद्रा तथैव च।
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्।।

एक आदर्श विद्यार्थी के लिए यह भी आवश्यक है कि समय के सदुपयोग के महत्त्व को समझे, वर्तमान में जो सांस्कृतिक मूल्य बदल रहे हैं; आये दिन हड़तालें करना, अपने गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना करना, सहपाठी छात्र–छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करना आदि बातें

जो आज सामान्य हो गई हैं, एक आदर्श विद्यार्थी को इनसे कोसों दूर रहने की आवश्यकता है। अनुशासन एवं सदाचार का निर्वाह करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

एक आदर्श विद्यार्थी को विद्याध्ययन के साथ विद्यालय में आयोजित अन्य सहगामी क्रियाओं यथा खेल कूद, वाद–विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.सी.सी., स्काउटिंग, समाज–सेवा आदि में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। अतः नियमित रूप से व्यायाम, योगासन एवं भ्रमण आदि जारी रखें। पढ़ने के समय पढ़े तो खेलने के समय अवश्य खेले।

सादा जीवन उच्च विचार को अपनाते हुए सादगी का जीवन यापन करे, चाय, बीड़ी, गुटका, पान, शराब आदि के पास न फटके, लड़ाई–झगड़ों से दूर, समाज एवं विद्यालय की सम्पत्ति की अपनी सम्पत्ति के समान देख भाल करे। अनैतिक कार्य न स्वयं करे और न दूसरों को करने दे। अपने मित्र की हाँ में हाँ नहीं मिलाये, उसकी झूठी प्रशंसा न करे। अपने से बड़ों एवं गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे ताकि अन्य विद्यार्थी उससे प्रेरणा ले। इस प्रकार एक आदर्श विद्यार्थी उक्त आदर्शों को जीवन में यथार्थ रूप देकर अपने, अपने परिवार, विद्यालय एवम् देश का नाम रोशन करते हैं।

(ix) मेले का वर्णन

राजस्थान रणबाँकुरों और रंगों का देश, दुर्ग और परकोटों का देश, सुन्दर रीतिरिवाजों का देश, प्यार भरी राहों का देश, डिंगल के गीतों का देश, मेलों और उत्सवों का देश है। कण कण में शौर्य और संघर्ष का इतिहास समेटे, लोकगीतों से गूँजता, ढोल की थाप पर थिरकता, झूमर–घूमर में नाचता अपने स्थानीय मेलों के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है।

मेले का अर्थ है प्रेम से मिलना। पुराने समय में जब मानव एक दूसरे से दूर बसे गाँवों, ढाणियों में रहता था तब कई दिनों तक आपस में मिलना ही नहीं होता था अतः किसी देवता के पुण्य स्थान पर, किसी खास दिवस पर आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर जहाँ एक ओर अपने पूज्य देवता की पूजा की है, वहीं' दूसरी ओर लम्बे समय बाद एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिल गया है। आपस में एक दूसरे के सुख दुःख के समाचारों का आदान प्रदान होता, शादी सम्बन्ध होते, व्यापार होता, भजनभाव होता। फलतः उन देव स्थानों पर कभी पशु मेले लगने लगे तो कभी भक्ति भाव की धारा आप्लावित होने लगी। राजस्थान एवं गुजरात में समान रूप से पूज्य 'रूणेचा रां धणी' बाबा रामदेव का मेला राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से एक है।

जोधपुर–जैसलमेर रेल मार्ग पर रामदेवरा एक गाँव है। इस गाँव में भाद्रपद माह की शुक्ला दशमी को 'राम सा पीर' का भव्य मेला लगता है। साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, हिन्दुओं के बाबा तो मुसलमानों के पीर (बाबा रामसापीर, रूणेचाँ रा धणी, जो अजमालजी के पुत्र थे,) के समाधि स्थल पर मुझे भी गत वर्ष रूणेचा (रामदेवरा) जाने का सुअवसर मिला। जोधपुर शहर में एक परम्परा है कि यहाँ से जन समूहों के दल के दल रामदेवरा पैदल जाते हैं, भाद्रपद माह की चाँदनी बीज को रामदेवजी के गुरु गुंसाई बालिनाथ जी के समाधि स्थल मसूरिया में दर्शन कर मैं भी अपने संगी साथियों के साथ पैदल ही दर्शनार्थ चल पड़ा। बालक, वृद्ध, नर–नारियों के समूह को देख दंग रह गया कि ऐसी कौन सी भावधारा है जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। एक मण्डली तान पूरे पर भजन गाती आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर नाचते गाते बाबा की जयजयकार करते हिन्दू मुसलमान आपसी भेद भाव को भुला आगे बढ़ रहे हैं।

भादवा का महीना। धोरां धरती में लहलहाती फसलें, तपता सूरज। आगे बढ़ता जन प्रवाह। स्थान स्थान पर ठण्डे जल एवं मुफ्त भोजन की व्यवस्था। गाँव वालों द्वारा किया जाने वाला स्वागत

पैदल चलने के दुःख को भुला रहा था। रात्रि विश्राम, रात भर भजन मण्डलियों के जागरण, एक के बाद एक नये गाँव पार करते हम दशमी को प्रातः रामदेवरा पहुँचे। मनुष्यों की अपार भीड़। हाथों में सफेद ध्वजाएँ, कपड़े के बने घोड़े कन्धों पर लिए 'राम–सा–पीर' की जै जै कार ; बाबा के दर्शन हेतु लगी लम्बी कतारें, चारों ओर लगी दुकानें। कोई मिठाई की दुकान पर लड्डू व जलेबी का आनन्द ले रहा है तो कोई मिर्ची बड़े का। एक ओर हाथ से बने ऊन के कम्बल व बरड़ियों की दुकानें लगी हैं तो दूसरी ओर मणियारों की दुकानों पर औरतों की भीड़ उमड़ रही है। कोई काजल, टीकी खरीद रही है तो कोई नई चूड़ियाँ पहन रही है। खिलौनों की दुकानों पर बच्चों की भीड़ देखी जा सकती है जो अपने माता–पिता से अमुक खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं। झूलों का मोह छोटे और बड़ों को समान रूप से आकर्षित कर रहा है।

जगह जगह भजन मण्डलियाँ भजनों के माध्यम से बाबा रामदेव के विभिन्न परचों का गुणगान कर रही हैं। भेरू राक्षस का वध, डाली बाई का कष्ट निवारण, अन्धों को आँखें, पंगु को पाँव तथा कोढ़ियों के कोढ़ दूर करने इत्यादि का बखान किया जा रहा है। रंग बिरंगी वेशभूषा में नारियों का एक साथ मिलन, राजस्थान की संस्कृति को एक स्थान पर उपस्थित कर रहा है।

दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु पुलिस की समुचित व्यवस्था है, एक के पीछे एक जातरू निज मंदिर में बाबा के दर्शन हेतु खड़ा अपनी बारी का इन्तजार कर रहा है। निज मंदिर में बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु भक्त प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जय जय कार कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद, पास में खुदी बावड़ी में स्नान कर रहे हैं तो कुछ उसके पवित्र पानी को सिर एवं आँखों पर लगा रहे हैं। कई लोग इस पानी के माहात्म्य को बता रहे हैं। हम सभी साथियों ने निज मंदिर में दर्शन कर बावड़ी में स्नान किया, एक आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति हुई। दस दिन की थकावट दूर हो गई। एक ताजगी सी अनुभव हुई।

यद्यपि देशभर में यदा कदा मेले भरते रहते हैं। 'परन्तु इस मेले का अपना ही महत्त्व है। हिन्दू और मुसलमान सभी जात के दर्शनार्थी आये हैं। छुआछूत, ऊँच नीच की भावना से दूर सभी वर्ग के लोग एक साथ दर्शनार्थ उपस्थित हैं। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में भी छोटे बड़े, ऊँच नीच का विरोध कर समाज के निम्न वर्ग को छाती से लगाया। उनके दुःख दर्द दूर किए। उन्हें अपने जीवन का सही अर्थ समझाया। जाते समय पैदल यात्रा का अनुभव ले रात्रि में रेल यात्रा कर सभी साथी जोधपुर लौटे।

(x) त्योहारों का महत्त्व

भारतवर्ष एक त्योहार प्रधान देश है। भारतीय जन मानस सदैव हर्षोल्लास में जीवन यापन करना चाहता है। प्रायः जीवन सुख दुःख मिश्रित–बदलता रहता है। उसमें निराशा और मनस्ताप को दूर करने के लिए त्योहार ही ऐसे साधन हैं जो जीवन को प्रफुल्लित करके नई आशा और उत्साह से परिपूर्ण कर देते है। भारत में त्योहारों की संख्या अत्यधिक है। इस लिए कहा जाता है कि सात दिन और तेरह त्योहार। कहने का तात्पर्य यह है कि त्योहारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि रोज कुछ न कुछ त्योहार होता ही है। तीज त्योहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।

त्योहारों का वर्गीकरण किया जाय तो कुछ जाति या प्रदेश विशेष से संबंध रखते हैं तो कुछ संपूर्ण देश में मनाये जाते हैं। दीपावली,, होली, रक्षा बंधन तथा दशहरा ये चार त्योहार संपूर्ण देश में मनाये जाते हैं। कश्मीर से कन्या कुमारी तक तथा अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले ये चार त्योहार ही हैं। ये त्योहार अपना राष्ट्रीय महत्त्व रखते हैं। छोटे–बड़े गरीब–अमीर सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये त्योहार भारत की समन्वय प्रध ाान संस्कृति के परिचायक हैं। क्योंकि हिन्दू–मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मावलम्बी भी समूचे देश की जनता एक साथ मिल जुलकर इन त्योहारों को मनाती है।

भारतीय संस्कृति एक अगाध सागर के समान है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का समावेश हुआ है। यहाँ पर अनेकता में भी एकता है। मुख्यतः त्योहारों ने भावात्मक एकता से देश को जोड़ रखा है। कई बार यह प्रश्न मस्तिष्क में कौंधता रहता है कि इन त्योहारों का महत्त्व क्या है ? इनकी इस भौतिक युग में क्या उपयोगिता है ?

आज हम देखते हैं कि करोड़ पतियों के लिए तो रोज ही दिवाली है। अच्छा खाना–पीना और उत्तम वस्त्र धारण करना रोजमर्रा की बात है। लेकिन उन्हें मानसिक शांति और मन में आह्लाद का अभाव रहता है। वह जब आम आदमी को खुशी के वातावरण में देखता है तभी उसे एक विशेष हर्षातिरेक प्राप्त होता है। उसके मन को गद्‌गद्‌ कर देता है। इस प्रकार त्योहार हमारी संस्कृति के स्तम्भ हैं। अतः यह निश्चित है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवन्त रखने के लिए त्योहारों की अहं भूमिका है।

त्योहारों का मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुसंख्यक लोग खेती पर आश्रित हैं। अपनी पूर्ण मेहनत के पश्चात् जब किसान अपनी खेती को लहलहाते रूप में देखता है तब उसका मन खुशी से नाचे बिना नहीं रह सकता। त्योहार के अभाव में मशीन की तरह काम करते करते उसका जीवन निर्जीव और नीरस बन जायेगा। ये त्योहार बीज बोने, फसल पकने और फसल काटने के समय ही मनाये जाते हैं। होली इसी प्रकार का त्योहार है। होली के बाद ही फसल काटने का काम शुरू होता है। पंजाब में वैशाखी और लोहड़ी ऐसे ही कृषि से संबंधित त्योहार हैं। दक्षिण में ओणम् और पोंगल भी ऐसे त्योहार हैं।

ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर दो महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। वसन्त के त्योहार भी उद्यान और उपवनों में वृक्ष, लता और गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठेगा। पीले सरसों के फूल तथा लाल टेसू के फूलों की छटा किसे आकृष्ट नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मन मोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षा बंधन के त्योहार खूब धूम–धाम से मनाये जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित किये बिना नहीं रहता। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुये यह त्योहार मनाती है। रक्षा बंधन भाई–बहिन के अटूट प्रेम का प्रतीक है।

कुछ त्योहार हमारी ऐतिहासिक घटनाओं के भी साक्षी हैं। दशहरा इसी प्रकार का त्योहार है। राम ने रावण को मारकर, विजय प्राप्त की थी। दशहरे के विषय में कहा जाता है कि दश (दसमुख वाला रावण) उसके 'हरा' (हराया) इस प्रकार दशहरे का नामकरण हुआ है। सत्य की असत्य पर तथा न्याय की अन्याय पर विजय ही है। इसका नाम विजयादशमी भी है। रावण के पुतले को जलाना हमारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश करना है।

भारतीय त्योहार वस्तुतः ईर्ष्या द्वेष के त्याग, प्रीति व्यवहार और पारस्परिक आदान–प्रदान के मुख्य साधन हैं। मानव हृदय को एक दूसरे से जोड़ने में कड़ी का काम करते हैं। सेवा, सहयोग और भाई चारे की भावना उत्पन्न होती है। त्योहार के दिन आपस में मिलने–जुलने, से मन में पवित्रता और शुद्ध भावना का संचार होता है।

वर्तमान स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना एक विशेष महत्त्व है। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) तथा 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) जैसे राष्ट्रीय पर्व भी समूचे देश को राष्ट्रीय भावनाओं से ओत–प्रोत कर देते हैं। समूचे देश को एकता की कड़ी में जोड़ने का काम करते हैं और जन–जन के कंठ हार हैं।

इस प्रकार अंत में यही कहना उपयुक्त होगा कि ये त्योहार हमारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। ये हमारी संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय एकता के आधार स्तम्भ है। हमें अपने त्योहारों पर गर्व है।

कतिपय निबन्धों की रूपरेखाएँ

(xi) मेरी प्रिय पुस्तक

1. पुस्तक अध्ययन का महत्त्व 2. मेरी प्रिय पुस्तक 'वीर सतसई' एक परिचय
3. कवि सूर्यमल्ल मीसण एवं उनकी वीर सतसई 4. वीर सतसई की विशेषताएँ :
(i) वीर सतसई में चित्रित वीर : वीर पति, वीर माता, वीर पत्नी, वीर पुत्र–पुत्री, वीर जेठानी–देवरानी।
(ii) वीर सतसई में राष्ट्र प्रेम और धरती प्रेम
(iii) वीर सतसई में कायरों की प्रताड़ना
(iv) वीर सतसई में राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास
(v) वीर सतसई का कला पक्ष–भाषा, शैली, छन्द, अलंकार, शब्द चयन आदि।
5. राजस्थानी साहित्य में वीर सतसई

(xii) सैनिक शिक्षा का महत्त्व

1. प्रस्तावना 2. भारत में सैनिक शिक्षा की आवश्यकता
3. भारत की सैनिक शिक्षण संस्थाएँ 4. सैनिक शिक्षा हेतु सरकारी योजनाएँ
5. देश रक्षा में सैनिक शिक्षा का योगदान 6. वर्तमान पीढ़ी और सैनिक शिक्षा
7. व्यक्तित्व विकास में सैनिक शिक्षा का महत्त्व 8. उपसंहार

(xiii) पर्यावरण–प्रदूषण

1. प्रस्तावना 2. पर्यावरण–प्रदूषण का अर्थ
3. पर्यावरण–प्रदूषण के प्रकार वायु, जल, ध्वनि, मृदा। 4. पर्यावरण–प्रदूषण के कारण
5. पर्यावरण–प्रदूषण के दुष्परिणाम 6. प्रदूषण निराकरण के उपाय
7. प्रदूषण निराकरण में आने वाली कठिनाइयाँ 8. उपसंहार

(xiv) दूरदर्शन – वरदान या अभिशाप

1. प्रस्तावना : आज की महत्ती आवश्यकता
2. दूरदर्शन का अर्थ आविष्कार एवं विस्तार, विविध कार्यक्रम
3. दूरदर्शन के जीवन पर अच्छे प्रभाव (वरदान), मनोरंजन, समाचार, कृषि–दर्शन, सुगम संगीत, योगासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, क्विज, महिला कार्यक्रम, रोजगार सूचनाएँ, मौसम, विज्ञापन, फैशन, कानूनी सलाह, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिक कुरीतियों का अन्त, जनमत संग्रह।
4. दूरदर्शन के कुप्रभाव (अभिशाप) समय की बरबादी, सामाजिक संकुचितता, अपसंस्कृति की अगुवाई, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, हिंसा, सैक्स, ग्लैमर का जुनून, अपराधवृत्ति का विकास, फैशन।
5. दूरदर्शन का सही उपयोग 6. उपसंहार

(xv) विद्यालय में गणतन्त्र दिवस

1. प्रस्तावना 26 जनवरी, गणतन्त्र दिवस। 2. गणतन्त्र का अर्थ एवं महत्त्व
3. समारोह की तैयारियाँ 4. गणतन्त्र दिवस का कार्यक्रम – सांस्कृतिक, व्यायाम, भाषण आदि।
5. मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन 6. प्रधानाचार्य द्वारा आभार एवं धन्यवाद 7. उपसंहार

(xvi) कम्प्यूटर के चमत्कार

1. प्रस्तावना – आज का युग कम्प्यूटर युग
2. कम्प्यूटर का अर्थ, आविष्कार एवं विकास
3. कम्प्यूटर द्वारा किये जाने वाले कार्य एक क्रान्ति – शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रसारण, बैंकिंग, चुनाव, डाकतार, वाणिज्य एवं उद्योग, यातायात, मौसम, डिजाइनिंग, कला, अनुसंधान, युद्ध, अन्तरिक्ष, ज्योतिष, रसायन, औषधि, पुलिस एवं न्याय, प्रकाशन, शासकीय कार्यालय आदि।
4. कम्प्यूटर क्रान्ति से जुड़ी कुछ आशंकाएँ बेरोजगारी, परावलम्बन, शारीरिक क्षमता कम
5. उपसंहार – निष्कर्ष

22
अपठित

अपठित का अभिप्राय है जो पढ़ा हुआ न हो, अर्थात् जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक से बाहर का हो। अपठित गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश भी। अपठित में अपठित के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना होता है। इसके निरन्तर अभ्यास से छात्र में समझने की शक्ति का विकास होता है, साथ ही उसकी रचना शक्ति भी जाग्रत होती है। अतः अपठित का अपना महत्त्व है इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र में अपनी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य रचनाओं या उनके विशेष स्थल को समझने, समझाने की क्षमता पैदा हुई या नहीं।

किसी अपठित के प्रश्न प्रायः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं–

(i) अपठित का उचित शीर्षक दीजिए।

(ii) अपठित का एक तिहाई सार लिखिए/या भाव लिखिए।

(iii) रेखांकित का आशय स्पष्ट कीजिए।

(iv) प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

अपठित गद्य या पद्य हल करने हेतु सामान्य निर्देश–

1. मूल अवतरण को दो तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केन्द्रीय भाव का पता लगाना चाहिए।
2. मूल अवतरण को पढ़ते समय अवतरण के महत्त्वपूर्ण विचार बिन्दुओं को रेखांकित करना चाहिए, जिनका मूल विषय से सीधा सम्बन्ध हो।
3. केन्द्रीय भाव से सम्बन्धित सटीक शीर्षक का चयन करना चाहिए। प्रायः शीर्षक अपठित के प्रारम्भ अथवा अन्त मे ंमिल जाता है, संभव है वह अवतरण के मध्यभाग में केन्द्रीय भाव के रूप में हो सकता है। अतः शीर्षक ऐसा हो जिससे अवतरण की विषय सामग्री का बोध हो जाय, शीर्षक लघु, जिज्ञासा पैदा करने वाला अर्थात् आकर्षक हो। शीर्षक अपठित से बाहर की शब्दावली का भी हो सकता है। शीर्षक की वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए।
4. किसी भी अवतरण को पढ़कर उसकी महत्त्वपूर्ण बात या भाव को संक्षेप में लिखना 'सार' कहलाता है। इसे अपठित का निचोड़ या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं।
5. सार लेखन में हमें इस सूक्ति को ध्यान में रचना चाहिए कि ''सार सार को गहि रहे, थोथा देय उड़ाय।' अर्थात् अवतरण को पढ़ते समय हमारा दृष्टि कोण यह होना चाहिए कि इसमें किस के बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है ? अतः सार मूल अवतरण का एक तिहाई होना चाहिए, उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए। अपठित में आये उद्धरण या दृष्टान्त को सार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।
6. सार अपनी भाषा में अर्थात् अपनी शब्दावली में होना चाहिए। भाषा सरल हो। वाक्य छोटे–छोटे हों। समानार्थी शब्दों अथवा भावों की पुनरुक्ति करने वाले शब्दों में से एक शब्द या शब्द

समूह का चुनाव करना चाहिए। अतः भाषा व्यावहारिक हो, विराम चिह्नों की सही जानकारी हो।

7. अपठित में पूछी गई रेखांकित अंशों की व्याख्या में केवल शब्दार्थ का प्रयोग न कर अवतरण के अनुसार विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। जो उसका आशय स्पष्ट कर सके, जो पूर्णतः सुबोध हो, विषयानुकूल हो।
8. अपठित के प्रश्नों के उत्तर तो उसी अवतरण में समाविष्ट रहते हैं अतः अवतरण के प्रत्येक वाक्य को अच्छी तरह समझ कर उसी भाव के अनुसार उत्तर देना चाहिए। इसमें अपने ज्ञान एवं अनुभव के अनुसार उत्तर देना चाहिए। इसमें अपने ज्ञान एवं अनुभव को आधार बना अवतरण के बाहर जाने की अनावश्यक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों की भाषा अपनी होनी चाहिए। अवतरण से ज्यों के त्यों उद्धृत करने का कोई महत्त्व नहीं होता। अर्थात् उसमें न तो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए और न ही अवतरण से ज्यों का त्यों लेना चाहिए।

अपठित गद्यांश :

अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ–प्रदर्शक बन जाता है। पत्र–सम्पादक अपनी शान्ति कुटी में बैठा हुआ दृढ़ता और स्वतन्त्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मन्त्रि–मण्डल पर आक्रमण करता है, परन्तु ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं मन्त्रि–मण्डल में सम्मिलित होता है। विधान सभा भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दण्ड रहता है ? माता–पिता उसकी ओर से कितने चिन्तित रहते हैं ? वह उसे कुलकलंक समझते हैं। परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्य शील, कैसा शांतचित्त हो जाता है।

यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।''

प्रश्न :

1. उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
2. उपर्युक्त गद्यांश का एक तिहाई सार लिखिए।

उत्तर :

1. शीर्षक : उत्तरदायित्व का ज्ञान
2. सार :

उत्तर दायित्व का बोध दुराचारी व्यक्ति को सदाचारी एवं सुशील बना देता है। अपनी जिम्मेदारी समझने पर व्यक्ति अपने विकारों से ऊपर उठकर पवित्र आचरण करने लगता है। दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति हो या सामाजिक उद्दण्डता का पुतला युवक, अपने उत्तर –दायित्व का ज्ञान होने पर धैर्य शील एवं शांतचित्त बन जाता है।

अपठित पद्यांश :

"ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में
मनुज नहीं लाया है'',
अपना सुख उसने अपने
भुजबल से ही पाया है।"
प्रकृति नहीं डर कर झुकती है
कभी भाग्य के बल से,
सदा हारती वह मनुष्य से,
उद्यम से श्रमजल से।

प्रश्न :

1. उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
2. उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए।
3. रेखांकित का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

(i) शीर्षक : कर्म की श्रेष्ठता।

(ii) **भावार्थ :**

जो व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं उनकी मान्यता है कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है, जन्म के साथ ही वह उसके भाग्य में सब कुछ लिख देता है, किन्तु कर्मवादियों का यह मत है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। वह अपने श्रम से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल की प्राप्ति करता है।

(iii) जो व्यक्ति कर्मशून्य होते हैं वे ही भाग्यवादी होते हैं। जबकि कवि की मान्यता है कि ब्रह्मा मनुष्य के भाग्य का निर्माता नहीं है बल्कि कर्मवादी अपने भुजबल से, श्रम से इच्छित फल की प्राप्ति करता है। अर्थात् भाग्य की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है।

अभ्यासार्थ
अपठित–1

आज देश स्वतन्त्र है। हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी नवीन स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके। आये दिन ऐसे संकट हमको चुनौती देते रहते हैं जिससे निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों में ही देश–सेवा की भावना दृढ़ हो जावे तो भविष्य के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार हो सकेगी। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ–साथ अस्त्र–शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को सैनिक शिक्षा दी थी। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। सेवा, तत्परता, परिश्रमशीलता एवं निर्भरता आदि गुण इस शिक्षा से अपने आप आ जाते हैं। जीवन भी तो एक युद्ध क्षेत्र ही है। इस क्षेत्र में रहने के लिए भी उपर्युक्त गुणों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश की संस्कृति शान्ति प्रधान है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति में वृद्धि न करें। आज सम्पूर्ण संसार सैनिक शिक्षा पर जो ध्यान दे रहा है, उसे देखते हुए भी

इस ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है।

प्रश्न :

1. उपर्युक्त गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
2. रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
3. उपर्युक्त गद्यावतरण का एक तिहाई सार लिखिए।
4. हमारे देश को सैनिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों? उत्तर दीजिए।

2

सद्ग्रन्थ मानव समाज की अमूल्य निधि हैं। इस निधि की समानता में समाज के पास अन्य कोई सम्पत्ति नहीं। मानव अपने जीवन के लिए जो कुछ भी उत्तम की प्राप्ति करता है, उसमें सद्ग्रन्थों का ही विशेष योगदान है। उत्तम ग्रन्थ पुस्तकालय की शोभा मात्र ही नहीं है वरन् मानवीय गुणों के विकास में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप किसी भी विषय की अच्छी पुस्तक लीजिए वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी और आपकी चिर–पिपासा शान्त कर सकेगी। जीवन के ऊँचे आदर्शों की स्थापना भी ये ग्रन्थ–रत्न करते हैं। सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की त्रिवेणी का स्रोत इन्हीं ग्रन्थों में है। ये मानव जीवन के सच्चे साथी और एक मात्र हितैषी हैं। मानव एक दूसरे को धोखा दे सकता है, किन्तु एक अच्छा ग्रन्थ सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रन्थ मानव कल्याण के वाहक हैं, उसी प्रकार बुरी पुस्तकें उतनी ही अनिष्टकारक हैं। ऐसी निम्न श्रेणी की पुस्तकें सदैव त्याज्य हैं।

प्रश्न :

1. उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
2. मानव जीवन में सद्ग्रन्थों का विशेष योगदान क्या है ?
3. किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं व क्यों ?
4. उपर्युक्त गद्यांश का एक तिहाई सार लिखिए।
5. रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।

3

न्यायोचित अधिकार माँगने
से न मिले, तो लड़के,
तेजस्वी छीनते समर को
जीत, या कि खुद मरके।
किसने कहा, पाप है समुचित
स्वत्व–प्राप्ति–हित–लड़ना ?
उठा न्याय का खड्ग समर में
अभय मारना–मरना।

प्रश्न :

1. उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
2. रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
3. उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए।

4.

प्रकृति के यौवन का शृंगार,
करेंगे कभी न बासी फूल,
मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र,
आह ! उत्सुक हैं उनकी धूल
पुरातनता का यह निर्मोक,
सहन करती न प्रकृति पल एक;
नित्य नूतनता का आनन्द,
किये है परिवर्तन में टेक।।"

प्रश्न :

1. उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
2. रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
3. उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए।